दसम माला, खंड 11, अंक 39

सोमवार, 27 अप्रैल, 1992
7 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

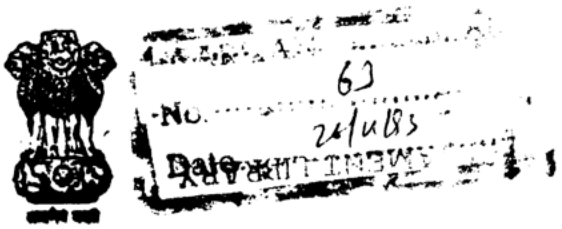

(खंड 11 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

पृष्ठ	पंक्ति	शुद्धि
158	10	"मुकूल" के स्थान पर "मुकुल" पढ़िये।
166	नीचे से 2	"जल संसाधन मंत्री" के स्थान पर "जल संसाधन मंत्री" पढ़िये।
181	नीचे से 11	"देवगौड़." के स्थान पर "देवगौडा" पढ़िये।
189	6	"डा. ए.के.पटेल" के स्थान पर "डा. अमृतलाल कालिदास पटेल" पढ़िये।
190	नीचे से 5	"चौहान" के स्थान पर "चव्हाण" पढ़िये।
197	16	"कछ्वां" के स्थान पर "काछ्वां" पढ़िये।
206	पंक्ति 1	सदस्य नाम में "नीतिश" के स्थान पर "नीतीश" पढ़िये।
207	15	मंत्री का नाम "अजीत" के स्थान पर "अजित" पढ़िये।
234	नीचे से 5	सदस्य नाम में "श्री दी. धनंजय" के स्थान पर "श्री वी. धनंजय" पढ़िये।
237	नीचे से 4	"श्री मनोरंजन भक्त" के स्थान पर "श्री मनोरंजन भक्त" पढ़िये।
257	नीचे से 7	"श्रीमती मालिबी भट्टाचार्य" के स्थान पर "श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य" पढ़िये।
260	नीचे से 6	शीर्षक में वैकल्पित" के स्थान पर "वैकल्पिक" पढ़िये।

विषय सूची

दशम माला, खंड 11, तीसरा सत्र, 1992 / 1914 (शक)

अंक 39, सोमवार, 27 अप्रैल 1992/7 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 759 से 764	1–22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	23–207
तारांकित प्रश्न संख्या : 758,765 से 774 और 776 से 778	23–32
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7973 से 8180 और 8182 से 8202	33–207
महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में	208–211
स्टॉक एक्सचेंज के बारे में	211–235
सभा पटल पर रखे गए पत्र	235–237
प्राक्कलन समिति	237
सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश—प्रस्तुत	237
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	238
छठा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	238
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	238
सातवां और नौवां प्रतिवेदन—प्रस्तुत	238
अविलम्बीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	238–257
आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को वी० एफ० सी० तम्बाकू के लिए कम कीमत दिये जाने पर उनमें प्राप्त असन्तोष	238
प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु	238, 240–244
श्री पी० चिदम्बरम्	239–240
श्री जी० एम० सी० बालयोगी	244–245
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	245

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
भोपाल गैस विभीषिका (दावा-कार्यवाही) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित		257–258
नियम 377 के अधीन मामले		258–261
(एक)	महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का शीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता श्री उदयसिंहराव गायकवाड़	258
(दो)	केरल में रेल सवारी डिब्बा कारखाना खोलने की आवश्यकता श्री पी० सी० चाको	258
(तीन)	पंजाब में "राई" जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिए जाने की आवश्यकता श्री जगमीत सिंह बरार	259
(चार)	उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता श्री मंगल राम प्रेमी	259
(पांच)	उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय वन संरक्षण बल का गठन किए जाने की आवश्यकता श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा	260
(छः)	पूर्व रेलवे के मुगलसराय जंक्शन पर रेल यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता श्री विश्वनाथ शास्त्री	260–261
(सात)	मंत्रियों द्वारा संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के बारे में संबंधित संसद सदस्यों को अग्रिम सूचना दिए जाने की आवश्यकता श्री राम नाईक	261
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1992–93		262
श्रम मंत्रालय :		262
	श्री गुमान मल लोढा	262–268
	श्री पी० पी० कालियापेरूमल	268–274
	श्री अजय मुखोपाध्याय	274–279
	श्री नितीश कुमार	282
मंत्री द्वारा वक्तव्य :		289–290
दिल्ली दुग्ध योजना श्री बलराम जाखड़		280–289

लोक सभा

सोमवार, 27 अप्रैल, 1992/7 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत पर्यटन विकास निगम का कार्यकरण

[अनुवाद]

*759. **श्री विजय कुमार यादव :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संगठनों का विलय करके अक्तूबर, 1966 में भारत पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गयी थी;

(ख) क्या सरकार ने इस निगम के रजत जयंती वर्ष 1991-92 के दौरान इसके कार्यकरण का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यटन उद्योग की रक्षा हेतु भारत पर्यटन विकास निगम को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक)

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्य-निष्पादन की विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है जिसमें समय-समय पर आयोजित की जाने वाली कार्य-निष्पादन मूल्यांकन समीक्षा बैठकें शामिल हैं। 1991-92 के दौरान ऐसी दो बैठकें दिनांक 30-5-1991 और 17-12-1991 को आयोजित की गई थीं।

(घ) भारत पर्यटन विकास निगम अपने कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए जो कदम उठा रहा है उसमें उत्पाद सुधार, विशेष पैकेज यात्राएं, छूट के जरिए प्रोत्साहन, विपणन तथा आरक्षण समझौते सम्मिलित हैं ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो उत्तर है वह कंप्लीट नहीं है । पार्ट बी और सी को एक साथ मिलाकर देखा जाए तो उसमें हमने यह मांग की है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यक्रम के मूल्यांकन का ब्यौरा दिया जाए। मूल्यांकन करके जो जांच की गई है, समीक्षा की गई है, इसकी क्या डीटेल्स हैं, ये इसमें मांगी गई हैं जिसे नहीं दिया गया है। इसलिए सप्लीमेंटरी करने से पहले हम चाहेंगे कि इसे पूरा करें ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया पूरक प्रश्न पर आएं।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : पहले मंत्री जी इसका ब्यौरा दें ।

अध्यक्ष महोदय : वही सप्लीमेंटरी होती है अगर आपके मन में कोई डाउट हो।

[अनुवाद]

यदि आपकी कोई शंका हो तो आप पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : डाउट नहीं है । समीक्षा का ब्यौरा नहीं दिया गया है। अगर ब्यौरा आएगा तो उस पर कुछ बात होगी । उसका ब्यौरा मंत्री जी दें । जो समीक्षा हुई, उसका क्या ब्यौरा है और समीक्षा का क्या रिजल्ट निकला ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : महोदय समीक्षा की जा चुकी है । उन्होंने समीक्षा के बारे में पूछा है । वास्तव में हम समय-समय पर समीक्षा कर रहे हैं । उनका यह प्रश्न है कि रजत जयंती वर्ष पर कोई समीक्षा की गई है, हम रजत जयंती वर्ष में यह नहीं करते। वस्तुतः हर वर्ष हम मूल्यांकन करते हैं और जहां कहीं भी सुधार किया जाना है हम उसे करते हैं ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति अपनाई है और उसके अंतर्गत जो राजकीय क्षेत्र में उद्योग हैं उनके निजीकरण की बात चल रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आई०टी०डी०सी० की वर्किंग की जो समीक्षा हुई है उस समीक्षा को देखते हुए, किस पोजीशन में उसकी वर्किंग है, क्या सरकार इसे ज्वाइंट वैंचर कम्पनी में बदल कर, इसका निजीकरण करना चाहती है । यदि चाहती है तो फिर इसके ऐम्स एण्ड ऑब्जैक्टस क्या होंगे और इस निगम का रोल क्या होगा, यही मैं जानना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि निजीकरण का कोई प्रश्न ही नहीं है । भारतीय पर्यटन विकास निगम के कुछ शेयरों से हम निवेश वापस लेना चाहता हैं क्योंकि इन होटलों और अन्य चीजों पर धन खर्च करने के लिए हमारे पास नहीं है । अत: हम कुछ शेयरों को बेचना चाहेंगे और इस प्रक्रिया में हम साम्या भागीदारी चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसा होने के बाद, इस कार्पोरेशन में जितने कर्मचारी या दूसरे लोग काम कर रहे हैं । इसके रीजनल आफिसेज में जितने लोग काम कर रहे हैं, उन पर इसका क्या असर पड़ेगा और उनके बारे में गवर्नमैंट ने क्या सोचा है । किस रूप में उन्हें टिकाए रखा जायेगा, उनके बारे में क्या निर्णय लिया गया है, उनके हितों की रक्षा के लिये, खास तौर पर मैं यही जानना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

श्री एम० ओ०एच० फारुक : महोदय, इस प्रक्रिया में हम श्रमिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे और जबकि हम बातचीत कर रहे हैं, हम श्रमिकों के हितों पर ध्यान रखेंगे और उसकी रक्षा का प्रयास करेंगे ।

श्री एस० बी० सिंह : महोदय, मेरा यह कहना है कि आज की दुनिया में प्रबंधन अत्यंत विशिष्ट मामला है । मूल्यांकन समीक्षा समिति में वित्तीय मामलों की देखरेख के लिये चार्टर्ड एकाउंटेंट नियुक्त है? क्या वहां कोई होटल प्रबंधन के क्षेत्र का प्रशिक्षित विशेषज्ञ है जो यह देखे कि होटल किस तरह चल रहा है? क्या उनके पास विपणन एवं परिचालन प्रबंधन हैं जो विदेशी पर्यटन को बढ़ावा दे सके ? क्या मूल्यांकन समीक्षा समिति में ऐसे लोग हैं ?

श्री एम० ओ० एच० फारुक : महोदय, हमारे पास इस पेशे की जानकारी रखने वाले लोग हैं और जहां तक वित्तीय मामलों संबंधी प्रश्न है हमारे पास वित्त विशेषज्ञ हैं अत: इस मामले को इन सभी पहलुओं के दृष्टिकोण से देख रहे हैं और हम न्याय करने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि पर्यटन विकास निगम के द्वारा देश के शिक्षित बेरोजगारों को, होटल या टूरिस्ट भवन बनाने के लिये, क्या आपने प्राथमिकता देने पर विचार किया है, क्या आप प्राथमिकता देंगे ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप यह मानते हैं कि यह बात इस प्रश्न से जुड़ा है तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं ।

[हिन्दी]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : मैं ऐसा नहीं मानता हूं ।

श्री सूर्य नारायण यादव : बेरोजगारों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० सी० चक्को : महोदय, भारतीय पर्यटन विकास निगम के कार्यनिष्पादन सांविधिक की समीक्षा को माननीय मंत्री ने स्पष्ट किया । लेकिन मेरा यह विश्वास है कि माननीय मंत्री और अन्य मंत्री भा०प० वि० नि० के कार्यनिष्पादन से संतुष्ट नहीं हुए होंगे । भा०प० वि० नि० (भारतीय पर्यटन विकास निगम) देश के प्रमुख स्थानों पर स्थित है । लेकिन, कर्मचारियों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार एवं होटलों के कमरों के गलत रखरखाव के कारण हानि हो रही है। भा०प०वि०नि० के शीर्ष पर हमारे पास एक सक्रिय मंत्री है । अतः मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करता हूं कि क्या वह भा०प० वि० नि० को उसकी पुरानी समस्यों से मुक्त करने के लिये कोई नया कदम उठाने का आश्वसन देंगे ।

श्री एम० ओ० एच० फारुक : महोदय, इसके लिये हम प्रयास कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य के कुछ विचारों से सहमत हूं । हम सुधार के सभी संभव उपाय कर रहे हैं । मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि हम यह सब करेंगे ।

***760. श्री रामदेव राम :**

श्री ललित उरांव :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों और सरकारी नीतियों के सम्बन्ध में जन चेतना पैदा करने के लिए विज्ञापनों और विज्ञापन-पटों के माध्यम से प्रचार पर बहुत अधिक धनराशि खर्च करती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत किये गये ऐसे खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1991–92 के दौरान इस खर्च में कोई मितव्ययिता बरती गई है; और

(घ) यदि हां, तो खर्च में की गई इस कमी का प्रचार के माध्यम से तत्संबंधी लक्ष्य–प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है ।

(विवरण)

(क) से (घ) तक विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान 6239.10 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

प्रचार शीर्ष	किया गया खर्च (लाख रुपये)		
	1989–90	1990–91	1991–92
प्रदर्शनियां	52.10	42.26	46.08
प्रेस विज्ञापन	1064.50	2085.22	1351.10 (लगभग)
मुद्रित प्रचार	298.27	262.84	282.12
आउटडोर प्रचार	55.21	45.04	87.20
रेडियो/टी०वी० स्पाट/श्रव्य	177.62	52.78	336.76
दृश्य प्रचार	1647.70	2488.14	2103.26

प्रचार के लिए जो उद्देश्य रखे गए थे, उन पर सरकार की खर्च में बचत करने के उपायों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया । 1990–91 में प्रेस विज्ञापनों पर अधिक खर्च का कारण यह है कि इस राशि में पहले के वर्षों के लंबित बिलों की रकम भी शामिल है ।

[हिन्दी]

श्री रामदेव राम : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि जहां जन–चेतना की अधिक आवश्यकता है, परन्तु इसके विपरीत होर्डिन्ग क्यॉस्क्स और अन्य प्रचार सामग्री द्वारा दिल्ली में अधिक खर्च किया जाता है, तो क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि इन मदों में बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और पिछड़े राज्यों में खर्च नहीं के बराबर करती है, ऐसी क्यों ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, डी० ए० वी० पी० इस बात का ख्याल रखता है कि छोटे और मध्यम वर्गीय पत्रों के माध्यम से भी हमारे विज्ञापन पहुंचे । छोटे और मध्यम वर्ग के जितने भी पत्र हैं वे दिल्ली से दूर रहते हैं। मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि बिकलांग 44 प्रतिशत विज्ञापन केवल छोटे और मध्यम वर्गीय पत्रों को डी० ए० वी० पी० के मिलते हैं ।

श्री रामदेव राम : अध्यक्ष महोदय मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार टी० वी० आदि इलैक्ट्रोनिक जैसे प्रचार के खर्चीले माध्यमों की बजाय, होर्टिगज, क्यास्क्स, दीवारलेखन जैसे स्थायी और सस्ते माध्यमों को प्राथमिकता देना चाहती है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : जी जहां अध्यक्ष महोदय, अभी–अभी विशेषकर मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि चाहे इलैक्ट्रानिक मीडियम का कितना ही प्रचार–प्रसार हो जाए, लेकिन दूरदराज के

इलाकों के लोगों और गरीब लोगों को इलैक्ट्रोनिक मीडिया मुहैया नहीं हो सकता है, ऐसी दशा में हमारे फील्ड पब्लिसिटी मीडिया को अधिक सशक्त होना पडेगा और उसके लिए इस प्रकार के टिकाऊ और सस्ते साधनों से लोगों तक पहुंचने वाले विज्ञापनों को ध्यान में रखा गया है ।

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, अगर अनुमति हो, तो इस प्रश्न से सम्बन्धित एक गम्भीर मामले की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता। मैंने जो प्रश्न किया था उस प्रश्न और इस प्रश्न में कोई सामंजस्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । ऐसी चर्चा यहां पर नहीं हुआ करती है। उसके नियम हैं । उसके रूल हैं, उसके तहत होता रहता है। आप सप्लीमेंट्री पूछिए ।

श्री ललित उरांव : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हुं कि वर्ष 1988–89, 1989–90, 1990–91 और 1991–92 में सरकारी नीतियों के प्रचार–प्रसार एवं जनहित से संबंधित कार्यक्रमों के बारे में समाचारपत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से, होर्डिन्ग्स और दीवार लेखन के माध्यम से, राज्यवार और मदवार अलग–अलग, कितनी–कितनी राशि खर्च की गई ।

कुमारी गिरिजा व्यास : सर, यह तो बहुत लम्बी सूची है । अगर हमें इसके लिए अलग नोटिस मिल जाए, तो हम इसे प्रस्तुत कर देंगे ।

[अनुवाद]

श्री इ० अहमद : महोदय, माननीय मंत्री ने अभी––अभी कहा है कि विज्ञापन लागत का 40 प्रतिशत लघु और मध्यम दर्जे के समाचार-पत्रों पर खर्च होता है ? इन लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों में से कई विशेषकर मध्यम समाचारपत्रों को बचावत आयोग की रिपोर्ट को लागू करना होता है जो उन पर एक गम्भीर आर्थिक वचनबद्धता लागू करती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि समाचार पत्रों के चयन का कोई मापदंड है जिसके आधार पर मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों में विज्ञापनों को दी जाती है। दिल्ली से दूर प्रकाशित हो रहे कई समाचारपत्रों के लिए विज्ञापन जारी करने में उन पर ध्यान नहीं दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार किन मापदंडों का अनुकरण करती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): महोदय, विज्ञापन जारी करने के लिए हमारे पर निश्चित मार्ग निर्देश हैं और वे मार्ग निर्देश मुख्य रूप से उन उद्देश्य पर आधारित हैं जिसके लिए विज्ञापन दी जाती है यदि विस्तृत क्षेत्र और अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने का उद्देश्य होता है तो हम उन्हें किसी ऐसे विशेष समाचार पत्र को देते हैं जिनका अधिकतम प्रसार है । यदि विज्ञापन का उद्देश्य क्षेत्रीय अथवा स्थानीय है तो हम उस क्षेत्र उस विशिष्ट समाचार पत्र को देते जिसका वहां अधिकतम प्रसार है। इस सम्बन्ध में हमारे पास मार्ग निर्देश हैं और हम उनका अनुसरण करते हैं ।

डा० राम चन्द्र डोम : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह बताया है कि "रेडियो, टी० वी० स्पाट एवं श्रव्य दृश्य प्रचार" जैसे महत्वपूर्ण मदों पर वर्ष 1991–92 के दौरान

विगत दो वर्षों के आंकड़ों की तुलना में बढ़ गया है। मेरे विचार से विशेषकर ग्रामीण अशिक्षित जनता के लिए रेडियो तथा टी० वी० अत्यन्त महत्वपूर्ण माध्यम है। श्रव्य-दृश्य प्रचार का अत्यधिक प्रभाव होता है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि देश में बढ़ती हुई पर्यावरण प्रदूषण और जनस्वास्थ्य की समस्यायों को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अधिक आवंटन करती ताकि राष्ट्र के पर्यावरणीय प्रदूषण तथा जन स्वास्थ्य की समस्या पर अधिक बल दिया जा सके तथा लोगों में उसके प्रति सजगता लाई जा सके। मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार लघु एवं मध्यम दर्जे के समाचार पत्रों के लिए अधिक आवंटन देगी विशेषकर उन समाचार पत्रों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं

श्री अजित पांजा : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, उसके बारे में हमारा यह कहना है कि हम जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता देते हैं और यह कार्य रेडियो तथा टी० वी० स्पाट और श्रव्य-दृश्य प्रचार के माध्यम से किया जाता विशेषकर उन लोगों को शामिल करने के लिए जो शिक्षित नहीं हैं। जहां तक विज्ञापनों का सम्बन्ध है, रिकार्डों से ज्ञात होता है कि बड़े समाचार पत्रों को 23 प्रतिशत मिलते हैं तथा मध्यम समाचार पत्रों को 33.50 प्रतिशत और लघु समाचार पत्रों को 43.20 प्रतिशत।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहती हूं कि पाठ्य दृश्य, श्रव्य माध्यमों पर जो विभिन्न विज्ञापन दिए जाते हैं उनके द्वारा हुए प्रभाव पर अलग-अलग क्या कोई शोध किया गया है? यदि उनके प्रभाव के बारे में शोध किया गया है तो उनका आंकड़ा क्या है? सबसे अधिक आप लिखित अखबारी विज्ञापन पर बल दे रहे हैं उसमें यदि हिन्दी और अंग्रेजी माध्यमों के पत्रों का जब सर्कुलेशन बराबर है तो क्या ऐडवटाईजमेंट पर किए गए खर्च में राशि अंग्रेजी पत्रों पर अधिक होती है और हिन्दी पत्रों पर कम होती है?

कुमारी गिरिजा व्यास : जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, मैं समझ नहीं पाई लेकिन हमारे यहां पर रिसर्च विंग है और जनता से समय-समय पर हमें जो सूचना मिलती है उनके द्वारा निश्चित रूप से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि विज्ञापनों का, जो सरकारी माध्यमों से दिए जाते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है।

श्रीमती गिरिजा देवी : हिन्दी अखबार पर व्यय कहीं न कहीं कम होता है।

कुमारी गिरिजा व्यास : वह पालिसी के अनुसार होता है।

श्री वृशिण पटेल : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामाजिक विसंगतियों को दूर करने के लिए और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करने के लिए, देश के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का बोध कराने के लिए टी० वी० और रेडियो में कौन-कौन से विज्ञापन और प्रचार का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और उस पर क्या खर्च हो रहा है?

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, माननीय सदस्यों ने यह देखा होगा कि एकता यात्रा के लिए हमने पूरे देश में लगातार प्रयास —रेडियो तथा टी० वी० दोनों और विज्ञापन के द्वारा भी तथा कई अन्य उपाय किए ताकि देश की धार्मिक, जाति रंग भेद और वर्ण के आधार पर एकता बनी रहे। उसके लिए कितना खर्च किया गया उसका वास्तविक लेखा मेरे पास नहीं है क्योंकि प्रश्न का उससे संबंध नहीं है लेकिन मैं ..... (व्यवधान)।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : यह एकता यात्रा के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय एकता के बारे में पूछ रहे हैं। एकता यात्रा का इतना जोशी जी भी प्रचार नहीं कर सके, जितना आपके टी० वी० ने प्रचार किया (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : 'एकता यात्रा' के प्रति पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण न अपनाएं। इसका कारण यह है कि मेरा हिन्दी का ज्ञान बहुत कम है। मेरा तात्पर्य राष्ट्रीय अखंडता, कौमी एकता से है न कि एकता यात्रा से जिसका राजनैतिक तात्पर्य है। कृपया यह समझने का प्रयास करें। मेरे कहने का तात्पर्य इस देश की राष्ट्रीय एकता से था। राष्ट्रीय एकता के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं जो आपने विभिन्न संचार माध्यमों पर देखा होगा। लेकिन राष्ट्रीय एकता के प्रचार के लिए कितना धन खर्च किया गया उसका लेखा जोखा मेरे पास नहीं है। क्योंकि प्रश्न उससे जुड़ा नहीं है। माननीय सदस्य, यदि चाहें तो, मैं उन्हें सूचित कर सकता हूं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र

*761. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 30 मार्च, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 450 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों में वहां की कुल जनसंख्या का अनुमानतः कितने प्रतिशत लोग दूरदर्शन प्रसारण से लाभान्वित होते हैं;

(ख) इन जिलों में प्रसारण-क्षेत्र में वृद्धि करने हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) चमोली और पौड़ी गढ़वाल जिलों की 90 प्रतिशत जन संख्या को दूरदर्शन प्रसारण क्षेत्र के अंतर्गत लाने के लिए वर्ष-वार योजना क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

(विवरण)

(क) इस समय उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की करीब 38.6 प्रतिशत जनता दूरदर्शन सेवा से कवर होती है। इसमें किनारे के क्षेत्रों की वह जन संख्या भी शामिल है जहां संतोषजनक सेवा प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने की आवश्यकता होती है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में कोटद्वार और चम्पावत में एक-एक अर्थात् कुल दो अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और चौखुटिया, जोशीमठ, और डी० डी० हाट में एक-एक अर्थात् कुल तीन अति अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। 1994 के दौरान इन ट्रांसमीटरों के चालू हो जाने से उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों की करीब 42 प्रतिशत जनता (किनारे के क्षेत्रों की जन संख्या सहित), के दूरदर्शन कवरेज के अन्तर्गत आ जाने की आशा है। जनसंख्या की दृष्टि से चमोली की 10.7 प्रतिशत और गढ़वाल जिले की 52.7 प्रतिशत जन संख्या (किनारे के क्षेत्रों की जनसंख्या सहित) के कवर होने की आशा है। चमोली और गढ़वाल सहित उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में दूरदर्शन कवरेज का और आगे विस्तार विभिन्न चरणों में हो सकता है जो इस प्रयोजन के लिए साधनों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि चमोली और गढ़वाल जिलों में टी० वी० कवरेज 1994 तक क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 52.7 प्रतिशत हो जायेगा। महोदय, मैं, यह कहता हूं कि वह यह न तो सही है और न संभव।

महोदय, हमारे निर्वाचित क्षेत्र का एक जिला चमोली का क्षेत्र 9000 वर्ग किलोमीटर हैं। वहां पर एक अत्यन्त कम शक्ति का ट्रांसमीटर है जो 5 से 8 किलोमीटर की परिधि को शामिल करता है। एक और जोशीमठ पर लगाया जा रहा है। इस तरह दो अत्यन्त कम शक्ति के ट्रांसमीटरों से प्रत्येक के द्वारा 5 से 8 किलोमीटर तक क्षेत्र शामिल हो सकेगा। उसी तरह गढ़वाल जिला के लिए 23 प्रतिशत है जिसे 52.7 प्रतिशत तक नहीं बढ़ाया जा सकता। मंत्री जी इसे स्पष्ट करना चाहेंगे।

मंत्री जी ने कहा, है कि भविष्य में इसका विस्तार कोष पर निर्भर करेगा। महोदय, एक एल० पी० टी० का लागत 1.25 करोड़ रुपया है और वी० एल० पी० टी० का मूल्य मात्र 85 लाख रुपया है। मेरा प्रश्न है: दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में जानकारियों एवं मनोरंजन के माध्यमों के नितान्त अभाव को देखते हुए क्या मंत्री जी चमोली के लिए 6 एल० पी० टी० और गढ़वाल के लिए 4 एल० पी० टी० का विशेष आबंटन करने को सहमत होंगे जिसका लागत मात्र 12.5 करोड़ रुपया होगा ताकि टी० वी० कवरेज आवश्यक स्तर तक उपलब्ध हो जाए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा): महोदय, हमारा यह सतत प्रयास रहा है कि जिन क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया है उसे भी शामिल किया जाए विशेषकर पर्वत मालाओं के क्षेत्र में जहां हमारे जनजातीय लोग रहते हैं। जहां तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है राष्ट्रीय कवरेज के 82 प्रतिशत के अनुरूप है और वास्तव में उत्तर

प्रदेश में 88 प्रतिशत टी० वी० कवरेज है। फिर भी, चमोली और गढ़वाल पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पहाड़ों की संख्या अधिक है जिससे छाया पड़ती है। अतः हमें कई ट्रान्समीटरों की आवश्यकता तथा अत्यन्त लघु शक्ति के ट्रांसमीटरों की आवश्यकता है ताकि पूरे क्षेत्र को शामिल किया जा सके ।

जहां तक, 9 एल० पी० टी० तथा 4 वी० एल० पी० टी० को स्थापित करने का सम्बन्ध है यह इंजीनियरों एवं अन्य विशेषज्ञों की राय पर निर्भर करता है। हमने माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है। तथा इसे हम अपने विशेषज्ञों को सौंप देंगे ।

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी : पहाड़ी क्षेत्रों में टी० वी० कवरेज को बढ़ाने के अच्छे उद्देश्य के लिए हम आभारी हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पा रहा है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि टी० वी० कवरेज छायादार क्षेत्र के कारण प्रभावित हो रहा है। मैं मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि यह ऊंची शिखरों वाली पहाड़ी है जो बड़े क्षेत्रों में फैली है जो उच्च शक्ति कि ट्रांसमीटरों जैसे एक किलोवाट शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए उपलब्ध है । लेकिन दुर्भाग्यवश यह कठिन है और कोई भी ऊंची चोटी पर चढ़ना नहीं चाहेगा। अगर माननीय मंत्री चाहें तो मैं ऐसे स्थलों का नाम बता सकता हूं जहां वृहतर क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाया जा सकता है।

महोदय, मेरा प्रश्न है कि इन जिलों में सिर्फ बहुत ही कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर ही क्यों लगाये जाते हैं, उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर क्यों नहीं लगाये जाते हैं, जिससे कि जनसंख्या का बड़ा भाग इससे लाभान्वित हो सके? पूरे इलाके को सिर्फ दो कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर और एक बहुत कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर की सहायता से इस सुविधा के घेरे में लाना संभव नहीं है। यह एकदम अपर्याप्त है। इसलिए माननीय मंत्री से मेरा सुझाव है कि वह कुछ चयनित स्थानों पर उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को लगाये जाने की आवश्यकता को स्वीकार करें। क्या वह इस पर विचार करेंगे ?

श्री अजित पांजा : यह सुझाव नोट कर किया गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के आठ जिलों से है। उनके पास सभी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में सूचना होनी चाहिए थी। अन्यथा, वह तो यह कह देंगे कि उन्हें नया नोटिस की जरूरत है। उम्मीद है कि वह जानकारी एकत्रित करके आप लोगों को दे देंगे। अगर यह सुविधा पूरे देश में प्रदान कर दी गई होती तो वह आपको इसके बारे में बताते।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल : : अध्यक्ष जी, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारा यह प्रयत्न है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जहां ट्राइबल लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर अधिक से अधिक यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए और पहाड़ों के आंचल में जो गांव पीछे बसे हुए हैं, वहां पर आप एल० पी० टी० वगैरह लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा सीधा प्रश्न यह है कि जहां आपने यह

उपकरण लगाये हैं, वहां पर भी चारों तरफ पहाड़ियां रह गई और नीचे गांवों में लगा दिए हैं, मेरे यहां हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में कोट नाम का एक स्थान है, उस गांव में भी एल० पी० टी० का पूरा लाभ नहीं हो रहा है और वहां पर डिस्टर्ब्ड प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो क्या आप उनको फिर से चैक करवाकर दोबारा एल० पी० टी० या बी० पी० टी० जहां उचित समझें लगाकर लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करेंगे ? वहां पर आकाशवाणी के केन्द्र का उद्घाटन आपके द्वारा होने वाला है, हमीरपुर में, वह आप कब तक करेंगे ?

कुमारी गिरिजा व्यास : अध्यक्ष महोदय, कुछ इलाकों की टोपोग्राफी ऐसी है कि लाख कोशिशों के बावजूद हम लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, हालांकि मंत्रालय की पूरी प्रतिबद्धता है कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या तक और ज्यादा से ज्यादा एरिया तक टी० वी० और रेडियो स्टेशन पहुंचे लेकिन फिर भी इसको दिखा लेंगे । जहां तक परिवर्तन करने का कुछ है. उनको परिवर्तित भी कर दिया जायेगा और कुछ बढ़ाने का है तो उनको बढ़ा भी दिया जायेगा लेकिन यह फण्ड की एवेलिबिलिटी पर और टोपोग्राफी पर निश्चित रहेगा।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : महोदय, मैं अपने विद्वान सहयोगी के द्वारा कही बातों में कुछ थोड़ा और जोड़ना चाहूंगा । माननीय सदस्य ने हिमाचल प्रदेश का उल्लेख किया है । योजना आयोग के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशानुसार इस राज्य को श्रेणी–I के अन्तर्गत रखा गया है जो कि राज्यों का एक विशेष श्रेणी है जिसका पूरा क्षेत्र पर्वतीय होता है । इसलिये हिमाचल प्रदेश और इस श्रेणी के दूसरे राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण : महोदय, जहां तक पर्वतीय क्षेत्रों में दूरदर्शन ट्रांसमीशन को ग्रहण करने की क्षमता की समस्या या उसक अभाव का सम्बन्ध है, वह सभी जगह बराबर है, चाहे वह उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला क्षेत्र हो या महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में पड़ने वाला क्षेत्र । उन क्षेत्रों में भोगोलिक बाधाओं और असमतल जमीन के कारण "कवरेज" बहुत ही कमजोर हो जाता है । सरकार सामान्य तौर पर कवरेज का आंकड़ा पूरे राज्य के आधार पर देती है । क्या सरकार इसके बदले विकास प्रखण्ड या तहसील को खासकर देश के पहाड़ी क्षेत्रों में आंकड़े का इकाई मानने पर विचार करेगी और हमें कवरेज के ये विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध करायेगी ? प्रत्येक पर्वतीय क्षेत्र का कवरेज प्रतिशत हमें बाद में उपलब्ध कराया जा सकता है । जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है कि उस क्षेत्र में संचार की समस्या बहुत ही गंभीर है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रत्येक तहसील मुख्यालयों में बहुत ही कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने की कोई विशेष योजना है ?

कुमारी गिरिजा व्यास : महोदय, पश्चिमी घाट से योजना आयोग का आशय 39 जिलों में फैले ताल्लुकों से है ।

श्री जी० वेंकटराव नायक : महोदय, मैं माननीय सदस्य से जानना चाहता हूं कि दक्षिणी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्रों को मंत्रालय से पर्याप्त धनराशि मिल रहा है या नहीं या केवल उत्तरी और

पूर्वी भागों के पर्वतीय क्षेत्रों में ही विशेष कार्यक्रम चलाये जा रहे। मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि उनके मंत्रालय ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में दक्षिणी भागों के पर्वतीय क्षेत्रों के लिये ज्यादा धनराशि आवंटित की है या नहीं और क्या उनकी मंत्रालय को इस बात की पूरी जानकारी हैं कि दक्षिणी क्षेत्र में कुल कितने कमशक्ति और उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर लगाये गये हैं? मैं उनसे यह भी जानना चाहूंगा कि क्या उनके पास देश के सभी पर्वतीय क्षेत्रों यथा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार इत्यादि के पर्वतीय क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करने की कोई भावी योजना है? लोगों के मन में कुछ शंकाएं हैं कि यह मंत्रालय देश के सिर्फ उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में ही ध्यान केन्द्रित कर रहा है। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री से देश के दक्षिणी भाग के पर्वतीय क्षेत्रों में जो कि उपेक्षित क्षेत्र है, इस सम्बन्ध में मुहैया करायी गयी सुविधा के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री अजित पांजा : जैसा कि मैंने बताया है कि हम देश के सम्पूर्ण पर्वतीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह कहना सही नहीं है कि दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपर समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

योजना आयोग ने जो श्रेणी बनाई हैं उसमें हम तमिलनाडू, कर्नाटक और केरल को ऐसे राज्यों की श्रेणी में पाते हैं जिसमें उनके पर्वतीय क्षेत्रों को पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रखा गया है। मेरे पास कवरेज का प्रतिशत है। तमिलनाडु का कवरेज जनसंख्या के हिसाब से 89.2 प्रतिशत और क्षेत्रफल के हिसाब से 89.5 प्रतिशत हैं। क्रमशः वैसे ही कर्नाटक का 60.5 और 49.8 प्रतिशत तथा केरल का 86.3 और 84 प्रतिशत है।

निर्माणाधीन परियोजनाओं में वृद्धि के साथ ही ये तीनों राज्य अर्थात् कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की कवरेज 88 प्रतिशत तक पहुंच जायेगी।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें

[हिन्दी]

*762. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख वायुमार्गों पर इंडियन एयरलाइंस की दैनिक उड़ानों की संख्या क्या है ;

(ख) पिछले तीन महीनों के दौरान कितनी उड़ानों में विलंब हुआ;

(ग) उन उड़ानों में औसतन कितने–कितने समय का विलंब हुआ; और

(घ) तत्संबंधी कारण क्या है ?

[अनुवाद]

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) :

(क) से (घ) एक विवरण–पत्र सदन के पटल पर रखा गया हैं।

विवरण

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलूर और हैदराबाद के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली 50 एक-तरफा दैनिक उड़ानों का परिचालन कर रही है ।

(ख) और (ग) जनवरी से मार्च, 1992 के दौरान कुल 22,239 उड़ानों में से, 5209 उड़ानों में 15 मिनट से अधिक का विलम्ब हुआ था, जिनमें विलम्ब की औसत अवधि 1 घंटा 25 मिनट थी ।

(घ) उड़ानों में विलम्ब इंजीनियरी और अन्य खराबियों, खराब मौसम, अपर्याप्त हवाई अड्डा सुविधाओं आदि के कारण हुआ था।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विलम्ब के कारण बताए हैं, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण अन्य छिपे हुए हैं । मान्यवर, आज से कुछ महीने पूर्व इंडियन एयरलाइन्स के चेयरमैन, श्री एस० रामदास, के द्वारा कर्मचारियों में अनुशासनहीनता, कर्तव्य के प्रति आस्था और निष्ठा का न होना, उन्होंने इन सब चीजों को कठोरता के साथ लेने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, माननीय मंत्री जी ने उसके अन्तर्गत श्रम कर्मचारियों के साथ सम्पर्क करके, चेयरमैन की अवहेलना की और समझौता तो निश्चित रूप से कर लिया । लेकिन इतने बड़े आर्गेनिजेम के चेयरमैन ने अपना अनादर, अपना अपमान समझ कर उस संस्था से त्याग-पत्र दे दिया । परिणाम सामने हैं । माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि एक घण्टा 25 मिनट का विलम्ब हुआ है । इस प्रकार से यदि कुछ फलाइट्स को देखा जाए, चार-चार, छः-छः घण्टे की फलाइट्स की डिले पूरे देश के अन्दर इंडियन एयरलाइंस के द्वारा टूरिस्ट प्वाइंट आफ व्यूह, अन्य दृष्टि से इन्डस्ट्रीज के प्वाइंट आफ व्यूह और अन्य लोगों को कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा है, यह सारी स्थिति सामने है । मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि इस विषय में जानकारी दें, इन प्रश्नों के उत्तर दें—क्या आज भी कर्मचारियों के अन्दर अनुशासनहीनता बनी हुई है, जिसका मुख्य कारण वहां पर तालमेल का अभाव है ? इसी प्रकार से कई बार वर्णन दिया जा चुका है कि प्लेन्स में इंजीनियरिंग डिफैक्ट्स में सुधार होना चाहिए ।

सभापति महोदय : प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर दें—समय-समय पर इनके विभाग की ओर से प्लेन्स के अन्दर इंजीनियरिंग की खराबी के कारण, तकनीकी खराबी के कारण जो जानकारियां दी गई हैं, क्या उसके विषय में आपके द्वारा सुधार की व्यवस्था की गई है, जिससे विलम्ब को घटाया जा सके ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय ने कुछ दूसरे विषयों के ऊपर काफी लम्बी टिप्पणी करते हुए दिसम्बर की घटना के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया है, जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं है ।

मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये सब कारपोरेशन चीफ एग्जिक्यूटिव के द्वारा चलाये जाते हैं। मंत्रालय का यह काम है कि आम तौर से ब्रॉड पॉलिसीज पर निगाह रखें और अगर मिसमैनेजमेंट हो रहा है, तो उस कारपोरेशन को मंत्री जी सावधान करें। गवर्नमेंट की पालिसीज और गवर्नमेंट के बीच में एक माध्यम होना चाहिए और वह माध्यम का काम करे।

और जहां तक घटना की बात है और माननीय सांसद महोदय ने उठाई है, हालांकि जैसा मैंने कहा कि यह प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। मैं रिकार्ड को स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब उस समय पायलट्स द्वारा टाईम मांगा गया मंत्री महोदय से यानि मेरे से तो मैंने स्पष्ट रूप से जबाब दे दिया था कि जब तक अनकंडीशनली विदड्राल इंडस्ट्रीयल एक्शन का नहीं होगा तब तक मंत्री से मिलने का कोई सवाल नहीं उठता है; और जब तक हम पी० टी० आई० और यू० एन० आई० पर नहीं पड़ेंगे तब तक पायलट्स को टाईम देने का सवाल नहीं उठता। स्पष्ट रूप से कहा गया। मेरी आदत नहीं है कि चीफ एक्जीक्यूटिव के अनुसार मंत्री विवाद में समाचार पत्रों में पड़े। इसके अलग-अलग लेवल होते हैं। मैं नहीं समझता कि मंत्री की गरिमा के अनुसार मंत्री को इसमें पड़ना चाहिए। चीफ एक्जीक्यूटिव जो बोलना चाहें, वे बोलें। सीविल एवियेशन के जो सेक्रेटरी थे तो उनको चीफ एक्जीक्यूटिव का टेलिफोन आया कि हमारे यहां डेडलॉक हो गया है। अगर आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हों और डेडलॉक को रिजाल्व कर सकते हो तो इसमें प्रयास किया जाए।

[अनुवाद]

सिविल एवियेशन के मंत्रालय ने पायलट्स को मिलने की स्वीकृति प्रदान की। लेकिन चीफ एक्जीक्यूटिव के द्वारा टेलीफोन पर किए गए अनुरोध के बाद ही नागर विमानन सचिव ने पायलटों से मुलाकात की थी। मैं चाहता हूं कि इस बात को सीधे रिकार्ड में रखा जाये।

[हिन्दी]

और उसमें भी सेक्रेटरी सिविल एवियेशन ने यह बात स्पष्ट कर दी।

[अनुवाद]

कि इसे बिना शर्त वापस लेना होगा।

[हिन्दी]

कोई काम्प्रोमाइज का सवाल नहीं है। उसके बाद फिर से देखा जायेगा कि इस बारे में क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। तरह-तरह का भ्रम इसमें फैलाना एक पार्टी या एक व्यक्ति की तरफ से हो तो यह उचित नहीं था। जैसा मैंने कहा कि हम चीफ एक्जीक्यूटिव के साथ विवाद में नहीं पड़ना चाहते थे। इसके अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न से संबंधित था, वह आपने पूछा इसलिए मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। हालांकि मैं इसके पूर्व यह कहूंगा कि मैं पूरी तरह से इस बात को मानने के लिए तैयार हूं और मंत्रालय मानने के लिए तैयार है कि संतोषजनक स्थिति नहीं है, सुधार की बहुत गुंजाइश है। हमको बहुत लम्बा रास्ता काटना है। उसके लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारा प्रयास है और हम प्रयासरत रहेंगे कि आपकी अपेक्षानुसार इस आरबेनाइजेशन को आगे बढ़ा पाएं और जनरल पालिसी देकर उसको और दुरुस्त कर पाएं।

जून के माह में जब नयी सरकार बनी थी तो उस समय आल टाईम हमारी परफारमेंस 52 प्रतिशत थी जुलाई में 67 प्रतिशत पंक्च्युएलिटी पहुंची उसके बाद अगस्त में 78 प्रतिशत पंक्च्युएलिटी। उसके बाद शतप्रतिशत निरन्तर सुधार का कार्य चलता रहा है पूर्व में आधे घंटे के बाद फ्लाइट लेट हो तो उसको लेट माना जाता था अब उसको 15 मिनट के बाद उस फ्लाइट को लेट माना जाता है। सिर्फ दिसम्बर और जनवरी में हमारी परफारमेंस ठीक नहीं रही। ए–300 का ग्राउंडिंग 1991 में रहा था उसके कारण ए–300 के जो मेजर चैक्स करने थे, उनको स्थागित करना पड़ा और उनको आगे बढ़ाना पड़ा इसके कारण ए–300 का मेजर चैक्स जनवरी में हुआ और दूसरा कारण मौसम का है आप जानते हैं कि काफी कुछ कोहरा और फाग होता है इसके कारण कुछ डिले हुआ है जो हमारे हाथ के बाहर है। इसके अलावा इंडस्ट्रीयल एक्शन के बारे में सभी परिचित हैं इसके अलावा और दूसरे कारण भी हैं जैसे—बाम्ब केस है। एयरक्राफ्ट रन–वे पर पहुंचता है तो टेलीफ़ोन आ जाता है तो उसके बाद जोखिम लेने का सवाल नहीं होता उसके बाद एयरक्राफ्ट को वापिस आना पड़ता है मैंने पहले ही कहा कि हम सुधार करेंगे और इसमें काफ़ी गुंजाईश है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि दिसम्बर-जनवरी को छोड़कर फरवरी से इम्प्रूवमेंट हुआ है और मार्च के माह में हमारी पंक्च्युएलिटी 82 प्रतिशत रही है इसका कुछ श्रेय अगर हम इंडियन एयरलाइंस के स्टाफ़ को नहीं देंगे तो वे प्रोत्साहित नहीं होंगे और थोड़ा-बहुत उनकी पीठ थपथपाना अनिवार्य हो जाता है जिससे वे प्रोत्साहित होकर जोश के साथ भविष्य में काम कर सकें।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री के ऊपर मेरा कोई सीधा आक्षेप नहीं था लेकिन चीफ एक्जीक्यूटिव का अपने पद से हट जाना मंत्रालय के लिए बड़े दुखदाई और शर्मनाक बात है। माननीय मंत्री जी ने इस पद को ग्रहण करने के बाद एक बात कही थी कि टूरिज्म पाइंट आफ व्यू से मैं नये–नये रूट्स से उन स्थानों को भी देश से जोड़ूंगा जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। मैं इस दृष्टि से जानना चाहूंगा कि जो हमारे छोटे-छोटे रूट्स हैं वहां सबसे ज्यादा विलम्ब का कारण बना हुआ है। अधिकांश फलाइट्स ऐसी देखी जाती हैं कि उनको रद्द किया जाता है। भविष्य में इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से ऐसा न हो, इसके लिए मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री माधव राव सिंधिया: माननीय सदस्य ने बिलकुल सही बात कही है। जो एक अभियान है वह व्यापक है। पूरे देश में पंक्चुअलिटी लाना मैं समझता हूं काफी जटिल कार्य है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि शुरूआत हमको मेन ट्रंक रूट्स पर करनी चाहिए, जहां 70–80 प्रतिशत यात्री सफ़र करते हैं वहां पंक्चुअलिटी में सुधार ला पायें, संतोषजनक स्थिति हो जाने पर हमारा ध्यान केन्द्रित होगा छोटे रूट्स की ओर। निश्चित रूप से वे भी महत्वपूर्ण हैं, इनकी ओर भी हमें देखना है। भविष्य में जब वह स्थिति नियंत्रण में आ जायेगी तो हम निश्चित रूप से इस ओर भी अधिक ध्यान देंगे।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने ब्यान में कहा है कि दिल्ली बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद जैसे मुख्य नगरों को एक दूसरे से जोड़ने वाली

इकतरफा 50 दैनिक विमान सेवा उपलब्ध हैं जिनकी उड़ानों में विलम्ब होती रही है और पिछले तीन महीनों में यह देरी 20 प्रतिशत तक हो चुकी है । उन्होंने इसे विस्तार में बतलाया है । मेरा कहना यह है कि ये विमान सिर्फ़ इन्हीं नगरों तक नहीं जाते बल्कि आगे भी यह अन्य छोटे रूटों पर जाते हैं। अगर मुख्य रूटों में ये देर से उड़ान भरते हैं तो आगे छोटे रूटों पर भी इन्हें देर हो जाती है । और कभी-कभी छोटी जगहों की ये उड़ान रद्द भी कर दी जाती है, जबकि इन स्थानों में विमान सेवा की कुछ ज्यादा ही आवश्यकता होती है। उन्होंने बतलाया है कि ऐसा पर्याप्त हवाई अड्डों की सुविधा के अभाव के कारण होता है। मैं उन से जानना चाहूंगा कि छोटे हवाई अड्डों में बेहतर हवाई पट्टी की और उपकरण की सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में उनके मंत्रालय या सरकार के क्या विचार हैं। छोटे हवाई अड्डों पर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जैसा कि उन्होंने अपने जवाब में बताया है।

अध्यक्ष महोदय : यह तो विलम्ब के बारे में है ।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं यह सब इसलिये कह रहा हूं कि इन्हीं सब कारणों से इसमें विलम्ब होता है फिर तो छोटे जगहों के लिये ये विमान उड़ान ही नहीं भर सकते हैं । यह भी एक पहलू है

सार्वजनिक क्षेत्र के एयर लाइन्सों में चीफ़ एक्जीक्यूटिवों की नियुक्ति समय पर नहीं करना इसका दूसरा कारण है। अगर तदर्थ आधार पर सारी चीजें की जाती हों तो इनमें सुधार कैसे संभव है ।

श्री माधव राव सिंधिया : महोदय यह मेरा सौभाग्य है कि अध्यक्ष महोदय को स्वयं ही एक समय नागर विमानन मंत्री होने के कारण उन्हें उसके बारे में इतनी विस्तृत जानकारी है जिससे इस प्रति प्रश्न जो कि मूल प्रश्न से सीधे नहीं जुड़ा था को आसानी से शीघ्र खारिज कर दिया गया इससे पहले कि मैं उनसे रक्षा की गुहार करता ।

महोदय माननीय सदस्य का कहना बिल्कुल सही है कि इसमें विलम्ब होने के अनेकों कारण हैं । वास्तव में मैं एक उदाहरण देकर बताना चाहूंगा कि मार्च में समय की पाबन्दी का निर्वाह 82 प्रतिशत तक किया गया। एयरइलान्स के तकनीकी कारणों से जो विलम्ब होते हैं, उसका प्रतिशत सिर्फ 2.67 है और जबकि अन्य कारणों, मसलन मौसम, पक्षी का टकराना, विमान में बम होने की धमकी या और कोई भी बात से 2.26 प्रतिशत विलम्ब होते हैं। कुल मिलाकर ये विलम्ब 5 प्रतिशत होते हैं । उसके बाद जो परिणामात्मक रूप से विलम्ब होते हैं उसकी प्रतिशत मात्रा 12.31 प्रतिशत है अतः 30 प्रतिशत देरी परिणामतः 70 प्रतिशत के करीब तक हो जाती है । यही एक समस्या है।

जहां तक छोटे हवाई अड्डों के संरचना का सम्बन्ध है, मूलतः हवाई अड्डों से उड़ाने भरने में जो परिणामतः देरी होती है, उसी से सारी चीज नियंत्रण के बाहर हो जाती है और हमारी नजर इन छोटे हवाई अड्डों पर जाती है । लेकिन इसका असली कारण वहां नहीं है। असली समस्या यह है कि उड़ानें समय पर नहीं भरी जाती हैं क्योंकि हमें समय-समय पर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसमें एक औद्योगिक समस्या भी है।

मैं समझता हूं कि एक अलग प्रकार की कार्य संस्कृति का विकास करने के लिए प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। हम उस सन्दर्भ में कार्य करने की कोशिश कर रह हैं । यह एक ही दिन में नहीं किया जा सकता। सरकार बदल जाने से ही कोई जादू की छड़ी हाथ नहीं लग जाती है। उसमें कई बाधाएं होती हैं, जिनसे निबटना पड़ता है। कार्य संस्कृति की प्रवाह तो ऊपर से करना होगा। हम इसके लिए प्रयत्नशील हैं। चीफ एक्जीक्यूटिव का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इन निगमों को चलाना एक मंत्री की सीधे जिम्मेवारी नहीं होती, बल्कि यह कार्य चीफ एक्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है, जो मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होता है। एक विस्तृत सामान्य नीति दृष्टिकोण बरकरार रखने के लिए हम निगम और सरकार के बीच का एक कड़ी है। अतः चीफ एक्जीक्यूटिव की नियुक्ति करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। मुझे माननीय सदस्य को कोई पाठ नहीं पढ़ाना है, वह एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते अच्छी तरह जानते होंगे कि सरकारी नियुक्तियों के दौरान एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जोकि अपनी जगह सही भी है क्योंकि सभी प्रकार की सावधानी और सुरक्षा वरतना भी जरूरी है। वह लम्बी प्रक्रिया चल रही है। मुझे आशा है कि बहुत जल्दी इसके सकारात्मक परिणाम आ जायेंगे ।

[हिन्दी]

श्री सूरज मण्डल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली-पटना-रांची-दिल्ली-कलकत्ता और दिल्ली-लखनऊ-पटना-कलकत्ता ये उड़ानें बराबर देर से जाती हैं और बीच-बीच में किसी दिन या तो पटना छोड़ देती है या रांची से सीधे दिल्ली चली जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, अभी 23 तारीख को मैं आने वाला था, कई मैम्बरस आने वाले थे। पटना हवाई अड्डे पर बैठे हुए थे और प्लेन सीधा रांची से दिल्ली चला गया। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन हवाई जहाजों को जो शैड्यूल दिया जाता है और दिल्ली-पटना-रांची एवं कलकत्ता को उड़ानों में देरी होने का कारण यह है कि उस रूट पर जो फ्लाईट्स स्टीन रहता है, उसको दूसरी तरफ डाईवर्ट कर देने से उस इलाके का प्लेन देर से आता-जाता है। नवम्बर में 320ए देने के बाद और भी उस रूट में डिले हो गया है तथा एक खतरा पैदा होता है क्योंकि रनवे से वापिस कर लिया जाता है। 'यह बात गत तीन महीनों से हुई है और ऐसा जनवरी से लेकर अब तक दस बार हमारे साथ हो चुका है तो मेरा पूछना यह है कि क्या आप इसमें कोई सुधार करने का विचार रखते हैं या टाईम पर चलाने के लिए विचार करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : हमारे यहां प्रतिदिन करीब 120 उड़ानें भरी जाती हैं लेकिन किसी विशेष उड़ान जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, उसके बारे में पूछ-ताछ करेंगे और अगर कोई भी सुधार की गुंजाइश होगी तो जरूर देखेंगे कि ये शिकायतें दूर हो सकें।

राज्यों की राजधानियों में विमान सेवायें

***763. श्री एच० डी० देवगौड़ा :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11.30 मध्याह्न पूर्व से पहले दिल्ली पहुंचने के लिए इंडियन एयरलाइन्स ने किन-किन राज्यों की राजधानियों से प्रतिदिन विमान सेवाएं उपलब्ध कराई हैं;

(ख) जितने राज्यों की राजधानियों से ऐसी एक से अधिक विमान सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ग) किन-किन राज्यों की राजधानियों से इंडियन एयरलाइन्स ने ऐसी सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं; और

(घ) इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (एम० ओ० एच० फारूक) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) इस समय इंडियन एयरलाइन्स बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद और भोपाल से दैनिक सेवा का परिचालन कर रही है जो 11.30 बजे तक दिल्ली पहुंचती है।

(ख) केवल बम्बई से दो दैनिक सेवाए हैं जो दिल्ली में 11.30 बजे (पूर्वाह्न) से पहले पहुंचती हैं।

(ग) राज्यों की राजधानियां, अर्थात् गुवाहाटी, पटना, श्रीनगर, बंगलूर, त्रिवेन्द्रम, इम्फाल, भुवनेश्वर, जयपुर, अगरतला और पणजी (गोवा) से ऐसी कोई उड़ानें नहीं हैं जो 11.30 बजे पूर्वाह्न तक दिल्ली पहुंचती हों। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से एक सप्ताह में तीन बार की उड़ान उपलब्ध है, जो 11.30 बजे (पूर्वाह्न) से पूर्व दिल्ली पहुंचती है। इंडियन एयरलाइन्स शिमला, शिलांग, ईटानगर, कोहिमा, एजवाल और गंगटोक से उड़ानों का परिचालन नहीं करती है।

(घ) विभिन्न कारणों से, जैसे कि अनुरक्षण के लिए इंजीनियरी बेसों पर विमानों की स्थिति शेड्यूल सम्बन्धी, जरूरतों, विमान परिचालन के रूट पैटर्न और हवाई अड्डों के परिचालन संबंधी अवरोधों के कारण सभी राज्यों की राजधानियों से 11.30 बजे पूर्वाह्न तक उड़ानों को दिल्ली लाना संभव नहीं है।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या यह सच नहीं है कि इंडियन एयरलाइन्स वर्ष 1991-92 की अवधि से दैनिक प्रातःकालीन सेवाओं का परिचालन कर रही हैं जो 11.30 बजे (पूर्वाह्न) तक दिल्ली पहुंचती है।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : क्या आप प्रश्न को दोहरायेंगे ?

श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या माननीय नागर विमानन मंत्री को यह ज्ञात है कि इंडियन एयरलाइन्स बंगलौर से दिल्ली के लिए दैनिक प्रातःकालीन सेवाओं का परिचालन कर रही है जो 11.30 बजे (पूर्वाह्न) तक दिल्ली पहुंचती है।

श्री माधव राव सिंधिया : जो कुछ माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं, वह यह है कि बंगलौर से प्रतिदिन एक प्रातःकालीन सीधी विमान सेवा आरम्भ की जानी चाहिए। यह एक मांग है जिसे मैं पूर्णतः न्यायोचित मानता हूं। बंगलौर एक महत्वपूर्ण शहर है और मेरा विचार है कि भविष्य में बनाई जाने वाली समय-सूची में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि हवाई अड्डों को वायुयान वितरित करने के कार्यक्रम में इंडियन एयरलाइंस की कोई समिष्ट योजना न होने के कारण, मुख्य कार्यकारी को यह निर्देश दिए गए हैं कि वे एक समिष्ट योजना तैयार करें ताकि हम यह जान सकें कि हम 1995–1997, 1999 तथा 2001 में हमारी स्थिति क्या होगी। हमें एक सुनियोजित योजना के अनुसार कार्य करना चाहिए। उस योजना में मैंने व्यापक मार्गनिर्देश भी दिए हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कुछ अड्डे (बेस) तैयार किए जायें और विमान को विभिन्न अन्य स्थानों पर रात को रोक सकें ताकि सांताक्रुज और पालम हवाई अड्डों पर विशेषकर कि एयर टैक्सी परिचालन होने वाली भारी भीड़-भाड़ को कम किया जा सके। अगले एक अथवा दो दशक में इंडियन एयरलाइन्स के बेड़ों में विमानों की संख्या बढ़ जायेगी। अतः ऐसा नहीं होना चाहिए और वहां कोई भीड़-भाड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने हाल ही में 15 अप्रैल से पहले ही गुवाहाटी में एक बोइंग 737 की सेवायें आरम्भ कर दी हैं। अतः अब विमान गुवाहाटी से उड़ान भरेंगे।

इसी प्रकार हमारा कार्यक्रम है कि 1 नवम्बर, से दो बोइंग विमानों की सेवाएं बेंगलूर से भी आरम्भ की जायें ताकि 1 नवम्बर, से न केवल दिल्ली तक बल्कि अन्य स्थानों पर पहुंचने के लिए भी आपको वहीं से विमान सेवायें उपलब्ध हो सकें जोकि वहीं से आरम्भ होंगी। हमारा कार्यक्रम यह है। हम अन्य मुख्य नगरों पर भी ध्यान दे रहे हैं जहां कि हम धीरे-धीरे विमान वितरित कर सकें ताकि अन्य शहरों से विमान सेवाएं आरम्भ की जा सकें जिससे उन शहरवासियों को सुविधा हो जाए और मुख्य हवाई अड्डों, बम्बई तथा नई दिल्ली में भीड़-भाड़ से मुक्ति मिल जाए।

श्री एच० डी० देवगौड़ा : मेरा प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा बैंगलौर से दिल्ली तक की प्रातःकालीन सेवाएं परिचालित की जा रही थीं। मैं जानना चाहता हूं कि जब भी कार्यकारी बदलते हैं तो क्या कार्यकारी की सुविधा और उनकी सनक तथा रुचि के अनुसार समय-सारणी में भी परिवर्तन कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : उसके लिए आपको सकारात्मक उत्तर दिया गया है।

श्री माधव राव सिंधिया : इसे प्रातः आरम्भ किया जाएगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि मैं उनकी मांग का समर्थन करता हूं। मैं बंगलौर की समस्याओं पर गौर करूंगा। मेरा विचार है कि उनका ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से पटना के बीच में और दिल्ली से पटना होते हुए बागडोगरा पहले फ्लाइट जाती थी और पहले यह सुविधा जैसे बंगलौर के बारे में माननीय

सदस्य ने बताया, उसी तरह से पटना को भी यह सुविधा प्राप्त थी । आबादी की दृष्टि से बिहार इस देश का दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है और इस नाते इसमें यात्री भी काफी मिलते हैं और कभी-कभी विमानों में सौ फ़ीसदी लोग ट्रैवल करते हैं, जितनी सीट है उतनी बुकिंग होती है । इस स्थिति को देखते हुए क्या सरकार विचार कर के फिर से पहले की तरह 11 बजे से पहले फ्लाइट पटना से दिल्ली पहुंचे, इसको रिस्टोर करने के लिए, चूंकि पहले ऐसी सुविधा थी और क्या इस बारे में संसद सदस्यों ने और दूसरे जन प्रतिनिधियों ने कई बार लिखकर माननीय मंत्री और राज्य मंत्री को दिया है कि इस सुविधा को फिर से शुरू किया जाए ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, पटना एक महत्वपूर्ण शहर है और राज्य की राजधानी भी है। माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया गया है।

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह बात माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि शिलांग से इण्डियन एयरलाइंस की कोई भी सेवा उपलब्ध नहीं है। सन् 1988 में जब आप स्वयं नागर विमानन मंत्री थे तब आपने शिलांग से इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा आरम्भ करने का आश्वासन दिया था और शिलांग हवाई अड्डा बोइंग के अवतरण के लिए पूर्णतः उपयुक्त है । शिलांग क्षेत्र अथवा गुवाहाटी कार्यालय से राजस्व की प्राप्ति भी सबसे अधिक है।

शिलांग ब्रिटिश काल से ही स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले और उसके पश्चात् भी असम की राजधानी रहा है और वास्तव में उत्तर-पूर्व क्षेत्र में यह सबसे प्रमुख राजधानी है। अब यहां से कोई इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा परिचालित नहीं की जाती है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे यह आश्वासन दें कि शिलांग से तत्काल ही इण्डियन एयरलाइन्स की सेवा आरम्भ की जाएगी ।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं इस सभा को यह सूचित करना चाहूंगा कि शिलांग हवाई अड्डा इण्डियन एयरलाइन्स के विमानों के उतरने के लिए उपयुक्त नहीं है । अतः वहां से बोइंग-737 की उड़ान आरम्भ नहीं की जा सकती है। यह कार्य करना हमारे लिए सम्भव नहीं होगा।

दूरदर्शन धारावाहिक "कृष्ण"

*764. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा**
श्री नारायण सिंह चौधरी } क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन धारावाहिक "कृष्ण" दूरदर्शन के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां तो इस धारावाहिक को स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) इसका देश में प्रसारण कब से शुरू होने की संभावना है; और

(घ) क्या इस धारावाहिक को किसी विदेशी दूरदर्शन नेटवर्क से पहले ही दिखाया जा चुका है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) अक्तूबर 1990 की स्पांसरशिप स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अन्तिम परिणामों की सूचना रोक ली गई है क्योंकि मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो (सी० बी० आई०) को सौंप दिया गया है।

(घ) प्राइवेट एजेंसियों द्वारा निर्मित और बाहर के टी० वी० केन्द्रों से प्रसारित भारतीय धारावाहिकों का दूरदर्शन द्वारा रिकार्ड नहीं रखा जाता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को क्यों भेजा गया है। क्या शिकायत थी ? केन्द्रीय जांच ब्यूरो इसकी जांच समाप्त करने में कितना समय लेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : अनेक शिकायतें थीं संसद के दोनों सदनों में चर्चा के दौरान स्वयं माननीय सदस्यों ने कुछ धारावाहिकों के चयन के विरोध में कुछ शिकायतें की थीं। समाचार पत्रों की रिपोर्टों में भी हमें न केवल साधारण तौर पर बल्कि तथाकथित अनियमितताओं के सुस्पष्ट उदाहरणों सहित शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह सब देखने के बाद हमें इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजना पड़ा था। हमने अपने एक वरिष्ठ अधिकारी को शिकायतों की जांच करने के निर्देश दिए और जांच के पश्चात् उन्होंने इसे प्रथम दृष्टया में शिकायतों को उचित पाया। जब एक प्रथम दृष्टया में मामला हमारे सामने विस्तृत जांच के लिए प्रस्तुत किया गया तो सरकार ने सभी बातों पर विचार करते हुए इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने का निर्णय लिया जोकि इन शिकायतों/आरोपों की गहराई में जाने की व्यावसायिक एजेंसी है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : इसके अतिरिक्त कितने अन्य धारावाहिकों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा गया है ?

श्री अजित पांजा : नए प्रायोजित धारावाहिकों के लिए सभी 3700 निवेदनों के बारे में सभी मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए हैं क्योंकि उन पर उनकी क्रम संख्या और कोड संख्या में हेराफेरी और फेरबदल करने के आरोप हैं। यदि एक नम्बर की भी हेराफेरी की गई है और कुछ फेरबदल है तब भी पूरा मामला संदेहास्पद हो जाता है। सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, सिवाए इसके कि इसे जांच के लिए सीधे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जाए और शीघ्रातिशीघ्र इस बारे में जानकारी की जा सके।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : अध्यक्ष महोदय, लार्ड कृष्णा सीरियल के सम्बन्ध, में हमने पहले भी माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था, उस समय यह कहा गया था कि मामला विचाराधीन है। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि एक पत्र उनके मंत्रालय से आया है, जिसमें बताया गया है कि इस सीरियल को अस्वीकार कर दिया गया है। जब इस प्रकार का पत्र आपके मंत्रालय से भेजा गया है,

उसके पश्चात् क्या वह पत्र अनाधिकृत था या अधिकृत था। क्या मंत्री जी यह भी बताने कष्ट करेंगे कि लार्ड कृष्णा सीरियल के बारे में सी० बी० आई० की जनरल इंक्वायरी में, जो 1990 के सारे सीरियल्स हैं, उनकी इंक्वायरी दो-तीन या चार साल भी लग सकते हैं, क्या उसे ध्यान में रखते हुए, आप इस सीरियल के बारे में विशेष तौर से ध्यान देंगे क्योंकि 80 करोड़ जनता इस सम्बन्ध में आन्दोलित है, विदेशों में यह सीरियल दिखाया जा रहा है। यदि उनके चैनल पर यह आ गया तो फिर आपके परमीशन देने या न देने का क्या औचित्य होगा।

[अनुवाद]

श्री अजित पांजा : किसी भी पत्र के जारी होने की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। वास्तव में किसी भी ऐसे पत्र को जारी करने के निर्देश नहीं दिये गये हैं जिसमें किसी भी नए प्रायोजित धारावाहिक को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया गया हो। बल्कि एक सूची प्रकाशित की गई है जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि 477 और कुछ अन्य धारावाहिक स्वीकृत अथवा पारित किए गए हैं जिसमें कृष्णा धारावाहिक शामिल नहीं था।

श्री पी० सी० थॉमस : यहां ऐसे मामले भी हैं जहां राज्य के दूरदर्शन केन्द्र राष्ट्रीय दूरदर्शन केन्द्र को सिफारिश करते हैं अथवा अपने सकारात्मक नोट के साथ भेजते हैं। लेकिन यह मामले बिना किसी उत्तर के लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं। क्या कोई ऐसा मानदंड अथवा अवधि है जिसके दौरान निर्णय लिया जाता है ? यदि हां, क्या यह व्यवहार में है अथवा क्या कोई मानदंड है, जिसमें संबंधित पार्टी को निर्णय के बारे में सूचित कर किया जाना हो जाएगा ? मेरे पास कुछ मामले हैं जहां सूचित नहीं किया गया है लेकिन जब मैं वह मामला मंत्री जी के सामने रखता हूं तो मुझे यह जवाब मिलता है कि इसे काफी समय पहले अस्वीकृत कर दिया गया था। मैं मंत्री जी से इस पहलू के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री अजित पांजा : यह सच है, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि किसी एक विशेष स्टेशन चाहे वह मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, अथवा जहां भी इसे प्रस्तुत किया गया था, द्वारा स्वीकृत मामले निर्धारण समिति के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए दिल्ली भेजे जाते हैं, यह निर्धारित करने के लिए कि इन्हें कितनी राशि की अदायगी की जाए। जब हम आए तो हमने देखा कि वे सभी मामले बड़ी संख्या में लम्बित पड़े हैं। हमने उनके निपटान के लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। वे वित्तपोषित कार्यक्रम हैं, जोकि मद्रास न्यायालय के वित्त पोषित कार्यक्रमों के परिचालन को स्थगन आदेश देने के निर्णय के कारण कुछ महीनों से स्थगित पड़े रहे, जोकि एक लम्बा समय है। निर्णय दिए जाने के बाद, हमने इन वित्तपोषित कार्यक्रमों के लिए नये नियम बनाए जोकि परिचालन में हैं। हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यह वित्त पोषित धारावाहिक कार्यक्रम राज्य के स्थानीय केन्द्रों से शीघ्रातिशीघ्र जारी किए जायें। यह एक नियम है कि प्रत्येक को सम्बन्धित दूरदर्शन द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि उसका धारावाहिक अस्वीकृत हुआ है अथवा स्वीकृत हुआ है। पहले, ऐसा कोई नियम नहीं था। यहां अपील करने का अधिकार भी है। पहले अपील करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया था और लोग अपमानित महसूस करते थे। हमने अपील करने का अधिकार दिया था और एक भिन्न समिति इन अपीलों की जांच करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

यमुना के जल का बंटवारा

[अनुवाद]

*758. श्री विजय नवल पाटील :
श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यमुना नदी के जल के विकास, प्रबन्धन और बंटवारे से सम्बद्ध अधिकारियों की हाल ही में एक बैठक बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया;

(ग) क्या यमुना तटीय राज्यों के बीच इस नदी के जल के बंटवारे के बारे में मतभेद उभर कर सामने आए थे;

(घ) यदि हां, तो ये मतभेद किस प्रकार के हैं ; और

(ङ) इन्हें दूर करने में कितनी प्रगति हुई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) 28-3-1992 को आयोजित यमुना जल के बंटवारे तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में अंतर्राज्यीय बैठक में, अन्य बातों के साथ साथ, रेनुका बाँध के निर्माण, दिल्ली के लिए अतिरिक्त समानान्तर चैनल के निर्माण, बेसिन राज्यों को पेयजल आपूर्ति के लिए शेष जल का आबंटन तथा हथिनीकुंड बराज के निर्माण पर समझौते के मसौदे पर विचार किया गया । सभी राज्यों नें रेनुका बांध तथा दिल्ली के लिए अतिरिक्त समानान्तर चैनल के निर्माण पर अपनी सहमति व्यक्त की है । यह भी निर्णय किया गया कि बेसिन राज्यों को पेयजल आपूर्ति के लिए शेष यमुना जल के आबंटन तथा हथिनीकुंड बराज के निर्माण पर समझौते के ब्यौरे पर अगली अंतर्राज्यीय बैठक में आगे विचार किया जाएगा और इन चारों मुद्दों से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर लिए जाएंगे । सभी राज्यों ने किशाऊ बाँध के निर्माण को सिद्धान्तः स्वीकार किया और इस पर अगली बैठक में आगे विचार करने का निर्णय किया । राज्यों ने यमुना नदी के समन्वित विकास और प्रबन्ध के लिए यमुना नदी बोर्ड की स्थापना पर भी सहमति दी । इस बोर्ड की स्थापना के ब्यौरों पर अगली बैठक में विचार-विमर्श किया जायेगा ।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

*765. श्री दाऊ दयाल जोशी :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विद्युत की वार्षिक आवश्यकता कितनी-कितनी है ,

(ख) इन राज्यों में कितनी-कितनी विद्युत का उत्पादन होता है;

4—96LSS/93

(ग) क्या कुछ ऐसी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनसे ये राज्य अपने स्तर पर विद्युत का उत्पादन कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन राज्यों में निजी क्षेत्र की कुछ फर्मों को भी विद्युत उत्पादन के कार्य में शामिल किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऊर्जा के उत्पादन, इसकी आवश्यकता एवं उपलब्धता का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

राज्य	विद्युत उत्पादन (मि० यू०)	आवश्यक्ता (मि० यू०)	उपलब्धता (मि० यू०)
राजस्थान	5118	13220	13030
उत्तर प्रदेश	18208	31540	28020
मध्य प्रदेश	12893	21115	19942

(ग) और (घ) वर्ष 1992–93 के दौरान राजस्थान में 3 मे० वा०, उत्तर प्रदेश में 116 मे० वा० और मध्य प्रदेश में 210 मे० वा० क्षमता जोड़े जाने का कार्यक्रम है। इसके अलावा, सम्बन्धित क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से भी इन राज्यों को इनका देय हिस्सा प्राप्त होगा।

(ङ) और (च) इस समय इन राज्यों में कोई निजी क्षेत्र विद्युत केन्द्र नहीं है।

[अनुवाद]

एअर इण्डिया की प्रस्तावित नयी विमान सेवायें

***766. श्री रतिलाल वर्मा :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया की प्रस्तावित नयी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने हेतु विमान यातायात मांग के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1992–93 के दौरान एअर इंडिया का कितने नये मार्गों पर विमान सेवायें शुरू करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) : (क) से (ग) एयर इंडिया ने मार्च, 1992 के दौरान दक्षिण अफ्रीका का एक मार्केट सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण से दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच आन-लाइन परिचालनों की अच्छी संभावनाओं का पता चला है। लेकिन ऐसे परिचालन कब शुरू होंगे, इसका समय निर्दिष्ट करना मुश्किल है।

हुगली नदी जल

*767 श्री जीवन शर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हुगली नदी जल के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) नौवहन के सुधार के लिए हुगली नदी पर अध्ययन किए गए हैं। यह पाया गया है कि फरक्का बराज से एक पोषक नहर निकालकर उच्च भूमि जल निस्सरण द्वारा नौवहन में सुधार किया जा सकता है। फरक्का के बाद किए गए अध्ययनों से यह पुष्टि होती है कि हुगली नदी के विभिन्न पैरामीटरों में सुधार हुआ है।

सिंचाई परियोजनाओं के लाभ

*768. प्रो० रीता वर्मा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं पर किये गये खर्च की तुलना में उनसे पर्याप्त लाभ नहीं हो रहा है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सामाजिक-आर्थिक अध्ययनों से पता चलता है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि लाने के अलावा, बृहद और मध्यम परियोजनाओं द्वारा सृजित सुविधाओं से पेयजल, नगरीय और औद्योगिक प्रयोगों के लिए जल उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार इन परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों का समग्र विकास करने में भी वे सहायता प्रदान करती हैं। इन सुविधाओं के उपयोग में तेजी लाने और कमान क्षेत्र से उत्पादन में और अधिक सुधार लाने के लिए देश में 1974-75 से कमान क्षेत्र विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

[हिन्दी]

कम शक्ति वाले टी०वी० ट्रांसमीटरों को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों में बदलना

*769. **डा० परशुराम गंगवार :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992–93 के दौरान कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्रों को उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्रों में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) तिरुपति के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमिटिंग केन्द्र के अलावा जिसे पहले ही उच्च शक्ति केन्द्र में बदल दिया गया है, जगदलपुर, जबलपुर, बूंदी, शिमला, धारवाड़, बरेली, गंगटोक, मोकोकचुंग और लुंगलेई के मौजूदा अल्प शक्ति/अति अल्प शक्ति ट्रांसमिटिंग केन्द्रों को 1992-93 के दौरान उच्च शक्ति ट्रांसमिटिंग केन्द्रों में बदल दिए जाने की आशा है।

[अनुवाद]

केबल टी० वी० को नियमित करना

*770. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "केबल टी०वी०" नेटवर्क के संचालन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने हेतु कोई कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार देश में "केबल टी० वी०" नेटवर्क और "डिश एन्टेना" प्रणाली को प्रोत्साहन दे रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार "केबल टी० वी०" नेटवर्क के माध्यम से दिखाये जा रहे कार्यक्रमों पर सेंसर लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) (क) से (ङ) इस सम्बन्ध में नोडल मंत्रालय अर्थात् दूरसंचार विभाग ने सूचित किया है कि देश में केबल टी०वी० नेटवर्क तथा डिश एन्टेना प्रणाली को नियंत्रित करने के मामले पर इस समय सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

कटहल प्रसंस्करण उद्योग

*771. श्री पी० सी० थामस

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में चल रहे कटहल प्रसंस्करण उद्योग का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल में कटहल की बहुत अधिक उपलब्धता को देखते हुए वहां ऐसे और अधिक उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) (क) से (ग) देश में 3222 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिट हैं जिनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। यद्यपि इनमें से अनेक यूनिट कटहल का प्रसंस्करण करने में समर्थ हैं परन्तु मांग बहुत कम होने के कारण कटहल पर आधारित उत्पादों का संगठित उत्पादन इस समय कम है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं कोई फल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित नहीं करता परन्तु फल एवं सब्जी प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिये इसने सरकारी सैक्टर, सहकारी सैक्टर, संयुक्त सैक्टर यूनिटों आदि को सहायता देने की अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं।

विवरण

31-12-1991 को फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की राज्यवार संख्या

राज्य का नाम	यूनिटों की कुल संख्या
दिल्ली	151
चण्डीगढ़	24
हरियाणा	115
जम्मू एवं कश्मीर	68
पंजाब	158
राजस्थान	78
हिमाचल प्रदेश	70
उत्तर प्रदेश	270
बिहार	43
पश्चिम बंगाल	214
असम	19
उड़ीसा	17

राज्य का नाम	यूनिटों की कुल संख्या
मेघालय	7
मणिपुर	11
त्रिपुरा	3
अरुणाचल प्रदेश	2
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1
मिजोरम	2
सिक्किम	2
नागालैण्ड	4
बम्बई	100
महाराष्ट्र	406
गोवा	131
मध्य प्रदेश	82
गुजरात	171
दादर एवं नगर हवेली	5
आंध्र प्रदेश	201
कर्नाटक	176
केरल	259
तमिलनाडु	314
पांडिचेरी	9
योग :	3222

[हिन्दी]

अजन्ता और एलौरा की गुफाओं के आस-पास पर्यटक स्थल

*772. **श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अजन्ता और एलौरा गुफाओं को संरक्षण प्रदान करने तथा इसके आसपास के क्षेत्रों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधव राव सिंधिया) :

(क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) अजंता और एलौरा क्षेत्र का [संरक्षण तथा विकास करने के लिए जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष] (ओ० ई० सी० एफ०) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 9 जनवरी, 1992 को भारत सरकार और ओ० ई० सी० एफ० के बीच एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । परियोजना की कुल लागत 4,406 मिलियन जापानी येन (लगभग 81.71 करोड़ रु०) है ।

दुग्ध प्रसंस्करण एकक

*773. **श्री यशवंत राव पाटिल :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा [करेंगे] कि :

(क) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विचार देश में दुग्ध प्रसंस्करण एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1992 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) सरकार ने अब तक किन-किन प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) यद्यपि विदेशी इक्विटी हिस्से वाली किसी कंपनी से दूध के प्रसंस्करण एवं पैकिंग यूनिटों की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु जुलाई 1991 में दुग्ध उत्पादों के उत्पादन को लाइसेंसमुक्त करने के बाद दुग्ध उत्पाद तैयार करने/विद्यमान क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसी पांच कम्पनियों द्वारा सूचना ज्ञापन दिये गये हैं ।

अहमदनगर किले पर डाक-टिकट जारी करना

*774. **यशवन्त राव पाटिल :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या अहमदनगर और चांदबीबी पर आयोजित होने वाले पांचवें शताब्दी समारोह के अवसर पर स्मारक डाक-टिकट जारी करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशक सिद्धांतों में विस्तार से दिए गए हैं । विवरण संलग्न है । इस संबंध में सरकार को सलाह देने वाली फिलैटलिक सलाहकार समिति की सिफारिशों और अन्य विभिन्न बातों को भी ध्यान में रखा जाता है।

(ख) और (ग) जी हां । इस संबंध में एक प्रस्ताव फिलैटलिक सलाहकार समिति के सामने उसकी अगली बैठक में विचारार्थ रखा जा रहा है।

विवरण

मार्गनिर्देशक सिद्धान्त

1. वर्ष के दौरान जारी किए जाने वाले स्मारक/विशेष डाक-टिकटों की संख्या 40 से अधिक नहीं हो ।

2. डाक-टिकटों को, बेहतर होगा, यदि उन्हें सेटों/श्रृंखलाओं में जारी किया जाए ।

3. डाक-टिकट जारी करने का कार्यक्रम काफी पहले यानी जारी करने से लगभग 1 से 2 वर्ष पूर्व तैयार कर लिया जाना चाहिए ।

4. विशिष्ट व्यक्तियों पर जारी किए जाने वाले डाक-टिकटों की संख्या कम करके इतनी रखी जाए कि वे जारी किए जाने वाले कुल डाक-टिकटों का 25 प्रतिशत से अधिक न हो ।

5. जीवित विशिष्ट व्यक्तियों पर डाक टिकट जारी नहीं किया जाना चाहिए ।

6. जहां तक विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है, वे अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त हों, राष्ट्रीय स्तर पर लब्ध-प्रतिष्ट हों तथा उन व्यक्तियों पर भी डाक-टिकट जारी किया जा सकता है जिन्हें हालांकि समूचे देश में तो नहीं जाना जाता पर वे इतने योग्य थे कि देश को उनके बारे में जानना चाहिए।

7. महत्वपूर्ण रजत जयंतियों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के उपलक्ष में सामान्यतः विशेष विरूपण/आवरण जारी किए जाने चाहिएं ।

अनिवासी भारतीयों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

*776. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों से सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अनिवासी भारतीयों को इस बारे में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां , तो सरकार का विचार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो : (क) से (घ) जी, हां। इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार हाल में गुजरात में अचार और खाद्य मसाले तैयार करने के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिट स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव अनिवासी भारतीय से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हाल में देश के विभिन्न भागों में बीयर तैयार करने के लिए 6 आवेदन पत्र, एलकोहल तैयार करने के लिए दो आवेदन पत्र, नाश्ता आहार और गैर-एलकोहलिक पेय बेस तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव, मुर्गी मांस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र, खनिज जल तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव और तरल दूध आदि के लिए पैकिंग सामग्री तैयार करने हेतु एक प्रस्ताव अनिवासी भारतीयों से प्राप्त हुए हैं। इस मंत्रालय को ऐसा नहीं लगता कि देश में खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना में अनिवासी भारतीयों को किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के खोज कार्यक्रम

*777. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

श्री बलराज पासी :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने आठवीं योजना में विभिन्न राज्यों के लिए कोई भू-जल खोज कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी प्रमुख विशेषतायें क्या हैं, और

(ग) प्रत्येक राज्य के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इन कार्यक्रमों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने अपने अन्वेषण ड्रिलिंग कार्यक्रम के अतर्गत, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 5330 भेदन छिद्रों के ड्रिलिंग की योजना तैयार की है।

(ग) अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश राज्यों में गोलाश्म चट्टानों वाले क्षेत्रों में कुल 330 भेदनछिद्रों की ड्रिलिंग किए जाने की संभावना है। कछारी चट्टानों वाले क्षेत्रों में लगभग 2000 भेदनछिद्रों की ड्रिलिंग किए जाने की संभावना है जिसमें मुख्यतः असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर और पंजाब राज्य सम्मिलित हैं। कठोर चट्टान वाले क्षेत्रों में लगभग 3000 भेदनछिद्रों की ड्रिलिंग किए जाने की संभावना है, जिनमें आंध्र प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य सम्मिलित हैं।

सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन

*778. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन कार्य कर रहे हैं,

(ख) कितने सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार के टेलीफोन दिए गये हैं,

(ग) विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इन टेलीफोनों पर कुल कितना खर्च किया जा रहा है,

(घ) वर्तमान बचत अभियान के अन्तर्गत इस संबंध में यदि कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है; और

(ङ) उनके मंत्रालय के अधिकारियों, स्टाफ और अन्य कर्मचारियों को कितने साधारण कार्यालय तथा निवास टेलीफोन दिए गए हैं और गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष तथा चालू वर्ष में इस मद पर कुल कितना खर्च आया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) :

(क) शून्य। सैल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा देश में अभी शुरू नहीं हुई है । तथापि, दिल्ली में एक कार मोबाइल टेलीफोन प्रणाली चालू है जिसमें, 22-4-92 की स्थिति के अनुसार 256 कनेक्शन चल रहे हैं।

(ख) 51 कार मोबाइल टेलीफोन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों के पास हैं जिनमें से 4 एम०टी०एन०एल० के पास विभागीय कनेक्शन हैं।

(ग) सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टेलीफोनों पर प्रतिमाह औसतन लगभग 2.19 लाख रुपये की कुल राशि के बिल आते हैं ।

(घ) शिकायत के उपायों के तौर पर दूरसंचार विभाग/एम० टी० एन० एल० के 12 विभागीय कनेक्शनों में से 8 नंबर 25-10-1991 को वापस कर दिये हैं।

(ङ) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग मुख्यालय और डाक विभाग को प्रदान किये गए साधारण टेलीफोनों की संख्या लगभग 1180 है । इन सर्विस टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दूरसंचार विभाग, एम०टी०एन०एल० को कोई भुगतान नहीं करता है। डाक विभाग द्वारा एस०टी०एन० एल० को पिछले तीन वर्षों में किये गये भुगतान का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1989-90	—	26.6 लाख रुपये
1990-91	—	16.5 लाख रुपये
1991-92	—	15.1 लाख रुपये

विमान चालकों को गैर-उड़ान भत्ते का भुगतान

7973. श्री सनत कुमार मण्डल :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 03 जनवरी, 1992 के "दि बिजनेस एण्ड पालिटिकल आब्जर्वर" में प्रकाशित समाचार "आई० ए० एडवान्सड टु पाइलॉटस रूपीज 66 लैक" की ओर आकृष्ट किया गया है ;

(ख) यदि हां तो गैर-उड़ान भत्ते के रूप में इतनी बड़ी धनराशि देने का क्या औचित्य है ;

(ग) क्या अन्य देशों में दूसरे घरेलू एअर लाइन्ज द्वारा इस तरह की अग्रिम राशि दी जाती है ; और

(घ) विमान चालकों से इस राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी हां ।

(ख) 19-2-1990 से ए-320 विमान बेड़े को ग्राउण्ड किए जाने के कारण एयरबस ए-320 के विमान चालकों की कठिनाइयों को कम करने के लिए उन्हें अग्रिम राशि का भुगतान किया गया है ।

(ग) इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(घ) अग्रिम राशि के समायोजन/वसूली की कार्यविधि के बारे में इंडियन एयरलाइन्स के प्रबंध मंडल द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

खाद्य प्रसंस्करण में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रतिबन्ध

7974. श्री प्रकाश वी० पाटील :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों को आम, आलू और टमाटर से क्रमशः पेय चिप्स और अचार बनाने के लिए लघु खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता देने का है ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार का विचार खाद्य प्रसंस्करण में लगी हुई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर प्रतिबंध लगाने का है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरीधर गोमांगो) (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनेक योजना स्कीमें हैं जिनके तहत फ़ल तथा सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए सरकारी सेक्टर/संयुक्त सेक्टर, उपक्रमों, सहकारी सेक्टर संगठनों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। यद्यपि छोटे खाद्य, प्रसंस्करण यूनिटों को स्थापित करने के लिए विशेष रूप से किसानों को वित्तीय सहायता देने की

कोई स्कीम नहीं है परन्तु खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित ग्रामीण उद्योगों के लिए उद्यमियों को वित्तीय सहायता बैंकों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग और बोर्डों द्वारा दी जाती है। चूंकि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की कोई मान्य परिभाषा नहीं है, भारत में पंजीकृत विदेशी इक्विटी होल्डिंग वाली कम्पनियों को आम, आलू और टमाटर का प्रसंस्करण करके मृदु पेय, चिप्स आदि बनाने की अनुमति दी गई है क्योंकि बेहतर प्रौद्योगिकी द्वारा मूल्य वर्धित उत्पादों को तैयार करने के लिए फल तथा सब्जियों के उपयोग के लिए पर्याप्त गुंजाइश है।

दिल्ली में कार टेलीफोन सुविधा

7975 श्री सैयद शहाबुद्दीन

क्या संचार मंत्री 23 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4014 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कार टेलीफ़ोन सुविधा के लिए सरकारी और निजी कनेक्शन मांग के अनुसार चालू कनेक्शनों और प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा क्या है,

(ख) दिल्ली में इस समय कार टेलीफ़ोन सुविधा की कुल कितनी क्षमता उपलब्ध है,

(ग) चार महानगरों में शुरू की जाने वाली "सेल्यूलर चल टेलीफ़ोन प्रणाली" की क्षमता कितनी है,

(घ) क्या चार महानगरों में इस प्रकार के टेलीफ़ोन की संभावित मांग का स्वतन्त्र रूप से आकलन किया गया है, और

(ङ) क्या प्रस्तावित शुल्क इस प्रणाली को आत्म-निर्भर बनायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)।

(क) 21-4-1992 की स्थिति के अनुसार सूची इस प्रकार है :—

श्रेणी	चालू कनेक्शन	प्रतीक्षा सूची
निजी	205	182
सरकारी	51	1
कुल	256	183

(ख) वर्तमान परियात पद्धति को ध्यान में रखते हुए सेवा का उपयुक्त ग्रेड पूरा करने के लिए प्रणाली की क्षमता फ़िलहाल 300 निर्धारित की गई है। तथापि अनुरक्षण की आजीवन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोबाइल टेलीफ़ोन के कुल 400 सेट प्राप्त किए गए हैं।

(ग) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफ़ोन प्रणाली की क्षमता लाइसेंसधारकों द्वारा की गई मांग के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

(घ) जी नहीं।

(ङ) जी हां।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय कालों के लिए दूरी

7976. श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफ़ोन उपभोक्ता को स्थानीय कालों के लिए सामान्यतया स्थानीय कितनी दूरी की अनुमति दी जाती है,

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्र के टेलीफ़ोन उपभोक्ताओं के लिए इस संबंध में शहरी टेलीफ़ोन उपभोक्ताओं से अलग मानदण्ड हैं,

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार को ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं से स्थानीय कालों की दूरी 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर करने के बारे में अनुरोध प्राप्त हुए हैं, और

(ङ) यदि हां तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) से (ग) ग्रामीण और शहरी दोनों ही में, एकल एक्सचेंज टेलीफ़ोन प्रणाली के स्थानीय क्षेत्र के अन्तर्गत टेलीफ़ोन एक्सचेंज से 5 कि० मी० की अरीय दूरी के सभी इलाके शामिल होते हैं। ऐसे मामले में यदि कस्बे में एक सुपरिभाषित सीमाओं वाली नगरपालिका अथवा नगर निगम है तो एक्सचेंज के 5 कि० मी० के बार के, नगर निगम के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी एक्सचेंज के स्थानीय क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। बड़े शहरों में, जहां एक से अधिक टेलीफ़ोन एक्सचेंज होते हैं, सभी उपभोक्ता, जो नगरपालिका की सीमा के अन्दर हैं अथवा प्रणाली के किसी एक्सचेंज से 5 कि० मी०, की अरीय दूरी के अन्तर्गत आते हैं, स्थानीय क्षेत्र के उपभोक्ता समझे जाते हैं।

(घ) जी हां, इस सीमा को 10 कि० मी० तक बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) तकनीकी आर्थिक दबावों के कारण इस सीमा को बढ़ाना व्यवहार्य नहीं है।

विजयवाड़ा में स्टूडियों

7977. श्री धर्मभिक्षम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा में एक टी० वी० स्टूडियो का निर्माण कार्य चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्टूडियो का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) यह स्टूडियो कब से चालू हो जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा एक दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की योजना है ।

(ख) और (ग) परियोजना के लिए स्थान ले लिया गया है और कुछ उपकरणों की सप्लाई के लिए निर्माताओं को आर्डर भी दे दिए गए हैं। सरकार द्वारा परियोजना का औपचारिक अनुमोदन कर दिए जाने के पश्चात इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने में सामान्यतया चार वर्ष का समय लग जाता है ।

राजस्थान में सी-डॉट एक्सचेंज

7978. श्री राम नारायण बेरवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में सी-डॉट एक्सचेंजों के विस्तार के बारे में ब्यौरा क्या है

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान राजस्थान में ऐसे एक्सचेंजों की स्थापना करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)

(क) राजस्थान में प्रदान किए गए सी-डॉट एक्सचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(i) 1400 लाइनों के एक्सचेंज	1
(ii) 1000 लाइनों के एक्सचेंज	2
(iii) 424 लाइनों के एक्सचेंज	3
(iv) 128-पी सी-डॉट आर०ए०एक्स०	102

(ख) जी हां ।

(ग) राजस्थान में 1992-93 के दौरान श्रेणीवार प्रदान किए जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

(i) एम० ए० एक्स-1 एक्सचेंज	2
(ii) 1000 लाइनों के एक्सचेंज	15
(iii) 128-पी सी-डॉट आर०ए० एक्स	60
योग :	77

उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा

7979. **श्री श्रीकांत जेना :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा की चालू सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कोई दल भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या दल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है ;

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में टी० वी० ट्रांसमीटर

7980. **श्री विश्वनाथ शर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में टी० वी० ट्रांसमीटर की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले के कुछ भाग कानपुर से कार्यरत उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में आते हैं। बांदा में लगाए जाने के लिए परिकल्पित उच्च शक्ति (1 कि०वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने पर हमीरपुर जिले में दूरदर्शन सेवा में और अधिक सुधार होने की आशा है। तथापि यह इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है ।

उत्तर प्रदेश को पर्यटन से अर्जित आय का प्रतिशत

7981. **डा० लाल बहादुर रावल :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष देश में पर्यटन से हुई कुल आय में उत्तर प्रदेश का हिस्सा कितने प्रतिशत था ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

1991–92 के दौरान देश को पर्यटन से हुई कुल विदेशी मुद्रा आय अनन्तिम रूप से 3,317 करोड़ रुपये आंकी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य के अनुमान अलग से उपलब्ध नहीं है।

[अनुवाद]

दूरसंचार नेटवर्क में मोदी समूह द्वारा समझौता

7982. श्रीमती वासवाराजेश्वरी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मोदी समूह की कम्पनियों ने दूरसंचार में सेवा नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए आस्ट्रेलियन ओवरसीज टेली कम्युनिकेशन कारपोरेशन के साथ समझौता किया है और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पो० वो० रंगय्या नायडू) :(क) और (ख) हमें दूरसंचार सेवा नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए इस प्रकार के किसी समझौते को कोई जानकारी नहीं है।

पर्यटकों का शोषण रोकने हेतु दिशा निर्देश

7983. श्री अमल दत्त :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) पर्यटन के क्षेत्र में विदेशी और देशी पर्यटकों को लूट/शोषण से बचाने की दृष्टि से प्राइवेट क्षेत्र के कार्यकरण को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए क्या मार्ग निदेश निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्रों की ओर से इस दिशा में संभावित रूप से प्रयास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) पर्यटन विभाग की होटलों, यात्रा अभिकर्ताओं, पर्यटक परिवहन परिचालकों तथा गाइडों को मान्यता/अनुमोदन प्रदान करने की एक स्कीम है। सरकार की इस विनियामक भूमिका से पर्यटन उद्योग के इन घटकों पर कुछ नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। तदनुसार जब कभी भी पर्यटकों से इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो उनको संबंधित एजेंसी के साथ उठाया जाता है ताकि उचित कार्यवाई की जा सके।

मध्य प्रदेश में चूना पत्थर और डाक्साइट

7984. श्री परस राम भारद्वाज :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जहां चूना पत्थर और डाक्साइट उपलब्ध है तथा उन्हें केन्द्र सरकार ने दोहन के लिए सुरक्षित रखा है और ये क्षेत्र कहां-कहां हैं ; और

(ख) राज्य के अन्य स्थानों पर बाक्साइट के विशाल भंडारों का दोहन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवन

7985. श्री एन० जे० राठवा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंजों सहित दूरसंचार विभाग के कार्यालय किराए के मकानों में चल रहे टेलीफोन एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य हेतु विभागीय भवन बनाने का है ;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा छोटा उदयपुर सहित वे भवन कहां-कहां बनाए जायेंगे, और

(घ) इनका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) गुजरात सर्किल में 1126 दूरसंचार कार्यालय तथा एक्सचेंज किराए के भवनों में कार्य कर रहे हैं। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण "क" में दिए गए हैं।

(ख) जी हां। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ किराए के भवनों के स्थान पर विभागीय भवनों का निर्माण करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) और (घ) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिन स्थानों पर विभागीय भवनों का निर्माण करने की योजना है उनके ब्यौरे तथा भवनों के निर्माण की संभावित तारीखें संलग्न विवरण "ख" में दी गई हैं। मौजूदा नीति के अनुसार छोटे एक्सचेंजों को किराए के भवनों में ही रखा जाना है। छोटा उदयपुर इसी छोटे क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है।

विवरण 'क'

अनुबंध—"क"

क्रम सं०	एस एस ए/ जिले का नाम	किराए के भवन
1	2	3
1.	अहमदाबाद/गांधी नगर	68
2.	अमरेली	37
3.	बनासकांठा	62
4.	भड़ौंच	36
5.	भावनगर	66

1	2	3
6.	अहमदाबाद	61
7.	जूनागढ़	75
8.	जोड़ा	93
9.	कच्छ	86
10.	मेहसाना	96
11.	पंचमहल	45
12.	राजकोट	88
13.	साबरकांठा	87
14.	सूरत	59
15.	सुरेन्द्रनगर	41
16.	बड़ोदरा	61
17.	धनेसाड़/डांग/संघ शासित क्षेत्र सिलवासा तथा दमण	65
		1126

विवरण "ख"

क्रम सं०	एस एस ए का नाम	स्टेशन का नाम	भवन का प्रकार	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	अहमदाबाद	1. बीरमगांव	टी ई/टी सी	93-94
		2. गुलबी टेकरा	—वही—	94-95
		3. सैन्ट्रल-II	—वही—	—वही—
		4. घीड़ बाजार	—वही—	—वही—
		5. वसरापुर	—वही—	95-96
		6. देहगांव	—वही—	94-95
		7. वलवा	—वही—	—वही—
		8. साबरमती	—वही—	—वही—
		9. नरोडा	—वही—	—वही—
		10. नवरंगपुरा	प्रशासन भवन	3/97
2.	अमरेली	1. अमरेली	टी ई/टी सी	93-94
3.	बनासकांठा	1. पालनपुर	—वही—	94-95
		2. दीसा	—वही—	3/93
4.	भड़ौच	शून्य	—वही—	—

1	2	3	4	5
5.	भावनगर	1. बोटाड	टी ई/टी सी	आठवीं योजना के अंत तक
		2. सावरकुंडला	—वही—	—वही—
		3. तालेजा	—वही—	95—96
6.	जामनगर	1. खंबालिया	टी ई/टी सी	आठवीं योजना के अंत तक
7.	जूनागढ़	1. कैशोड	टी ई/टी सी	94—95
		2. पोरबंदर	—वही—	95—96
		3. वेरावल	—वही—	आठवीं योजना के अंत तक
8.	खेड़ा	1. नाडियाड—II	टी ई/टी सी	—वही—
		2. कपड़वंज	—वही—	—वही—
9.	कच्छ	1. गांधी धाम	टी ई/टी सी	94—95
		2. आदिपुर	—वही—	—वही—
		3. अनजार	—वही—	—वही—
10.	मेहसाना	1. मेहसाना	टी ई/टी सी	94—95
		2. कालोल	—वही—	—वही—
		3. सिद्धपुर	—वही—	95—96
		4. कड़ी	—वही—	आठवीं योजना के अंत तक
		5. मनसा	—वही—	—वही—
		6. बीजापुर	—वही—	—वही—
11.	पंचमहल (गोधरा)	1. गोधरा	टी ई/टी सी	94—95
		2. हालोल	—वही—	—वही—
		3. दोहद	—वही—	—वही—
12.	राजकोट	1. भक्ति नगर	टी ई	95—96
		2. जेतपुर	टी ई/टी सी	94—95
		3. उपलेटा	—वही—	3/93
13.	साबरकांठा	1. मोडासा	—वही—	93—94
		2. ईडर	—वही—	95—96
14.	सुरेन्द्र नगर	1. धरांगधर	—वही—	95—96
		2. लिंबड़ी	—वही—	—वही—

1	2	3	4	5
15.	सूरत	1. पंडेसरा	टी ई	94–95
		2. फालसावाडी	टी ई	95–96
		3. बारदोली	टी ई/टी सी	95–96
		4. ब्यारा	–वही–	95–96
		5. सूरत	प्रशासन भवन	95–96
16.	बडोदरा	1. पानीगेट	टी ई	95–96
		2. ट्रासमिशन ब्लॉक	टी ई/टी सी	–वही–
		3. सी॰टी॰ओ॰ बड़ोदरा	सी॰टी॰ओ	–वही–
		4. बड़ोदरा	प्रशासन भवन	95–96
		5. बड़ोदरा	प्रशासन भवन	आठवीं योजना के अंत तक
17.	वलसाड	1. वलसाड	टी ई/टी सी	95–96
		2. नवसरी	–वही–	8/94
		3. उमरगांव	–वही–	95–96
		4. दमण	–वही–	–वही–
		5. बिल्लीमोरा	–वही–	आंठवीं योजना के अंत तक
		6. सिलवासा	–वही–	95–96

नोट : टी ई-टेलीफोन एक्सेंचेंज
टी सी-ट्रांसमिशन सेंटर

राजस्थान में सौर तथा पवन ऊर्जा

7986. प्रो॰ रासा सिंह रावत :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्थान में सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा उक्त योजनाओं के लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और उक्त धनराशि का आबंटन किन-किन योजनाओं के लिए किया गया ; और

(ग) अगली पंचवर्षीय योजना के लिए इस बारे में क्या कार्य योजना बनाई गई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) सरकार ने राजस्थान राज्य में सौर तथा पवन ऊर्जा पर आधारित प्रणालियों तथा युक्तियों के विकास तथा उनके प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कई

कदम उठाए हैं। सौर तापीय विस्तार तथा सौर कुकर कार्यक्रमों के अन्तर्गत 230 सौर जल तापन प्रणालियां, 10 सौर आसवन प्रणालियां तथा 5986 सौर कुकर लगाए गए है। सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम के अन्तर्गत, 177 गांवों में सड़क प्रकाश व्यवस्था के अलावा, 57 सामुदायिक टेलीविजन/सामुदायिक प्रकाश व्यवस्था प्रणालियां, 24 जल पम्पन प्रणालियां स्थापित की गई और एक प्रकाश-वोल्टीय विद्युत संयंत्र लगाया गया है। पवन ऊर्जा संभावना का विकास तथा मूल्यांकन करने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान 2 पवन प्रबोधन केन्द्र और 24 पवन मानचित्रण केन्द्र स्थापित किए गए हैं तथा 16 गहरे कूप पवन पम्प लगाए गए हैं।

विभिन्न सौर तथा पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धियों की स्थिति तथा निर्मुक्त निधियां विवरण "क" में दी गई है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

सौर और पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य में पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धियों तथा निर्मुक्त धन की स्थिति

क्रम सं०	कार्यक्रम/प्रणालियां	1989–90	1990–91	1991–92*
क.	**वास्तविक उपलब्धियां**			
1.	सौर जल तापन प्रणालियां	196	34	—
2.	सौर आसवन प्रणालियां	7	3	—
3.	सौर कुकर	3421	1700	865
4.	सौर सड़क प्रकाश व्यवस्था वाले गांव	37	138	2
5.	सौर प्रकाश वोल्टीय सामुदायिक टी वी/सामुदायिक प्रकाश प्रणालियां	37	20	—
6.	सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्प	4	20	—
7.	सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र	—	—	1
8.	जल मानचित्रण केन्द्र	—	—	24
9.	गहरे कूप पवन पम्प	—	3	13
10.	पवन प्रबोधन केन्द्र	—	2	—
ख.	**निर्मुक्त निधियां** (लाख रुपयों में)			
1.	सौर तापीय विस्तार कार्यक्रम	37.02	37.21	8.89
2.	सौर कुकर कार्यक्रम	5.61	3.62	1.72
3.	सौर प्रकाशवोल्टीय कार्यक्रम	32.12	9.80	67.50
4.	पवन ऊर्जा कार्यक्रम	7.81	—	—

*वर्ष 1991–92 की वास्तविक उपलब्धियां अधिक होने की संभावना हैं।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा विदेश संचार निगम लिमि को पूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का दर्जा देना

7987. श्री मोहन रावले : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेट की स्थापना किस वर्ष की गई थी,

(ख) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड की पूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में घोषणा कर दी गई है और यदि हां, तो कब से,

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की एक पूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप घोषणा कर दी गई है,

(घ) यदि हां, तो कब से,

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं, और

(च) क्या सरकार का विचार महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को एक पूर्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के रूप में घोषणा करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) महानगर टेलीफोन निगम लि० और विदेश संचार निगम लि० दोनों का गठन 1986 में किया गया था ।

(ख) विदेश संचार निगम लि० (वी० एस० एन० एल०) को 1-4-1986 से सार्वजनिक क्षेत्र का एक पूर्ण उपक्रम घोषित कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) जी हां, महानगर टेलीफोन निगम लि० (एम० टी० एन० एल०) को भी 1-4-1986 से सार्वजनिक क्षेत्र का पूर्ण उपक्रम घोषित किया गया है ।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

सोन नहर परियोजना

7988. श्री छेदी पासवान : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार की सोन नहर परियोजना के नवीकरण कार्य में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सोन नहर आधुनिकीकरण सोपान–1 में, 27.78 किलोमीटर लम्बी मुख्य नहर पर जून 1991 तक सूचित की गयी प्रगति 25 प्रतिशत है तथा उस पर 31 संरचनाओं पर की गयी प्रगति 5 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त, 24 किलोमीटर वितरण प्रणाली से संबंधित मिट्टी कार्य का 30 प्रतिशत तथा जल मार्गों की 640 संरचनाओं से संबंधित कार्य का 25 प्रतिशत पूरा हो गया है । बुहुरा पम्प नहर पर कार्य भी लगभग पूरा हो गया है । लगभग 311 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले मार्च, 1992 तक प्रत्याशित व्यय 28.34 करोड़ रुपए है ।

(ख) इस परियोजना को आगे नौवीं योजना में ले जाने का कार्यक्रम है ।

देश की हवाई पट्टियों का आधुनिकीकरण

7989. श्री आनन्द अहिरवार
श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री बारेलाल जाटव
श्री रमेश चेन्नितला
श्री कोडीकुन्नील सुरेश
श्री हरिभाई पटेल

: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) देश के विभिन्न हवाई अड्डों की हवाई पट्टियों के विस्तार/निर्माण, आधुनिकीकरण और मजबूत बनाने के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका आधुनिकीकरण कार्य कब शुरू होगा ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) विभिन्न हवाई अड्डों पर धावनपथों और सहायक पेवमेंटों के विस्तार और उन पर पुनः फर्श बिछाने/सुदृढ़ीकरण करने और इस प्रयोजन के लिए 1992–93 के दौरान रखी गई राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(ग) कुछ चल रहे कार्यों के जल्दी ही पूरा हो जाने की आशा है और कुछ के निविदों और भूमि की उपलब्धता के आधार पर, चालू वित्तीय वर्ष 1992–93 के दौरान आरम्भ हो जाने की आशा है ।

विवरण

हवाई अड्डे का नाम	वार्षिक योजना 1992–93 के लिए प्रस्तावित/अनुमोदित परिव्यय
	(करोड़ रुपयों में)
सलेम	0.26
इन्दौर (पुन: फर्श बिछाना)	0.19
जयपुर	0.09
औरंगाबाद	0.60
इन्दौर (धावनपथ का विस्तार)	0.10
जयपुर	0.80
खजुराहो	0.50
लुधियाना	0.53
लीलाबाड़ी	0.40
पन्तनगर	0.71
पटना	1.20
रांची	1.00
तिरुपति	3.50
त्रिची	0.10
लखनऊ	1.66
रायपुर	0.04
बड़ौदा	0.45
भावनगर	0.10
देहरादून	0.10
गुवाहाटी	0.10
हैदराबाद	2.00
जबलपुर	1.00
उदयपुर	1.00
बम्बई	1.76
दिल्ली	3.51
मद्रास	1.98
त्रिवेन्द्रम	4.63
कुल :	28.31

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों से प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियों द्वारा अपना कार्य संचालन

7990. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के ट्रेवल कारबार के साथ प्रतिस्पर्धा रखने वाली प्राइवेट ट्रेवल एजेंसियों को भारत पर्यटन विकास निगम के होटल परिसरों से ही कार्य संचालन की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन ट्रेवल एजेंसी कार्यालयों का ब्यौरा क्या है जो अपना कार्य संचालन भारत पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों से कर रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में प्रचालनरत गैर-सरकारी यात्रा एजेंसियों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है । उनके प्रचालन से भारत पर्यटन विकास निगम के यात्रा एजेंसी कारोबार पर कुप्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि अधिकांश एजेंसियों विभिन्न प्रकार का कारोबार कर रही हैं ।

विवरण

क्रम सं०	होटल का नाम	ट्रेवल एजेंसी का नाम
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	मैसर्स हिमालयन ट्रेवल टूअर्स (प्रा०) लि०
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	(क) मैसर्स रेनबो ट्रेवल्स (ख) मैसर्स यू टी ए एस (ग) मैसर्स मार्ग ट्रेवल्स (घ) मैसर्स स्टिक ट्रेवल्स (ङ) मैसर्स इन्टर एयरविग्स प्रा० लि०
3.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	(क) मैसर्स माइस्टिक टूअर्स (ख) मैसर्स अजीज जैदी (ग) मैसर्स मैक ट्रेवल्स
4.	ललित महल पैलेस, होटल मैसूर	मैसर्स अनुप ट्रेवल्स

[हिन्दी]

आगरा, उत्तर प्रदेश के गांवों में रेडियो टेलीफोन सुविधाएं

7991. **श्री भगवान शंकर रावत :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1991–92 के दौरान आगरा के कितने गांवों में रेडियो टेलीफोन सुविधा दी गई ;

(ख) वर्ष 1992–93 के दौरान कितने कनेक्शन देने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि ये टेलीफोन लगाने के कुछ समय बाद ही खराब हो जाते हैं, ; और

(घ) इन टेलीफोनों के रख-रखाव और मरम्मत के लिए क्या प्रबन्ध किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) 15

(ख) पंचायत ग्रामों के लिए प्रस्तावित कुल 50 कनेक्शनों में से 15 रेडियो मीडिया पर प्रदान किए जाने हैं ।

(ग) कुछ मामलों को छोड़कर जहां कार्यकरण को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, उनका कार्य आम तौर पर संतोषजनक रहा ।

(घ) संबंधित अनुरक्षण कर्मचारियों द्वारा इन टेलीफोनों के सेवा निष्पादन की जांच और अनुश्रवण के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ।

[अनुवाद]

कोचीन को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देना

7992. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कोचीन हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस हवाई अड्डे को कब तक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

(घ) वर्तमान पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अर्थात दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और त्रिवेन्द्रम मौजूदा यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं ।

उड़ीसा में निकल संयंत्र

7993. श्री अनादि चरण दास : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निकल के मूल्यों को नियंत्रित करने हेतु विदेशी उत्पादन बढ़ाने का है ;

(ख) इस सम्बन्ध में स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार दल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा के कटक जिले में "सुकिन्दा" में, जहां बहुत अच्छी किस्म के निकल का 155 मिलियन टन भंडार उपलब्ध है, निकल संयंत्र स्थापित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) देश में निकिल धातु उत्पादन के लिए कोई संयंत्र नहीं है । निकिल के घरेलू उत्पादन से अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों को विनियमित करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) सुकिन्दा निक्षेपों से निकल निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी विकास के प्रश्न पर स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार दल द्वारा विचार किया गया था और इनके फलस्वरूप, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एल० आई० आर०) को निकल संयंत्र के लिए तकनीकी आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ।

(ग) सुकिन्दा निकल निक्षेप अति निम्न ग्रेड के हैं । इन निक्षेपों के आधार पर संयंत्र लगाना साध्यता अध्ययन के परिणामों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

7994. **श्री गोपीनाथ गजपति**

श्री साईमन मरांडी
श्री गुरुदास कामत :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अन्तर्गत ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लेने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विश्व बैंक की सहायता से कितनी परियोजनाएं स्थापित करने का विचार है तथा वे कहां-कहां स्थापित की जायेंगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) जी, हां । एन टी पी सी की निम्नलिखित निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता सुनिश्चित की जा चुकी है ।

(1) राष्ट्रीय राजधानी ताप विद्युत परियोजना चरण–1 (4×210 मे० वा०)

(2) फरक्का चरण–2 (·2×500 मे० वा०), (3) तलवेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण–1 (2×500 मे० वा०) और (4) कवास संयुक्त साइकिल ताप विद्युत परियोजना (4×106 मे० वा०, गैस टर्बाइन+2×100 मे० वा० ताप टर्बाइन)। एन टी पी सी की फरक्का ताप विद्युत परियोजना, चरण–3 (500 मे० वा०) के सम्बन्ध में विश्व बैंक के साथ पहले ही बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा, एन टी पी सी द्वारा टाइम स्लाइस अप्रोच के अन्तर्गत, आठवीं एवं नौवीं योजना के दौरान आंशिक वित्त पोषण हेतु कई परियोजनाएं विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई हैं। इन परियोजनाओं के वित्त पोषण सम्बन्धी विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

डेसू द्वारा उपभोक्ताओं को अनियमित बिल

7995. **श्री केशरी लाल :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) डेसू द्वारा उपभोक्ताओं को सामान्यतः कितने दिन में बिजली के बिल भेज दिए जाते हैं;

(ख) क्या डेसू के दादरी मोड़ क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले राजनगर साधनगर पार्ट 1 और 2 और इन्दिरा पार्क जैसे बाहरी दिल्ली के निवासियों को एक वर्ष से अधिक समय से बिजली के बिल नहीं भेजे गए हैं, और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं?

(ग) इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा उपभोक्ताओं को भेजे गए 2000/- रुपये से 5000 रुपये और उसके ऊपर के बिजली के बिलों का, उपभोक्ताओं के नाम, वसूल की जाने वाली राशि शुल्क दर सहित ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में अन्तिम और वर्तमान रीडिंग क्या दर्शाई गई है;

(घ) उक्त कार्यालय को फर्जी बिलों के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामलों की जांच करने और इनकी समीक्षा कराने का है; और

(च) यदि नहीं, तो डेसू उपभोक्ताओं की परेशानियों को दूर करने के लिए इन मामलों को किस प्रकार निपटाने का विचार कर रही है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) डेसू द्वारा अपनाई जा रही वर्तमान पद्धति के अनुसार, घरेलू एवं गैर-घरेलू (निम्न वोल्टता) उपभोक्ताओं को बिजली के बिल द्विमासिक आधार पर भेजे जाते हैं। वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर बिल प्रत्येक चार मास बाद तैयार किया जाता है और इस बीच, पिछली खपत के आधार पर दो महीने का बिल अनन्तिम आधार पर उपभोक्ताओं को भेजा जाता है। अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में बिल मासिक आधार पर भेजे जाते हैं।

(ख) डेसू द्वारा कथित क्षेत्रों के बिल, सामान्य बिलिंग साइकल के अनुसार जारी किए गए हैं। डेसू प्रणाली में उपभोक्ताओं की अत्यधिक संख्या (लगभग 17 लाख) को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में बिल तैयार किए जाने में भूल चूक होना स्वाभाविक है।

(ग) से (घ) राजनगर, साधनगर, तथा इन्दिरा पार्क में लगभग 686 उपभोक्ता हैं जिन्हें मार्च, 1992 में 2000 रुपये से 5000 रुपये तक के बिजली के बिल जारी किए गए थे। उपभोक्ता का नाम, वसूल की गई रकम, पिछली एवं वर्तमान मीटर रीडिंग आदि से सम्बन्धित ब्यौरा, उपभोक्ताओं को जारी प्रत्येक बिल में दिया गया है। बिजली के बिलों में विसंगतियों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों का निपटान, आमतौर पर मण्डल अधिकारियों द्वार उसी समय कर दिया जाता है। चूंकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए डेसू में पहले ही पर्याप्त व्यवस्था अर्थात जिला/सर्कल स्तर पर शिकायत समितियां एवं बिजली अदालतें की गई है, अतः इस मामले में सरकार द्वारा किसी प्रकार की जांच किए जाने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी] **मछली उत्पादन के लिए प्रशीतन सुविधाएं**

7996. श्री गोविन्दराव निकाम :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या मछली उत्पादन सुविधाओं की तुलना में मछलियों के भंडारण की कमी को पूरा करने के लिए प्रशीतन सुविधाएं पर्याप्त हैं,

(ख) यदि नहीं, तो मछली उत्पादन के अनुरूप प्रशीतन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विशेष रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरि में ऐसी और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) से (घ) देश में कुल उत्पादित मछली के लिए प्रशीतन और भण्डारण सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कोल्ड चेन के लिए एक योजना स्कीम तैयार की है जिसमें मछली पकड़ने के बाद उसकी परिरक्षण और विपणन सुविधाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकारों/राज्य उपक्रमों/संयुक्त सेक्टर संगठनों/सहकारिता संगठनों आदि को सहायता प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र सरकार के रत्नागिरि जिले में ऐसी सुविधाओं के लिए उपर्युक्त स्कीम के अन्तर्गत सहायता का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गोवा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण :

7997. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सभी आवश्यक सुविधाओं सहित एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए कितने क्षेत्र की आवश्यकता होती है ;

(ख) क्या देश के सभी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आवश्यक सुविधाएं विद्यमान हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार गोवा हवाई अड्डे का दर्जा बढ़ाकर इसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए अपेक्षित क्षेत्र का आंकलन वायुयान की किस्म और संख्या और अनुमानित यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है,

(ख) जी, हां। देश के अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की अपेक्षित सुविधाओं से युक्त किया गया है जिन्हें समय-समय पर अद्यतन बनाया जाता है ;

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे अन्तर्राष्ट्रीय यातायात की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे गए हैं।

आकाशवाणी केन्द्र तेजपुर, असम

7998. श्री प्रबीन डेका :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) असम में तेजपुर का आकाशवाणी केन्द्र कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ख) इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) असम में, आकाशवाणी का तेजपुर केन्द्र 1994–95 के दौरान चालू किए जाने के लिए तकनीकी रूप से तैयार करने का कार्यक्रम है। राज्य सरकार द्वारा भूमि प्राप्त करने में विलम्ब के कारण केन्द्र के लिए स्टूडियो के निर्माण का कार्य समय पर शुरू नहीं किया जा सका।

[हिन्दी]

कर्नाटक में नलकूप

7999. श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कर्नाटक के दीदर क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) तीन गत वर्षों के दौरान किन-किन स्थानों पर कितने-कितने नलकूप स्थापित किये गये हैं; और

(घ) 1992–93 के दौरान कितने नलकूप लगाये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जावेगी।

[अनुवाद] सिक्किम की सिंचाई परियोजनाएं

8000. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सिक्किम सरकार ने केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु कई लघु, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाएं भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और बाकी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ङ) केवल 2000 हैक्टेयर से अधिक कृषि योग्य कमान क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते ही केन्द्र से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है । सिक्किम सरकार से तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्र में ऐसी कोई परियोजना प्राप्त नहीं हुई है । 2000 हैक्टेयर से कम क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाली अन्य परियोजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम

8001. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार कितने गांवों और सिंचाई हेतु पम्पसैटों को बिजली प्रदान की गई; और

(ख) सभी गांवों और पम्प सैटों को कब तक बिजली प्रदान करने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा सूचित किए अनुसार, आर०ई० सी० कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों (1988-91) के दौरान विद्युतीकृत गांवों एवं अर्जित पम्पसैटों का जिलेवार ब्यौरा संलग्न विवरण 1 एवं 2 में दिया गया है ।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण कार्यकलापों के सम्बन्ध में जिलेवार प्राथमिकताओं का वार्षिक आधार पर निर्धारण, योजना आयोग द्वारा समग्र राज्य के लिए निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है । शेष गांवों का विद्युतीकरण एवं पम्पसैटों का अर्जन, निधियों एवं अन्य निवेशों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

विवरण–I

वर्ष 1988–91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण

क्रम सं०	जिला	विद्युतीकृत गांव			
		1988–89	1989–90	1990–91	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	सहारनपुर	25	7	47	79
2.	हरिद्वार	0	8	23	31
3.	मुजफ्फरनगर	0	0	2	2
4.	मेरठ	0	0	0	0
5.	गाजियाबाद	0	1	0	1
6.	बुलन्दशहर	0	1	0	1
7.	अलीगढ़	30	18	20	68
8.	मथुरा	31	25	7	63
9.	आगरा	33	37	29	99
10.	फिरोजाबाद	0	13	30	43
11.	मैनपुरी	31	21	20	72
12.	एटा	24	21	23	68
13.	बिजनौर	41	37	15	93
14.	मुरादाबाद	65	64	40	169
15.	रामपुर	14	24	15	53
16.	नैनीताल	59	57	19	135
17.	अल्मोड़ा	92	107	97	296
18.	पिथौरागढ़	88	46	102	236
19.	देहरादून	27	22	14	63
20.	उत्तरकाशी	11	18	24	53
21.	चमोली	46	48	30	124
22.	पौड़ी (गढ़वाल)	103	111	113	327
23.	टिहरी (गढ़वाल)	41	46	86	173
24.	बरेली	56	30	50	136
25.	बदांयू	47	34	36	117
26.	शाहजहांपुर	29	16	30	75
27.	पिलीभीत	20	15	21	56
28.	फर्रुखाबाद	77	35	40	152
29.	इटावा	36	35	36	107

1	2	3	4	5	6
30.	कानपुर नगर	13	18	6	37
31.	कानपुर देहात	106	64	54	224
32.	झांसी	11	13	19	43
33.	ललितपुर	10	8	13	31
34.	जालौन	27	14	25	66
35.	हमीरपुर	18	11	22	51
36.	बान्दा	7	10	20	37
37.	इलाहाबाद	72	80	79	231
38.	फतेहपुर	46	33	33	112
39.	प्रतापगढ़	60	39	29	128
40.	लखनऊ	17	0	0	17
41.	रायबरेली	0	0	0	0
42.	उन्नाव	60	12	28	100
43.	सीतापुर	19	26	34	79
44.	हरदोई	8	22	28	58
45.	खेड़ी	74	59	30	163
46.	फैजाबाद	72	28	100	200
47.	गोण्डा	50	12	46	108
48.	बहराईच	35	55	47	137
49.	सुल्तानपुर	117	19	54	190
50.	बाराबंकी	31	20	33	84
51.	वाराणसी	68	21	48	137
52.	मिर्जापुर	84	18	20	122
53.	सोनभद्रा	0	21	14	35
54.	जौनपुर	96	15	76	187
55.	गाजीपुर	0	0	0	0
56.	बलिया	73	28	88	189
57.	गोरखपुर	31	46	59	136
58.	महाराजगंज				
59.	देवरिया	33	32	66	131
60.	बस्ती	73	41	33	147
61.	सिद्धार्थनगर	0	36	39	75
62.	आजमगढ़	151	59	74	284
63.	मऊ	0	75	21	96
	जोड़	2488	1832	2207	6527

विवरण–II

1988–91 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम कार्यक्रम के अन्तर्गत पम्पसैटों का ऊर्जन

क्रम सं०	जिला	ऊर्जित पम्पसैट			
		1988–89	1989–90	1990–91	जोड़
1	2	3	4	5	6
1.	सहारनपुर	1201	423	549	2173
2.	हरिद्वार	0	135	76	211
3.	मुजफ्फरनगर	602	578	759	1939
4.	मेरठ	1699	1216	1087	4002
5.	गाजियाबाद	375	508	364	1247
6.	बुलन्दशहर	1035	835	748	2618
7.	अलीगढ़	1000	752	530	2282
8.	मथुरा	408	595	339	1342
9.	आगरा	600	323	378	1301
10.	फिरोजाबाद	0	176	219	395
11.	मैनपुरी	398	194	185	777
12.	एटा	284	389	380	1053
13.	बिजनौर	1320	723	600	2643
14.	मुरादाबाद	1786	755	666	3207
15.	रामपुर	571	276	196	1043
16.	नैनीताल	410	280	241	931
17.	अल्मोड़ा	0	0	0	0
18.	पिथौरागढ़	0	0	0	0
19.	देहरादून	20	15	10	45
20.	उत्तरकाशी	0	0	0	0
21.	चमोली	0	0	0	0
22.	पौड़ी (गढ़वाल)	0	0	0	0
23.	टिहरी (गढ़वाल)	0	0	0	0
24.	बरेली	140	106	105	351
25.	बदांयू	348	137	381	866
26.	शाहजहांपुर	232	250	236	718
27.	पिलीभीत	301	125	219	645
28.	फर्रुखाबाद	419	393	440	1252
29.	इटावा	160	140	162	462

1	2	3	4	5	6
30.	कानपुर नगर	121	214	85	420
31.	कानपुर देहात	186	180	201	567
32.	झांसी	151	219	164	534
33.	ललितपुर	56	43	46	145
34.	जालौन	115	60	80	255
35.	हमीरपुर	56	65	89	210
36.	बान्दा	104	194	136	434
37.	इलाहाबाद	481	721	697	1899
38.	फतेहपुर	316	400	425	1141
39.	प्रतापगढ़	174	266	363	803
40.	लखनऊ	34	195	224	453
41.	रायबरेली	460	449	430	1339
42.	उन्नाव	135	114	326	575
43.	सीतापुर	90	118	178	386
44.	हरदोई	88	106	108	302
45.	खेड़ी	1348	777	475	2600
46.	फैजाबाद	807	947	664	2418
47.	गोण्डा	132	112	135	379
48.	बहराईच	110	69	117	296
49.	सुल्तानपुर	559	636	609	1804
50.	बाराबंकी	85	90	130	305
51.	वाराणसी	683	477	479	1639
52.	मिर्जापुर	157	85	149	391
53.	सोनभद्रा	0	27	25	52
54.	जोनपुर	557	716	480	1753
55.	गाजीपुर	656	565	550	1771
56.	बलिया	145	314	237	696
57.	गोरखपुर	45	62	198	305
58.	महाराजगंज				
59.	देवरिया	151	130	115	396
60.	बस्ती	119	182	171	472
61.	सिद्धार्थनगर	0	21	33	54
62.	आजमगढ़	637	527	423	1587
63.	मऊ	0	244	94	338
	जोड़	22070	18653	17511	58228

बिजली के बिल

8002. डा० सी० सिलवेरा :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डेसू ने उपभोक्ताओं से बिजली के बिलों की वसूली के लिए चल वाहन शुरू किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या डेसू का विचार अपने उपभोक्ताओं को किसी भी क्षेत्र के कार्यालय द्वारा जारी किए गए बिजली के बिलों का भुगतान दिल्ली स्थित किसी भी कार्यालय में करने की अनुमति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने पूर्वी मण्डल में 10 केन्द्रों, पश्चिमी मण्डल में 20 केन्द्रों, उत्तरी मण्डल में 25 केन्द्रों, दक्षिणी मण्डल में 20 केन्द्रों और केन्द्रीय मण्डल में 1 केन्द्र पर चल कैश वाहन के जरिए बिजली के बिलों का भुगतान किए जाने की व्यवस्था की है। इन मोबाइल कैश कलैक्शन वाहनों का समय प्रात: 10.00 बजे से 3.00 बजे अपराह्न तक होता है और इनके दौरे की वास्तविक तिथियां सम्बन्धित क्षेत्र के बिजली के बिलों में दर्शाई जाती हैं।

(ग) और (घ) बिल बनाने वाले क्षेत्र का ध्यान न रखते हुए बिजली के बिलों का भुगतान डेसू के किसी भी कैश कलैक्शन कार्यालय में किया जा सकता है। बल्कि सप्लाई उपभोक्ताओं से सम्बन्धित बिलों का भुगतान डेसू के केवल राजघाट कार्यालय में ही किया जा सकता है।

महाराष्ट्र में होटल, लॉज और यात्री निवास

8003. श्री अन्ना जोशी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार की सहायता से पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में कितने होटलों, लॉजों और यात्री निवासों का निर्माण किया गया; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में अलग-अलग स्थानों पर तीन पर्यटक परिसरों, एक पर्यटक गृह, एक शील विहार, स्वल और एक यात्री निवास का निर्माण करने के लिए 119.50 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। यह विभाग होटलों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता नहीं देता।

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र के समीप फैक्टरियों की स्थापना

8004. श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के निकट कुछ सहायक फैक्टरियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बोकारो इस्पात सयंत्र के लिए आवश्यक सामग्री की खरीद खुले बाजार स की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क) और (ख) केन्द्रीय सरकार का बोकारो इस्पात संयंत्र के समीप सहायक इकाई स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसी इकाइयों को स्थापित करने में उद्यमियों को बोकारो इस्पात संयंत्र तथा बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) और (घ) केवल वहां माल जैसे कच्ची सामग्री, लुबरीकेन्ट, रिफ्रैक्ट्रीज, पैट्रोलियम उत्पाद, कन्वेयर बेल्ट, रोल्स, पाइप, बियरिंग तथा दूसरी ऐसी अन्य मदों जिनकी जरूरत पड़ती है परन्तु बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण में स्थित लघु उद्योग की इकाइयों से उन्हें नहीं खरीदा जा सकता, को ही सुव्यवस्थित निविदा पद्धति के माध्यम से खुले बाजार से खरीदा जा रहा है।

[अनुवाद]

इंदिरा गांधी नहर परियोजना की छोटी नहरें

8005. श्री शिवचरण माथुर :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण और चम्बल परियोजना में छोटी नहरों का निर्माण किया गया है और इनकी लागत लाभार्थियों से वसूल की जा रही है;

(ख) क्या द्वितीय चरण की छोटी नहरों की निर्माण लागत राज्य सरकार वहन कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या भेदभाव को देखते हुए प्रथम चरण के किसान छोटी नहरों की लागत नहीं दे रहे हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार प्रथम चरण की परियोजना की निर्माण लागत को छोड़ने पर राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने का है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण–I तथा चम्बल परियोजना में जल मार्गों का निर्माण किया गया है। केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च

1986 तक जल निकास स्थल से व्यक्तिगत खेतों तक 25 प्रतिशत लागत अनुदान के रूप में तथा राज्य सरकार के साथ बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में 25 प्रतिशत ऋण प्रदान किया गया था। 1-4-1986 से जल निकास स्थल से 5-8 हैक्टेयर ब्लाक तक जलमार्गों के निर्माण की 50 प्रतिशत लागत राज्य सरकार के साथ बराबर-बराबर आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुदान दिया जाता है। 5-8 हैक्टेयर ब्लाक के अंदर 25 प्रतिशत लागत अनुदान के रूप में तथा राज्य के साथ बराबर-बराबर के आधार पर केन्द्रीय सहायता के रूप में 25 प्रतिशत ऋण प्रदान किया जाता है।

(ख) इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II में जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1-4-1986 से प्रचालित केन्द्रीय प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम की वित्तीय पद्धति के अनुसार जलमार्गों के निर्माण की लागत प्रदान की जा रही है।

(ग) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राजस्थान भूमि विकास निगम के माध्यम से जलमार्गों के निर्माण के लिए अग्रिम रूप से दिया गया ऋण वसूल नहीं किया जाएगा।

(घ) जी नहीं।

[हिन्दी] **वायुदूत के पायलटों के लाइसेंस रद्द किया जाना**

8006. श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या वायुदूत के कुछ विमानों को उन पायलटों ने चलाया है जिनके लाइसेंस रद्द कर दिये गय हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी नहीं। तथापि वायुदूत के एक विमान चालक को उसके लाइसेंस की वैधता की समाप्ति की तिथि के बाद भी उड़ान भरते हुए पाया गया था। उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गयी थी और उसका लाइसेंस चार महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया गया था।

[अनुवाद]

"एयरपोर्ट अथारिटी इन ग्राफ्ट केस"

8007. श्री राम नाईक :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 फरवरी, 1992 के टाइम्स आफ इंडिया (मुम्बई संस्करण) में "एयरपोर्ट अथारिटी इन ग्राफ्ट केस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है ।

तमिलनाडु में ग्रेनाइट भंडार

8008. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम :

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के वनों में ग्रेनाइट के भंडारों का पता लगाने हेतु सरकार अथवा निजी एजेंसियों द्वारा कोई भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसा सर्वेक्षण करके ग्रेनाइट आधारित कोई कारखाना स्थापित करने का है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ग्रेनाइट का सर्वेक्षण नहीं करता है । यह गौण खनिज है और राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है । तथापि ग्रेनाइट की कुछ किस्में उत्तर आर्कट, धर्मपुरी, नीलगिरी, कृष्णगिरी, दक्षिण आर्कट, कोयम्बटूर, मदुरई, तिरूनेलवेली, चिंगलपुट, तिरूचिरापल्ली, पुडुकोट्टई, सेलम तथा तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिलों में पायी जाती हैं।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत परियोजनाएं

8009. श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र के 500 मे० वा० संयंत्र, काकरापाड़ परमाणु विद्युत केन्द्र के अतिरिक्त एकक, गैस पर आधारित कवास विद्युत परियोजना तथा गैस पर आधारित गन्धार परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की प्रतिष्ठापित क्षमता में से मध्य प्रदेश को कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) एनटीपीसी की कवास गैस विद्युत परियोजना चरण–1 (645 मे० वा०) और गंधार गैस विद्युत परियोजना चरण–1 (650 मे० वा०) को आठवीं योजना अवधि

के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है। विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण–2 (2×500 मे० वा०) का कार्य आंठवीं योजना अवधि के बाद भी जारी रहेगा।

काकरापुर परमाणु विद्युत केन्द्र को 8वीं योजना अवधि के दौरान पूरा किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) मध्य प्रदेश को इन परियोजनाओं के पूरा होने पर इनसे विद्युत का आबंटन, केन्द्रीय ताप विद्युत केन्द्रों से विद्युत के आबंटन सम्बन्धी फार्मूले के अनुसार किया जायेगा।

[अनुवाद] **इस्पात संयंत्र की स्थापना में विदेशी सहयोग**

8010. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में मालनपुर में 2,50,000 टन वार्षिक की लाइसेंस उत्पादन क्षमता वाला एक संयुक्त इस्पात संयंत्र स्थापित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास इस संबंध में विचाराधीन आवेदनों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) विदेशी तकनीकी सहयोग का विभिन्न विदेशी सहयोगकर्ताओं द्वारा निर्धारित शर्तों सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा परियोजना के लिए विदेशी सहयोग और तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु विदेशी पूंजी और विदेशी मुद्रा में ऋण प्राप्त करने के लिए दी गई अनुमति का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले में मालनपुर में आकार वाले उत्पादों, जिनमें तार छड़ें भी शामिल हैं, के निर्माण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, परियोजना की निजी इस्पात निर्माण सुविधाओं से इसकी उत्पादन क्षमता 5,00,000 टन वार्षिक है और इसकी लागत लगभग 380 करोड़ रुपये है।

(ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है। अतः औद्योगिक लाइसेंस के लिए सरकारी मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता तभी होगी जबकि इस्पात संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की सीमा से 25 कि०मी० की दूरी के अन्दर लगाना हो। सरकार के पास इस प्रकार का कोई आवेदन विचारार्थ लम्बित नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के संबंध में जर्मनी की मेसर्स एच० ई० सी० हैम्बर्ग कन्सल्टिंग एण्ड स्टील इंजीनियरिंग जी० एम० बी० एच० के साथ विदेशी तकनीकी सहयोग के लिए 20.70 लाख डी० एम० के एक मुश्त तकनीकी शुल्क की मंजूरी दी है। इस परियोजना में कोई विदेशी पूंजी शामिल नहीं है।

उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

[हिन्दी]

8011. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :**
डा० लाल बहादुर रावल :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

(ख) इस अवधि में जिले के विद्युतीकरण किए गए गांवों की जिलावार संख्या क्या है ; और

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इन जिलों के प्रत्येक गांवों के विद्युतीकरण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड (यू० पी० एस० ई०बी०) ने सूचित किया है कि निधियां जिलेवार आवंटित नहीं की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम के माध्यम से 1989-90 से 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को आवंटित की गई निधियों का ब्यौरा निम्नवत् है :-

(करोड रुपये में)

वर्ष	आवंटन
1989-90	139.35
1990-91	73.00
1991-92	68.32

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में 1988-89 से 1990-91 के तीन वर्षों के दौरान जितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया इनकी संख्या के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान योजना आयोग द्वारा 995 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलेवार लक्ष्यों के बारे मे निर्णय सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिया जाता है।

विवरण

1988—91 के दौरान उत्तर प्रदेश में गांवों का विद्युतीकरण

क्रम सं०	जिला	विद्युतीकृत गांव
1	2	3
1.	सहारनपुर	79
2.	हरिद्वार	31
3.	मुजफ्फरनगर	2
4.	मेरठ	0
5.	गाजियाबाद	1
6.	बुलन्दशहर	1
7.	अलीगढ़	68
8.	मथुरा	70
9.	आगरा	101
10.	फिरोजाबाद	43
11.	मैनपुरी	72
12.	एटा	75
13.	बिजनौर	99
14.	मुरादाबाद	169
15.	रामपुर	59
16.	नैनीताल	135
17.	अल्मोड़ा	296
18.	पिथौरागढ़	236
19.	देहरादून	63
20.	उत्तरकाशी	53
21.	चमोली	124
22.	पौड़ी (गढ़वाल)	327
23.	टिहरी (गढ़वाल)	173
24.	बरेली	138
25.	बदांयू	117
26.	शाहजहांपुर	90
27.	पिलीभीत	68
28.	फर्रुखाबाद	152
29.	इटावा	107
30.	कानपुर नगर	37
31.	कानपुर देहात	224

1	2	3
32.	झांसी	45
33.	ललितपुर	38
34.	जालौन	66
35.	हमीरपुर	51
36.	बांदा	52
37.	इलाहाबाद	242
38.	फतेहपुर	114
39.	प्रतापगढ़	128
40.	लखनऊ	17
41.	रायबरेली	0
42.	उन्नाव	100
43.	सीतापुर	88
44.	हरदोई	58
45.	खेड़ी	163
46.	फैजाबाद	200
47.	गोंण्डा	108
48.	बहराईच	137
49.	सुल्तानपुर	203
50.	बाराबंकी	95
51.	वाराणसी	162
52.	मिर्जापुर	122
53.	सोनभद्रा	35
54.	जौनपुर	189
55.	गाजीपुर	0
56.	बलिया	214
57.	गोरखपुर	170
58.	महाराजगंज	
59.	देवरिया	176
60.	बस्ती	159
61.	सिद्धार्थनगर	75
62.	आजमगढ़	305
63.	मऊ	96
	जोड़ :	6821

एल्यूमिनियम संयंत्र

8012. श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में राज्यवार कितने एल्यूमिनियम संयंत्र हैं और उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) प्रत्येक राज्य में एल्यूमिनियम का कूल कितना भंडार है;

(ग) क्या किसी प्राइवेट कम्पनी ने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में एल्यूमिनियम संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव किया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र के कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) देश में निजी और सरकारी क्षेत्र में सात एल्यूमिनियम संयंत्र है। इनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

कम्पनी	स्थान	लाइसेंस क्षमता
सरकारी क्षेत्र		(ह० टन वार्षिक)
1. भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० कोरबा,	मध्य प्रदेश	100
2. नेशनल एल्यूमिनियम कं० लि०,	अंगुल, उड़ीसा	218
निजी क्षेत्र		
3. हिन्दुस्तान एल्यूमिनियम कं० लि०, रेनुकूट,	उत्तर प्रदेश	150
4. इंडियन एल्यूमिनियम कं० लि०,	(1) अलुपुरम, केरल	20
	(2) बेलगाम, कर्नाटक	73
	(3) हीराकुड, उड़ीसा	24
5. मद्रास एल्यूमिनियम कं० लि० मैदूर,	तमिलनाडु	25

(ख) बाक्साइट निक्षेपों (एल्यूमिनियम उत्पादन के लिए कच्चा माल) का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	1-1-1985 को बाक्साइट निक्षेप (हजार टन में)
आंध्र प्रदेश	455,838
बिहार	63,519
गोआ, दमन व दियू	32,259
गुजरात	87,423
जम्मू व काश्मीर	3,290
कर्नाटक	26,998
केरल	8,626
मध्य प्रदेश	126,805
महाराष्ट्र	87,721
उड़ीसा	1,370,453
राजस्थान	535
तमिलनाडु	17,211
उत्तर प्रदेश	9,420

डेसू के बिजली बिल

8013 **श्री राम शरण यादव :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि "डेसू" उपभोक्ताओं को अपने बिल नियमित रूप से नहीं भेज रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, ; और

(ग) गत तीन वर्षों से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में कितने उपभोक्ताओं को उनके बिल नहीं भेजे गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) से (ग) अधिकांश मामलों में डेसू द्वारा अपने उपभोक्ताओं को नियमित रूप से बिल भेजे जा रहे हैं। डेसू प्रणाली में उपभोक्ताओं की अत्यधिक संख्या (लगभग 17 लाख) को ध्यान में रखते हुए बिलों को तैयार करने में विभिन्न कारणों से कुछ मामलों में त्रुटी रह जाना अपरिहार्य है। डेसू द्वारा हाल ही में जारी प्रेस नोटिस जिसमें उपभोक्ताओं से बिलों में देरी सम्बन्धी मामले प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है, के उत्तर में अब तक उपभोक्ताओं द्वारा 166 मामले को-आपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटीज द्वारा 8 मामले प्रस्तुत किए गए हैं।

दिल्ली में बिजली की चोरी

8014. श्री मदन लाल खुराना :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह 9 दिसम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 2883 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डेसू द्वारा दिल्ली पुलिस में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ख) डेसू द्वारा बिजली की चोरी करने वालों और स्वीकृत लोड से अधिक बिजली का उपभोग करने वालों से कितना राजस्व एकत्रित किया गया; और

(ग) दिसम्बर, 1991 और आज तक की अवधि के बीच बिजली की चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजकोट दूरदर्शन केन्द्र को माइक्रोवेव द्वारा अहमदाबाद से जोड़ना

8015. श्री लाल कृष्ण अडवाणी :
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री शंकर सिंह वाघेला :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजकोट दूरदर्शन केन्द्र को माइक्रोवेव द्वारा अहमदाबाद दूरदर्शन केन्द्र से जोड़ने के लिए सभी तकनीकी प्रबन्ध पिछले वर्ष पूरे कर लिए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अब तक स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन्सेट-II उपग्रह से प्राप्त सेवा द्वारा राजकोट को अहमदाबाद से जोड़ने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो यह उपग्रह सम्पर्क कब तक स्थापित कर दिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) से (घ) गुजरात राज्य में प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा माइक्रोवेव से प्राप्त लिंक के बजाए उपग्रह से जोड़ने का कार्यक्रम है। प्रारम्भ में, यह सेवा इन्सेट-2 के समय अर्थात् 1993–95 के बीच अंतरिक्ष खंड की उपलब्धता पर शुरू करने की योजना थी। तथापि, गुजरात की आवश्यकताओं को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के विचार से यह सेवा आधे ट्रांसपोंडर मोड में इनसेट-1 बी पर सी बैंड ट्रांसपोंडर के जरिए पहले शुरू करने के विचार से सभी संभव व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार, राज्य में प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा 1992 के उत्तरार्ध के दौरान शुरू करने का कार्यक्रम है ।

कलकत्ता में टेलीफोन सेवाएं

8016. **श्री सोमजी भाई डामोर :** क्या संचार मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सभी एक्सचेंजों में टेलीफोन सेवाएं नियमित रूप से चल रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जी हां, तकनीकी तथा अन्य कारणों से खराबी उत्पन्न होने के एकाध मामलों को छोड़कर।

(ग) सेवा में आगे और सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं/करने का प्रस्ताव है।

(i) पुराने स्ट्रोजर टाइप के एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों का लगाया जाना।

(ii) पुराने उपस्करों के स्थान पर इलेक्ट्रानिक पुश बटन उपकरण लगाना।

(iii) बाह्य संयंत्र का दर्जा बढ़ाना और ऊपरी संरेषणों को कम करना।

(iv) दोषमुक्त केबिलों को बदलना।

(v) विश्वसनीय माध्यम जैसे :

आप्टिकल फाइबर, डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों तथा वल्स कोड मोड़ यूलेशन (पी० सी० एम०) प्रणालियों पर इंटर-एक्सचेंज जंक्शन की व्यवस्था करना तथा नई प्रौद्योगिक प्रणाली का संस्थापन किया जा रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संस्था को फिल्म उद्योग को सौंपने का प्रस्ताव

8017. **श्री एस० बी० थोरात :**

श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संस्था को फिल्म उद्योग को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में तैयार किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इसके पश्चात् फिल्म समारोह निदेशालय को बन्द करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अधीन विशेष कृषि परियोजनाएं

8018. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

श्री अर्जुन सिंह यादव :

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री श्रीकान्त जेना :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी विशेष कृषि परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ख) प्रत्येक राज्य में लक्ष्य की तुलना में क्या उपलब्धि रही है; और

(ग) योजनाओं को स्वीकृति देने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 31–3–91 तक स्वीकृत विशेष कृषि परियोजना की राज्यवार स्थिति दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) विशेष कृषि परियोजना स्कीमों को स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में योजना आयोग द्वारा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता।

(ग) वर्तमान स्थिति के अनुसार विशेष कृषि परियोजना स्कीमों को स्वीकृत किए जाने सम्बन्धी पात्रता के लिए इन स्कीमों के माध्यम से 25 प्रतिशत आर्थिक लाभांश अर्जित किए जाने हेतु व्यवहार्यता सम्बन्धी मानक की पूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	31–3–91 के अंत तक स्वीकृत विशेष कृषि परियोजना स्कीमों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1385
2.	बिहार	356
3.	गुजरात	428
4.	हरियाणा	197
5.	कर्नाटक	725
6.	केरल	245
7.	मध्य प्रदेश	1829
8.	महाराष्ट्र	1530
9.	उड़ीसा	295
10.	पंजाब	381
11.	राजस्थान	418
12.	तमिलनाडु	858
13.	उत्तर प्रदेश	477
14.	प० बंगाल	325

जर्मनी में फिल्म समारोहों की समीक्षा

8019. **प्रो० राम कापसे :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर 1991 में जर्मनी में आयोजित फिल्म समारोहों की कोई समीक्षा की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले हैं ;

(ग) इस समारोह में कुल कितनी भारतीय फिल्में दिखाई गईं ;

(घ) क्या समारोह के लिए चयन की गई सभी भारतीय फिल्मों को दिखाया गया;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस समारोह पर सरकार द्वारा कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) जी, हां ।

(ख) प्रत्येक महत्वपूर्ण समारोह के बाद नैमित्तिक रूप से समीक्षा करती है ताकि भविष्य में सुधार किया जा सके। प्रयास यह रहता है कि पूर्व अनुभवों से लाभ उठाया जाए और भावी समारोहों में उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। फिल्मों के प्रिंट भेजने में कुछ देर हुई थी। कुछ फिल्मों के प्रिंट जर्मन फिल्म अभिलेखागार को उपहार के रूप में दिए जाने थे। इनमें से कुछ प्रिंट दिनांक 16-9-1991 को जर्मनी में भारत उत्सव के उद्घाटन से पूर्व वहां नहीं पहुंच पाए थे। कुछ प्रिंटों की ठीक तरह से जांच भी नहीं की गई थी और इस प्रकार जब उनका प्रदर्शन किया गया तो इस बारे में कुछ आलोचना भी हुई थी। फिल्म समारोह निदेशालय को ये आदेश पुनः दे दिए गए हैं कि प्रत्येक समारोह से पूर्व प्रचालन सम्बन्धी इन ब्यौरों की पूरी-पूरी जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए कि भविष्य में इसी प्रकार कोताही न हो ।

(ग) और (घ) यह समारोह सितम्बर, 1991 से अप्रैल, 1992 तक है। इस समारोह के दौरान 61 फिल्में दिखाई जानी थीं और ये सभी फिल्में दिखाई जा चुकी हैं।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(च) संस्कृति विभाग ने जर्मनी में भारत महत्व के फिल्म खण्ड का आयोजन करने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय को 15 लाख रुपए आवंटित किए हैं।

[हिन्दी] **कर्नाटक में "शार्टवेव" आकाशवाणी केन्द्र**

8020. **श्री जी माडे गौड़ा :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में "शार्ट वेव" आकाशवाणी केन्द्रों की संख्या कितनी है ;

(ख) क्या वर्ष 1992-93 के दौरान कर्नाटक में और अधिक "शार्टवेव" केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य के किन-किन स्थानों पर ये केन्द्र खोले जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) कर्नाटक राज्य में क्षेत्रीय सेवा के लिए शार्टवेव आकाशवाणी केन्द्र नहीं है। बंगलौर स्थित शार्टवेव ट्रांसमीटर विदेश सेवाओं के लिए है।

(ख) और (ग) क्षेत्रीय सेवा के लिए कर्नाटक राज्य में "शार्टवेव" ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी] **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण**

8021. श्री राम विलास पासवान :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित कोटे के खाली चले आ रहे पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित कोटा में बकाया पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया है। चयन/पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को नामित किया जाता है।

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री मानिकपुर गोन्डा के लिए अधिगृहीत भूमि के बदले में मुआवजा

8022. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्री लिमिटेड मानिकपुर, गोंडा के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा किसानों को दिया जाना था,

(ख) क्या उन सभी किसानों को मुआवजा की धन राशि दे दी गयी है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है;

(ग) यदि हां, तो उनको कुल कितनी धनराशि का मुआवजा दिया गया है;

(घ) कितने व्यक्तियों को अभी इस धनराशि का भुगतान किया जाना शेष है; और

(ङ) इस धनराशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(ख) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद] **केरल के टेलीफोन एक्सचेंजों में आप्टीकल फाइबर सिस्टम**

8023. श्री के० मुरलीधरन :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों को आप्टीकल फाइबर सिस्टम को आपस में जोड़ने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, इस प्रणाली से युक्त किये जाने वाले एक्सचेंजों का ब्यौरा क्या है और कब तक ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां, केरल में कुछ मुख्य टेलीफोन एक्सचेंजों को पहले ही फाइबर-आप्टिक प्रणाली द्वारा जोड़ दिया गया है तथा इस सुविधा का केरल में कुछ और एक्सचेंजों में विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ख) (i) केरल में निम्नलिखित एक्सचेंजों को पहले ही आप्टिकल फाइबर प्रणाली द्वारा आपस में जोड़ दिया गया है :

1. त्रिवेन्द्रम
2. क्विलोन
3. तिरूवला
4. छगनचेरी
5. कोट्टायम
6. एर्नाकुलम
7. अलबई
8. त्रिचूर
9. पालघाट
10. अट्टिंगल
11. चलाकुडी

(ii) केरल राज्य में चालू वित्त वर्ष (92–93) के दौरान निम्नलिखित एक्सचेंजों को आप्टिकल फाइबर प्रणाली का प्रयोग करके आपस में जोड़ने की योजना बनाई गई है :—

1. कालीकट
2. तमरासेरी
3. आदिमेली
4. मुन्नार
5. कलपेटा
6. मनटोड़ी
7. कुमिली
8. पीरमाडे
9. सुल्तानबैट्री
10. मरियूर
11. क्विलेण्डी
12. बाडगरा
13. तेलीचेरी
14. कन्नानूर

सातवीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए आवंटन

8024. श्री आनन्द रत्न मौर्य :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की थी;

(ख) उक्त योजना अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक पर्यटक स्थलों के विकास या कुछ पर्यटक स्थलों का सुधार करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य को इस कार्य हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 442.63 लाख रु० स्वीकृत किए गए थे।

(ख) इन परियोजनाओं/स्कीमों में शामिल हैं -- दो पर्यटक परिसर, एक पर्यटक बंगला, एक यात्री निवास, एक वन गृह, तीन मार्गस्थ सुख-सुविधाएं, तेरह स्थानों पर सार्वजनिक सुविधाएं, एक फास्ट फूड सेंटर, घाटों का विकास और साथ ही प्रिफेबरिकेटेड हैट्स/कुटीरों, जल क्रीड़ाओं/ ट्रैकिंग उपकरणों, मेलों तथा उत्सवों के लिए वित्तीय सहायता, आदि।

(ग) से (ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

उड़ीसा में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज

8025. **श्री के० प्रधानी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं,

(ख) क्या सरकार का विचार इस राज्य में ऐसे कुछ और एक्सचेंज स्थापित करने का है,

(ग) यदि हां, तो स्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) उड़ीसा में 31/3/1992 की स्थिति के अनुसार 332 इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां,

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) में दी गई सूची वाले एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान चालू करने की योजना है बशर्ते कि उपस्कर और साथ ही निधि भी उपलब्ध हो।

विवरण

राज्य में स्थापित किए जाने वाले अन्य इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों के स्थान सहित ब्यौरे :

128 सी-डॉट : (1) अरनापाल (2) बोंसाडीही (3) चंदनेश्वर (4) धुसुरी (5) बी०टी० पुर (6) घंटेश्वर (7) बदमपहार (8) बिसोली (9) चिवोदा (10) देवली (11) जमादा (12) जमसोला (13) पाथुरी (14) बहालदा (15) मुरीबहल (16) एम० रामचन्द्रपुर (17) कोमेरा (18) बौलंगा (19) कालापाथर (20) धुनापाल (21) नरसिंहपुर (22) नवगांवघर (23) अरसोमा (24) गजेन्द्रपुर (25) कबाथनवा (26) कृष्णानंदपुर (27) पाथकुरा (28) बनताला (29) बिन्दा (30) मेरामुन्दुली (31) तंलोकी (32) बागदेला (33) धाकरा (34) हाराडीहा (35) हिंडोल रोड (36) केसपुरपाल (37) खामर (38) चिरकीताडा (सम्सन) (39) सुमंदल (40) बदगाडा (41) विमीपुर (42) गोलथरा (43) नवपाड़ा (44)

पारापुर (45) आर०द०उदयगिरी (46) बासुनी (47) गोप (48) गनिया (49) कल्याणपुर (50) नवगांव (51) परसापाडा (52) गोपालपुर (आर०के०एल०) (53) कैरा (54) टैंसा (55) धामा (56) गासलेटे (57) घास

64 पोर्ट एम० आई० एल० टी०

(1) मंदनीपारेवरी (2) गोपालपुर (बी०एल०एम०) (3) कुनारी (4) परिहार (5) बरसाही (6) खैंरा (7) सालीपाडा (8) त्रिगी (9) बंलगांव (10) चंदनमट्टी (11) देवगांव (12) टीकापाड़ा (13) तुरीकेला (14) बेहरा (15) बेरातनगर (16) इदगांव (17) उतकेला (18) अदावा (19) भटकुमुडा (20) बालीसुरा (21) बीडीपुर (22) भीसमगिरी (23) गल्लेरी (24) जी० गढ़बुन्द्रा (25) जगन्नाथप्रसाद (26) गरादा (27) काशीनगर (28) कुलाद (29) मानीतरा (30) सिद्वेश्वर (31) शिमला (32) तुरूबुदी (33) कोटागढ़ (34) नवगांव (35) सारंगागुडा (36) तुमुदीबंध (37) बहादीगोला (38) बालंगा (39) भागपुर (40) मुसुंडीपुर (41) चारी चार (42) गुम्बादुरीमुडु (43) गुडम (44) जनकिया (45) कांटीलो (46) मानिकगोडा (47) मेंघासाल (48) नयाहाट (49) सतसंखा (50) बिनाईसिंह (51) बाटी (52) धनेकीकोट (53) बारबिल (54) कलमचुन (55) कनकडहाड (56) रामचन्द्रपुर (57) रसोल (58) रेयूली (59) शंकरपुर (60) सुनकारी (61) तुरमुंगा (62) अंगोला (63) अखुआपाडा (64) बालीयुथा (65) बारी सी०के० (66) बरूआ (67) बरूनडेही (68) दैतारी (69) दुबुरी (70) इदुंपुर (71) जाखसपुरा (72) कदुआपाड़ा (73) केंदुपाटन (74) जे०के० जैपोर (75) खुंटुनी (76) कुंडा (77) प्रदीपगढ़ (78) साफा (79) सिंधापुर (80) तालाबस्ते (81) के० सिंहपुर (82) केन्द्रगुडा (83) लमटापुर (84) रामनगुडा (85) बालीशंकरा (86) बरसुआ (87) जरईकेला (88) हेमागिरी (89) कुररा (90) किंजरीकेला (91) कालता (92) लोफरीपाडा (93) नौगांव (94) बंधाबहता (95) मेदीन (96) भुटा (97) बीगपुर (98) चिंचिडा (99) डुंगरी (100) भोईपुर (101) जामिनीकेरा (102) झरबंधा (103) काटनपल्ली (104) किरमिरा (105) लसताला (106) पारामनपुर (107) सातापराली (108) बीरनगसिंहपुर (109) कैमाती (110) छात्ता (111) जयंतीपुर (112) पलसागुडा (113) जानपंखा (114) खानखन्ना (115) बदपाडा (116) झाराडीही (117) पदमपुर (118) खौल (119) कोटा (120) पुबुरिया (121) चाकपाडा (122) बुधांबा (123) काराचुली (124) कुदाइई (125) सातामैली (126) अस्तारंगा (127) कामागुनी (128) सी को (129) हल्दिया (130) नरेन्द्रपुर (131) द्वेदीडेहरा (132) अधानधास (133) बारीबिना (134) द्वारमकारा (135) गदापोस (136) लारखुडा

512/1000 पोर्ट सी-डॉट :

(1) पारादीप (2) चौदवार (3) सुनाबेडा (4) अंगुल 2642 पी०सी०—डॉट

(1) बारागढ़ (2) बोलनगीर (3) झरसुगुडा (4) 2.5 के०सी०डॉट एम०ए० एक्स० बालासोड़ (5) भद्रक

[हिन्दी]

बिहार भवन पर दिल्ली पर्यटन विकास निगम की बकाया धनराशि

8026. **श्री रमेश चन्द तोमर :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के दिल्ली पर्यटन विकास निगम के होटलों को बिहार भवन दिल्ली से भारी धनराशि वसूल करनी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

नई दूरसंचार नीति

8027. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दूर संचार नीति तैयार कर ली गई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक तैयार कर लिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) नीति अभी निर्धारण के अन्तिम चरण में है ।

(ख) विवरण अभी तैयार किया जा रहा है ।

(ग) बहुत महत्वपूर्ण प्रलेख होने के कारण इस नीति के सभी संबंधित पहलुओं पर गहराई से विचार किया जाना है ।

(घ) विभाग नीति को शीघ्र तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रयत्नशील हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की बकाया राशि

8028. **श्री राम बदन :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1988 से अब तक, भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों की काफी धन-राशि बकाया पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन एजेंसियों के नाम यह धन-राशि बकाया है तथा इसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बकाया धन–राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम बकाया धन-राशि की वसूली करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है ।

विवरण

(लाख रुपयों में)

श्रेणी	1988–89	1989–90	1990–91
1	2	3	4
सरकार	569.26	686.21	784.80
यात्रा अभिकर्ता	451.93	570.37	483.84
लाईसेंस	109.63	135.56	170.60
कार्ड–धारक	56.84	62.40	51.53
गेस्ट लेजर सहित प्राइवेट	217.77	242.69	254.21
प्राइवेट	1405.43	1697.23	1744.98

कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच विमान सेवा

8029. डा० महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच सप्ताह में केवल दो दिन विमान सेवा चलाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विमान सेवा को दैनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं । इंडियन एयरलाइन्स कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच सप्ताह में 4 दिन की सेवाएं परिचालित कर रही है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस मार्ग पर लगाई गई विमान-क्षमता मौजूदा यात्री यातायात की मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ।

लघु तथा मध्यम इस्पात संयंत्र

8030. **श्री सी० श्रीनिवासन**
श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप लोहे का अधिक मूल्य पर आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु तथा मध्यम इस्पात संयंत्रों को प्रोत्साहन देने का है और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(क) इस्पात प्रगलन स्क्रैप का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य इस समय लगभग 140 अमरीकन डालर प्रति टन है जो पिछले वर्ष के दौरान प्रचलित मूल्यों से काफी कम है । जनवरी, 1992 से आयातित स्क्रैप पर सीमा शुल्क 35% से घट कर 10% कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहे और इस्पात की सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है । लघु और मध्यम संयंत्रों सहित इस्पात संयंत्रों को लगाने के लिए अब औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सीमा से 25 कि० मी० की दूरी के अन्दर स्थित न हो ।

देश में विद्युत उत्पादन

8031. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार, परियोजनावार विद्युत उत्पादन की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में विद्युत की मांग के मुकाबले कितनी कमी है; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में उर्जा उत्पादन का राज्यवार/स्टेशनवार ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार/प्रणालीवार ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है ।

(ग) विद्युत की उपलब्धता में बढ़ोतरी करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं-नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना, लघु निर्माण अवधि वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, मांग प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को कार्यान्वित करना और अधिक उर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों को उर्जा की सप्लाई व्यवस्था करना ।

विवरण–1

अनुबन्ध-I

1991–92 के दौरान देश में ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार/केन्द्रवार ब्यौरा

राज्य/प्रणालियां/विद्युत केन्द्र और *उत्पादन का स्वरूप	वास्तविक उत्पादन 1992
1	2
1. उत्तरी क्षेत्र	
1. बी० बी० एम० बी०	
भाखड़ा एल एण्ड आर	6277
गांग० एण्ड कोट	1232
डेहर	3568
पोंग	1458
बी०बी०एम०बी० जोड़	12535
2. दिल्ली	
बदरपुर	3973
डेसू	
आई० पी० केन्द्र	1481
राजघाट आर० पी०	587
डेसू जीटी	677
डेसू जोड़	2745
दिल्ली जोड़	6718
3. जम्मू एण्ड कश्मीर	
पम्पोर जी० टी०	85
जे० एण्ड के० थर्मल	85
लोअर झील	561
अन्य	231
जोड़ जल विद्युत	792
एन० एच० पी० सी० सलाल	2197
जे० एण्ड के० थर्मल	85
जे० एण्ड के० हाइड्रो	2989
जे० एण्ड के० जोड़	3074

राज्य/प्रणालियां/विद्युत केन्द्र और विद्युत उत्पादन का स्वरूप	वास्तविक उत्पादन 1992
1	2
4. हिमाचल प्रदेश	
एच० पी० एस० ई० बी०	
बस्सी	291
गिरि बाटा	188
बिन्वा	32
अन्धा	65
संजय	454
एच०पी०एस०ई०बी०	1030
बैरास्यूल	826
हि० प्र० जोड़ ज० वि०	1856
5. हरियाणा	
फरीदाबाद विस्तार	620
पानीपत	2468
हरियाणा थर्मल	3288
प० यमुना	268
जोड़ हरियाणा	3556
6. राजस्थान	
आर० एस० ई० बी०	
कोटा	3728
आर० एस० ई० बी० थर्मल	3728
आर०पी० सागर	627
जवाहर सागर	424
माही बजाज	339
अनूपगढ़	
आर० एस० ई० बी० हाइड्रो	1390
आर० एस० ई० बी० जोड़	5118
एन०टी०पी०सी० अन्ता	2394

1	2
आर० ए० पी० एस० न्यूक्लीय	1159
राजस्थान थर्मल	6122
राजस्थान न्यूक्लीय	1159
राजस्थान हाइड्रो	1390
राजस्थान जोड़	8571
7. पंजाब	
भटिण्डा	1923
रोपड़	4019
पंजाब थर्मल	5942
यू० बी० डी० सी० 1–3	244
शानन	568
मुकेरियां	1139
आनन्दपुर साहिब	886
पंजाब हाइड्रो	2837
पंजाब जोड़	8779
8. उत्तर प्रदेश	
यू० पी० एस० ई० बी०	
ओबरा 1–5	590
ओबरा 6–8	1031
ओबरा 9–13	4968
ओबरा 1–13	6589
पनकी	332
हरदुआगंज क	4
हरदुआगंज ख और ग	717
परिछा	571
अनपारा	3983
टांडा	459
आर०पी०एच० कानपुर	0
अन्य (उ० प्र०)	6
यू०पी०एस०ई०बी० थर्मल	12661
रिहन्द	1260
ओबरा हाइड्रो	446
माताटिला	107
गंगा कैनाल	173
खातिमा	227
राम गंगा	347
यमुना 1 एवं 4	544
यमुना–2	924
चिला	662
खोदरी	431
मनेरी भाली	426
यू०पी०एस०ई०बी० हाइड्रो	5547
यू०पी०एस०ई०बी० जोड़	18208
यू० पी० बी० यू० एन० जी० एम०	
ऊंचाहार	770
एन०टी०पी०सी० सिंगरौली	14029
एन०टी०पी०सी० रिहन्द	6522
एन०टी०पी०सी (एन०सी०आर०)	0
एन०टी०पी०सी० ओरग्ट	3835
एन०टी०पी०सी० दादरी	0
एन०एच०पी०सी० तारापुर	0
नरोरा ए०पी०एस०	552
यू० पी० थर्मल	37817
यू०पी० न्यूक्लीय	552
यू०पी० हाइड्रो	5547
यू० पी० जोड़	43916
2. पश्चिमी क्षेत्र	
9. गुजरात	
गुजरात विद्युत बोर्ड	
धुवरण	2984
उकई	4282
गांधीनगर	2729
वानकबोरी	5834
सिक्का	564
कच्छ लिग्नाइट	423
उतराण	233

1	2
उतराण जी०टी०	0
गैस टर्बाइन	253
जी०ई०बी० थर्मल	17302
उकई हाइड्रो	534
कदाना	301
जी०ई०बी० हाइड्रो	835
जी०ई०बी० जोड़	18137
ए० ई० कम्पनी	313
साबरमती	2016
वात्वा जी०टी०	323
गुजरात प्राईवेट	2652
गुजरात थर्मल	19954
गुजरात हाइड्रो	835
गुजरात जोड़	20789
10. महाराष्ट्र	
एम० एस० ई० बी०	
नासिक	4846
कोराडी	6042
पारास	424
भुसावल	2734
पारली 1–2	266
पारली 3–5	2308
पारली 1–5	2574
चन्द्रपुर	5083
खापरखेड़ा	40
खापरखेड़ा–2	2508
उरण जी०टी०	2925
एम०एस०ई०बी० थर्मल	27176
कोयना	3237
कोयना डैम	175
वेतरणा	180
पेथॉन	33
तिल्लारी	122
भिरा टेल	89

1	2
भण्डारढारा	14
भात्सा	3
स्माल हाइड्रो	164
एम०एस०ई०बी० हाइड्रो	4017
एम०एस०ई०बी० जोड़	31193
ट्राम्बे	6188
तारापुर न्यूक्लीय	1710
टाटा हाइड्रो	1640
महाराष्ट्र थर्मल	33364
महाराष्ट्र न्यूक्लीय	1710
महाराष्ट्र हाइड्रो	5657
महाराष्ट्र जोड़	40731
11. मध्य प्रदेश	
एम० पी० ई० बी०	
सतपुरा	4380
कोरबा–1	0
कोरबा–2	625
कोरबा–3	837
कोरबा 1–3	1462
अमरकंटक	1071
कोरबा वैस्ट	4662
एम०पी०ई०बी० थर्मल	11575
गांधी सागर	509
पैंच	286
बारंगी	519
बाणसागर	2
बिरसिंहपुर	2
एम०पी०ई०बी० हाइड्रो	1318
एम०पी०ई०बी० जोड़	12893
एन०टी०पी०सी० कोरबा	13247
एन०टी०पी०सी० विन्ध्याचल	6670
एम० पी० थर्मल	31492
एम० पी० हाइड्रो	1318
एम० पी० जोड़	32810

1	2
3. दक्षिणी क्षेत्र	
12. आन्ध्र प्रदेश	
कोठागुडम	1107
कोठागुडम ख	1044
कोठागुडम ग	823
कोठागुडम क–ग	2974
विजयवाड़ा	5322
रामागुंण्डम ख	310
नैल्लोर	119
किल्जैवरम	357
ए०पी०एस०ई०बी० थर्मल	9062
मचकुण्ड	896
टी० बी० डैम	209
अपर सिलेरू	594
लोअर सिलेरू	1483
नागार्जुन सागर	2999
नागार्जुन सागर आर०बी०सी०	226
श्रीसैलम	3258
निज़ाम सागर	23
पोचम्पाद	104
डोंकाराई	131
पेन्ना अहोबिलम	0
माल हाइड्रो	0
ए०पी०एस०ई०बी० हाइड्रो	9833
ए०पी०एस०ई०बी० जोड़	18915
एन०टी०पी०सी० रामगुण्डम	11291
ए० पी० थर्मल	20373
ए० पी० हाइड्रो	9833
ए० पी० जोड़	30206

1	2
13. कर्नाटक	
रायचुर	2589
कर्नाटक थर्मल	2589
शरावती	4791
जोग	361
कालीनदी	2764
सुपा डैम	515
भाद्रा	50
लिंगानामक्की	206
शिवासामुद्रम	138
शिमशापुर	104
मुनिराबाद	99
वाराही	1160
घटप्रभा	0
कर्नाटक हाइड्रो	10278
कर्नाटक जोड़	12867
14. केरल	
इडुक्की	2312
साबरीगिरी	1294
कुटिटयाडी	229
शोलेयार	240
सेगुलम	153
नारीमंगलम	266
पाल्लीवासाल	241
पोरिंगल	197
पानियार	101
काल्लाडा	0
डमलायार	294
केरल हाइड्रो	5327

1	2
15. तमिलनाडु	
टी० एन० ई० बी०	
एन्नौर	1882
तूतीकोरिन	3896
मैत्तूर	3579
नरिमानम	0
टी० एन० बी० थर्मल	9357
पाईकारा डैम	373
मोयार	154
कुण्डाह 1–5	1219
सुरुलियार	99
अलियार	167
मैत्तूर	675
एल० मैत्तूर	355
पेरियार	413
पापनासम	143
सरकारपथ	145
शोलेयार	328
कोडायार	266
सरवलार	35
कदम्पाराई	4
स्माल हाइड्रो	49
टी०एन०ई०बी० हाइड्रो	4425
टी०एन०ई०बी० जोड़	13782
नैवेली–1	4030
नैवेली–2	4054
नैवेली जोड़	8084
कालपक्कम न्यूक्लीय	2164
तमिलनाडु थर्मल	17441
तमिलनाडु न्यूक्लीय	2164
तमिलनाडु हाइड्रो	4425
तमिलनाडु जोड़	24030
4. पूर्वी क्षेत्र	
16. बिहार	
पतरातु	1333
बरौनी	448
मुजफ्फरपुर	557
बिहार थर्मल	2338
कोसी	17
सुवर्णरेखा	229
बिहार हाइड्रो	246
बिहार जोड़	2584
17. उड़ीसा	
तलचेर	1221
बालीमेला	1808
हिराकुंड	1235
रेंगाली	742
अपर कोलाब	1077
उड़ीसा हाइड्रो	4862
उड़ीसा जोड़	6083
18. पश्चिम बंगाल	
डब्ल्यू० बी० एस० ई० बी०	
बन्देल	2050
सन्थालडीह	671
गैस टर्बाइन	5
डब्ल्यू बी० एस०ई० बी० थर्मल	2726
डब्ल्यू बी० एस० ई० बी० हाइड्रो	105
डब्ल्यू० बी० एस० ई० बी० जोड़	2831

1	2
प० बंगाल विद्युत विकास निगम	
कोलाघाट	3884
डी० पी० एल० थर्मल	606
मुलाजोर	350
एम० कोसिपुर	651
सदर्न	718
टिटागढ़	1368
कस्बा जी०टी०	25
सी०ई०एस०सी० टोटल	3112
एन०टी०पी०सी० फ़रक्का	3356
प० बंगाल थर्मल	13684
प० बंगाल हाइड्रो	105
प० बंगाल जोड़	13799
19. डी० वी० सी०	
चन्द्रपुर	2035
दुर्गापुर	1048
बोकारो	1840
मैथोन जी०टी०	45
डी०वी०सी० थर्मल	4968
मैथोन	173
पंचेट	181
तिलैया	16
डी०वी०सी० हाइड्रो	370
डी०वी०सी० जोड़	5338
20. सिक्किम	
हाइड्रो	36

1	2
5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र	
21. असम	
चन्द्रपुर	240
नामरूप	304
बोंगईगांव	399
गैस टर्बाइन	145
असम थर्मल	1088
22. मेघालय	
कइरदमकुला	194
उमियम–1	108
उमियम–2	60
उमियम–1	0
उम्तरू	60
खाण्डोंग	239
कोपिली	584
जोड़	1245
23. त्रिपुरा	
बारामुरा जी०	49
रोखिया जी०टी०	31
जोड़ जी० टी०	80
गुम्टी हाइड्रो	56
त्रिपुरा जोड़	136
24. मणिपुर	
लोकतक एन० एच० पी०	542

विवरण—II

अप्रैल 1991 से मार्च 1992 के दौरान वास्तविक विद्युत सप्लाई की स्थिति

(आंकड़े मि० यू० में)

क्षेत्र/राज्य प्रणाली	आवश्यकता	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	657	657	0	0.0%
दिल्ली	9347	9255	92	1.0%
हरियाणा	10326	10123	203	2.0%
हिमाचल प्रदेश	1456	1446	10	0.7%
जम्मू और काश्मीर	3345	2984	361	10.8%
एन० एफ० एफ० सहित				
पंजाब	17238	16177	1061	6.2%
राजस्थान	13220	13030	190	1.4%
उत्तर प्रदेश	31540	28280	3260	10.3%
कुल योग (उत्तरी क्षेत्र)	87129	81952	5177	5.9%
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	25505	24417	1088	4.3%
मध्य प्रदेश	21115	19942	1173	5.6%
महाराष्ट्र	42070	40166	1904	4.5%
गोवा	683	683	0	0·0%
कुल योग (पश्चिमी क्षेत्र)	89373	85208	4165	04.7%
दक्षिणी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	24015	22415	1600	6.7%
कर्नाटक	20350	15550	4800	23.6%
केरल	7440	7197	243	3.3%
तमिलनाडु	23210	22086	1124	4.8%
कुल योग (दक्षिणी क्षेत्र)	75015	67248	7767	10.4%

1	2	3	4	5
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	7415	5215	2200	29.7%
डी० वी० सी०	7455	6087	1368	18.4%
उड़ीसा	8065	7499	566	7.0%
पश्चिम बंगाल	11140	10140	1000	9.0%
कुल योग (पूर्वी क्षेत्र)	34075	28941	5134	15.1%
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	3382	3083	299	8.8%
अखिल भारत	288974	266432	22542	7.8%

राज्य विद्युत बोर्डों से ली जाने वाली ब्याज की दर

8032. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों से ली जाने वाली ब्याज की दरों में वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 100 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है;

(घ) क्या इस वृद्धि से राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय हालत और खराब होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और सामान्य पिछड़ा क्षेत्र स्कीमों के अन्तर्गत ऋणों के सम्बन्ध में वार्षिक ब्याज दर 10.7% से बढ़ाकर 11.2% की गई थी जबकि मालसूची ऋण पर ब्याज दर 1.5 बढ़ाई गई थी। इसके अलावा, निगम द्वारा 1-10-91 से राज्य बिजली बोर्डों पर, सकल ब्याज अर्जन के 3% की दर से नया ब्याज कर लगाया गया था ।

(ग) से (ङ) वर्ष 1991-92 के सम्बन्ध में आर० ई० सी० के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, चूंकि ब्याज दर में उक्त वृद्धि, निधियों के अर्जन सम्बन्धी लागत के सन्दर्भ में मामूली और अपरिहार्य थी, अतः इससे राज्य बिजली बोर्डों की वित्तीय स्थिति पर प्रत्यक्ष रूप से कोई प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

आंध्र प्रदेश में जैव गैस संयंत्र

8033. प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने जैव-गैस संयंत्र हैं ;

(ख) पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में इनमें कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस क्षेत्र में कितनी सफलता प्राप्त हुई है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) आन्ध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 1991-92 तक राष्ट्रीय बायोगैस विकास और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रमशः कुल 1.11 लाख से अधिक पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र तथा 68 सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस स्थापित किए गए है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश में 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 की अवधि के दौरान क्रमशः लगभग 9040, 8080, 2650, 8100 तथा 12450 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं । इसी प्रकार 1987-88, 1988-89 और 1989-90 की अवधि के दौरान क्रमशः केवल 10, 8 तथा 5 सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 1987/1988 में राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली द्वारा किए गए पिछले मूल्यांकन सर्वेक्षण अध्ययन से पता चला कि जिन लगभग 93% संयंत्रों का सर्वेक्षण किया गया था वे काम करने की स्थिति में हैं ।

राष्ट्रीय ऊर्जा लागत और मूल्य आयोग

8034. श्री राम कृष्ण कोंताला :

श्री जार्ज फर्नान्डीज :

कुमारी कुड्डुमुला पद्मश्री :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय ऊर्जा लागत और मूल्य आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1990-91 के दौरान प्रति किलोवाट विद्युत उत्पादन लागत तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा वसूल की गई प्रति किलोवाट औसत दर का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

12—96LSS/93

(क) और (ख) विद्युत टैरिफ़ के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्त तैयार करने हेतु केन्द्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विद्युत टैरिफ़ बोर्ड और एल० टी० प्वांइट पर विद्युत सप्लाई की लागत के आधार पर राज्यों में प्रत्येक यूटिलिटी द्वारा उपभोक्ताओं से वसूल किए जाने वाले प्रभारों का निर्धारण करने हेतु पांच क्षेत्रीय विद्युत टैरिफ़ बोर्डों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है, जिनके द्वारा राज्य सरकारों को सिफ़ारिशें की जायेंगी और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं के प्रत्येक समूह से वसूल किए जाने वाली विद्युत सम्बन्धी लागत के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

(ग) वर्ष 1990–91 के दौरान विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई की औसत लागत और राज्य बिजली बोर्डों द्वारा पैसे/कि० वा० आ० औसत वसूली का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1990–91 के दौरान विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई की औसत लागत और औसत वसूली दर

(पे० कि० ,वा० आंवर)

क्र० सं०	बिजली बोर्ड	विद्युत उत्पादन एवं सप्लाई की औसत लागत	औसत वसूली दर
1.	आन्ध्र प्रदेश	76.39	76.47
2.	बिहार	159.94	83.18
3.	गुजरात	116.31	83.98
4.	हरियाणा	108.33	77.07
5.	हिमाचल प्रदेश	70.85	76.33
6.	कर्नाटक	90.52	78.14
7.	केरल	73.74	63.64
8.	मध्य प्रदेश	111.29	83.15
9.	महाराष्ट्र	114.75	108.98
10.	उड़ीसा	93.11	95.46
11.	पंजाब	108.56	62.65
12.	राजस्थान	114.75	91.05
13.	तमिलनाडु	114.57	85.24
14.	उत्तर प्रदेश	120.84	81.58
15.	प० बंगाल	150.88	106.14
16.	असम	247.99	91.72
17.	मेघालय	136.91	59.18
	अखिल भारत	111.04	85.52

स्ट्रीट लाइट के खंभे

8035. **श्री अनंतराव देशमुख :**

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहायशी मकानों से स्ट्रीट लाइट के खंबों के तारों की अनिवार्य न्यूनतम दूरी कितनी है;

(ख) क्या उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्ट्रीट लाइट के खंबों के तारों को सुरक्षित दूरी पर नहीं लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या डेसू को इस बारे में उत्तर पश्चिम दिल्ली के निवासियों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (घ) भारतीय बिजली नियम, 1956 के अनुसार, समीपवर्ती भवन के सबसे नजदीक प्वाइंट से निम्न/मध्यम वोल्टेज लाइन एवं सर्विस लाइन की दूरी कम से कम 1.2 मीटर रखी जानी अपेक्षित है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) के अनुसार उत्तर-पश्चिमी दिल्ली में स्ट्रीट लाइट मेन्स को सुरक्षात्मक दूरी पर स्थापित किया गया है। चूंकि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली का क्षेत्र काफी दूरी तक फैला हुआ है, अतः शिकायतकर्ता एवं शिकायत करने की तारीख से संबंधित विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद ही डेसू द्वारा किसी शिकायत के बारे में स्थिति इंगित की जा सकती है। जिन मामलों में भवनों के अनधिकृत रूप से विस्तार के कारण वे स्ट्रीट लाइट प्वाइंटस के अधिक समीप पाए जाते हैं, वहां उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाते हैं।

[हिन्दी]

बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

8836. **श्री सुकदेव पासवान :**

मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार और उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन कार्यक्रमों के लिए कितने मिलियन यूनिट का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) इस लक्ष्य को किस हद तक प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान बिहार एवं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों एवं वास्तविक विद्युत उत्पादन का विवरण निम्नानुसार है :—

(आंकड़े मि० यू० में)

राज्य	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
उत्तर प्रदेश :			
थर्मल . . .	35250	37817	107.3
न्यूक्लीय . .	1370	552	40.3
हाइड्रो . . .	4928	5547	112.6
जोड़ . . .	41548	43916	105.7
बिहार :			
थर्मल . . .	3950	2338	59.2
हाइड्रो . . .	224	246	109.8
जोड़	4174	2584	61.9

(ग) बिहार में कम विद्युत उत्पादन का मुख्य कारण ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक होना था।

[अनुवाद]

ऊर्जा पारेषण प्रणाली

8037. श्री सुधीर गिरि :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जोन की उत्तरी जोन को जोड़ने वाली ऊर्जा की "बैक-टू-बैक" पारेषण प्रणाली परियोजना को तैयार करने तथा क्रियान्वित करने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ख) इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) प्रस्तावित परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) 566.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उत्तरी क्षेत्र (उत्तर प्रदेश में मउ) और पूर्वी क्षेत्र (बिहार में बिहार शरीफ़) के बीच अन्तःक्षेत्रीय लिंक की स्थापना हेतु एच० वी० डी० सी० बैक-टू-बैक पारेषण प्रणाली का कार्यान्वयन किए जाने के लिए एन० टी० पी० सी० द्वारा एक प्रस्ताव तैयार किया गया है।

परियोजना को एच० वी० डी० सी० उपस्करों हेतु ठेका दिए जाने की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर चालू किए जाने की सम्भावना है।

राजस्थान के चुरु जिले में टी० वी० टावर और दूरदर्शन रिले केन्द्र

8038. **श्री राम सिंह काश्वा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के चुरू जिले में किन-किन स्थानों पर टी० वी टावर और दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राजस्थान में विशेषत: चुरू जिले में और अधिक टी० वी० टावर तथा रिले केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) वर्तमान में राजस्थान के चुरू जिले में चुरू और सरदार शहर में अल्पशक्ति दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) वर्तमान में चुरू जिले में श्रीडूंगरगढ़, सुजानगढ़ और रतनगढ़ सहित राजस्थान में सात उच्च शक्ति टी० वी ट्रांसमीटर, तेरह अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और पांच अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं/लगाने की योजना है ।

इन्टरनेशनल होटल चेन्स के साथ संयुक्त उद्यम के पश्चात् भारत पर्यटन विकास निगम पर प्रभाव

8039. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंटरनेशनल होटल श्रृंखला के साथ भारत पर्यटन विकास निगम की होटल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में संयुक्त उद्यम को कार्यान्वित करने के पश्चात् भारत पर्यटन विकास निगम का स्वरूप, भूमिका और उत्तरदायित्व क्या होंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री श्री माधवराव सिंधिया : भारत पर्यटन विकास निगम संयुक्त उद्यमों के रूप में बनाए गए होटलों को छोड़कर अन्य होटलों को चलाना जारी रखेगा, और देश में पर्यटन का विकास तथा संवर्धन करने की दिशा में अपनी वर्तमान भूमिका निभाता रहेगा और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता रहेगा ।

हवाई अड्डा उपस्कर

8040. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
मेजर जनरल सेवा निवृत्त भुवनचन्द्र खण्डूरी :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मार्च, 1992 के "पायनियर" में प्रकाशित समाचार "फास्टी एअरपोर्ट इक्वीपमेंट नैरस एवीएशन एनसपर्टस" की ओर आकृष्ट किया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इन दोषपूर्ण उपस्करों के कारण विमानों के उतरने तथा उड़ान भरने सम्बन्धी दुर्घटनाओं सहित हवाई दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन अधिकरणों/प्राधिकरणों के नाम क्या हैं जिन्हें विमानन उपस्करों के अनुरक्षण का कार्य सौंपा गया है; और

(ङ) उपस्करों के उपयोग करने वाले कार्मिकों को दिये जाने वाले प्रशिक्षण की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) दोषपूर्ण हवाई अड्डा उपस्करों के कारण पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल विमानों की दुर्घटनाओं का कोई मामला नहीं हुआ है। यह ठीक है कि उदयपुर और अमृतसर पर अति उच्च आवृत्ति (वी० ओ० आर०) की निष्क्रियता दर अपेक्षाकृत ऊंची है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डों पर दिक्चालन और संचार उपस्करों के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी है । वह इन उपस्करों के रख-रखाव के लिए अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति करती है । अभी तक, दिक्चालन सुविधाओं के लिए रख-रखाव सम्बन्धी कार्मिकों के लिए लाइसेंसिंग की कोई प्रणाली आरम्भ नहीं की गयी है ।

(ङ) नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद विभिन्न उपस्करों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन नियमित रूप से करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधीन अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा जाता है। जब कभी नये उपस्कर संस्थापित किये जाते हैं तो अधिकारियों को सामान्यता फैक्टरी परिसर में ही प्रशिक्षण दिया जाता है।

केबिन तथा काकपिट चालक दल के सदस्यों पर व्यय :

8041. श्री अर्जुन चरण सेठी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइंस द्वारा केबिन तथा काकपिट चालक दल के सदस्यों के गैर-सरकारी होटलों और सरकारी क्षेत्र के होटलों में ठहरने पर वर्षवार अलग-अलग कितनी धन राशि खर्च की गई; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के होटलों के उपलब्ध होने के बावजूद इंडियन एयरलाइंस द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों का उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मीदल और काकपिट कर्मीदल के ठहरने पर इंडियन एयरलाइन्स द्वारा खर्च की गयी राशि निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

	1988–89	1989–90	1990–91
सरकारी क्षेत्र के होटल .	1.30	1.48	2.41
निजी क्षेत्रीय होटल .	3.79	4.03	5.36

(ख) जहां कहीं भी उपलब्ध हों और व्यवहार्य हो कर्मीदल सदस्यों को सरकारी क्षेत्र के होटलों में ठहराया जाता है।

[हिन्दी] ग्रामीण क्षेत्रों में बायो–गैस संयंत्र

8042. श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या विद्युत और गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में बायो-गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए धन राशि उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धन राशि आवंटित की गई है?

विद्युत और गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं नामतः राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना जो पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र सम्बन्धी जरूरत पूरी करती है और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम जो बड़े आकार के सामुदायिक संस्थागत, और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों सम्बन्धी आवश्यकता पूरी करता है, के अन्तर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना को प्रोत्साहन देती चली आ रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1.35 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य के लिए 57.20 लाख रुपए और 50 सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित संयंत्रों के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1992–93 के लिए 1.50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत बोर्डों को घाटा

8043. **श्री रामपाल सिंह :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु 1992-93 के दौरान किन राज्यों में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किए जाने का विचार है और कितना अतिरिक्त विद्युत उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) क्या विद्युत चोरी के कारण राज्य विद्युत बोर्ड निरन्तर घाटे में चल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1991-92 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन और वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित लक्ष्य के साथ-साथ राज्य प्रणाली जिनमें अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किए जाने की सम्भावना है इनके बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) **और** (ग) विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों (एस० ई० बी०/विद्युत विभाग) में हो रही अत्यधिक हानियों के लिए उत्तरदायी घटकों में एक घटक अत्यधिक पारेषण एवं वितरण हानियां होना है। ऊर्जा की चोरी समेत पारेषण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए हैं। इनमें ये शामिल हैं :—

(1) हानियों की अधिक मात्रा के लिए प्रणालीगत उत्तरदायी तत्वों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए जाने;

(2) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बनाना;

(3) केपेसिटर्स अधिष्ठापित करने राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा पद्धति लागू करना;

(4) ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है; और

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करना।

राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा इन उपायों का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना हानियों को कम करने में सहायक होगा।

विवरण

1991–92 के दौरान वास्तविक विद्युत उत्पादन तथा वर्ष 1992–93 के लिए निर्धारित लक्ष्य का राज्यवार/प्रणालीवार ब्यौरा :

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

राज्य/प्रणाली का नाम	1991–92 का वास्तविक विद्युत उत्पादन	1992–93 का लक्ष्य	1991–92 के पश्चात् संभावित अतिरिक्त विद्युत उत्पादन
दिल्ली	6718	6905	187
हिमाचल प्रदेश	1856	1875	19
हरियाणा	3556	3790	234
पंजाब	8779	10390	1611
उत्तर प्रदेश	43916	47720	3804
गुजरात	20789	24100	3311
महाराष्ट्र	40731	42260	1529
मध्य प्रदेश	32610	34030	1220
आन्ध्र प्रदेश	30206	30335	129
कर्नाटक	12867	12935	68
केरल	5327	5350	23
तमिलनाडु	24030	25765	1735
बिहार	2584	4375	1791
प० बंगाल	13789	15295	1506
डी० वी० सी०	5338	63350	1012
सिक्किम	36	45	9
असम	1088	1660	572
अरुणाचल प्रदेश	0	15	15
त्रिपुरा	136	150	14

कवास में गैस पर आधारित भारत–फ्रांस विद्युत परियोजना

8044. श्री सी० पी० मुदालगिरियप्पा :

क्या विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कवास में हजीरा बीजापुर, जगदीशपुर पाइपलाइन के निकट गैस पर आधारित राष्ट्र की पहली भारत-फ्रांस विद्युत परियोजना के बहुत जल्दी शुरू हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की क्वास गैस आधारित परियोजना की पहली गैस टरबाईन यूनिट को 22-2-92 को समकालित किया गया था । शेष गैस टरबाईन और स्टीम टरबाइनों को निम्नानुसार चालू किए जाने का कार्यक्रम है :—

गैस टरबाईन-2	जुलाई, 1992
गैस टरबाईन-3	सितम्बर, 1992
गैस टरबाईन-4	नवम्बर, 1992
स्टीम टरबाईन-1	मई, 1993
स्टीम टरबाईन-2	सितम्बर 1993

इंडियन एयरलाइंस के विमान के इंजन में खराबी होने के मामले

8045. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के विमानों के इंजनों में खराबी होने की दर में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने इंजन खराब हुए;

(ग) कुल कितने विमान अभी भी वारंटी की अवधि में हैं और क्या इस मामले को उत्पादकों के साथ उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विमान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नगर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1989–1990 और 1991 के दौरान इंडियन एयरलाइंस के विमानों में प्रति 1000 इंजिन घंटे की तुलना में, उड़ान गत इंजिन बन्द होने की दर निम्न प्रकार रही है :—

इंजिन

	1989		1990		1991	
	सं०	दर	सं०	दर	सं०	दर
जे०टी० 8डी9ए (बी-737)	1	0.029	2	0.051	4	0.110
जे०टी० 8डी 17ए (बी–737)	8	0.106	10	0.014	2	0.030
सी० एफ० 6–5002 (ए–300)	3	0.057	1	0.020	3	0.067
बी–2500 (ए–320)	2	0.139	1	0.086	2	*0.051

*(नवम्बर, 1991 तक)

(ग) वी० 2500 इंजिनों के सिवाय एयरबस ए 320 विमानों में लगे सभी इंजिन अब वारंटी के अंतर्गत नहीं हैं । सभी प्रकार की खराबियां निर्माता के ध्यान में लाई जाती हैं ।

(घ) इंडियन एयरलाइंस के विमानों पर लगे सभी इंजिनों की खराबियों की जांच की जाती है और जब कभी आवश्यक हो, निर्माता की राय ली जाती है। सुरक्षा को बढ़ाने की दृष्टि से इंडियन एयरलाइंस दुर्घटना को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय भी करती है :—

— घटना जांच कार्यक्रम :

— विमान क्षेत्र निरीक्षण कार्यक्रम ।

— काकपिट संसाधन प्रबन्ध प्रशिक्षण ।

— विमानचालकों और इंजीनियरों को ऐसी सुरक्षित स्थितियां /कार्रवाईयों की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे संकटमय स्थिति पैदा हो सकती हो ।

मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन

8046. श्री सत्यनारायण जटिया :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता राशि प्रदान की है; और

(ख) मध्य प्रदेश में कौन-कौन से विद्युत केन्द्र हैं जो हजीरा-बीजापुर तथा जगदीशपुर गैस पाइप लाइन की सहायता से चलाए जा रहे हैं और प्रत्येक विद्युत केन्द्र को कितनी गैस दी जा रही है ।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदान के रूप में गाडगिल फार्मूले के अनुसार उपलब्ध कराई जाती है । 1991-92 के लिए मध्य प्रदेश को विद्युत क्षेत्र हेतु योजना आयोग द्वारा 758.52 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

(ख) मध्य प्रदेश में कोई भी ऐसा विद्युत घर नहीं है जोकि हजीरा, बीजापुर और जगदीशपुर पाइपलाइन की गैस उपयोग कर रहा है ।

[हिन्दी]

स्पीड पोस्ट कार्पोरेशन

8047. कुमारी उमा भारती :
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :
श्रीमती बासवा राजेश्वरी :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री जी० माडे गौड़ा :
श्री गोविन्दराव निकाम :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पीड पोस्ट कार्पोरेशन बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस निगम के कब तक कार्य शुरू करने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पो० वो० रंगय्या नायडू): (क) से (ख) जी हां। इस मामले की जांच करने के लिए हाल में एक विभागीय समिति गठित की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो विभाग के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

टो० वो० कार्यक्रमों के निर्माण के लिए निर्माताओं को प्रत्यायित करना

8048. **श्री अर्जुन सिंह यादव :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) सरकार कमीशन आधार पर कार्यक्रमों का निर्माण करने वाले निर्माताओं को प्रत्यायित करने के लिए क्या मानदंड अपनाती है;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण हेतु प्रत्याशित निर्माताओं की संख्या कितनी है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके द्वारा बनाए गए कार्यक्रमों का तथा इन कार्यक्रमों के लिए दूरदर्शन द्वारा वहन किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) से (ग) दूरदर्शन के लिए कमीशन कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं का चनल बनाए जाने की अवधारणा की शुरुआत 17–3–92 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में की गई। प्रारंभिक पैनल में 723 निर्माता और 581 निदेशक शामिल हैं। इस पैनल में और नाम शामिल करने के मानदंड विवरण में संलग्न हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं सौंपा गया है।

विवरण

कमीशंड कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्देशक/निर्माता के पेनल में नाम जोड़े जाने के मानदंड

1 फिल्म और टेलीविजन माध्यम में पूर्व अनुभव।

2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा फिल्म और टेलीविजन संस्थान, मद्रास से फिल्म निर्देशन में डिप्लोमा।

3. जामिया-मिलिया का स्नातक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमाधारक जिन्होंने उपाधि प्राप्त करने के पश्चात फिल्म/टेलीविजन माध्यम में कुछ कार्य किया हो।

केरल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

3049 : **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के लिए आज तक कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन स्थानों पर कब तक यह सुविधा प्रदान कर दी जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू०)

(क) केरल में 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के लिए 2297 आवेदन लंबित पड़े हैं।

(ख) लंबित आवेदनों का जिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

त्रिवेन्द्रम	400
क्यूलोन	35
पटनमथिट्टा	25
अल्लप्पी	5
कोट्टायम	460
एर्नाकुलम	25
इदुक्की	10
त्रिचूर	135
पालघाट	40
कालीकट	420
मालापुरम	660
वैनाड	52
कन्नानौर	20
कासरगोड	10

(ग) यह एक सतत प्रक्रिया है। 1992-93 के दौरान विभिन्न स्थानों पर लगभग 1000 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का प्रस्ताव है। बकाया मांगों को तकनीकी व्यवहार्यता और स्विचन क्षमता की उपलब्धता के आधार पर उत्तरोत्तर रूप से पूरा किया जाएगा बशर्ते कि इस संबंध में निर्धारित मानदण्डों को पूरा कर लिया जाए।

पश्चिम बंगाल की बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

8050. श्री जितेन्द्र नाथ दास :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या केन्द्र सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार की कोई बाढ़ नियंत्रण परियोजना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) इस परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) पश्चिम बंगाल से प्राप्त 53 करोड़ रुपए की लागत की 8 बाढ़ प्रबंध स्कीमों में से 5.88 करोड़ रुपए की लागत की चार स्कीमें निवेश स्वीकृति के वास्ते अनुमोदित की गयी हैं । अन्य 4 स्कीमों पर टिप्पणियां अनुपालना हेतु राज्य सरकार को भेज दी गयी हैं।

(घ) स्कीमों की स्वीकृति का समय मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है।

पर्यटकोन्मुख वीडियो कैसेटें

8051. श्री वाई० एस० राजशेखर रेड्डी:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार पर्यटकों, विशेषतौर पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक विरासत प्रदर्शित करने वाले पर्यटकोन्मुख वीडियो कैसेट बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम एक वाणिज्यिक संगठन होने के नाते अपने होटलों एवं संबद्ध सेवाओं का संवर्धन करने के लिए विडियो फिल्में तैयार करता है ।

इंडियन एयरलाइंस की उड़ान में विमान का बाल-बाल बचना

8052. श्री मनोरंजन भक्त:

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में 4 मार्च, 1990 को इंडियन एयरलाइंस का बोइंग विमान ढाका से कलकत्ता की उड़ान पर बंगला विमान, विमान से कलकत्ता लौटते समय आकाश से सीधी टक्कर होने से बाल-बाल बचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) अस्पष्ट ए० टी० सी० अनुदेशों के कारण 4-3-90 को कलकत्ता से ढ़ाका की उड़ान संख्या आई सी 223 की, ढ़ाका से कलकत्ता के लिये परिचालन कर रही बंगला देश विमान उड़ान के साथ एयरमिस घटना हो गई थी । नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा की गई जांच के फलस्वरूप इस भूल चूक के लिये ए० टी० सी० अधिकारी के खिलाफ कार्यवाई की गई है । इंडियन एयरलाइंस उड़ान के विमानचालक को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ।

[हिन्दी]

विमानों की खरीद

8053. श्री काशी राम राणा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) विमानों की खरीद के क्या मानदण्ड हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितने विमान खरीदे गए ;

(ग) क्या खरीदे गए कुछ विमानों का कई महीनों तक उपयोग नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) यातायात में वृद्धि की मांग को पूरा करने के लिए विमान क्षमता में वृद्धि करने और पुराने विमानों को बदलने के लिये विमानों की खरीद की जाती है।

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस द्वारा खरीदे गये विमानों की संख्या निम्न प्रकार है :—

खरीदे गये विमानों की संख्या और प्रकार

वर्ष	एयर इंडिया	इंडियन एयरलाइंस
1987–88	—	—
1988–89	2 747–337 सी	—
1989–90	2 ए 310–300	15ए–320
1990–91	—	4ए–320
		1ए–300
1991–92	—	—

(ग) और (घ) 14 फरवरी, 1990 को बंगलौर में हुई ए-320 विमान की दुर्घटना के बाद, यात्री जनता के मन में उपजी आशंकाओं के बाद ए–320 विमान बेड़े का परिचालन 19 फरवरी, 1990 से बन्द कर दिया गया था। इंडियन एयरलाइंस द्वारा 28 अक्तूबर 1990 से अन्तराष्ट्रीय सेक्टर पर और 3 दिसम्बर 1990 से अंतर्देशीय सेक्टर पर इस विमान-बेड़े को पुनः सेवा में लगा दिया गया था।

[अनुवाद]

गंगा के ऊपरी और नीचे के स्रोत से पानी

8054. श्री तरित बरन तोपदार :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) फरक्का से पहले गंगा के ऊपरी स्रोत से अधिकतम और न्यूनतम पानी की उपलब्धता अवधि के दौरान तथा हुगली के साथ साथ बहने वाली धारा से कितनी मात्रा में पानी बह जाता है; और

(ख) अधिकतम और न्यूनतम पानी की उपलब्धता अवधि के दौरान हुगली के साथ साथ बहने वाली धारा से कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हाल ही में प्रक्षेपित आंकड़ों के आधार पर जल की न्यूनतम उपलब्धता अवधि (जनवरी से मई) तथा जल की अधिकतम उपलब्धता वाली अवधि (जून से अक्तूबर) के दौरान फरक्का से पूर्व गंगा नदी की ऊपर स्ट्रीम से निष्कासित जल की मात्रा क्रमशः 22.68 मिलियन एकड़ फुट एवं 279.42 मिलियन एकड़ फुट है । जल की न्यूनतम उपलब्धता और अधिकतम उपलब्धता अवधियों के दौरान हुगली के डाउनस्ट्रीम पर निष्कासित जल की मात्रा क्रमशः 9.47 मिलियन एकड़ फुट और 11.93 मिलियन एकड़ फुट है । जल की भावी उपलब्धता, स्वरूप में भिन्नताओं के अध्यधीन वही रहने की संभावना है ।

सोने और हीरों का उत्पादन

8056. **श्री भाग्ये गोवर्धन :**

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान क्रमशः सोने और हीरों का स्वदेश में हुए उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इनके मूल्य का क्रमशः ब्यौरा क्या है ;

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान सोने और हीरों की खुदाई के लिए कितनी धनराशि दी गई तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितनी राशि रखी गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार खुदाई में विदेशी कम्पनियों की सहायता लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार का कमला बालान बांध

805. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने बिहार के कमला बालान बांध का विस्तार कार्य शुरु करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) बिहार में कमला बालान नदी पर कोई बांध नहीं है । भारत में जयनगर से दारजिया तक सीमा पर दोनों ओर इस नदी पर तटबंध बना दिए गए हैं । दिसम्बर, 1991 में

नेपाल के प्रधान मंत्री के भारत दौरे के दौरान लिए गए निर्णय के अनुसार संयुक्त विशेषज्ञ दल भारत की वित्तीय सहायता से तत्काल क्रियान्वयन के लिए जयनगर (भारत) से मिरचियां (नेपाल) तक इन तटबंधों का विस्तार करने के वास्ते लागत के अनुरूप लाभ प्रदान करने वाली स्कीम की सिफ़ारिश करेगा।

एयर इंडिया को रायल्टी का भुगतान

8057. श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या एयर इंडिया कुछ अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपनी विमान सेवाएं चलाने के बजाय अन्य अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों से रायल्टी वसूलती है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एयर इंडिया की रायल्टी का भुगतान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय विमान कम्पनियों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) ऐसी वाणिज्यिक व्यवस्था में शामिल होना एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी है जहां किसी एक देश की राष्ट्रीय एयरलाइन्स ऐसे किसी दूसरे देश के लिये सेवा का परिचालन करती है जो उस प्रश्नगत देश के लिए परिचालन नहीं करता। एयर इंडिया, विमान बेड़ा संबंधी अवरोधों तथा वाणिज्यिक कारणों से विदेशों में अपने यातायात अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं कर पाता है। उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1991–92 के दौरान एयर इंडिया को रायल्टी के रूप में 17 करोड़ रुपये की अनुमानित आय हुई है। जिन विदेशी एयर-लाइनों से रायल्टी प्राप्त होने की आशा है, वे हैं, एरोफ्लोट, इथोपियन एयरलाइन्स, चेकोस्लोवाकिया एयरलाइन्स, सबीना (बेल्जियम एयरलाइन्स), सीरियन एयर, विमान बंगलादेश, लॉट पोलिश, तुर्की एयरलाइन्स, इजिप्ट एयर, रायल जोर्डेनियन कुवैत एयरवेज, और तरोम (रोमानियन एयरलाइन)।

भारत पर्यटन विकास निगम को संसाधनों की कमी

8058. श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम को विगत दो वर्षों से अभी तक संसाधनों की अत्यधिक कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया)

(क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम की लाभप्रदता को विगत 2 वर्षों में धक्का पहुंचा है जिसके कारण हैं—खाड़ी युद्ध और उसके दुष्परिणाम, देश के कुछ भागों में आन्तरिक गड़-बड़ी होना, कुछ देशों द्वारा यह घोषित करते हुए पर्यटन परामर्शिकाएं जारी करना कि भारत असुरक्षित गंतव्य है, भूतपूर्व सोवियत संघ की घटनाएं आदि।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अपने वित्तीय निष्पादन को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों में अन्य कदमों के साथ-साथ उत्पाद सुधार, व्यय पर नियंत्रण, विशेष पैकेज टूअर्स, छूट द्वारा प्रोत्साहन विपणन एवं आरक्षण समझौते शामिल हैं।

टेलीविजन के विज्ञापन

8059. श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनों का जनता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) दूरदर्शन द्वारा देश में टी० वी० विज्ञापनों के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करने का कार्य मीडिया के एक पेशेवर समूह को सौंपा गया है। यह कार्य दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला चरण दिल्ली तक सीमित है और दूसरे चरण में देश के अन्य भाग आयेंगे।

[हिन्दी] हिन्दी फीचर फिल्मों का दूरदर्शन प्रसारण

8060. श्री भीम सिंह पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) धार्मिक और सामाजिक हिन्दी फीचर फ़िल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों के प्रसारण के क्या मानदण्ड है और उनकी प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है ;

(ख) 1992–93 के दौरान दिखाई जाने वाली धार्मिक और सामाजिक हिन्दी फ़ीचर फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार बुद्ध धर्म से संबंधित धारावाहिकों और फीचर फिल्मों के प्रसारण का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) नीति के तौर पर दूरदर्शन द्वारा केवल धार्मिक विषय वस्तु वाले कार्यक्रम प्रसारित नहीं किए जाते। लेकिन दूरदर्शन का यह प्रयास रहता है कि सार्वभौमिक मूल्यों सुस्थापित परम्पराओं और विरासत, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयों पर हिन्दी फीचर फिल्मों, धारावाहिकों और कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं और धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता और साम्प्रदायिक सौहार्द को ऊंचा उठाया जाए।

(ख) फीचर फिल्मों और धारावाहिकों का वास्तविक प्रसारण, समय-समय पर दूरदर्शन की कार्यक्रम अपेक्षाओं पर निर्भर करता है। पूरे वर्ष के लिए कार्यक्रमों की अग्रिम सूची तैयार नहीं की जाती।

(ग) और (घ) यदि बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों पर आधारित धारावाहिक और फीचर फिल्मों का प्रसारण के लिए प्रस्ताव किया जाता है तो दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के निर्मल मंडल में कम शक्ति वाला टी० वी० प्रसारण केन्द्र

8061. **श्री ए० इन्द्रकरण रेड्डी :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि —

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले में निर्मल मंडल के लिये एक कम शक्ति वाले प्रसारण केन्द्र की मंजूरी दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी और इस वित्तीय वर्ष में इसके लिए कितना धन दिये जाने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) दूरदर्शन की 1992–93 की वार्षिक योजना में आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले के निर्मल मंडल में एक अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है। ऐसे ट्रांसमीटरों की स्थापना में स्कीम का औपचारिक अनुमोदन कर दिए जाने के बाद इसे पूरा होने में करीब 1 1/2 साल का समय लग जाता है। दूरदर्शन के 1992–93 के वार्षिक बजट अनुमान में, अन्य योजनाओं के साथ-साथ देश में नए अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के लिए 120 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

डा० अम्बेडकर पर डाक टिकट

8062. **श्री रोशन लाल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार को संविधान निर्माता के रूप में डा० बी० आर० अम्बेडकर के सम्मान में संविधान दिवस की पूर्व संध्या अर्थात् 26 नवम्बर 1992 को एक स्मारक डाक टिकट जारी करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू):

(क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन

8063. श्री रविराय :

श्री शनत कुमार मंडल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या अप्रैल 1992 के प्रथम सप्ताह में राज्य विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और सम्मेलन में क्या निर्णय लिए गए,

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी हां।

(ख) उक्त सम्मेलन का आयोजन 8वीं योजना के प्रारम्भ के सन्दर्भ में किया गया था और इसमें विद्युत क्षेत्र के सामने आ रही समस्याओं के बारे में विचार किया गया था तथा विचार-विमर्श के दौरान राज्य बिजली बोर्डों एवं समग्र विद्युत क्षेत्र के कार्य निष्पादन एवं प्रबन्धन में सुधार किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। सम्मेलन में कोयले की सप्लाई एवं ढुलाई पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी स्वीकृति से सम्बन्धित समस्याओं पर चिन्ता प्रकट की गई थी और जल विद्युत के भाग को बढ़ाए जाने पर बल दिया गया था।

सम्मेलन में निम्नलिखित चार संकल्प पारित किए गए थे : के आधार

1. राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उपयुक्त वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर कार्य किया जाना और विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 में निर्धारित किए अनुसार 3 प्रतिशत वार्षिक सांविधिक न्यूनतम लाभांश अर्जित किया जाना।
2. फिलहाल न्यूनतम राष्ट्रीय कृषि टैरिफ 50 पैसे प्रति कि० वा० आवर निर्धारित किया जाना।
3. राष्ट्रीय टैरिफ बोर्ड एवं क्षेत्रीय टैरिफ बोर्ड की अविलम्ब स्थापना किया जाना।
4. जल विद्युत विकास को उच्च प्राथमिकता दिया जाना और अगले दशक के दौरान 25000 मे० वा० जल विद्युत क्षमता जोड़ा जाना ताकि जल विद्युत ताप विद्युत अनुपात में सुधार किया जा सके और प्रतिष्ठापित क्षमता का अधिकतम समुपयोजन किया जा सके एवं विद्युत प्रणालियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके।

(ग) सम्मेलन में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा ।

राजकोट में नारवी में कम शक्ति का ट्रांसमीटर

8064. **श्री शिवलाल नागर्जीभाई केकरिया :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के राजकोट जिले में नारवी में एक कम शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमिशन केन्द्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास)

(क) और (ख) जी हां, गुजरात के राजकोट जिले में नारवी में एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है । वर्तमान संकेतों के अनुसार इस ट्रांसमीटर के 1993–94 के दौरान चालू होने की संभावना है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

उड़ीसा में टेलीफोन प्रणाली

8065. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज और बालासौर जिलों में दूरसंचार प्रणाली के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी, हां।

(ख) 1992 के दौरान उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिले में दूरसंचार सेवाओं संबंधी कुल मिलाकर 4 शिकायतें प्राप्त हुई । ब्यौरे विवरण 'क' में दिए गए हैं ।

(ग) की गई आवश्यक निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई के ब्यौरे विवरण "ख" में दिए गए हैं ।

विवरण 'क'

उड़ीसा के बालासौर और मयूरभंज जिलों में दूरसंचार सेवाओं संबंधी शिकायतें

1. बेटनोटी में टेलीफोन काम न करने और तारों के विलम्ब से प्राप्त होने के संबंध में माननीय संसद सदस्य डा० कार्तिकेश्वर पात्र की शिकायत ।

2. चांद बल्ली स्थित टेलीफ़ोन एक्सचेंज में गड़बड़ी के संबंध में चांद बल्ली के उपभोक्ताओं की शिकायत ।

3. बार एसोशिएशन, करांजिया द्वारा करांजिया एक्सचेंज प्रणाली की शिकायत ।

4. जमसोला एक्सचेंज के उपभोक्ताओं द्वारा जमसोला स्थित टेलीफ़ोन प्रणाली की शिकायत ।

विवरण 'ख'

की गई आवश्यक निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

शिकायत संख्या 1 :

मयूरगंज में बेटनोटो और बोईसिंगा एक्सचेंजों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदल दिया गया है । दोनों एक्सचेंजों में लगभग 30 किमी० तक ओपन वायर प्रणाली की ट्रंक लाइनें हैं । लाइनों का सही ढंग से रख-रखाव किया गया है और अब ये एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

शिकायत संख्या 2 :

चांदबल्ली एक्सचेंज को 128 पोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सी-डाट एक्सचेंज में बदल दिया गया है । इस एक्सचेंज में 54 किमी० तक ओपन वायर की ट्रंक लाइनें हैं। इन लाइनों का सही ढंग से रख-रखाव किया गया है और ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है । नवम्बर 1992 से एस० टी० डी० सुविधा शुरू कर दी गई है और 1992–93 के दौरान बालासौर और चांदबल्ली के बीच रेडियो मीडिया की व्यवस्था करने का भी कार्यक्रम है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो। भद्रक और चांदबल्ली के बीच तार सेवाओं को फ़िर से सक्रिय कर दिया गया है ।

शिकायत संख्या 3 :

करांजिया एफ इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज है । एक्सचेंज क्षमता में विस्तार किया गया है। इस वर्ष एस० टी० डी० प्रदान करने का कार्यक्रम है । 1992–93 के दौरान करांजिया और कियोंझर के बीच रेडियो मीडिया की व्यवस्था करने का कार्यक्रम है ।

शिकायत संख्या 4 :

यह एक छोटा एम ए एक्स III एक्सचेंज है जिसमें 42 कि० मी० तक ट्रंक लाइनें हैं। 1992–93 के दौरान इस एक्सचेंज को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज में बदले जाने का कार्यक्रम है । 8वीं योजना के दौरान रेडियो मीडिया शुरू करके जमसोला से बारीपाडा तक मीडिया में सुधार करने का भी कार्यक्रम है।

"सिरकारमा" का निर्माण

8066. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार डिज्नी वर्ल्ड (अमरीका) की भांति देश में पर्यटक स्थलों को दर्शाने हेतु दिल्ली में "सिरकारमा" (360 थियेटर) का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय पर्यटन विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

छोटे और बड़े समाचार-पत्रों को विज्ञापन

8067. **श्री मानवेन्द्र शाह :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार छोटे और बड़े समाचार-पत्रों को 60:40 के अनुपात में विज्ञापन देती है ;

(ख) यदि हां, तो छोटे और बड़े समाचार-पत्रों को कितने विज्ञापन दिये गये तथा इसका अनुपात क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों को छोटे और बड़े समाचार-पत्रों की श्रेणियों में वर्गीकरण के लिए परिचालन मानदण्ड में हाल में परिवर्तन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) जी नहीं । छोटे, मझौले तथा बड़े समाचार पत्रों की श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए प्रसार मानदंडों की अंतिम पुनरीक्षा 1-4-89 से की गयी थी जो निम्नानुसार है :—

छोटे समाचार पत्र	25,000 प्रतियां तक
मझौले समाचार पत्र	25,000 से अधिक और 75,000 प्रतियों तक
बड़े समाचार पत्र	75,000 प्रतियों से अधिक ।

[हिन्दी]

गुजरात में सौर ऊर्जा

8068. **श्री चन्दू भाई देशमुख :**

क्या **विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने गुजरात में सौर उर्जा के उत्पादन हेतु कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना में शामिल किए गए गांवों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग के प्रदर्शन तथा विस्तार कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रकाश व्यवस्था जल पम्पन, जल गरम करने, खाना पकाने और विद्युत उत्पादन जैसे विभिन्न प्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा प्रणालियां गुजरात सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगाई गई है । ऐसी लगभग 22000 प्रणालियां गुजरात के विभिन्न जिलों के अनेक गांवों में लगाई गई है जिसमें 400 अविद्युतीकृत गांवों/पूरवों में लगाई गई लगभग 1500 सौर प्रकाश वोल्टीय सड़क प्रकाश प्रणालियां शामिल हैं ।

[अनुवाद]

अंतर्राष्ट्रीय किरायों का विनियंत्रण

8069. श्री गुरुदास कामत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या देश से उड़ान पर मर रही अन्तराष्ट्रीय एयरलाइन्स ने अंतराष्ट्रीय वायु सेवा किरायों के विनियंत्रण का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पवन विद्युत संयंत्र

8070. डा० आर० मल्लू :

क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गुजरात में हाल ही में किसी पवन विद्युत संयंत्र को चालू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश में पहले से कार्य कर रहे पवन विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री

(श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) जी, हां । गुजरात स्थित लाम्बा में स्थापित 10 मे० वा० की पवन फार्म परियोजना 24 सितम्बर 1991 को राष्ट्र को समर्पित की गई थी ।

(ग) और (घ) देश में कुल 40 मे० वा० पवन विद्युत क्षमता स्थापित की गई है। राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

तमिलनाडु	20.94 मे० वा०
गुजरात	14.74 मे० वा०
महाराष्ट्र	1.19 मे० वा०
उड़ीसा	1.19 मे० वा०
मध्य प्रदेश	0.64 मे० वा०
आन्ध्र प्रदेश	0.55 मे० वा०
कर्नाटक	0.55 मे० वा०
गोवा	0.11 मे० वा०
केरल	0.10 मे० वा०

इसके अलावा, कुल 22.17 मे० वा० क्षमता की पवन विद्युत परियोजनाएं इस समय उपर्युक्त राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं। आठवीं योजना के दौरान जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है, पवन विद्युत उत्पादन क्षमता में 400 मे० वा० की वृद्धि के लिए प्रस्ताव भी किए गए हैं। स्थापना के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से बढ़े हुए मूल्यह्रास, उत्पाद-शुल्क छूट, और पवन विद्युत जनरेटरों के चरणबद्ध विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट संघटकों पर सीमा शुल्क में छूट जैसे कर सम्बन्धी लाभों को उपलब्ध करके पवन विद्युत उत्पादन में गैर सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के जरिए निजी उद्यमियों को ब्याज की रियायती दर पर ऋण भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

कतिपय राज्य बिजली बोर्ड गैर-सरकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पन्न ऊर्जा के चक्रण और संचय तथा उचित दरों पर अधिशेष ऊर्जा की खरीद जैसी विभिन्न सुविधाएं दे रहे हैं। अतः उद्योग राज्य में किसी पवन वेग वाले स्थल पर पवन विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं और मामूली संचरण प्रभारों को काटने के बाद अपने विकल्प के किसी स्थान पर उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा को कतिपय अवधि के लिए ग्रिड में संचय भी किया जा सकता है और उसे बाद में परिहार्य लागत पर बिल समायोजन के साथ लिया जा सकता है। कुछ राज्य पूंजीगत आर्थिक सहायता और बिक्रीकर से छूट भी देते हैं।

संसद सदस्यों के कोटा से बिहार में टेलीफोन कनेक्शन्स

8071. श्री कड़िया मुण्डा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारासिफारिश किए गए टेलीफोन कनेक्शनस के अनेक मामले मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार मण्डल बिहार के पास लंबित पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन टेलीफ़ोन कनेक्शन्स को जारी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी नहीं, संसद सदस्यों के कोटे से बिना बारी के आधार पर दिए गए टेलीफोन कनेक्शन लगाने की कार्रवाई शीघ्रता से करने के लिए पहले ही अनुदेश जारी किए जा चुके हैं और एम टी एन एल और बिहार सर्किल सहित देश के सभी दूरसंचार सर्किलों द्वारा इन अनुदेशों के अनुपालन के लिए हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार में, 13-4-92 की स्थिति के अनुसार संसद सदस्यों के कोटे से दिए गए 173 टेलीफोन कनेक्शन अभी लगाए जाने हैं जिन्हें शीघ्र लगाए जाने की कार्रवाई चल रही है।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा प्रस्तुत गैस टर्बाइन परियोजना

8072. **प्रो० के० वी० थामस :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कवास में एक गैस टर्बाइन परियोजना की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत कितनी है ;

(ग) क्या गैस की अनुपलब्धता के कारण यह परियोजना बेकार पड़ी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ।

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राव) : (क) और (ख) जी, हां। कवास में 650 मे० वा० की एक संयुक्त साइकिल गैस आधारित परियोजना स्वीकृत की गई है। जिसका कार्यान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाना है । 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत 1153.96 करोड़ रुपए है ।

(ग) और (घ) इस परियोजना के लिए पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 2.25 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रति दिन के प्राकृतिक गैस लिंकेज की पुष्टि की है । निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, एक गैस टर्बाइन विद्युत उत्पादन यूनिट चालू किया जा चुका है और इसके स्थिरीकरण सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। अन्य यूनिटों को भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू किए जाने की सम्भावना है । अब तक की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त चालू किए गए यूनिट के लिए गैस की उपलब्धता के मामले में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आई है ।

मद्रास और कलकत्ता में टेलीफोन डायरेक्टरियां

8073. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बंगलौर के टेलीफोन अधिकारी नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरियों को निर्धारित समय से प्रकाशित नहीं करा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नवीनतम टेलीफोन डायरेक्टरियों के प्रकाशन कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) जी नहीं, यद्यपि बम्बई टेलीफोन डायरेक्टरी के प्रकाशन में कुछ देर हुई है फिर भी इसे हाल ही में प्रकाशित कर दिया है और 26-2-92 से वितरण किया जा रहा है। मद्रास और बेंगलूर टेलीफ़ोन डायरेक्टरियां समय से प्रकाशित कर दी गई थीं। तथापि कलकत्ता टेलीफोन डायरेक्टरी के मामले में इसके प्रकाशन के लिए अनुबंधित ठेकेदार इसे छपवाने में असमर्थ रहा और इसके शीघ्र प्रकाशन के लिए ठेकेदार के साथ मामले को उठाया जा रहा है।

कर्नाटक में डाकघर भवनों व स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

8074. **श्री एस० बी० सिदनाल :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में जिलावार कितने डाकघर भवन व स्टाफ क्वार्टर मौजूदा हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में डाकघर भवनों व स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ जिलावार कितनी धनराशि का नियतन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) कर्नाटक में डाकघर भवनों और स्टाफ क्वार्टरों की जिलावार संख्या विवरण-I में दी गई है ।

(ख) जी हां ।

(ग) 1992-93 के दौरान धनराशि आदि उपलब्ध होने पर जिलावार जितने डाकघरों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना है, उनकी संख्या विवरण-II में दी गई है ।

इस प्रयोजन के लिए धनराशि के आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण–I

कर्नाटक में डाकघर भवनों (विभागीय) और स्टाफ क्वार्टरों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	डाकघर भवनों की संख्या	स्टाफ़ क्वार्टरों की संख्या
1.	बेंगलूर (शहरी)	47	250
2.	बेंगलूर (ग्रामीण)	10	13
3.	बेलगांव	14	92
4.	बेल्लारी	7	15
5.	बीदर	7	31
6.	बीजापुर	22	52
7.	चित्रदुर्ग	9	97
8.	चिकमंगलूर	10	37
9.	धारवाड़	22	81
10.	दक्षिण कन्नड	35	67
11.	गुलबर्गा	21	42
12.	हसन	11	51
13.	कोडागू	7	20
14.	कोलार	11	20
15.	मंडया	7	—
16.	मैसूर	21	58
17.	रायचूर	17	34
18.	शिमोगा	15	74
19.	तुमकुर	11	48
20.	उत्तर कन्नड	18	100

विवरण–II

उन डाकघरों भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का ज़िलावार विवरण जिनका निर्माण कार्य मौजूदा वित्तीय वर्ष (1992–93) के दौरान शुरू होने की संभावना है।

क्रम सं०	जिले का नाम	बनाए जाने वाले डाकघर भवनों की संख्या	डाकघर का नाम	बनाए जाने वाले स्टाफ क्वार्टरों का टाइप और सं०	स्टाफ क्वार्टर जहां बनाए जाने हैं
1	2	3	4	5	6
1.	बेंगलूर (शहरी)	2	(क) बोम्मसंद्रा औद्योगिक एस्टेट उप डाकघर (ख) ऑस्टीन टाउन उप डाकघर	टाइप–I–12, II–12, III–6	बेंगलूर (शहरी)
2.	बेंगलूर (ग्रामीण)	1	हरोहल्लरी उप डाकघर	—	—
3.	बेलगांव	3	(क) बेलगांव प्रधान डाकघर (ख) तिलकवाड़ी प्रधान डाकघर (ग) हीरेकुमटी उप डाकघर	—	—
4	बेल्लारी	1	कुडालगी उप डाकघर	—	—
5.	चित्रदुर्ग	1	जगालुर उप डाकघर	टाइप–I–4, II–4, टाइप–I–6, II–6	(क) हरिहर (ख) चित्रदुर्ग
6.	चिकमंगलूर	3	(क) कोप्पा प्रधान डाकघर (ख) श्रेंगेरी उप डाकघर (ग) अलदूर उप डाकघर	—	—

1	2	3	4	5	6
7.	धारवाड़	1	गजेन्द्रगढ़ उप डाकघर	टाइप–VI–1	धारवाड़
8.	दक्षिण कन्नड	2	(क) सुलिया प्रधान डाकघर (ख) बिट्ठल उप डाकघर	टाइप–III–4	पुत्तूर
9.	कोलार	1	नन्दी उप डाकघर	—	—
10.	मंड्या	—	—	टाइप–I–6 II–6, III–6, IV–1	मंड्या
11.	मैसूर	2	(क) कोल्लेगल प्रधान डाकघर (ख) न्यू बन्नीमन्टप उप डाकघर (मैसूर)	—	—
12.	उत्तर कन्नड	3	(क) सिराय मार्कॅट उप डाकघर (ख) होन्नावर उप डाकघर (ग) गोकर्ण उप डाकघर	—	—

तमिलनाडु में लघु इस्पात संयंत्रों की स्थापना

8075. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में कुछ लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो ये संयंत्र कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) इनमें से कितने-कितने संयंत्र निजी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए जायेंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) तमिलनाडु अथवा किसी अन्य स्थान पर सरकारी क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। जुलाई, 1991 में घोषित नई औद्योगिक नीति के तहत लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है । अतः निजी/संयुक्त क्षेत्र में लघु इस्पात संयंत्र लगाने के लिए सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है बशर्ते कि संयंत्र 1991 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की सीमा से 25 कि० मी० की दूरी के अन्दर स्थित न हो ।

पंजाबी और गुजराती फीचर फिल्मों का उत्पादन

8076. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजाबी और गुजराती फ़ीचर फ़िल्मों के उत्पादन में कमी आई है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा कितनी पंजाबी और गुजराती फ़ीचर फिल्मों को प्रमाणीकृत किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) फीचर फिल्मों का निर्माण मुख्यतः निजी क्षेत्र में होता है। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रमाणित की गई पंजाबी तथा गुजराती की फिल्मों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	प्रमाणित की गई फिल्मों की कुल संख्या	
वर्ष	पंजाबी	गुजराती
1989	2	9
1990	7	14
1991	9	16

केरल में ताप और जल विद्युत एकक

8077. श्री थाइल जान अंजलोज :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार केरल में कुछ ताप और जल विद्युत संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए अन्य अन्तर्राष्ट्रीय स्रोतों से कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन टी पी सी) द्वारा केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में कायमकुलम सुपर ताप विद्युत केन्द्र चरण–I स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिसमें 210 मे० वा० के दो युनिट शामिल हैं। परियोजना की अनुमानित लागत 1145.11 करोड़ रुपये है। एन टी पी सी की कायमकुलम एवं बंगलौर परियोजनाओं तथा दामोदर घाटी निगम के मैथन दांया तट ताप विद्युत केन्द्र के लिए 770 मिलियन रूबल राशि के एक समेकित क्रेडिट के सम्बन्ध में पूर्व सोवियत संघ के साथ समझौता हुआ था। केरल में केन्द्रीय क्षेत्र में जल विद्युत परियोजना स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1992–93 के लिए 5.00 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

विमान किराये के लिए राज सहायता

8078. श्री संतोष कुमार गंगवार :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का विचार पोर्ट ब्लेयर से मुख्य भूमि तथा मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर तक इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में विमान किराए के लिए राज सहायता प्रदान करने का है ;

(ख) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) यह निर्णय लिया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स बाद में घोषित की जाने वाली तारीख से मुख्य भूमि और अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के बीच यात्रा के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रचलित किराए ढांचे की तरह, घटी दरों पर किराए का ढांचा शुरू करेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

महाराष्ट्र में सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग

8079. श्री रामचन्द्र मरोतराव धंगारे :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) 1990–91 और 1991–92 के दौरान सोयाबीन प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु महाराष्ट्र के प्रत्येक जिले से कितनी प्राइवेट पार्टियों अथवा सहकारी समितियों के आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) दिए गए लाइसेंसों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) सोयाबीन प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु वर्ष 1990–91 और 1991–92 के दौरान महाराष्ट्र से कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सोया पर आधारित उत्पादों को परिशिष्ट–III में शामिल किया गया है। जुलाई 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति की प्रेस नोट सं० 10 (1991 सीरीज) के अनुसार यह उद्योग 51 प्रतिशत तक विदेशी इक्विटी भागीदारी के विदेशी सहयोग के लिए स्वतः अनुमोदन के पात्र है। इसके अलावा सोया पर आधारित उत्पादों के लिये कुछ वित्तीय प्रोत्साहन भी प्रदान किए गए हैं।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार परियोजनाएं

8080. कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में दूरसंचार की निर्माणाधीन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं को किस वर्ष में शुरू किया गया था;

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा होने में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) वर्ष 1992–93 में कितनी परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन पटल पर रख दिया जायेगा। [हिन्दी]

मधुबनी जिला बिहार में शाखा डाकघर खोलना

8081. श्री भोगेन्द्र झा :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के मधुबनी जिले में शाखा डाकघर खोलने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर शाखा डाकघर खोलने की मंजूरी जारी की गई है :—

1. रूपौली
2. नवेशपुर
3. सपता
4. मलिन बेलहा
5. बनकरा उरेन
6. लालपुर

(ग) उपर्युक्त को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण राज्यों में जल संकट

8082. श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का दक्षिणी राज्यों में जल संकट को दूर करने के लिए क्या उपाए करने का विचार है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक राज्य को कितना-कितना जल उपलब्ध कराया जायेगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) सरकार द्वारा तैयार की गयी जल संसाधन विकास की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल के अन्तरण के

लिए प्रायद्वीपीय नदियों की वृहद नदियों के बीच तथा हिमालयी नदियों के बीच अलग-अलग अन्तर-सम्पर्कों की परिकल्पना है । उपलब्ध जल के इष्टतम उपयोग के लिए अध्ययन करने और प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जल संसाधन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को सौंपा गया है । सरकार द्वारा स्थापित कृष्णा और गोदावरी जल विवाद अधिकरणों ने अपने पंचाट पहले ही दे दिए हैं । बेसिन राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद के अधिनिर्णय के लिए जून, 1990 में एक अधिकरण का गठन किया गया है । राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने विद्यमान जल पंचाटों को ध्यान में रखकर अध्ययन शुरू किए हैं ।

गया के लिए विमान सेवा

8083. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्थित गया को विमान सेवा द्वारा कलकत्ता से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वर्तमान अवस्था में किसी नये स्टेशन को हवाई सेवा से जोड़ना संभव नहीं है ।

[अनुवाद]

कर्नाटक में खाद्य प्रसंस्करण एकक

8084. **श्री वी० कृष्णा राव :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक के कोलार जिला में खाद्य प्रसंस्करण एकक लगाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है क्योंकि इस जिला में आम और इमली पर्याप्त मात्रा में पैदा होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्य हेतु कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

[हिन्दी]

पर्यटन स्थल को विकास हेतु पट्टे पर देने का प्रस्ताव

8085. श्री देवी बक्स सिंह :
श्री राम सिंह काश्वा :
श्री बलराज पासी :
श्री छत्रपाल सिंह :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चुने हुए पर्यटन स्थल विकास हेतु गैर-सरकारी पट्टाधारियों को आवंटित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) थिनाक्कारा और चेरियान नामक दो द्वीपों को जिनका क्षेत्रफल क्रमशः लगभग 41.8 हेक्टेयर और 45.5 हेक्टेयर है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी प्रस्तावों के आधार पर दीर्घकालिक पट्टे पर देने का विचार है ताकि पर्यटक विहार-स्थलों का विकास किया जा सके।

बिहार के डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा

8086. श्री नवल किशोर राय :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में ऐसे कितने डाकघर/उप-डाकघर हैं जहां सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन सभी डाकघरों/उप-डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 29-2-92 की स्थिति के अनुसार बिहार के 7921 डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा नहीं है।

(ख) और (ग) सभी डाकघरों में सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते समय सार्वजनिक स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है जिसमें डाकघर भी शामिल होते हैं।

[अनुवाद]

केरल में स्वर्ण और लौह अयस्क भंडार

8087. श्री वी० एस० विजयराघवन :

क्या **खान** मंत्री 25 जुलाई 1991 के अंतारांकित प्रश्न संख्या 599 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन क्षेत्रों के आर्थिक दोहन के लिये कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया गया है जहां स्वर्ण और लौह अयस्क के भंडारों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :(क) और (ख) खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ने मरूदा स्वर्ण निक्षेपों का विस्तृत गवेषण किए जाने की योजना बनाई है।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा लौह अयस्क भंडारों के गवेषण आंकड़ों का अध्ययन किया गया है और पूर्व-साध्यता रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो केरल राज्य सरकार के विचाराधीन है।

सातवीं योजना में भारतीय विद्युत ग्रिड

8088. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान भारतीय विद्युत ग्रिड में एक मैगावाट विद्युत क्षमता की वृद्धि करने पर कितनी औसत लागत आई ;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रति मैगावाट कितनी औसत लागत आने का अनुमान है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र में निवेश लागत में कमी करने के लिए क्या दीर्घकालिक उपाय और नीतियां अपनाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में वायुदूत सेवाओं का स्थगित किया जाना

8089. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

श्री विलासराव भागनाथराव गूंडेवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन स्थानों में वायुदूत सेवाओं को स्थगित कर दिया गया है और उसके क्या कारण हैं, और

(ख) मुख्य कस्बों में वायुदूत सेवाओं को पुनः चालू करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से, जबलपुर, खजुराहो, भोपाल, रीवा, सतना, गुना, बिलासपुर, जगदलपुर, रायपुर, ग्वालियर और इन्दौर के लिए वायुदूत की सेवाएं बन्द कर दी गई थीं। इन्हीं कारणों से इस समय वायुदूत की इन स्टेशनों को सेवाओं को आरम्भ करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं जुटाना.

8090. श्री मोहन सिंह :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सड़क से यात्रा करने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, रात में यात्रा करने वालों को अधिकाधिक संख्या में आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों के लिए सड़क के किनारे सुविधा युक्त मोटल स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऐसे मोटलों की स्थापना करने हेतु सरकार का क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, हां। जल भूतल परिवहन मंत्रालय की राष्ट्रीय राजमार्गों पर मार्गस्थ सुविधाओं का निर्माण करने के लिए एक स्कीम है जिसके तहत निजी उद्यमियों को पेट्रोल तथा डीज़ल रिटेल आउटलेट्स जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

तमिलनाडु में पर्यटन का विकास

8091. श्री के० वी० तंगकाबालू :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु सरकार से राज्य में पर्यटन के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुए और केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की जा रही है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1991–92 के दौरान तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त दस परियोजना प्रस्तावों में से, 74.04 लाख रुपये की राशि की आठ परियोजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं। तथापि 1991–92 के दौरान दो प्रस्ताव यथा उधगमण्डलम में पर्यटक स्वागत केन्द्र तथा कोडाइकनाल में पर्यटक कुटीरें राज्य सरकार से पूरे परियोजना प्रस्ताव नहीं मिलने की वजह से स्वीकृत नहीं किए जा सके। राज्य सरकार से अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

तमिलनाडु विद्युत बोर्ड द्वारा कोयले का आयात

8092. श्री पी० ईश्वराजन :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु बिजली बोर्ड के प्रत्येक ताप विद्युत संयंत्र के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रति वर्ष, संयंत्र-वार, कितने कोयले की आवश्यकता थी ;

(ख) क्या बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से अन्य देशों से कोयले का आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1989–90 से 1991–92 तक की अवधि के दौरान तमिलनाडु बिजली बोर्ड के ताप विद्युत केन्द्रों हेतु कोयले की आवश्यकता का संयंत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

विद्युत केन्द्र का नाम एवं वर्ष		आवश्यकता (हजार टन में)
एन्नौर	1989–90	1940
	1990–91	2166
	1991–92	2145
मेत्तूर	1989–90	2755
	1990–91	3160
	1991–92	3550
तूतीकोरिन	1989–90	2866
	1990–91	3206
	1991–92	3578

(ख) से (घ) तमिलनाडु बिजली बोर्ड द्वारा कोयले का आयात किए जाने की मंशा इंगित की गई है। कोयले का आयात, ओपन जनरल लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के तहत किया जा सकता है ।

टेलीविजन पत्रकारिता प्रस्ताव

8093. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री बलराज पासी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में टेलीविजन पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1992-93 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में, टेलीविजन, पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

[हिन्दी]

भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा विदेशों में रेस्तरां खोलना

8094. **श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राजेश कुमार :

श्रीमती शीला गौतम :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम का विचार फ्रांस, ब्रिटेन, अमरीका और खाड़ी देशों में रेस्तरां खोलने का है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई बाजार सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम की वार्षिक योजना, 1992-93 में विदेशों में रेस्तराओं की स्थापना करने के लिए कोई विशिष्ट स्कीम शामिल नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन

8095. **श्री भवानी लाल वर्मा :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1995 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक टेलीफोन देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के बिलासपुर जिले में ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जहां 19 फरवरी, 1992 तक सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है और कितने शेष बचे हैं तथा वहां उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ग) टेलीफोन लगाने तथा कालों के लिये धन–राशि के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां, संसाधन उपलब्ध होने पर 31 मार्च 1995 तक।

(ख) मध्य प्रदेश में अब तक 324 ग्राम पंचायतों को यह सुविधा प्रदान की गई है और संसाधन उपलब्ध होने पर शेष 1112 ग्राम पंचायतों में 31–3–1995 तक सार्वजनिक टेलीफोन लगा दिए जाएंगे ।

(ग) 8वीं योजना के उद्देश्यों के अनुसार ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है चाहे विभाग को कोई लाभ हो या न हो । कालों का भुगतान प्रचलित टैरिफ ढांचे के अनुसार किया जाता है ।

[हिन्दी]

दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

8096. **श्री बी० एल० शर्मा प्रेम :**
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :
श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
प्रो० रीता वर्मा :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री बलराज पासी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र कार्यरत है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में और दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो कहां–कहां पर और इन पर कितना व्यय होने की सम्भावना है; और

(घ) ये केन्द्र कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) देश में कार्यरत दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों और उन केन्द्रों का राज्यवार जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है ।

(ख) और (ग) उन स्थानों के नाम जहां सातवीं योजना की स्कीमों के भाग के रूप में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं, स्थापित किए जाने की योजना है और जिनके आठवीं योजना के दौरान चालू हो जाने की आशा है, अनुमोदित परियोजना लागत सहित विवरण–I में दिए गए हैं ।

(घ) विवरण–II में उल्लिखित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र स्थापना कार्य पूरा होते और वहां पर कार्यक्रम निर्माण/प्रचालन और रखरखाव के लिए अपेक्षित स्टाफ के तैनात होते ही चालू कर दिये जाएंगे ।

विवरण—I

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	इस समय कार्यरत दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की संख्या	उन दूरदर्शन कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों की संख्या जिनके लिए अपस्थापना कार्य पूरा कर लिया गया है
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	–
2.	असम	1	2
3.	बिहार	2	1
4.	गुजरात	2	—
5.	जम्मू और कश्मीर	1	—
6.	कर्नाटक	1	1
7.	केरल	1	—
8.	मध्य प्रदेश	—	2
9.	महाराष्ट्र	2	—
10.	मणिपुर	—	1
11.	मेघालय	—	2
12.	नागालैण्ड	—	1
13.	उड़ीसा	1	—
14.	पांडिचेरी	—	1
15.	पंजाब	1	—
16.	राजस्थान	1	—
17.	तमिलनाडु	1	—
18.	त्रिपुरा	—	1
19.	उत्तर प्रदेश	2	—
20.	पश्चिम बंगाल	1	—
21.	गोवा	1	—
22.	दिल्ली	1*	—
		20	12

*केन्द्रीय निर्माण केन्द्र दिल्ली को छोड़कर ।

विवरण–II

सातवीं योजना के भाग के रूप में कार्यान्वयनाधीन/लगाये जाने के लिए परिकल्पित कार्यक्रम निर्माण केन्द्र

कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थिति	अनुमोदित लागत (रु० लाख में)
1. विजयवाड़ा	लागत अनुमोदित की जानी है ।
2. ईटानगर	470.90 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
3. डाल्टनगंज	686.00 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
4. हिसार	लागत अनुमोदित की जानी है ।
5. शिमला	1332.30 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
6. जम्मू	606.90
7. ऐजवाल	477.00 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
8. भुवनेश्वर	1572.79
9. गंगटोक	388.45 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
10. इलाहाबाद	लागत अनुमोदित की जानी है।
11. बरेली	630.24 (ट्रांसमीटर की लागत सहित)
12. सिलीगुड़ी	221.70
13. पोर्टब्लेयर	467.65
14. चण्डीगढ़	156.50

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्यों को आवंटित धनराशि

8097. कुमारी कुडुमुला पद्ममश्री :

श्री रामकृष्ण कोतासा :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 में विभिन्न राज्यों की कितनी धनराशि आवंटित की गई थी; और

(ख) कृषि कार्यक्रम की विशेष परियोजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 1991 तक कितने पम्प सैटों को विद्युत सप्लाई की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) ग्राम विद्युतीकरण निगम के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 के दौरान विभिन्न राज्यों को आवंटित निधियां दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार मार्च, 1991 के अन्त तक देश में कुल मिलाकर 89 09. 110 पम्पसैटों का ऊर्जन किया गया है जिनमें विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊर्जित पम्पसैट शामिल हैं।

विवरण

वर्ष 1991–92 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण निगम (सामान्य) कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय आवंटन का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	(लाख रुपये)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	170
2.	अरुणाचल प्रदेश	80
3.	असम	50
4.	बिहार	400
5.	गोवा	20
6.	गुजरात	860
7.	हरियाणा	900
8.	हिमाचल प्रदेश	170
9.	जम्मू व कश्मीर	60
10.	कर्नाटक	1500
11.	केरल	430
12.	मध्य प्रदेश	3010
13.	महाराष्ट्र	1000
14.	मणिपुर	130
15.	मेघालय	50
16.	मिजोरम	0
17.	नागालैण्ड	85
18.	उड़ीसा	1560
19.	पंजाब	860
20.	राजस्थान	1000
21.	सिक्किम	215
22.	तमिलनाडु	530
23.	त्रिपुरा	355
24.	उत्तर प्रदेश	1065
25.	प० बंगाल	1000
	जोड़ :	15500

ताप विद्युत परियोजनायें

8098. श्री एम० जी० रेड्डी :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने मार्च, 1991 तक कितनी ताप विद्युत परियोजनाओं का काम पूरा किया;

(ख) इन परियोजनाओं की मूल लागत तथा संशोधित लागत कितनी थी;

(ग) लागत और समय में वृद्धि किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) समय अन्तराल को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय)

(क) से (ग) एन० टी०पी० सी० द्वारा मार्च, 1991 तक पूरी की गई ताप विद्युत परियोजनाओं, उनको पूरा किए जाने सम्बन्धी निर्धारित कार्यक्रम एवं उनके पूरा होने की वास्तविक तारीखें और जहां लागू हो समय में वृद्धि आदि से सम्बन्धित ब्यौरा विवरण–1 में दिया गया है। इन परियोजनाओं की यथा अनुमोदित मूल लागत और संशोधित अनुमानित लागत तथा लागत में वृद्धि के प्रमुख कारणों का ब्यौरा विवरण–2 में दिया गया है।

(घ) स्थानीय प्रशासन/राज्य सरकार की सहायता से औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित समस्याओं पर नियंत्रण पा लिया गया था। उपस्करों की गैर–क्रमवार/विलम्ब से आपूर्ति सम्बन्धी मामलों के बारे में ठेकेदारों के साथ उच्चतम स्तर पर कार्यवाही की गई थी ताकि इनकी आपूर्ति शीघ्र हो सके।

विवरण–I

मार्च, 1991 तक पूरी की गई एन० टी० पी० सी० की ताप विद्युत परियोजनायें

क्रम सं०	परियोजना/चरण	क्षमता (मे० वा०)	पूरा किये जाने की तारीख		अभ्युक्ति/समय में वृद्धि के कारण
			पूर्व निर्धारित	वास्तविक	
1	2	3	4	5	6
1.	सिंगरौली एस० टी० पी० पी०	2000	1/88	11/87	निर्धारित कार्यक्रम से पहले
2.	कोरबा एस० टी० पी० पी०	2100	8/89	2/89	निर्धारित कार्यक्रम से पहले
3.	रामागुण्डम एस० टी० पी० पी०	2100	7/90	10/89	निर्धारित कार्यक्रम से पहले
4.	फरक्का एस० टी० पी० पी० चरण–1	600	5/86	8/87	कार्यस्थल पर औद्योगिक सम्बन्ध से संबंधित समस्यायें
5.	विन्ध्याचल एस० टी० पी० पी० चरण–1	1260	12/89	1/91	पूर्व यू०एस०एस०आर० से आपूर्ति में विलम्ब एवं गैर क्रमवार आपूर्ति और कायस्थल पर ठेकेदारो को औद्योगिक सम्बन्ध से संबंधित समस्यायें।
6.	रिहन्द एस० टी० पी० पी० चरण–1	1000	6/88	7/89	मुख्य संयंत्र टर्न की ठेकेदार मैसर्स एन० ई० आई यू० के० (एन० ई० आई०) द्वारा आपूर्ति में विलम्ब होना, ढुलाई के दौरान उपस्कर का समुद्र में खो जाना, परियोजना के लिय सामग्री ला रहे मैसर्स सिंधिया शिपिंग के जहाज को जब्त किया जाना और स्थानीय उत्थापन ठेकों को अन्तिम रूप दिये जाने में एन० ई० आई द्वारा विलम्ब।
7.	अन्ता गैस विद्युत परियोजना चरण–1	413	8/90	3/90	निर्धारित कायक्रम से पहले
8.	औरैया गैस विद्युत परियोजना चरण–1	652	1/91	6/90	निर्धारित कार्यक्रम से पहले

विवरण-II

एन० टी० पी० सी० द्वारा मार्च, 1991 तक पूरी की गई ताप विद्युत परियोजनाओं की मूल एवं संशोधित लागत

क्रम सं०	परियोजना/चरण	मूल अनुमोदित लागत आधार तारीख (करोड़ रु० में)	संशोधित अनुमानित लागत आधार तारीख (करोड़ रुपये में)
(1)	सिंगरौली एस० टी० पी० पी०	750.03 (1976 की प्रथम तिमाही) (1976 की दूसरी तिमाही)	1118.88* (1987 की दूसरी तिमाही)
(2)	कोरबा एस० टी० पी० पी०	908.77 (1977 की प्रथम तिमाही) (1979 की प्रथम तिमाही)	1625.25* (1969 की तीसरी तिमाही)
(3)	रामागुण्डम एस० टी० पी० पी०	961.03 (1977 की प्रथम तिमाही) (1981 की प्रथम तिमाही)	1674.62* (1989 की तीसरी तिमाही)
(4)	फरक्का एस० टी० पी० पी० चरण-1	290.63 (1978 की प्रथम तिमाही)	689.75* (1990 की प्रथम तिमाही)
(5)	विन्ध्याचल एस० टी० पी० पी० चरण-1	911.57 (1981 की प्रथम तिमाही)	1460.37* (1990 की प्रथम तिमाही)
(6)	रिहन्द एस० टी० पी० पी० चरण-1	1033.00 (1982 की प्रथम तिमाही)	1688.17* (1989 की चतुथ तिमाही)
(7)	अन्ता जी० पी० पी० चरण-1	265.03 (1985 की चतुर्थ तिमाही)	356.94 (1991 की तीसरी तिमाही)
(8)	औरैया जी० पी० पी० चरण-1	371.67 (1965 की चौथी तिमाही)	595.93 (1991 की तीसरी तिमाही)

*अनुमोदित

लागत में वृद्धि के कारणों में ये शामिल हैं—कीमतों में वृद्धि होना, विनिमय दर में भिन्नता होना, विस्तृत इंजीनियरिंग के दौरान कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, करों एवं शुल्कों में परिवर्तन आदि।

[हिन्दी]

दिल्ली टेलीफोन विभाग को आवास का स्थानान्तरण

8099. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री सुखदेव पासवान :
श्री लाल बाबू राय : } : क्या संचार मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली टेलीफोन विभाग अपने पूल के आवासों का स्थानान्तरण अन्य पूलों में करने की स्वीकृति प्रदान नहीं करता है,

(ख) दिल्ली टेलीफोन विभाग में कार्यरत कितने अधिकारियों को आवास आबंटित किये गये हैं ,

(ग) ये आवास किन पूलों के हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) दिल्ली टेलीफ़ोन विभाग द्वारा अन्य विभागों से कितने आवासों का आदान – प्रदान किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) दिल्ली टेलीफ़ोन्स पूल से अन्य पूलों को आवास स्थानातरण किए जा सकते हैं।

(ख) दिल्ली टेलीफ़ोन्स में 230 अधिकारियों को आवास आबंटित किए गए हैं।

(ग) 230 क्वार्टरों में से 224 क्वार्टर दिल्ली टेलीफ़ोन पूल और 6 क्वार्टर सामान्य पूल के हैं ।

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

लक्षद्वीप में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

8100. **श्री पी० एम० सईद :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान लक्षद्वीप में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार करने का है,

(ख) यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक द्वीप को इस कार्य के लिए 1992–93 के दौरान कितनी राशि आबंट्रित की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां,

(ख) 1992–93, दौरान अमीनी चेटलट, कदामठ, मिनीकाय, कलपेनी किल्टन और कावारती स्थित टेलीफोन एक्सचेंजों का प्रत्येक में सीडॉट 128 पोर्ट की अतिरिक्त यूनिटों की संस्थापना करते हुए, विस्तार करने की योजना बनाई गई है।

इन एक्सचेंजों का और अगाती तथा अंदरोध स्थित अन्य एक्सचेंजों का और अधिक विस्तार मांग दर्ज होने और संसाधन उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्र और छोटी टेलीफ़ोन प्रणालियों में मांग करने पर वास्तविक रूप से टेलीफोन उपलब्ध कराने के आठवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदा उद्देश्य के अनुरूप विस्तार करने की योजना बनाई जायेगी।

(ग) यह अनुमान है कि 1992-93 में इन एक्सचेंजों के विस्तार के लिए करीब 77 लाख रुपये की धनराशि की अवश्यकता होगी। तथापि, वास्तविक आवंटन को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

तमिल भाषा के धारावाहिकों और फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

8011. **श्री के० तुलसिऐया वान्डायार :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क से वर्ष 1992 में अब तक तमिल भाषा के कुल कितने धारावाहिकों और फिल्मों का प्रसारण किया गया है;

(ख) क्या दूरदर्शन द्वारा तमिल फ़िल्मों और धारावाहिकों को यह महत्व नहीं दिया जाता है, जिसमें वे हकदार हैं ; और

(ग) सरकार ने दूरदर्शन पर और तमिल फ़िल्मों और धारावाहिकों के प्रसारण के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रादेशिक भाषाओं की फ़ीचर फिल्में ही प्रसारित की जाती हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय नेटवर्क पर अब तक दो तमिल फीचर फिल्में प्रसारित की गई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) दूरदर्शन के भिन्न-चैनलों पर प्रसारित होने वाली तमिल फिल्मों और धारावाहिकों की संख्या पर्याप्त समझी जाती है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण एककों हेतु नई सुविधाएं

8102. **श्री जगमीत सिंह :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार ने देश में नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने को बढ़ावा देने हेतु कुछ नई सुविधाएं प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने आठवीं पंचवीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) और (ख) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (बीयर और पेय अल्कोहल को छोड़कर) की स्थापना के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है बशर्ते वह स्थान संबंधी शर्तों को पूरा करते हों और/या तैयार की जाने वाली प्रस्तावित वस्तुएं लघु सेक्टर/सरकारी सेक्टर के लिए आरक्षित न की गई हों; औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा जारी प्रैस नोट संख्या 10(1991 सीरीज) में जैसा कि उल्लेख किया गया है दुग्ध आहारों, माल्ट युक्त आहारों और आटा आदि को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों की सूची में रखा गया है (परिशिष्ट–3) और वह विदेशी प्रौद्योगिकी करार के स्वत: अनुमोदन और 51% विदेशी इक्विटी अनुमोदन की स्वीकृति पाने के योग्य हैं । अनिवासी भारतीयों और ओवरसीज कारपोरेट निकायों को 100% तक विदेशी इक्विटी सहयोग की स्वीकृति है ।

(ग) यद्यपि आठवीं योजना के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, परन्तु यह आशा की जाती है कि उद्योग और व्यापार तथा वित्तीय नीतियों को उदार बनाने से योजना के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उद्योगों में तेजी आएगी ।

[अनुवाद]

कोका कोला द्वारा उत्पादन

8103. श्री एम० रमन्ना राय :

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला कम्पनी को देश में उत्पादन शुरू करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है;

(ख) उक्त कम्पनी द्वारा पहले अपना कारोबार बंद कर देश छोड़कर चले जाने के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने देश में लघु शीतलपेय उत्पादकों के हितों की रक्षा करने हेतु क्या कदम उठाये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) प्रसंस्कृत एक्सट्रूडेड नाश्ता आहार, प्रसंस्कृत मेवे, जल्दी खराब न होने वाले आलू-चिप्स और गैर–एल्कोहालिक पेय, बेस/सुगन्ध को तैयार करने के लिए महाराष्ट्र के एक पिछड़े जिले में "ब्रिटको फूड्स प्रा० लि०" नामक एक नई कंपनी द्वारा एक यूनिट की स्थापना के लिए 60% अनिवासी भारतीय इक्विटी शेयर वाली हांगकांग स्थित मै० जे० एम० आर० पी० कं० लि० और 40% इक्विटी वाली अमरीकी कोका कोला कम्पनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी कोका कोला साऊथ एशिया द्वारा मै० ब्रिटानिया इण्डस्ट्रीज लि०, कलकत्ता और एक महाराष्ट्र राज्य सरकार की एजेन्सी के साथ संयुक्त उद्यम के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दी है ।

(ख) कंपनी ने पहले अपना कारोबार बंद कर दिया था और देश छोड़ दिया था क्योंकि सरकार द्वारा रखी गई शर्तें उन्हें स्वीकार्य नहीं थीं ।

(ग) मृदु पेय उद्योग लाइसेंसमुक्त है और अधिक क्षमता बढ़ाने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। छोटे, लघु और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने भी 6 अगस्त, 1991 को नीति उपायों की घोषणा की है ।

आकाशवाणी से तुलु भाषा में समाचार

8104. श्री वी० धनंजय कुमार :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आकाशवाणी मंगलौर से तुलु भाषा में समाचारों का प्रसारण करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन भी प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तुलु भाषा में समाचारों का प्रसारण कब से शुरू किय जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) से (ग) हाल में, आकाशवाणी, मंगलौर से तुलू भाषा में समाचार बुलेटिन आरम्भ करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । तथापि, इस प्रकार का बुलेटिन आरम्भ करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि सम्प्रेषण की दृष्टि से इसके लिए अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती और बंगलौर से कन्नड़ के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों में कर्नाटक के सभी हिस्से कवर हो जाते हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों के वेतनमान के संबंध में मिश्रा आयोग

8105. प्रो० अशोक आनंद राव देशमुख :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को मिश्रा आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम के जिन कार्यपालकों/गैर-कार्यपालकों के वेतनमान केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न पर आधारित हैं और जिनकी नियुक्ति निगम में दिनांक

1–1–1989 से पहले हुई है, उनके वेतनमान उच्चाधिकार–प्राप्त समिति (मिश्र आयोग) की सिफारिशों के अनुसार 1–1–1986 से संशोधित कर दिए गए हैं ।

भारत पर्यटन विकास निगम में दिनांक 1–1–1989 को या उसके पश्चात नियुक्त किए गए कर्मचारियों (कार्यपालक और गैर–कार्यपालक, दोनों) को औद्योगिक महंगाई भत्ता और सम्बद्ध संशोधित वेतनमान देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

कलकत्ता तथा भुवनेश्वर से राऊरकेला के लिए दैनिक उड़ान :

8106. **कुमारी फ्रिडा तोपनो :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता तथा भुवनेश्वर से राऊरकेला के लिए दैनिक उड़ान को पुनः आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से वायुदूत को पूरे देश में अपने नेटवर्क में भारी कटौती करने के लिए विवश होना पड़ा है। मौजूदा स्थिति में राऊरकेला के लिए पुनः सेवा शुरू करना संभव नहीं है।

राज्यों के टेलीफोन बिल

8107. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**

प्रो० रीता वर्मा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92 के दौरान राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं के टेलीफोन बिलों में अनुचित वृद्धि के संबंध में अब तक प्राप्त की शिकायतों की संख्या क्या है,

(ख) इस संबंध में इनमें से प्रत्येक राज्य में दोषी पाए गए अधिकारियों की संख्या क्या है, और

(ग) भविष्य में ऐसे कदाचार रोकने के लिए क्या कदम उठाय गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) से (ग)

संबंधित फील्ड यूनिटों से जानकारी मांगी गई है और यथाशीघ्र इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

कलकत्ता टेलीफोन के अंतर्गत टेलीफोन सुविधाएं

8108. **श्री रूपचन्द पाल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता टेलीफोन के हावड़ा क्षेत्र के अंतर्गत टेलीफोन सुविधाओं में सुधार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी हां, ।

(ख) 1992–93 में हावड़ा क्षेत्र में निम्नलिखित मियाद समाप्त और घिसे पिटे स्ट्रीजर एक्सचेंजों को बदलकर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव हैं :—

— चिन्सुरा (लेवल 66 और 69)
— त्रिवेणी
— अंदुल, और
— उलबेरिया

[हिन्दी]

मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन

8109. **श्री राजवीर सिंह :**
डा० लाल बहादुर राय :
श्री पी० सी० थामस :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989–90 तथा 1990–91 के दौरान मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाईयों विभिन्न वस्तुओं का कितना-कितना उत्पादन किया गया;

(ख) इसकी आय और व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उद्योग फिलहाल घाटे में चल रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी वर्तमान इकाईयां कहां–कहां स्थित हैं और प्रत्येक एकक के घाटे को पूरा करने तथा उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

(क) आवश्यक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान आय और व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(रुपयों में)

	1989-90	1990-91
(i) आय	52,79,56,622.00	57,75,04,484.00
(ii) व्यय	52,40,68,417.00	59,18,87,037.00

(ग) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुछ यूनिटों को घाटा हुआ है जबकि कुछ यूनिटों ने मुनाफा कमाया है कुछ यूनिटों को घाटा होने के अनेक कारण हैं जैसे निवेश की लागत में वृद्धि, असंगठित सेक्टर की बढ़ी हुई प्रतियोगिताओं के कारण बिक्री में कमी, वेतन बिलों में वृद्धि आदि।

(घ) विद्यमान यूनिटों के स्थान इस प्रकार हैं :—

अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कानपुर, मद्रास, रांची, फरीदाबाद, उज्जैन और भागलपुर।

निवेश लागत को कम से कम करने, परिचालन कार्यकुशलता बढ़ाकर और यूनिटों के पुनर्गठन/स्थान बदलकर बिक्री बढ़ाने के विभिन्न प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान मार्डन फूड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का यूनिटवार उत्पादन

यूनिट का नाम	उत्पादन		
	1989-90	1990-91	यूनिट
1	2	3	4
1 बेकरी यूनिट	1855.63	1982.54	आंकड़े लाख मानक डबल रोटी में
2. एक्सट्रूडिड खाद्य संयंत्र, जयपुर	1143.575	979.08 मी० टन	

1	2	3	4
3. पेय यूनिट, फरीदाबाद			
(i) पेय सांद्रण	3737.00	2915.00	यूनिट
(ii) टूटी फूटी	10887.00	—	
4. तेल संयंत्र, उज्जैन	14734.686	11056.901	मी० टन
5. फल रस बांटलिंग संयंत्र, दिल्ली			
(i) बोतलों में पैक	364959	369522	4.8 ली० के क्रेटों की संख्या
(ii) खुला रस	55280	66798	लीटर
(iii) 200 मि० ली० की थैलियों में पैक	15888	11789	संख्या
6. फल प्रसंस्करण संयंत्र, भागलपुर	1606.21	कि० ग्राम	—
7. रोलर आटा मिल, फरीदाबाद	4767.59	2152.33	मी० टन

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

8110. **श्री राजेश कुमार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के विभिन्न उपक्रमों/बोर्डों और अन्य संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने आरक्षित पदों को अभी भरा जाना है,

(ख) ये पद कब से रिक्त हैं, और

(ग) इन पदों को भरने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :

(फ) से (ग) इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों (पिछली रिक्तियों सहित) की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन लि० में अधिशेष जनशक्ति को देखते हुए नाम मात्र की भर्ती की जा रही है। अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में यथा-संभव इन रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया। शेष रिक्तियों को भविष्य में की जाने वाली भर्तियों के दौरान भरा जाएगा।

विवरण

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या जिसे भरा जाना है	
		अ० जाति	अ० ज० जाति
1.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०	821	578
2.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	185	283
3.	मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड	3	2
4.	मेटलर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	191	111
5.	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०	32	29
6.	भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड	5	4
7.	कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड	11	27
8.	मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड	1	—
9.	स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड	2	1

उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन

8111. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने हेतु श्रेणीवार कितने फार्म पंजीकृत हैं, और

(ख) इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध करा दिए जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उड़ीसा में 31-3-92 को टेलीफोन कनेक्शनों के लिए श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची तथा टेलीफोन कनेक्शन के लिए सबसे पुरानी लंबित पंजीकृत मांग की तारीख इस प्रकार है :—

श्रेणी	प्रतीक्षा सूची	सबसे पुरानी लंबित पंजीकृत मांग की तारीख
ओ० वाई० टी०	20	16-9-1991
नान-ओ० वाई० टी० (एस)	101	15-5-1991
नान-ओ० वाई० टी० (जी)	5939	30-4-1990
योग	6060	

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची को अधिकांशतया 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि पूर्वार्द्ध में निपटा दिए जाने की आशा है।

हरियाणा और गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

8112. श्री अवतार सिंह भड़ाना :

श्री शिवलाल नागजीभाई बेकारिया :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद जिले और गुजरात के राजकोट जिले में टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने वालों की प्रतीक्षा सूची में श्रेणीवार कितने लोग हैं,

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और श्रेणीवार कितने कनेक्शन जारी किए गए, और

(ग) उक्त प्रतीक्षा सूची का कब तक निपटान किए जाने की संभावना है।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है जिसे सदन पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में टेलीफोन की देय राशि

8113. श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 तक कर्नाटक में विभिन्न प्रयोक्ताओं पर कुल कितनी देय राशि थी, और

(ख) इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) कर्नाटक में दिसम्बर, 1991 के अंत तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा कुल देय राशि इस प्रकार है :—

	रकम (हजार रुपयों में)
(i) राज्य सरकार	11866
(ii) केन्द्रीय सरकार	2486
(iii) रक्षा विभाग	6720
(iv) निजी उपभोक्ता	160104

(ख) बकाया देय राशि की वसूली करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) भुगतान नहीं किए जाने पर बिल जारी करने के 35 दिन बाद टेलीफोन कनेक्शन काट देना।

(2) बकाया राशि की नियमित रूप से पुनरीक्षा की जा रही है और देय राशि का भुगतान 6 महीने से अधिक लंबित हो जाने पर रकम की वसूली के लिए स्थायी रूप से कनेक्शन काटने, कानूनी कार्रवाई करने संबंधी कार्रवाई की जाती है।

(3) बकाया राशि का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त न होने पर उसके अन्य चालू टेलीफोनों के कनेक्शन काट देना।

(4) बकाया देय राशि की वसूली के लिए की गई कार्रवाई की पुनरीक्षा करने के लिए नियमित रूप से परिसमापन बोर्ड की बैठक और उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

देश में बायो-गैस ऊर्जा की क्षमता

8114. **श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बायो-गैस ऊर्जा की अनुमानित क्षमता क्या है ;

(ख) अब तक कितने प्रतिशत क्षमता उपयोग में लाई जा रही है ;

(ग) सरकार द्वारा कितना निवेश किया गया है और लाभभोगियों को कितनी राज सहायता दी जा रही है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में राष्ट्रीय बायो-गैस ऊर्जा परियोजना के अन्तर्गत कितने लोगों को शामिल किया जा रहा है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) देश में अगले 10-15 वर्षों के दौरान लगभग 12.0 मिलियन पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र लगाए जाने की अनुमानित संभावना है।

(ख) पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु वर्ष 1990-91 तक उपयोग की गई क्षमता लगभग 13 % है।

(ग) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान राज्य सरकारों और कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों को, लाभार्थियों को देने के लिए केन्द्रीय आर्थिक सहायता के रूप में 427.76 करोड़ रुपये सहित, कुल लगभग 489.56 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई। एक अलग कार्यक्रम के अन्तर्गत सामुदायिक और संस्थागत बायोगैस संयंत्रों के लिए वर्ष 1982-83 से 1991-92 की अवधि के दौरान कुल 28.94 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई।

(घ) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश की राज्य नोडल एजेन्सी ने वर्ष 1992-93 के दौरान अनन्तपुर जिले में लगभग 150 ग्रामीण परिवारों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।

[हिन्दी]

बिहार में कमान क्षेत्र का विकास

8115. **श्री कमला मिश्र मधुकर : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नदी जल सिंचाई विकास हेतु बिहार में कितने कमान क्षेत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों, विशेषतौर पर उत्तरी बिहार में किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गंडक, सोन, क्यूल, बदुआ, चन्दन तथा उत्तरी कोइल परियोजनाओं के कमानों के विकास के लिए चार कमान क्षेत्र विकास अभिकरण स्थापित किए गए हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वृहद/मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से सृजित और उपयोग की गयी क्षमता संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में महसूस की गई मुख्य समस्याएं बाढ़, जल निकास तथा जल जमाव की हैं। कोसी कमान में अत्यधिक गाद जमा होने से ये समस्याएं और बढ़ी हैं। कुछ भागों में अनियमित मानसून तथा सूखे की स्थितियां सामान्य विशेषताएं हैं जो सिंचाई के विस्तार के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करती हैं।

(घ) चक्रीय जल आपूर्ति (वारावन्दी) तथा किसानों की भागीदारी सहित जल प्रबन्ध पद्धतियों में सुधार करने पर बल दिया गया है। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत फील्ड चैनलों और फील्ड नालियों के निर्माण, भूमि समतलन, वारावन्दी के क्रियान्वयन जैसे आन फार्म विकास कार्यों के निष्पादन के लिए कार्यक्रम में शामिल की गयी चुनिन्दा परियोजनाओं हेतु सहायता भी उपलब्ध की जाती है, ताकि समान तथा समय पर जल आपूर्ति, अनुकूली परीक्षण और प्रबन्ध, किसान संघों को संगठित करने के लिए राजसहायता सुनिश्चित की जा सके।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में वृहद/मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं में सृजित और उपयोग की गई क्षमता

(हजार हेक्टेयर में)

वर्ष (को समाप्त)	वृहद/मध्यम परियोजना		लघु सिंचाई परियोजनाएं	
	सृजित क्षमता	उपयोग की गयी क्षमता	सृजित क्षमता	उपयोग की गयी क्षमता
1989–90	3066	2525	4428	3991
1990–91 (प्रत्याशित)	3097	2590	4608	4169
1991–92 (लक्ष्य)	3137	2640	4770	4329

मध्य प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली का विकास

8116. श्री सूरजभान सोलंकी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में टेलीफोन प्रणाली के विकासहेतु योजना को अंतिम रूप दिया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निकट भविष्य में कितनी अतिरिक्त लाइनें देने का विचार है, और कितने एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है। वैसे, विभाग की आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992—97) के मसौदे में मध्य प्रदेश टेलीफोन प्रणाली में लगभग 4 लाख स्विचिंग क्षमता जोड़ कर मध्य प्रदेश में आठवीं योजना के दौरान लगभग 3 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है। इसमें 1—4—95 तक सभी ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करना भी शामिल है।

[अनुवाद]

माही बजाज सागर परियोजना

8117. श्री अरविन्द नेताम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार बांसवाड़ा के निकट माही बजाज सागर परियोजना के द्वारों पर 0.75 फ्लैप बना रही है जिससे मध्य प्रदेश में सौ हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि पर प्रभाव पड़ेगा,

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से पूर्वानुमति ले ली है, और

(घ) यदि नहीं, तो उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने माही बजाज सागर परियोजना के द्वारों में 0.75 मीटर ऊंचा फ्लैप उपलब्ध कराया है जिससे मध्य प्रदेश में लगभग 68 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के प्रभावित होने की संभावना है

(ग) राजस्थान सरकार ने सम्पूर्ण जलाशय स्तर को ऊंचा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सहमति मांगी है लेकिन चूंकि यह सहमति नहीं दी गई है इसलिए राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त ऊंचाई तक जलाशय को नहीं भरने का निर्णय किया है।

(घ) तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री (जल संसाधन) द्वारा नई दिल्ली में 6-2-1991 को राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सिंचाई/जल संसाधन मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गयी थी। सर्वप्रथम संबंधित राज्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से विचार-विमर्श करने के केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री के सुझावों पर बैठक में सहमति व्यक्त की गयी। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि मध्य प्रदेश के मंत्री (जल संसाधन) प्रथमतः राजस्थान में अपने प्रतिस्थानी के साथ इस मुद्दे पर विचार विमर्श करना चाहेंगे।

अथरिया प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

8118. **श्री पी० जी० नारायनः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अथरिया पैनल प्रतिवेदन को लागू करने और दूरसंचार विभाग के स्थान पर सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को स्थापित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आने की संभावना है,

(ग) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड अब तक परिवर्तनीय ऋण पत्रों को जारी करने में सफल रहा है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) दूरसंचार विभाग के पुनर्गठन पर अवेय समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। समिति ने यह सिफारिश की है कि दूरसंचार विभाग को सार्वजनिक निगमों में पुनर्गठित किया जाए, अर्थात् नियंत्रक कंपनी के रूप में भारतीय दूरसंचार प्रचालन निगम 4 क्षेत्रीय निगम, जिनके मुख्यालय दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हो तथा एक लंबी दूरी का निगम जिसका मुख्यालय हैदराबाद में हो।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं। एम० टी० एन० एल० द्वारा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के मददेनजर प्रश्न नही उठता

[हिन्दी]

"स्ट्रोजर" और "क्रास-बार" एक्सों को बन्द किया जाना

8119. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार "स्ट्रोजर' और "क्रास-बार" एक्सचेंजों का निर्माण करने वाली फैक्टरियों को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू)

(क) जी नही ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सम्पर्क

8120. **श्री सूर्य नारायण यादव :**

क्या **संचार** मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1991 तक एस० टी० डी० सुविधा के द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े गए नगरों की संख्या क्या है,

(ख) क्या सरकार एस० टी० डी० सुविधा द्वारा कुछ और अधिक शहरों को दिल्ली के साथ जोड़ने का विचार रखती है,

(ग) यदि हां, तो आगामी दो वर्षों के दौरान एस० टी० डी० द्वारा दिल्ली के साथ जोड़े जाने वाले शहरों के नाम क्या हैं, और

(घ) इस पर आने वाली अनुमानित लागत कितनी है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पो० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 31-1-91 तक 946 शहरों/कस्बों को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया था। 1-2-91 से 31-3-92 के दौरान 406 शहरों को एस० टी० डी० के जरिए दिल्ली से जोड़ दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार 1-4-93 से 31-3-93 तक लगभग 600 अतिरिक्त शहरों/कस्बों को एस० टी० डी० से जोड़ने का प्रस्ताव है :

(i) जिला मुख्यालय।

(ii) तहसील/विकास खंड मुख्यालयों के समतुल्य उपमंडल मुख्यालय।

(iii) 1-4-90 की स्थिति के अनुसार 500 लाइनों और अधिक क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंज।

(iv) पर्यटन स्थल, औद्योगिक विकास केन्द्र, तीर्थ स्थान।

(v) अन्य स्वचालित एक्सचेंज, जिनका परियात के आधार पर औचित्य बनता हो और जो व्यावहार्य हों। उन कस्बों/शहरों का अभी पता नहीं लगाया गया है जिन्हें 1992-93 के दौरान एस० टी० डी० सेवा से जोड़ा जाना है।

(घ) किसी शहर को एस० टी० डी० से जोड़ने पर होने वाले व्यय को अलग से आंकलित नहीं किया जाता है। यह कार्य, ट्रंक स्वचालित एक्सचेंज चालू करने/बदलने के एक भाग के रूप में किया जाता है।

नये डाकघर खोलने के लिए निर्धारित मानदंड

8121. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नये डाकघर खोलने सम्बन्धी निर्धारित मानदंडों में कोई संशोधन करने का है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और हरदोई जिले में स्थित इन डाकघरों का ब्यौरा क्या है जिसका अधिकार क्षेत्र चार किलोमीटर या इससे अधिक है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पो० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) नये शाखा डाकघर खोलने के मानदंड दिनांक 1-4-91 से संशोधित किए गए हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर खोलने के मानदंड संशोधित करने का प्रस्ताव है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी और हरदोई जिलों में स्थित ऐसे डाकघरों के विवरण निम्नलिखित हैं :-

	लखीमपुर-खीरी	हरदोई
प्रधान डाकघर	1	2
विभागीय उप डाकघर	30	35
अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर	5	5
अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर	331	275
	367	317

एच० ओ०, डी०एस० ओ०, ई०डी० एस० ओ० और ई० डी० बी० ओ० का अर्थ क्रमशः हेड पोस्ट आफिस (प्रधान डाकघर) डिपार्टमेंटल सब पोस्ट आफिस (विभागीय उप डाकघर) एक्सट्रा डिपार्टमेंटल सब पोस्ट आफिस (अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर) और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल ब्रांच पोस्ट आफिस (अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर)।

प्रायोजित धारावाहिकों हेतु समिति

8122. श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रायोजित धारावाहिकों हेतु समिति गठित करने का कोई प्रस्ताव था; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इस दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1990 को दूरदर्शन की "प्रायोजित स्कीम" के अंतर्गत दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिये बाहरी निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने, उनकी जांच करने तथा उनका अनुमोदन करने के लिये निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन चयन समितियां 1991 में गठित की गयी थीं । इस समिति में दूरदर्शन के उप महानिदेशक तथा गैर-सरकारी सदस्य शामिल हैं ।

[अनुवाद]

बिजली क्षेत्र में निवेश

8123. **श्री हरि किशोर सिंह :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली क्षेत्र में किए गए पूंजी निवेश पर हर हालत में सोलह प्रतिशत की दर पर लाभांश देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) संशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन कम्पनियों के केन्द्रों द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए टैरिफ के निर्धारण के सन्दर्भ में इक्विटी पर 16 प्रतिशत लाभांश का परिकलन किया जाना, वार्षिक निश्चित प्रभारों का एक हिस्सा होगा ।

[हिन्दी]

संथाल परगना और छोटा नागपुर में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग

8124. **श्री साइमन मरान्डी :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के संथाल परगना और छोटा नागपुर में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों को सथापित किये जाने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार स्वयं फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना नहीं करती परन्तु ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए सरकारी सेक्टर/संयुक्त सेक्टर उपक्रमों, सहकारी सेक्टर संगठनों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं । बिहार राज्य जन-जातीय सहकारी विकास निगम को रांची जिले के छोटा नागपुर में खुम्बी उत्पादन प्रयोगशाला और कवक सब्स्ट्रेट पॉलीपैक उत्पादन केन्द्र की स्थापना के लिए 4.65 लाख रुपये की अनुदान सहायता स्वीकृत की गई है। छोटा नागपुर के जन-जातीय क्षेत्रों में खाद्य, फल और सब्जी प्रसंस्करण के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता की स्वीकृति के लिए बिहार सरकार के माध्यम से जन-जातीय सहकारिता विकास निगम से एक दूसरा प्राथमिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था । बिहार सरकार ने उसके लिए विस्तृत प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

नर्मदा नदी में पानी की उपलब्धता

8125. **श्री बारे लाल जाटव :**

क्या जल संसाधन मंत्री 28 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न सं० 1317 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी में बह रहे पानी की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए जा रहे अध्ययन अभी तक पूरे नहीं हुए हैं ।

कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र

8126. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाना चाहिये था;

(ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसकी कुल कितनी लागत है;

(घ) इससे कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा; और

(ङ) कहलगांव ताप बिजली घर से बिजली की सप्लाई से बिहार के किन-किन स्थानों को लाभ होगा ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मूल समयसूची के अनुसार कहलगांव सुपर ताप विद्युत संयंत्र को जनवरी, 1993 तक पूरा किया जाना था। यह जुलाई, 1987 (मुख्य संयंत्र ठेके के लिए मैसर्स टैक्नोप्रोमेक्सपोर्ट यू० एस० एस० आर० के साथ हस्ताक्षर किए जाने की तारीख) से पहले यूनिट को 48 महीने में तथा अनुवर्ती प्रत्येक यूनिट को तत्पश्चात् छः-छः महीने के अन्तराल से चालू किए जाने के कार्यक्रम पर आधारित था ।

(ख) परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के मुख्य कारण निम्नवत् हैं :—

1. तत्कालीन यू० एस० एस० आर० से सप्लाई में विलम्ब ।
2. क्रमिक रूप से सप्लाई प्राप्त न होना ।
3. औद्योगिक सम्बन्धों की समस्याएं ।

(ग) 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर के अधार पर परियोजना के विद्युत संयंत्र और सुविधाओं की अनुमानित लागत 1715.89 करोड़ रुपये है।

(घ) परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता 840 मेगावाट होगी ।

(ङ) इस परियोजना में से बिहार को 285 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई है। बिहार में विशिष्ट क्षेत्रों अथवा विशिष्ट उपभोक्ताओं के लिए आगे विद्युत आबंटन किए जाने के बारे में निर्णय राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लिया जाता है।

(अनुवाद)

क्रोमाइट की खानों को पट्टे पर देना

8127. **श्री श्रीबल्लव पाणिग्रही** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने क्रोमाइट की कुछ खानों को किसी विदेशी अथवा भारतीय कंपनी को पट्टे पर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यह पट्टा किस आधार और किन शर्तों पर दिया गया है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा निधारित दिशानिर्देशों का पालन किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) से (ग) उड़ीसा सरकार द्वारा किसी विदेशी कंपनी को कोई क्रोमाइट खान पट्टे पर नहीं दी गई है। तथापि क्रोमाइट खनिज के लिए निम्नलिखित भारतीय कंपनियों की खनन पट्टे दिए गए हैं :—

(क) मैसर्स टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी	1261.476 हेक्टेयर
(ख) मैसर्स फेरो–एलाय कार्पोरेशन लि० (एफ० ए० सी० ओ० आर०)	373.185 हेक्टेयर
(ग) मैसर्स मिश्रीलाल माइंस (प्रा०) लि०	259.000 हेक्टेयर
(घ) मैसर्स इंडियन मेटल्स एंड फेरो–एलाय लि० (आई० एम० एफ० ए०)	67.088 हेक्टेयर
(ङ) मैसर्स बी० सी० मोहन्ती एंड सन्स (प्रा०) लि०	107.24 हेक्टेयर
(च) मैसर्स उड़ीसा माइनिंग कार्पोरेशन लि० (ओ० एम० सी० एल०)	5957.609 हेक्टेयर

उपर (क) से (ङ) में उल्लिखित खनन पट्टे या तो कोर्ट के निदेश पर अथवा खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत पुनरीक्षण प्राधिकारी के निदेश पर दिए गए हैं तथा एक पट्टा हस्तान्तरण द्वारा दिया गया है। ऊपर (च) में

उल्लिखित पट्टे राज्य सरकार के एक उपक्रम के पक्ष में हैं। ये पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 तथा खनिज रियायत नियम, 1980 के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार दिए गए हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई क्षेत्र में पूंजी निवेश

8128. श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1952 से 1991 तक सिंचाई क्षेत्र (लघु तथा अति लघु सिंचाई क्षेत्र सहित) में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ख) इन परियोजनाओं के माध्यम से देश में कुल कितनी सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया;

(ग) इस प्रकार सृजित क्षमता का वास्तव में सिंचाई के लिए कितना उपयोग किया गया ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1951–52 से 1990–91 तक की योजना अवधि के दौरान सिंचाई क्षेत्र में 40664 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) यह सूचना मिली है कि इस अवधि के दौरान सृजित 601.57 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता के अनुमान के मुकाबले, इसका 515.65 लाख हेक्टेयर उपयोग किया गया।

[हिन्दी]

बिहार के दूरसंचार विभाग में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8129. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के दूरसंचार विभाग में विभिन्न पदों पर पृथक-पृथक कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता कितनी है,

(ख) राज्य में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर जिला प्रबन्धक और डी० ई० टी० के कार्यालय कार्यरत हैं; और

(ग) राज्य में उन स्थानों के नाम क्या है जहां पर प्रशिक्षण केन्द्र, स्टोर डिपों और वर्कशाप स्थित हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) बिहार दूरसंचार सर्किल में विभिन्न पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की संख्या और उनमें से अनु० जाति/अनु० जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

	कुल	अनु० जाति की संख्या	अनुसूचित जन-जाति की संख्या
समूह "क"	45	6.66	6.60
समूह "ख"	290	6.20	1.37
समूह "ग"	7412	13.30	5.81
समूह "घ"	1969	19.60	8.28

(ख) उन स्थानों के नाम जहां जिला प्रबंधकों और मंडल इंजीनियरों के कार्यालय कार्य कर रहे हैं

जिला प्रबंधक दूरसंचार द्वारा नियंत्रित

(1) – राची

मंडल इंजीनियरों द्वारा नियंत्रित—(10 कार्यालय)

मुज्जफरपुर, छपरा, दरभंगा, कटिहार,

भागलपुर, आरा, गया, धनबाद, जमशेदपुर, हजारी बाग

प्रशिक्षण केन्द्र

आर० टी० टी० सी०, पटना

सी० टी० टी० सी०, पटना

भंडार डिपो

केन्द्रीय दूरसंचार भंडार डिपो, पटना

वर्कशाप–शून्य

[अनुवाद]

दामोदर घाटी निगम के बांधों की जलाशय क्षमता कम करना

8130. **श्री चित्त बसु० :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 36 वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम के चार बांधों, अर्थात मैथन, तिलाई, पंचेट और कोनार के जलाशयों की क्षमता 20 प्रतिशत कम की गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बालपाहरि में एक नए बांध के निर्माण हेतु निवेदन किया है, जिसका निर्माण बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाए, और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) वर्ष 1985 में पंचेट जलाशय तथा वर्ष 1987 में मैथन जलाशय में किए गए क्षमता सर्वेक्षणों से पता चलता है कि पंचेट और मैथन जलाशयों में वर्ष 1956 तथा 1955 में किए गए मूल सर्वेक्षणों की अपेक्षा क्रमशः 11.8 प्रतिशत और 15.9 प्रतिशत भंडारण क्षमता की क्षति हुई है। कोनार और तिलैया जलाशयों में कोई क्षमता सर्वेक्षण नहीं किए गए हैं।

(ख) बालपाहरि के निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने अनुरोध नहीं किया है, यद्यपि दामोदर घाटी निगम का इस स्थल पर बांध का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) दामोदर घाटी निगम द्वारा जनवरी 1988 में तैयार की गयी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट जिसमें बालपाहरि पर बांध का निर्माण करने की परिकल्पना की गयी है, पर पक्षकार राज्यों द्वारा सहमति व्यक्ति नहीं की गयी थी। यह परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों के अनरूप भी नहीं पायी गयी और इसलिए यह परियोजना टिप्पणियों की अनुपालना के लिए फरवरी, 1988 में दामोदर घाटी निगम को लौटा दी गयी थी।

आन्ध्र प्रदेश में प्रियदर्शनी जुराला परियोजना

8131. श्री जे० चोक्का राव :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली उत्पादन के सम्बन्ध में दिसम्बर 1991 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के एक पर्यवेक्षक दल ने आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले में स्थित प्रियदर्शनी जुराला परियोजना का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दल ने क्या टिप्पणियां की हैं और बिजली उत्पादन परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) जी, नहीं। आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा जुराला जल विद्युत परियोजना (221.4 मे० वा०) के सम्बन्ध में रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को नवम्बर, 1991 में प्रस्तुत की गई थी। परियोजना की व्यवहार्यता का निर्धारण करने हेतु तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है।

महाराष्ट्र के राजापुर संलग्नीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन सेवा-केन्द्र

8132. श्री सुधीर सावन्त : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन-एक्सचेंज और सार्वजनिक टेलीफोन-सेवा-केन्द्र खोलने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) मार्च, 1992 तक महाराष्ट्र के राजापुर संसदीय क्षेत्र में टेलीफोन एक्सचेंजों और सार्वजनिक टेलीफोन–सेवा–केन्द्रों की संख्या क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां ।

(ख) (i) किसी विशेष स्थान पर भुगतानशुदा रजिस्टर्ड मांग दस अथवा इससे अधिक हो जाने पर नया टेलीफोन एक्सचेंज खोला जाता है ।

(ii) निम्न प्रकार के सामान्य सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय पी०सी०ओ० खोले जाने के बारे में विशेष बल दिया जाता है ।

— कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी
— पुनर्वास कोलोनियां
— सरकारी कोलोनी
— रक्षा कर्मचारियों के फैमिली क्वार्टर
— विद्यार्थी हास्टल
— बस स्टैंड
— पर्यटन स्थल
— यात्री केन्द्र
— हवाई अड्डा
— रेलवे स्टेशन
— अस्पताल
— शैक्षिक संस्थाएं, सार्वजनिक लाइब्रेरी आदि ।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

उ०प्र० में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज

8133. **श्री राम निहोर राय :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर तथा सोनभद्र जिलों में इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कब तक इन जिलों में यह एक्सचेंज स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) से (ग)

सोनभद्र में इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पहले ही स्थापित कर दिया गया है । मिर्जापुर के लिए 2000 लाइनों की क्षमता का एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज पहले ही आवंटित कर दिया गया है और इसकी संस्थापना का कार्य 1993–94 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज

8134. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1990-91, 199-92 और 1992-93 में महाराष्ट्र में ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का कोई लक्ष्य रखा गया है,

(ख) यदि हां, तो अब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) यदि नहीं, तो इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) :

(क) जी, हां ।

(ख) चालू किए गए ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1990-91	102	128
1991-92	104	110
1992-93	125	—

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विमानों में सुरक्षा उपकरणों का प्रावधान

8135. **श्री प्रतापराव वी० भोंसले** :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयरलाइंस द्वारा परिचालित वायुयानों में सुरक्षा में उपकरणों की कमी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसके कारण क्या हैं;

(ख) इस संदर्भ में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या इंडियन एयरलाइंस द्वारा परिचालित विमानों में भी आधुनिकतम सुरक्षा उपकरणों का अभाव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दुर्घटनाओं से बचने के लिए कौन से सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (घ) सभी एयरलाइनों के परिचालन कर रहे विमानों को निर्धारित नागर विमानन उड़नयोग्यता अपेक्षाओं के अनुसार विमान में सुरक्षा उपकरण ले जाने होते हैं । विमान के लिए के लिये उड़नयोग्यता प्रमाण-पत्र देते समय और उन्हें उड़ानों के लिये क्लियरेंस देते समय इसके अनुपालन को सुनिश्चित किया जाता है ।

खान उत्खनन हेतु दीर्घकालीन योजना

8136. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लघु खनन द्वारा खनिज उत्खनन हेतु दीर्घकालीन योजना बनाने का विचार रखती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आई० सी० ई० लि० के साथ समझौता

8137. **श्री मुकुल वासनिक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने वाली लन्दन स्थित इन्नोवेटिव कम्यूनिकेशन्स यूरोप (आ० सी० ई०) लिमिटेड कम्पनी जल्दी ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या आई० सी० ई० ने देश में कोई जांच कराई है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं,

(ङ) क्या सरकार आई० सी० ई० लिमिटेड के साथ कोई समझौता करने का विचार रखती है, और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) संचार मंत्रालय को इस कम्पनी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से **(घ)**

उपर्युक्त "क" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठाता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) उपर्युक्त "ङ" के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठाता ।

[हिन्दी]

राजधानी में बिजली उत्पादन का लक्ष्य

8138. **श्री मुमताज अंसारी** : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले वर्ष राजधानी में बिजली की दरें बढ़ाकर 23 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया था;

(ख) क्या सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकी है;

(ग) यदि नहीं, तो किन कारणों से;

(घ) क्या सरकार का पुनः बिजली की दरों में संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके के क्या कारण हैं और निर्धारित करने की प्रस्तावित दरें क्या हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (ङ) डेसू द्वारा वर्ष 1991-92 के लिए बजट अनुमानों में, 1-3-91 से विद्युत टैरिफ में संशोधन किए जाने के परिणामस्वरूप 23.79 करोड़ रुपये के अधिशेष की परिकल्पना की गई थी । निवेशों की लागत में वृद्धि होने, उपभोक्ताओं के खपत स्वरूप में परिवर्तन होने आदि के कारण डेसू द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका।

विद्युत उत्पादन हेतु अपेक्षित विभिन्न निवेशों की लागत में वृद्धि होने, बाहरी एजेंसी से विद्युत को खरीद किए जाने एवं अन्य खर्चों के कारण टैरिफ में संशोधन आवश्यक हो जाता है । इस सम्बध में स्थिति की डेसू द्वारा समय-समय पर समीक्षा की जाती है । दिल्ली नगर निगम के अनुमोदन से दिल्ली विद्युत प्रदान समिति दिल्ली में टैरिफ नियत किए जाने के लिए सक्षम है ।

[अनुवाद]

प्रमुख पर्यटन स्थलों में कैसीनों खोलना

8139. श्री के० एच० मुनियप्पा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी मुद्रा संकट से निपटने के लिए देश में प्रमुख पर्यटन स्थलों, होटलों और बारों में कैसीनों खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) इस विषय में कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठाता ।

केरल में कोट्टायम स्थित विलगन कार्यालय

8140. श्री रमेश चेन्नितला : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में कोट्टायम में विलगन कार्यालय को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी नहीं । कोट्टायम (केरल) में छंटाई कार्यालय बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

जस्तेदार चादरों की सप्लाई

8141. श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों के लिए जस्तेदार चादरों का कितना-कितना कोटा निर्धारित किया गया तथा उन्हें वास्तव में कितना-कितना कोटा दिया गया है ।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : विभिन्न राज्यों को जस्तेदार इस्पात चादरों की सप्लाई के लिए कोटा निर्धारित करने की कोई पद्धति नहीं है और इसलिए कोटे के माल की सप्लाई किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय भाषाई फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण

8142. के० राम मूर्ति टिड्डिनाम :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन महीनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन के दोनों चैनलों पर प्रसारित की गई क्षेत्रीय भाषा की फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत तीन महीनों के दौरान दूरदर्शन पर फीचर फिल्में प्रसारित करने संबंध नियमों का अनुपालन किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस अवधि के दौरान दूरदर्शन पर तमिल फीचर फिल्म प्रसारित न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से पिछले तीन महीनों के दौरान प्रसारित प्रादेशिक भाषाओं/बोलियों की फीचर फिल्मों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

विवरण

क्र० सं०	फिल्म का नाम	भाषा	प्रसारण की तिथि
1	2	3	4
	चेनल--1		रविवार (दोपहर बाद)
1.	त्रि-संध्या	उड़िया	5-1-92
2.	लंबड़दारनी	पंजाबी	12-1-92
3.	ओरे ओरू ग्रामीतिलेय	तमिल	19-1-92
4.	सुभाष चंद्र	बंगला	26-1-92
5.	जीवन ज्योति	तेलुगु	2-2-92
6.	उरि धातु	मलयालम	9-2-92
7.	पियाली फूकन	असमिया	16-2-92
8.	ताना रिरि	गुजराती	23-2-92
9.	कंलिक्टो नायक	बंगला	28-2-92
			(देर रात्रि)
10.	सूर्या	कन्नड़	1-3-92
11.	घासीराम कोतवाल	मराठी	8-3-92
12.	चेमीन	मलयालम	15-3-92
13.	चीनामुल	बंगाल	21-3-92
			(पुरानी कलात्मक)
14.	लम्जा परसुराम	मणिपुरी	29-3-92
15.	गोपाहलेही साटो	उड़िया	5-4-92
16.	सतलुज दे कंडे	पंजाबी	12-4-92
17.	ऊनी पोल उरूवन	तमिल	19-4-92
	बोलियों में फीचर फिल्में :--		गुरुवार
1.	यारी उमरां दी	पंजाबी	9-1-92
2.	बलमा नादान	भोजपुरी	23-1-92
3.	संत सिंघाजी	निमाडी	13-2-92
4.	औखा पंथ प्यार जा	सिंधी	27-2-92
5.	साल सोलहवां चढ़ेया	पंजाबी	12-3-92
6.	भोली थोटा	तुलु	26-3-92
7.	सुख दुख	नेपाली	9-4-92
8.	चंदा को तके चकोरी	भोजपुरी	23-4-92

1	2	3	4
	चेनल–2. मंगलवार		
1.	ई जीवा नीनागगी	कन्नड	7–1–92
2.	हलोधिया चोराये बाओ धनखाई	असमिया	14–1–92
3.	नारी नंदी नो वीर	गुजराती	21–1–92
4.	निसिधा स्वप्न	उड़िया	28–1–92
5.	चलचित्र	बंगला	4–2–92
6.	कलोलं	असमिया	11–2–92
7.	नारंदा विजय	कन्नड	18–2–92
8.	विदापांरयुम मुम्पे	मलयालम	25–2–92
9.	अयप्पा स्वामी महात्यम	तेलुगु	3–3–92
10.	बंगमां वंगमा	मणिपुरी	10–3–92
11.	चंगे मंदे तेरे बंदे	पंजाबी	17–3–92
12.	आई	मराठी	24–3–92
13.	भाले अधरूमत्रो अधरूस्ते	कन्नड़	31–3–92
14.	वोष धाया	गुजराती	7–4–92
15.	श्रवंती	तेलुगु	14–4–92
	अतिरिक्त फिल्में :—		
	सत्यजीत राय की फीचर फिल्मों का पूर्वावलोकन (चेनल—1)		
1.	पाथेर पंचाली	बंगला	24–3–92
2.	जल सागर	बंगला	25–3–92
3.	देवी	बंगला	26–3–92
4.	सतरंज के खिलाडी	बंगला	27–3–92
5.	गूपी गाइने बधा बाइने	बंगला	28–3–92
6.	घन शत्रु	बंगला	29–3–92
7.	चारूलता	बंगला	30–3–92

अकोला में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज

8143. श्री पांडुरंग पुंडलिक पुंडकर :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92 के दौरान महाराष्ट्र के अकोला जिले में कितने इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए,

(ख) ये एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए, और

(ग) यदि नहीं, तो ये एक्सचेंज कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) और (ख) 1991-92 के दौरान निम्नलिखित स्थानों पर 11 इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए हैं :--

1. अनसिंग
2. टेलहरा
3. रिसोड
4. हिवारखेड
5. करंजा
6. बरसी-टाकली
7. कमारगांव
8. मंगरूलपीर
9. मेलेगांव
10. मुर्तिजापुर
11. अकोला

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ के पानी का प्रयोग

8144. **डा० विश्वनाथम कैनिथी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नदियों के बाढ़ वाले पानी का भण्डारण करके उसे उन महीनों के दौरान जब नदियों में पानी की मात्रा कम होती है उपयोग करने हेतु संरक्षित करने संबंधी किन्हीं प्रस्तावों की जांच की है और स्वीकृति दी है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और

(ग) फ़िलहाल कितने जलाशयों का उपयोग किया जा रहा है और कितने जलाशयों का निर्माण किये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) सामान्यतया सभी जलाशय परियोजनाएं बाढ़ प्रवाहों को विनियमित करने में और जल की कमी वाले महीनों के दौरान प्रयोग हेतु वर्षा ऋतु के दौरान जल के भण्डारण की भी सुविधाएं प्रदान करती हैं ।

अब तक 162.5 घन किलोमीटर की सीमा तक सक्रिय भण्डारण क्षमता उपलब्ध कराने के लिए 2938 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है। 696 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जो 76.7 घन किलोमीटर अतिरिक्त भण्डारण उपलब्ध कराएगी । उपयोज्य जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अधिशेष जल वाले क्षेत्रों से जल की कमी वाले क्षेत्रों को जल के अन्तरण के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया है ।

बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी अधिकार प्राप्त समिति

8145. **श्री सैयद शाहाबुदीन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में बाढ़ प्रबंध की समस्याओं पर विचार कर उपचारात्मक उपाय बताने हेतु नवम्बर, 1987 में एक समिति गठित की थी और इसकी सिफ़ारिशों पर शीघ्र और समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने हेतु इसके प्रतिवेदन को एक अधिकार प्राप्त समिति को सौंप दिया था ।

(ख) क्या यह सच है कि इस अधिकार प्राप्त समिति की सिफ़ारिशों को अनुवर्ती कार्यवाही हेतु संबंधित राज्य एजेंसियों को जनवरी 1991 में परिचालित किया गया था, और

(ग) यदि हां, तो मूल समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों की वर्तमान स्थिति क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) : जी हाँ ।

(ग) बाढ़ प्रबन्ध समिति की रिपोर्ट तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निष्कर्ष पर की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई राज्य और केन्द्रीय सरकार के संगठनों को भेज दी गयी थी । नयी स्कीमें तैयार करते समय इन्हें ध्यान में रखा जा रहा है ।

बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा इस्पात उत्पादन

8146. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**
श्री राम टहल चौधरी
श्री ललित उरांव } : क्या इस्पात मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के लिये 1989-90 1990-91 और 1991-92 के लिये इस्पात का कितना-कितना उत्पादन लक्ष्य रखा गया और इन वर्षों के दौरान लक्ष्य तुलना में उसका कुल कितना उत्पादन हुआ है

(ख) क्या कम्पनी द्वारा बनाए गए उत्पादों का कोई संचय हुआ, और

(ग) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र का उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित है :—

(लाख टन)

वर्ष	अपरिष्कृत इस्पात		विक्रेय इस्पात	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5
1989–90	33.00	26.54	27.94	23.25
1990–91	34.00	28.06	28.00	24.26
1991–92	33.00	34.17	27.00	27.30

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

कोटद्वार और जोशीमठ में दूरदर्शन ट्रांसमीटर

8147. मेजर जनरल (सेवा–निवृत्त)

भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कोटद्वार और जोशीमठ में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों ने कार्य करना आरंभकर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त ट्रांसमीटर कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) उत्तर प्रदेश में कोटद्वार के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर और जोशीमठ के अति अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के 1994 के दौरान सेवा के लिए चालू किए जाने की उम्मीद है ।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में विजाग स्थित वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र

8148. **श्री धर्मभिक्षम :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के विजाग में विविध भारती का वाणिज्यिक प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से काम करना प्रारंभ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) **और** (ख) जी हां । विशाखापत्तनम में वाणिज्यिक, प्रसारण सेवा चैनल स्थापित करने की एक अनुमोदित स्कीम है, जिसे आठवीं योजना अवधि के अन्त तक चालू किए जाने की योजना है ।

[हिन्दी]

बाणसागर और कनहर परियोजना

8149. **श्री ललित उरांव :**

श्री रामदेव राम :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाणसागर और कनहर परियोजनाओं के संबंध में बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच कब समझौता हुआ था, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार, बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं पर अलग-अलग कितना खर्च किया गया ;

(ग) समझौते के अनुसार संबंधित राज्यों को कितना सिंचाई जल तथा अन्य लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन राज्यों ने राज्यवार कितना लाभ उठाया है ?

उत्तर :

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ग) विवरण संलग्न है ।

(ख) मार्च, 1992 तक बाणसागर और कनहर परियोजनाओं पर आया संचयी व्यय निम्नवत है :

(करोड़ रुपये)

क्रम	परियोजना का नाम	राज्य		
		उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	बिहार
1.	बाणसागर बांध परियोजना	57.30	155.85	54.69
2.	बाणसागर नहर परियोजना (मध्य प्रदेश)		106.26	
3	बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	*		
4.	कन्हर सिंचाई परियोजना (उत्तर प्रदेश)	34.00	—	—
5.	कन्हर जलाशय परियोजना (बिहार तथा मध्य प्रदेश)	—	*	*

टिप्पण : 1. सिंचाई परियोजनाओं का वित्त पोषण पूरी तरह से राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है ।

*2. तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन सहित परियोजना स्वीकृति की औपचारिकताएं पूरी नहीं की गयी हैं ।

(घ) किसी भी राज्य को पिछले तीन वर्षों में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विवरण

1. बाणसागर करार का ब्यौरा :

बिहार और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 16 सितम्बर, 1973 को बाणसागर परियोजना पर हस्ताक्षर किए गए । करार के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को सोन जल का क्रमशः 7.75 मिलियन एकड़ फुट, 5.25 मिलियन एकड़ फुट और 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया गया है तथा बाणसागर बांध के 4 मिलियन एकड़ फुट के भण्डारण में उनका हिस्सा क्रमशः एक मिलियन एकड़ फुट, 2 मिलियन एकड़ फुट और एक मिलियन एकड़ फुट है । उनके द्वारा परियोजना की लागत को 2 (मध्य प्रदेश) : 1 (बिहार) : 1 (उत्तर प्रदेश) के अनुपात में बांटा जाना है । सोन नदी के प्रवाहों में कमी आने अथवा अधिक होने की स्थिति में जल आनुपातिक कटौती अथवा बढ़ोत्तरी 5.25 (मध्य प्रदेश) : 2.75 (बिहार) : 1.25 (उत्तर प्रदेश) के अनुपात में होगी ।

2. कन्हर करार का ब्यौरा :

बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों द्वारा 20 फरवरी, 1982 को कन्हर जल के बंटवारे पर हस्ताक्षर किए गए । करार के अनुसार अन्य बातों के

साथ-साथ बिहार, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकारों को कन्हर जल का क्रमश: 0.43, 0.25 और 0.62 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया गया है। यह सहमति हुई कि बिहार राज्य सरकार द्वारा बाराडीह बांध का निर्माण किया जाए ताकि वह अपने पूरे हिस्से का उपयोग कर सके। मध्य प्रदेश सरकार की यदि ऐसी इच्छा है तो वह प्रस्ताव कर सकता है ताकि इस परियोजना से वह अपने हिस्से में से कुछ जल का उपयोग कर सके। उत्तर प्रदेश द्वारा 0.15 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग करने के लिए किये गये प्रस्ताव के अनुसार बिहार तथा मध्य प्रदेश अम्बार गांव के पास बांध का निर्माण करने के वास्ते सहमत हो गए हैं। बाराडीह तथा अम्बार पर बांधों के निर्माण से विस्थापित हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के मानदण्ड राज्य सरकारों के बीच आपसी निर्णयों के अनुसार होंगे।

उत्तर प्रदेश में टेलेक्स एक्सचेंज

8150. डा० लाल बहादुर रावल :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सर्किल में इस समय कार्य कर रहे टेलेक्स एक्सचेंजों का इनकी स्थापित क्षमता सहित, ब्यौरा क्या है तथा 31 मार्च, 1992 की स्थिति अनुसार एक्सचेंज-वार वस्तुत: कितने कनेक्शन कार्य कर रहे थे।

(ख) 31 मार्च, 1992 की स्थिति अनुसार टेलेक्स कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची का एक्सचेंजवार ब्यौरा है, और

(ग) एक्सचेंज-वार उक्त प्रतीक्षा-सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक कनेक्शन मिल जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रत्नाम्मा नायडू) :

(क) और (ख) टेलेक्स एक्सचेंजों के ब्यौरे और एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) सभी एक्सचेंजों में प्रतीक्षा सूची को मार्च, 1993 तक निपटाए जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

अनुबंध 1

क्र० सं०	एक्सचेंज का नाम	सज्जित क्षमता	चालू लाइनें	प्रतीक्षा सूची
1	2	3	4	5
1.	फ़ैजाबाद	20	10	—
2.	झांसी	20	14	—
3.	मथुरा	नोशनल	5	—

1 2	3	4	5
4. सीतापुर	20	13	—
5. मेरठ	60	55	6
6. कानपुर	280	247	68
7. लखनऊ	270	259	—
8. गाजियाबाद	100	80	61
9. नौएडा	40	31	85
10. सूरजपुर	32	12	28
11. मोदीनगर	नोशनल	7	—
12. कासना	नोशनल	2	—
13. आगरा	250	215	—
14. इलाहबाद	100	86	—
15. गौरखपुर	40	20	—
16. रायबरेली	25	15	—
17. वाराणसी	200	135	—
18. भदोही	40	28	—
19. गोपीगंज	20	8	—
20. देहरादून	150	128	1
21. सहारनपुर	40	28	—
22. रूड़की	20	8	—
23. मुजफ़्फरनगर	20	8	—
24. हरिद्वार	नोशनल	12	—
25. बरेली	60	47	—
26. मुरादाबाद	260	216	4
27. अलीगढ़	60	38	—
28. हलद्वानी	20	15	5
29. रूद्रपुर	20	8	—
30. नैनीताल	नोशनल	10	2
31. काशीपुर	नोशनल	11	8
32. रामपुर	नोशनल	14	3
कुल	2167	1793	271

(अनुवाद)

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में अध्ययन रिपोर्ट

8151. श्री विजय कुमार यादव :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा सम्बन्धी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) यद्यपि पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर अध्यन किए जाते हैं तथापि विशेषतया हाल के वर्षों में देश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का संवर्धन करने के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम

8152. श्री परसराम भारद्वाज :

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं योजनावधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार के लिए कितनी राशि आंवंटित की गई है;

(ख) आठवीं योजनावधि के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के विस्तार हेतु आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आवंटित की गई राशि पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो नेटवर्क के विस्तार व्यय को पूरा करने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन की आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आबंटनों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। धनराशि आबंटन के पश्चात् ही आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क के विस्तार को अंतिम रूप दिया जाएगा।

(ग) और (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होता।

अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण

8153. श्री सनत कुमार मण्डल :

(क) क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का ध्यान 18 फरवरी, 1992 के "दि इंडियन एक्सप्रैस" में अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस न्यायाधिकरण के कानूनी क्षेत्राधिकार, इसकी संरचना, शक्ति क्या है तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जल कूपबंधन क्षेत्र में इसके निर्णय अथवा विनिर्णय का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस न्यायाधिकरण में भारत का कोई प्रतिनिधि है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या भारत इस न्यायाधिकरण को कोई धन देता है,

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(छ) इस न्यायाधिकरण के पास इस समय भारत के जो मामले लंबित पड़े हैं उनका ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) जी, हां ।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण के निर्णय अथवा विनिर्णय पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है ।

(ग) और (घ) सामाजिक अध्ययन ट्रस्ट संस्थान की निदेशिका श्रीमती देवकी जैन, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय जल न्यायाधिकरण की जूरी-सदस्या है ।

(ङ) और (च) जी, नहीं ।

(छ) भारत सरकार ने इस न्यायाधिकरण को कोई मामला नहीं सौंपा है ।

(हिन्दी)

मुम्बई-जयपुर-आगरा-दिल्ली उड़ानों को निलम्बित करना

8154. श्री भगवान शंकर रावत :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा से मुम्बई-जयपुर-आगरा-दिल्ली उड़ानों को निलंबित करने के क्या कारण हैं;

(ख) इस उड़ान का किस अवधि के दौरान संचालन जारी रखा गया;

(ग) इस अवधि के दौरान आगरा से जयपुर और मुम्बई तथा वहां से आगरा तक कितने यात्रियों ने यात्रा की;

(घ) दिल्ली से कितने यात्री इस उड़ान का आगरा, जयपुर और मुम्बई तथा वहां से दिल्ली के लिए प्रयोग करते थे;

(ङ) आगरा से जयपुर और मुम्बई के लिए आरक्षित कोटे का ब्यौरा क्या है

(च) क्या सरकार का विचार इस उड़ान को पुनः शुरू करने का है, और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) और (ख) इस प्रकार की कोई उड़ान परिचालन में नहीं थी। तथापि, इंडियन एयरलाइन्स नवम्बर, 1986 से जनवरी, 1989 तक बम्बई–जयपुर–आगरा और वापसी उड़ान का परिचालन कर रही थी। अपर्याप्त यातायात मांग के कारण सेवाओं को बन्द कर दिया गया था।

(ग) 1987 और 1988 के दौरान आगरा से जयपुर और बम्बई के लिए और वापसी पर यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

सैक्टर	1987 (जनवरी-दिसम्बर)	1988 (जनवरी-दिसम्बर)
आगरा–जयपुर	4878	4753
आगरा–बम्बई	6065	6275
जयपुर–आगरा	4690	4949
बम्बई–आगरा	5890	5906

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जनवरी, 1989 में, आगरा से जयपुर और बम्बई के लिए क्रमशः 72 सीटें और 44 सीटें अवंटित की गई थी।

(च) और (छ) अपर्याप्त यातायात मांग के कारण इस सेवा को पुनः शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में फोन के लिए "चिप सिस्टम"

8155. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में फोन के लिए "चिप सिस्टम" शुरू कर दिया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसे कब तक शुरू करने की संभावना है और इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां, केरल के एर्नाकुलम में स्मार्टकार्ड (चिप प्रणाली) प्रयोग करते हुए सार्वजनिक टेलीफोनों की शुरूआत की गई है ।

(ख) एर्नाकुलम में स्मार्टकार्ड (चिप प्रणाली) द्वारा प्रचालित 10 पे-फोन्स क्षेत्र-परीक्षण के लिए प्राप्त हुए हैं जिनमें से 8 को एर्नाकुलम टेलीफोन प्रणाली में संस्थापित कर दिया गया है।

(ग) इनको अन्य शहरों में उत्तरोत्तर रूप से शुरू किया जाएगा जो क्षेत्र परीक्षण के परिणाम और ऐसे उपकरणों की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत संयंत्र

8156. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) इस परियोजना को स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या इसकी स्थापना का कार्य वर्ष 1992-93 के दौरान आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) प्रस्तावित चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र की अनुमानित पूंजीगत लागत 1036.20 करोड़ रुपये है ।

(ख) राजस्थान सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र से सम्बन्धित व्यवहार्यता रिपोर्ट तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को फरवरी, 1992 में भेजी गई है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

मृदा और जल संरक्षण कार्य

8157. श्री अनादि चरण दास :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में बैतरणी, खरस्रोत, ब्रह्मणी और सुवर्ण रेखा नदियों में मृदा और जल संरक्षण कार्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) केन्द्र में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गोवा हवाई अड्डे पर यातायात में वृद्धि

8158. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा के साथ देश के और अन्य देशों के कितने हवाई अड्डे सीधी उड़ानों से जुड़े हुए हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष गोवा से यात्रा करने वाले तथा गोवा के लिए यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी है; और

(ग) गोवा हवाई अड्डे की यात्री और माल यातायात दोनों से अलग-अलग औसतन कितनी वार्षिक आय हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) गोवा को बम्बई, दिल्ली, मद्रास, बंगलौर और कोचीन के साथ सीधी विमान सेवा से जोड़ा गया है । जबकि गोवा का किसी भी विदेशी हवाई अड्डे से सीधा संपर्क नहीं है, परन्तु गोवा के लिए/से होकर न्यूयार्क, टोरंटो, लन्दन, पैरिस, फैंकफर्ट, कुआलालम्पुर, सिंगापुर मस्कट, तेहरान और यू० ए० ई० के लिये सुविधाजनक हवाई संपर्क उपलब्ध हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान गोवा के लिए और गोवा से होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या निम्न प्रकार है।

1989–90	3,96,153
1990–91	3,13,936
1991–92	3,96,568

(ग) गोवा हवाई अड्डे पर 0.89 लाख रुपये यात्री सेवा शुल्क के अलावा 1991–92 के दौरान मार्ग दिक्चालन उड़ान प्रभारों से 22.56 लाख रुपए का यातायात राजस्व प्राप्त हुआ था ।

कर्मचारियों की संख्या में कटौती करना

8159. श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने और नई भर्ती पर प्रतिबंध लगाने संबंधी निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न संबधों में कर्मचारियों की संख्या में कितनी कटौती की गई है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी बचत हुई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (ग) कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने के बारे में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गए निदेशों के आधार पर, विभिन्न संगठनों में पदों की समीक्षा की गयी । यह पाया कि कर्मचारियों की संख्या को घटाने की कोई गुंजाईश नहीं है।

सिक्किम की विद्युत परियोजनाएं

8160. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिक्किम की विद्युत परियोजनाएं सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (ङ) राथोंगचू जल विद्युत परियोजना (3×10=30 मे० वा०) और तीस्ता जल विद्युत परियोजना चरण-3 (6×200=1200 मे० वा०) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत कर दिया गया है। स्कीमों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पर्यावरण/वन सम्बन्धी स्वीकृति और निवेश सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान की जानी है। चूंकि विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं सांविधिक औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, अतः परियोजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विशिष्ट अवधि निर्दिष्ट किया जाना सम्भव नहीं है ।

वाराणसी के रेल डाक सेवा विभाग में कथित घाधली

8161. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :

क्या **संचार** मंत्री 12 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6914 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस दौरान जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सितम्बर, 1991 से आज तक ऐसे कितने मामलों की रिपोर्टें मिली हैं;

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पो० वो० रंगय्या नायडू) :

(क) जी हां, जांच-पड़ताल पूरी कर ली गई है।

(ख) कतिपय कर्मचारियों की गलतियों का पता चला है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है।

(ग) सितम्बर, 1991 से अब तक चार मामलों की रिपोर्ट मिली है।

उड़ान समय सारणी का प्रकाशन

8162. डा० सी० सिल्वेरा :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत द्वारा आवधिक रुप से उड़ान समय सारणी को प्रकाशित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एयरलाइन संगठनों द्वारा इन समय सारणीयों के प्रकाशन-मास सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) से (ग) सामान्य रूप से इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत की समयावलियां वर्ष में दो बार अप्रैल और नवम्बर में घोषित की जाती हैं। इसके अलावा, वाणिज्यिक और परिचालनात्मक कारणों से समय-समय पर समयावलियों में संशोधन किया जाता है।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा कच्चे माल की सप्लाई

8163. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात लिमिटेड की सहायक कम्पनी बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण को कच्चे माल की अधिकांश सप्लाई भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा की जाती है,

(ख) क्या 1990 तक बोकारो इस्पात लिमिटेड द्वारा जो कच्चा माल सप्लाई किया जाता है उसकी सप्लाई अचानक रोक दी गई है,

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड/बोकारो इस्पात लिमिटेड बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के एककों को लोहे और स्क्रैप माल की सप्लाई करने के अपेक्षा बिहार से बाहर की पार्टियों को सप्लाई करना बेहतर समझते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है।?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) :

(क) और (ख) बोकारो इस्पात संयंत्र अपनी नीति के अनुसार ऐसे माल अर्थात अस्वीकृत इन्गाट माल्ड और बॉटम प्लेट जो अधिशेष हो जाता है, को प्राथमिकता के आधार पर सर्वप्रथम बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की इकाईयों को देने की पेशकश करता है। तथापि 1990 के पश्चात् वास्तविक रूप से अस्वीकृत इन्गाट माल्ड और बॉटम प्लेट अधिशेष नहीं हुई क्योंकि संयंत्र में ही ऐसी सामग्री की आन्तरिक रूप से आवश्यकता काफी बढ़ गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं

8164. **श्रीमती वासवा राजेश्वरी :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अनिवासी भारतीय के कर्नाटक राज्य में विद्युत परियोजना की संस्थापना के लिए संघ सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संघ सरकार ने इन परियोजनाओं की संस्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने और पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बोधघाट विद्युत परियोजना

8165. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिला बस्तर में प्रस्तावित इन्दिरा सरोवर (बोधघाट) विद्युत परियोजना किन कारणों से केन्द्रीय सरकार के पास वर्षों से लम्बित पड़ी है; और

(ख) यदि हां, तो इसे शीघ्र मंजूरी देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) बोधघाट जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 16-11-1978 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी थी और योजना आयोग ने 24-2-1979 को निवेश सम्बन्धी दृष्टि से अनुमोदित कर दिया था। परियोजना को जनवरी, 1979 में तत्कालीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। तथापि कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे कि परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान पर्यावरण पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, मामले की पुनः समीक्षा की गई थी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1985 में पर्यावरण की दृष्टि से पुनः स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा परियोजना को स्वीकृत न किए जाने के कारण परियोजना के क्रियान्वयन पर रोक लग गई है।

(ख) नवम्बर, 1988 में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस परियोजना पर विचार किया गया था। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परियोजना से सम्बन्धित विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में निम्नवत् चार विषयों पर सघन अध्ययन कार्य किए गए थे :—

(1) वनस्पति आवरण की क्षति के कारण परिस्थितिकी पर सम्भावित प्रभाव का अनुमान लगाना ।

(2) शाल को पुनर्जीवित किए जाने की अपेक्षा इसके रोपण की व्यवहार्यता ।

(3) जल मग्न क्षेत्र में वनस्पति एवं जीव जन्तु के बारे में अध्ययन कार्य करना और संकटग्रस्त प्रजातियों का पता लगाना ।

(4) जंगली भैंसों पर परियोजना का प्रभाव ।

अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त किए जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इन अध्ययन दस्तावेजों को अक्तूबर, 1991 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं ।

रुग्ण विद्युत एककों को बन्द करना

8166. **श्री बलराज पासी :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

श्री राम कृष्ण कुसमरिया :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राज्य बिजली बोर्डों के रुग्ण एककों को बन्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में रुग्ण विद्युत एककों का ब्यौरा क्या है जो घाटे में चल रहे हैं; और जिनके बन्द किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) राज्य बिजली बोर्ड के किसी रुग्ण विद्युत यूनिट को बन्द किए जाने से सम्बन्धित मामले पर, सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त विशिष्ट प्रस्ताव के आधार पर विचार किया जाता है । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अजन्ता-एलोरा गुफाओं के लिए जापान की सहायता

8167. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता-एलोरा गुफाओं (महाराष्ट्र) की रक्षा और आस-पास के क्षेत्रों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए ऋण देने का प्रस्ताव करने वाली जापानी एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऋण उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और यह ऋण उक्त सरकार को कब तक उपलब्ध कराये जाने की संभावना है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) अजन्ता और एल्लौरा क्षेत्र के संरक्षण और व्यापक विकास के लिए विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओ० ई० सी० एफ०) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 9 जनवरी, 1992 को विदेशी आर्थिक सहयोग कोष के साथ ऋण करार पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना की कुल लागत 4,406 मिलियन येन (लगभग 81.71 करोड़ रुपए) है ।

(ख) से (घ) ओ० ई० सी० एफ० ऋण पहले नहीं देता । विभिन्न निष्पादन एजेंसियों को अपने संसाधनों में से पहले खर्च करना होता है और फिर प्रतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत करना होता है ।

आठवीं योजना में विद्युत स्टेशन के लिए धनराशि

8168. श्री विजय नवल पाटील :

डा० महावीपक सिंह शाक्य :

श्री नीतीश कुमार :

श्री नारायण सिंह चौधरी :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए धनराशि के आवंटन में काफी कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने विद्युत उत्पादन और इसके पारेषण नेटवर्क में कटौती के प्रभाव का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का बिजली की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा आठवीं योजना अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के लिए निधियों के आवंटन को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत पर्यटन विकास निगम का निदेशक मंडल

8169. श्री विजय कुमार यादव :

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार का विचार निदेशक मंडल में पर्यटन क्षेत्र/उद्योग/व्यापार से जुड़े केन्द्रीय श्रमिक संघ प्रतिनिधियों/नेताओं को प्रतिनिधित्व देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) :

(क) भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक मंडल का पुनर्गठन होना है।

(ख) से (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के निदेशक-मंडल में सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति भारत पर्यटन विकास निगम के संगम-अनुच्छेद और इस विषय में सरकार के दिशा-निर्देशों द्वारा अधिशासित होती है।

[हिन्दी]

ऊर्जा बचत केन्द्र

8170. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एक ऊर्जा बचत केन्द्र की स्थापना कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या ऊर्जा बचत केन्द्र ने निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) विद्युत विभाग के नियंत्रणाधीन अप्रैल, 1989 में एक ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र (नाकि ऊर्जा बचत केन्द्र) की स्थापना की गई है।

(ख) सरकार द्वारा ऊर्जा प्रबंध केन्द्र पर इसकी स्थापना से लेकर अब तक खर्च की गई कुल राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	लाख रुपये में
1989–90	60.18
1990–91	37.81
1991–92	40.85 (अनन्तिम)

(ग) और (घ) उपर्युक्त केन्द्र की स्थापना, भारत में स्थित ऊर्जा सम्बन्धी विभिन्न संस्थानों के बीच अनुभव का आदान-प्रदान करने हेतु एक केन्द्रीय संगठन और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सूचना, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए की गई है। ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता पैदा करने सम्बन्धी अभियान में भी केन्द्र द्वारा सक्रिय योगदान दिया जा रहा है। ऊर्जा प्रबन्ध केन्द्र के मामले में कोई परिमाणात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

सब्जियों, फलों और फूलों का निर्यात

8171. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :**

क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स/एयर इंडिया अथवा किसी अन्य प्राइवेट विमान कम्पनी द्वारा सब्जियों, फलों एवं फूलों के निर्यात के लिए प्रत्येक सप्ताह कितने कार्गो विमान चलाये जाते हैं और इनका आयात किन-किन देशों को किया जाता है; और

(ख) प्रत्येक कार्गो विमान की क्षमता कितनी है और प्रत्येक सप्ताह कितने सब्जियों, फलों और फूलों का निर्यात किया जाता है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इस समय फलों/सब्जियों/फूलों के निर्यात के लिए कोई समर्पित मालवाही सेवाएं नहीं हैं। इस प्रकार के शीघ्र नष्ट होने वाले सामान को सामान्य कार्गो/अनुसूचित उड़ानों से ले जाया जाता है।

आठवीं योजना में इस्पात संयंत्र

8172. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) संसाधनों की सीमित उपलब्धता को देखते हुए आठवीं योजनावधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में जैव-गैस संयंत्र

8173. **श्री आनन्द अहिरवार** :

क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इस समय कितने जैव-गैस संयंत्र हैं;

(ख) 1992-93 के दौरान कितने जैव-गैस संयंत्र लगाये जाने का विचार है; और

(ग) ये संयंत्र कहां-कहां लगाए जाएंगे ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं नामतः राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में 1991-92 तक क्रमशः कुल लगभग 45,000 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र और 75 सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं ।

(ख) राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना और सामुदायिक तथा संस्थागत बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 1992-93 के लिए क्रमशः 1.35 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों और 50 सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है । मध्य प्रदेश के लिए 3300 पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है । सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों का लक्ष्य राज्य द्वारा बाद में रखा जाएगा ।

(ग) ये संयंत्र गांरी संख्या में गावों में लगाए जा रहे हैं जिनके सही स्थानों का निश्चय राज्य सरकारों तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा किया जाता है ।

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन

8174. श्री यशवंतराव पाटिल :
श्री गोपीनाथ गजपति :
श्री गुरुदास कामत :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन नगरों को यह सुविधा प्रदान किये जाने का विचार है;

(ग) सभी चारों महानगरों से उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु आज तक कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं और यह सुविधा कब तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजधानी एक्सप्रैस जैसी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में भी यह सुविधा प्रदान करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(क) और (ख) चार महानगरों (दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास) में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा को फैन्चाइज करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गईं और 31-3-92 को उन्हें खोला गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस सेवा का विस्तार देश के अन्य भागों में करने के लिए अभी निर्णय लिया जाना है ।

(ग) क्योंकि सेवा अभी तक चालू नहीं हुई है अतः यह सेवा प्रदान करने के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं मांगे गए हैं । जैसाकि उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लेख किया गया है, इस निविदा के आधार पर लाइसेंस प्रदान किए जाने के बारह महीनों के बाद यह सेवा उपलब्ध कराए जाने की संभावना है ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

बिहार की जलाशय योजनाएं

8175. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :
श्री राम लखन सिंह यादव :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हजारीबाग जिले की डेंकाली जलाशय योजना, दोनाईकला योजना, तिलैयाधाधर योजना और साईमन जलाशय योजना और पलामू जिले की केकदावल जलाशय योजना केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं कब से लंबित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) और (ख) क्रमशः नवम्बर 1985 और अगस्त 1985 में प्राप्त हुई डेंकाली (डेकुली) जलाशय स्कीम और दोबाईकला जलाशय स्कीम, केन्द्रीय जल आयोग में जांच के बाद राज्य सरकार को संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने और केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर शामिल करने के लिए जनवरी 1987 में लौटा दी गयी थीं। राज्य सरकार से संशोधित रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं। परामर्शदात्री समिति द्वारा तिलैयाधार स्कीम पर मार्च 1983 में विचार किया गया और अतिरिक्त भण्डारण क्षमता सृजित करने के लिए जो स्वीकृति के लिए एक पूर्व अपेक्षा है, दामोदर घाटी निगम के मैथन जलाशय में अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हल न किये जाने के कारण परामर्शदात्री समिति को इस पर अपना विचार-विमर्श आस्थगित करना पड़ा। अंतर्राज्यीय मतभेद कायम हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने उसी बेसिन में कोनार परियोजना को छोड़कर इस परियोजना की स्वीकृति पर आपत्ति प्रकट की है। साईमन जलाशय स्कीम और केकशवल जलाशय स्कीमें मूल्यांकन और स्वीकृति के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ग) इन परियोजनाओं की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों का अनुपालन करती है, पर्यावरण और वनमंत्रालय से पर्यावरण एवं वन स्वीकृति प्राप्त करती है तथा अंतर्राज्यीय मतभेदों को हल करती है।

[अनुवाद]

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

8176. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार इस्पात के मूल्य में वृद्धि को रोकने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) 16-1-1992 से लोहे और इस्पात के मूल्यों पर से नियंत्रण समाप्त किये जाने के पश्चात स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड आदान मूल्यों में वृद्धि और बाजार के रुख को मद्देनजर रखते हुए स्वयं मूल्य निर्धारित करने और घोषित करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

बाक्साइट के भण्डार

8177. श्री राम लखन सिंह यादव :

श्री शरत चन्द्र पटनायक :

श्री ललित उरांव :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किन-किन स्थानों पर बाक्साइट पाया जाता है;

(ख) इन भंडारों में अनुमानतः कितना बाक्साइट उपलब्ध है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि० को बोलंगीर में मणिशंकर क्षेत्र से बाक्साइट के खनन की अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में बाक्साइट पर आधारित उद्योग कार्यरत हैं;

(ङ) क्या बाक्साइट की खानों के श्रमिकों के लिए कोई मजदूरी बोर्ड बनाया गया है;

(च) यदि हां, तो बोर्ड ने क्या-क्या मुख्य सिफ़ारिशें की हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :

(क) और (ख) देश में बाक्साइट भंडारों के प्राप्ति स्थलों और उनकी अनुमानित मात्रा का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) मैसर्स भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के पास गंधमर्दन बाक्साइट निक्षेपों के एक भाग का खनन पट्टा है, जो उड़ीसा के बोलंगीर जिले में हरिशंकर मंदिर से लगभग 4 कि० मी० दूर है। तथापि, इस समय कंपनी इस क्षेत्र में कोई भी खनन कार्य नहीं कर रही है ।

(घ) बाक्साइट का उपयोग सीमेंट, रसायन और रिफ्रेक्टरी उद्योगों में किया जाता है जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं । बाक्साइट का उपयोग एल्यूमिना और एल्यूमिनियम के निर्माण के लिए भी होता है । मुख्य एल्यूमिना और एल्यूमिनियम संयंत्र उड़ीसा के दामनजोड़ी, अंगुल, हीराकुड; मध्य प्रदेश में कोरबा; कर्नाटक में बेलगाम; बिहार में मूरी; उत्तर प्रदेश में रेनुकूट; केरल में अलुपुरम और तमिलनाडु में मेट्टूर में स्थित हैं ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

1-1-1985 को भारत में बाक्साइट निक्षेपों का जिला-वार ब्यौरा

(हजार टन में)

राज्य	जिला	कुल निक्षेप
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	पूर्व गोदावरी	35,222
	विशाखापटनम	420,616
बिहार	मुंगेर	1,212
	रांची	6,358
	संथाल परगना	6,415
	गुमला	4,474
	लोहारडागा	14,100
	साहबाद	80
गोआ, दमन व दियू		32,259
गुजरात	अमरेली	0
	भावनगर	510
	जामनगर	26,493
	जूनागढ़	22,446
	खेड़ा	1,266
	कच्छ	36,186
	साबरकांठा	469
	वलसाड़	45
जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर	3,290
कर्नाटक	बेलगाम	1,052
	चिकमगलूर	120
	उत्तर कन्नड़	12,062
	दक्षिण कन्नड़	13,764
केरल	कन्नानूर	6,397
	क्विलोन	1,671
	त्रिवेन्द्रम	558
मध्य प्रदेश	बालाघाट	9,732
	बस्तर	370
	बिलासपुर	8,725
	दुर्ग	487

1		3
	गुना	34
	जबलपुर	1,125
	मांडला	12,411
	रायगढ़	4,795
	राजनन्दगांव	2,800
	रीवा	23,585
	सतना	1,438
	शहडोल	5,316
	शिवपुरी	30
	सिधी	397
	सरगुजा	55,554
	विदीशा	5
महाराष्ट्र	कोलाबा	13,989
	कोल्हापुर	58,646
	रतनगिरी	5,056
	सतारा	7,330
	थाने	720
	सिन्धुदुर्ग	1,980
उड़ीसा	बंध/खोंड–माल्स	14,940
	बोलंगीर/संबलपुर	130,730
	कालाहांडी	198,630
	केन्दूझर	8,208
	कोरापुट	873,003
	सुन्दरगढ़	79
राजस्थान	कोटा	535
तमिलनाडु	मदुरई	1,800
	नीलगिरी	6,937
	सेलम	8,474
उत्तर प्रदेश	बांदा	7,170
	ललितपुर	2,000
	वाराणसी	250

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर सुविधाएं

8178. श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स की सभी क्षेत्रों की टिकटों में यात्रियों की सुविधा सम्बन्धी शुल्क समान रूप से जोड़ दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सभी असैनिक हवाई अड्डों पर पर्याप्त सुविधायें हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) हवाई अड्डों पर साधनों और सुविधाओं में सुधार करना एक निरन्तर प्रक्रिया है और जब कभी कमियां ध्यान में आती हैं तो उपलब्ध संसाधनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाता है । इस समय विशिष्ट सैक्टरों के लिए 50/– रुपए और अन्य सैक्टरों के लिए 25/– रुपए की दर पर यात्री सेवा शुल्क की वसूली की जाती है ।

[हिन्दी]

बुंदेलखंड क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की क्षमता में वृद्धि

8179. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टी० वी० रिले केन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का बुंदेलखंड क्षेत्र में नये टी० वी० रिले केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):

(क) और (ख) साधनों की उपलब्धता और परस्पर प्राथमिकताओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांदा के मौजूदा अल्पशक्ति (10 वाट) टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर एक उच्चशक्ति (1 कि० वा०) टी० वी० ट्रांसमीटर लगाने का कार्यक्रम है । मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कार्यरत किसी दूरदर्शन ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई नया दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया में इस समय एक अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है ।

[अनुवाद]

सिंचाई और जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

8180. **प्रो० राम कापसे :**

श्री चन्नूभाई देशमुख:

कुमारी उमा भारती:

डा० ए० के० पटेल:

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधनों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ऋण देने संबंधी कोई नई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह नीति कब से कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) वर्ष 1991 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक राज्य को परियोजनावार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1992–93 के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी–कितनी सहायता दिये जाने की संभावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल):

(क) और (ख) देश में राष्ट्रीय महत्व की कुछ सिंचाई परियोजनाओं, जिनमें अंतर्राज्यीय परियोजनाएं भी शामिल हैं, को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्यों को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का विचार किया गया है । ऐसी सहायता के विवरण और किस समय तक यह कार्यान्वित हो जाएंगी, उसके बारे में इस मामले पर अंतिम निर्णय लेने के बाद ही पता चल पाएगा । बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, विद्यमान दिशा–निर्देशों के अनुसार उपलब्ध करायी जा रही है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1991–92 के दौरान प्रदान की गयी केन्द्रीय सहायता तथा 1992–93 के दौरान इसके लिए किये गये प्रावधान का विवरण इस प्रकार है :–

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	1991–92 के दौरान प्रदान की गयी सहायता (करोड़ रुपए)	1992–93 के लिए किया गया प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	सतलुज यमुना सम्पर्क नहर	पंजाब और हरियाणा	20.00	20.00
2.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	राजस्थान	27.80	27.80

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरना

8182. **श्री राम विलास पासवान :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का शेष कोटा भरने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) :

(1) नियमित अंतरालों पर विशेष भर्ती अभियान चला कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बकाया रिक्त स्थानों को भरने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं ।

(2) समूह "क" के शेष रिक्त स्थानों के संबंध में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग को सूचित किया गया है जिसमें वर्ष 1992 में ही विशेष परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया गया है ।

[अनुवाद]

दिल्ली में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव के कारण हुई क्षति

8183. **डा० रमेशचन्द तोमर :**
श्री राजवीर सिंह :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय बिजली अधिनियम में निर्धारित नियमों के अनुसार उपभोक्ता के लिए बिजली के वोल्टेज का उतार-चढ़ाव 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये;

(ख) वोल्टेज के भारी उतार-चढ़ाव के कारण हुई क्षति के लिए सरकार का विचार उपभोक्ताओं को मुआवजा देने का है;

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ताओं ने ऐसे कितने मामलों को उपभोक्ता मंच, दिल्ली में उठाया है; और

(घ) इससे सम्बन्धित सारे मामले कब तक निपटाए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय):

(क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पाश्चात्य फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों का आयात

8184. **श्री पृथ्वीराज डी० चौहान :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी उपग्रह केबल टेलीविजन नेटवर्क की चुनौती का मुकाबला करने के लिए दैनिक आधार पर दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए पाश्चात्य फिल्मों और दूरदर्शन धारावाहिकों का उदारतापूर्वक आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) जी नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

वितरण और पारेषण क्षति

8185. श्री गोपीनाथ गजपति :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में बिजली के वितरण और पारेषण क्षति में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस क्षति को कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) हमारे देश में पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा 22 से 23 प्रतिशत तक है । विभिन्न राज्यों में इन हानियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न अनुबन्ध में दिया गया है । ऊर्जा की चोरी समेत पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करने के लिए विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक उपाय किए गए हैं । इनमें ये शामिल हैं :—

(1) हानियों की अधिक मात्रा के लिए प्रणालीगत उत्तरदायी तत्वों का पता लगाने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों द्वारा ऊर्जा लेखा परीक्षा कार्य किए जाने;

(2) ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए प्रणाली सुधार स्कीमें बनाना;

(3) केपेसिटर्स अधिष्ठापित करने, राज्य बिजली बोर्डों/बिजली विभागों की विद्युत प्रणालियों में ऊर्जा लेखा परीक्षा पद्धति लागू करना;

(4) ऊर्जा की चोरी को एक संज्ञेय अपराध घोषित किया गया है; और

(5) पारेषण एवं वितरण हानियों की मात्रा को कम करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम लागू करना ।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों में रूपान्तरण, पारेषण व वितरण हानियां

(चोरी आदि जैसी वाणिज्यिक हानियों समेत) प्रतिशतता

राज्य विद्युत बोर्ड	1988-89	1989-90	अनन्तिम	1991-92
1	2	3	4	5
1. हरियाणा	26.62	29.19	27.59	22.90
2. हिमाचल प्रदेश	22.08	18.74	17.51	19.24
3. जम्मू व कश्मीर	41.46	49.46	49.16	50.00
4. पंजाब	18.32	18.09	19.00	19.00
5. राजस्थान	25.34	24.39	24.89	21.00
6. उत्तर प्रदेश	27.41	26.10	26.08	26.00
7. गुजरात	19.61	22.09	22.05	21.00
8. मध्य प्रदेश	22.07	19.48	18.76	18.26
9. महाराष्ट्र	15.77	17.60	15.52	15.00
10. आन्ध्र प्रदेश	19.35	20.20	19.60	20.00
11. कर्नाटक	21.29	20.48	19.60	19.30
12. केरल	25.23	22.54	21.02	22.00
13. तमिलनाडु	17.66	18.51	18.40	18.35
14. बिहार	23.96	21.50	21.00	21.50
15. उड़ीसा	27.52	23.96	23.00	23.00
16. सिक्किम	21.38	23.36	22.92	22.10
17. पं० बंगाल	23.23	22.69	21.90	20.00
18. असम	24.98	21.58	21.00	20.50
19. मणिपुर	35.71	20.83	20.50	20.00
20. मेघालय	9.60	10.90	11.35	13.27
21. नागालैण्ड	29.00	20.93	22.00	20.00
22. त्रिपुरा	30.57	30.00	29.00	29.50
23. अरुणाचल प्रदेश	24.89	27.55	20.00	21.00
24. मिजोरम	29.65	29.00	28.00	27.00

400 किलोवाट की पारेषण लाइनें

8186. प्रो० प्रेम धूमल :

क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम अपनी विद्युत पारेषण के लिए राज्यों की 400 किलोवाट की पारेषण लाइनों का प्रयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्डों को कोई विद्युत पारेषण शुल्क देता है;

(ग) यदि हां, तो उसकी दर क्या है और कितना पारेषण शुल्क दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) ऐसे कई राज्य हैं जो एन० टी० पी० सी० की पारेषण लाइनों से सीधे जुड़े हुए नहीं हैं और इन राज्यों को विद्युत की सप्लाई करने के लिए अन्त: मध्यवर्ती राज्यों की पारेषण प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) एन० टी० पी० सी० द्वारा किसी भी राज्य बिजली बोर्ड को सप्लाई प्रभारों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सप्लाई प्रभारों, जहां लागू हैं, का भुगतान, राज्य बिजली बोर्डों (जिन्हें एन० टी० पी० सी० द्वारा विद्युत सप्लाई की जाती है) द्वारा उन राज्य बिजली बोर्डों को किया जाता है जिनकी प्रणालियों का उपयोग किया जाता है।

ग्रुप डायलिंग सुविधा

8187. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रुप डायलिंग सुविधा का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों के लिए इसका विस्तार किया जाएगा उनका ब्यौरा क्या है, और

(ग) एस० टी० डी० की तुलना में इस प्रणाली के प्रमुख लाभ क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू):

(क) जी हां, ग्रुप डायलिंग सुविधा पहले से ही कुछ स्थानों पर उपलब्ध है ।

(ख) ग्रुप डायलिंग सुविधा देश भर में तहसील क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) तकनीकी दृष्टि से ग्रुप डायलिंग तथा उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग में कोई अंतर नहीं है परन्तु, ग्रुप डायलिंग केवल छोटे स्थानों के लिए तहसील सीमा के भीतर के लिए होती है।

तालचेर सुपर ताप परियोजना

8188. श्री राम कृष्ण कोंताला
श्री एम० जी० रेड्डी
श्री बल्लभ पाणिग्राही } : क्या विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तालचेर सुपर ताप परियोजना चरण–I की अनुमानित परियोजना लागत 600 करोड़ रुपये से बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना के कार्य में तेजी के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन०टी०पी०सी०) की तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण–1 (2× 500 मे० वा०) को 1988 की दूसरी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर नवम्बर, 1988 में 1404.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर अनुमोदित किया गया था। मूल्य वृद्धि, विनिमय दर में भिन्नता, शुल्कों तथा करों आदि में वृद्धि के कारण 1991 की तीसरी तिमाही के मूल्य स्तर पर अनुमानित लागत में 734.41 करोड़ रूपये की वृद्धि हुई है।

(ग) राख डाइक, स्थाई टाऊनशिप तथा मैरी–गो–राउण्ड रेलवे (एम० जी० आर०) प्रणाली के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि सौंपे जाने के कार्य में कुछ विलम्ब हुआ है। इस मामले में मुख्य मंत्री, उड़ीसा के साथ विचार–विमर्श किया गया था तथा शेष भूमि को शीघ्र सौंपा जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अधिकारिक स्तर पर राज्य सरकार के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। परियोजना के लिए परिकल्पित कुल मिलाकर 36.93 एकड़ भूमि में से अभी तक 2436 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है।

[हिन्दी]

विद्युत की कमी के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट

8189. श्री सुकदेव पासवान
श्री नीतीश कुमार } :

क्या विद्युत और गैर–परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विद्युत के पारेषण और वितरण की प्रणाली में सुधार करके देश में एक तिहाई विद्युत की कमी को दूर किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम का गठन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस निगम ने इस सम्बन्ध में सुधार लाने हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए व्यापक योजना बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कुल कितने निवेश की आवश्यकता है तथा कितना निवेश उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) से (घ) विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि अतिरिक्त अन्तः क्षेत्रीय ट्रेडिंग तथा विद्यमान टाई-लाईनों का पूर्ण समुपयोजन किए जाने के जरिए जिन मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकी इनमें कटौती किए जाने की सम्भावना है। सरकार ने क्षेत्रीय ग्रिडों के विस्तार और राष्ट्रीय ग्रिड़ के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से ई० एच० वी० ए० सी० और एच० वी० डी० सी० पारेषण लाइनों, उप केन्द्रों, भार प्रेषण केन्द्रों संचार सुविधाओं का समन्वित और प्रभावशाली रूप से निर्माण किए जाने एवं इनके प्रचालन हेतु राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी० टी० सी०) की स्थापना की है। अन्तः क्षेत्रीय ए० सी० एवं एच० वी० डी० सी० पारेषण लाइनों की स्थापना किए जाने से विद्यमान विद्युत उत्पादन क्षमताओं का अधिक प्रभाव कारी रूप से समुपयोजन वृद्धि के लिए सुविधाजनक होगा परिणामस्वरूप देश में जिन मांगों की पूर्ति नहीं की जा सकी इस प्रकार की मांग कम हो जायेगी।

राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी०टी० सी०) ने 8वीं पंचवर्षीय योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है, के लिए 9,566 करोड़ रुपये के आबंटन हेतु अनुरोध किए जाने के बारे में एक व्यापक स्कीम तैयार की है और इसे प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम के आठवीं योजना प्रक्षेपणों के बारे में व्यापक ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम के आठवीं योजना प्रक्षेपणों के बारे में व्यापक ब्यौरा

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

क्रम० सं०	परियोजनाएं	प्रस्तावित परिव्यय (1992—97)
क.	**क विद्युत उत्पादन स्कीमों से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली**	
1.	एन० टी० पी० सी०	2459
2.	एन० एच० पी० सी०	2099
3.	एन० एल० सी०	140
4.	एन० पी० सी०	142
5.	नीपको	647
6.	टी० एच० डी० सी०	450
		5937

क्रम सं०	परियोजनाएं	प्रस्तावित परिव्यय (1992–97)
	(अनुवाद)	
ख. ख	प्रणाली विस्तार	
1.	अन्तः क्षेत्रीय लिंक	1778
2.	प्रणाली सुधार	250
		2028
ग. ग	भार प्रेषण संचरण	1440
घ. घ	टोल मिटरिंग, इन्स्ट्रूमेंटेशन	51
ङ. ङ	आधारभूत विकास कार्य, निर्माण तथा अनुरक्षण उपस्कर	110
	कुल जोड़ :	9566

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बाधाएं

8190. श्री सुधीर गिरी
श्री अन्ना जोशी } :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अन्य देशों की तुलना में देश में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन की तुलना में प्रसंस्कृत खाद्य की प्रतिशतता क्या है;

(ख) खाद्य-प्रसंस्करण एककों में क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता क्या है;

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास में मुख्य बाधायें क्या हैं; और

(घ) प्रसंस्कृत खाद्य के लिए अपने देश में बाजार विकसित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

(क) यद्यपि कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है, ऐसा अनुमान है कि देश में कुल फलों और सब्जियों के लगभग 1% का प्रसंस्करण किया जाता है । ब्राजील और अमरीका में यह लगभग 70% फिलीपीन्स में 78% मलेशिया में 83% और थाइलैंड में 30% है ।

(ख) यह अनुमान है कि तैयार किये गये उत्पाद के अनुसार खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों का क्षमतीं उपयोग अलग-अलग 30 से 60% के बीच है।]

(ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे पैकिंग सामग्री की अधिक लागत, बुनियादी सुविधाओं की कमी, अधिक स्थानीय कर, अपर्याप्त विपणन सुविधायें, फल एवं सब्जी सेक्टर में लम्बे समय के लिए उचित दरों पर कच्चे माल की सही क्वालिटी और मात्रा उपलब्ध न होना, मांस और पाल्ट्री उद्योग के लिए आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी और सामाजिक अड़चनें और मात्स्यिकी आदि में विविधीकरण की कमी।

(घ) इस मंत्रालय ने छोटे और कुटीर स्तर के यूनिटों के उत्पादों के लिए साहित्य और विज्ञापन तैयार करने और उनके ब्रांड नामों के अधीन उसके विपणन के लिए राज्य सरकार के संगठनों/संयुक्त सेक्टर/सहकारिताओं/स्वशासी निकायों को विपणन सहायता देने हेतु आठवीं योजना के लिए स्कीम तैयार की है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए क्वालिटी चिन्ह के रूप में एफ० पी० ओ० चिन्ह को बढ़ावा देने हेतु भी सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

राजस्थान के चुरु जिले में खनिज

8191. **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान के चुरु जिले में खनिज भंडारों की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिमगरगढ जिला चुरु में पोटाशियम भंडारों का पता लगाया गया है,

(घ) यदि हां, तो उपलब्ध मात्रा और उसके वर्गीकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन खनिजों की खोज और खनन कार्य कब तक शुरू किया जायेगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):

(क) जी हां।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप बैन, भालन, भरीन, देवगढ़ तथा सेथों में जिप्साइट के भंडार तथा विदासर दरीबा व बीरमासर में तांबा अयस्क के कुछ भंडारों का पता चला है। लक्सर–डूंगरगढ़ शुष्क बेसिन (जिला चुरु का पश्चिमी भाग) में ड्रिलिंग द्वारा गवेषण से निम्न श्रेणी के पोटाशियम भंडारों की पुष्टि हुई है।

(घ) और (ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 29·05 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में 540 मी० से 900 मीटर गहराई पर 7·75% औसत सम्भाव्य पोटाशियम कोटि के निम्न ग्रेड

पोटाशियम के 28.26 मिलियन टन भंडार तथा 6.42% औसत के सम्भावित पोटाशियम के 113.3 मिलियन टन भंडारों की पुष्टि की गई है। ये भंडार 80% लवणयुक्त बड़े राक साल्ट निक्षेपों के साथ मिले हुए हैं।

(ङ) इन निक्षेपों के खनन की आर्थिक उपादेयता के संबंध में, पोटाश के निम्न ग्रेड और अधिक गहराई पर होने को देखते हुए, इनका मूल्यांकन किया जाना है।

डाक कर्मचारियों की मांगें

8192. श्री एन० जे० राठवा: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक कर्मचारी आजकल आन्दोलनरत हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी मांगों का ब्यौर क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962

8193. श्री श्रवण कुमार पटेल :

श्री रवि राय :

श्री एस० बी० चोरांत :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन न्यूजपेपर सोसाइटी ने सरकार से अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1992 को रद्द करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):

(क) जी, हां ।

(ख) ऐसे मामलों में सरकार का रुख देश के अखबारी कागज निर्माताओं के हितों की रक्षा करने तथा प्रैस के स्वस्थ विकास की नीति के अनुरूप है ।

उत्तर प्रदेश में होटलों और यात्री निवासों का निर्माण

8194. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**

क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991–92 के दौरान केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है और राज्य में कितने होटलों और और यात्री निवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकार से राज्य में यात्री निवास के निर्माण के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया):

(क) से (ग) पर्यटनका विकास तथा संवर्धन करने के लिए उत्तर प्रदेश को 160.59 लाख रु० की केन्द्रीय वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर, 1991–92 के दौरान 63.21 लाख रु० की लागत से अयोध्या और चित्रकूट में दो यात्री निवास स्वीकृत किए गए थे । तथापि , केन्द्रीय पर्यटन विभाग होटलों का निर्माण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता नहीं देता।

पुरस्कार विजेता भारतीय फिल्मों का दूरदर्शन से प्रसारण

8195. **सी०श्री पी० मुदालगिरियप्पा :**

श्री के० एच० मुनियप्पा :

श्री वी० कृष्ण राव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूसरे मुम्बई अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार पाने वाली भारती फिल्मों का दूरदर्शन पर प्रसारण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कितनी फिल्में प्रसारित की जा चुकी हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौर क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) से (ग) जी, हां । तथापि, दूरदर्शन द्वारा ऐसी कोई फिल्म प्रसारित नहीं की गई है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के साथ में संयुक्त उद्यम

8196. **श्री प्रकाश बी० पाटील :**

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन भारतीय और विदेशी कम्पनीयों का ब्यौरा क्या है जिनके गिहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यमों लगाने सम्बन्धी प्रस्तावों को अब तक स्वीकृति दे दी गई है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो):

अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण–क में दी गई है ।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान गहन समुद्री मात्स्यिकी में संयुक्त उद्यमों को दी गई स्वीकृतियों के ब्यौरे

क्रम सं०	भारतीय कम्पनी/प्रस्तावित कम्पनी का नाम	सहयोग कर रही विदेशी मात्स्यिकी कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	फिशिंग फालकौन लिमिटेड, हैदराबाद	मैसर्स टाई यून कारपोरेशन कं० लि० कोरिया
2.	ओसीनिया मर्चेंडाइज लि० हैदराबाद	स्कैनफिश लि० डेनमार्क
3.	टारगेट मेरीन एण्ड इंजीनियर्स लि०, नई दिल्ली	सिल्वर ओसनिक कं० लि० थाइलैण्ड
4.	लियो सी फूड्स लि०, नई दिल्ली	डोप सी फिशिंग कं० प्योंगयांग, डी०पी०आर० कोरिया
5.	शिवगंगा फिशरीज लि०, नई दिल्ली	देवान्ने मारीरन तैलरी (सी० एम० बी०) एण्ड बी०) एण्ड कं० काफेपेचे ऑफ फ्रांस
5.	सी० एम० ट्रेडिंग कं० लि०, कलकत्ता	आल यूनियन फिशिंग कारपोरेशन एसोसियेशन मास्को, रूस
7.	ग्रीब्स कॉटन लि० बम्बई	फ्राब्ते फिशिंग कारपोरेशन मनीला, फिलिपाइन्स
8.	लीला सी फूड्स प्रा० लि०, विशाखापत्तनम	सुपाचोके कं० लि० थाइलैण्ड
9.	इंको फिशरीज प्रा० लि०, हैदराबाद	नामयंगसा कं० लि०, सिओल कोरिया
10.	बूओन्सी, नई दिल्ली	सामवन फिशरीज कं० लि०, कोरिया
11.	सी जॉच फिशरीज प्रा० लि०, कोचीन	मेरीन कारपो० लि० बुसान, कोरिया
12	सोविन सी फूड्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	एनफीके आकीन, मास्को रूस एण्ड हार्टकोर्ट कं० लि०, थाइलैण्ड
13.	चाइला एक्सपोर्ट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली	कलैक्टीवफिशरीज, यूजेहवीएआरए,, लात्विया
14.	इण्डियन फिशरीज लि०, नई दिल्ली	कन्सोलीडेटिड सी फड कारपो० बोस्टन, यू० एस० ए०
15.	इंदामर फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	हार्टफोर्ड (थाइलैण्ड) कं० लि०, बैंकाक

भूतपूर्व संसद सदस्यों पर टेलीफोन बिलों की बकाया राशि

8197. कुमारी उमा भारती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व संसद सदस्यों का ब्यौरा क्या है जिनके नाम पर टेलीफोन बिल जनवरी, 1992 तक बकाया है, और

(ख) उन्हें वसूल करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री श्री पी० वी० रंगय्या नायडू): (क) और (ख) संबंधित फील्ड यूनिटों से सूचना मांगी गई है और इसे यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अजमेर टी० वी० रिले केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता

8198. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अजमेर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र की वर्तमान प्रसारण क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकार को इन केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है; और

(घ) वहां एक उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र और आकाशवाणी ट्रांसमीटर कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):

(क) इस समय अजमेर में एक अल्प शक्ति (100 वाट) का टी० वी० ट्रांसमीटर काम कर रहा है। आकाशवाणी अजमेर के पास 200 कि० वा० मीडियम वेव का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर है ।

(ख), (ग) और (घ) अजमेर के अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाने के लिए विभिन्न पक्षों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। अजमेर के वर्तमान अल्प शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर के स्थान पर उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर (10 कि० वा०) लगाने का कार्यक्रम है लेकिन यह पर्याप्त साधनों की उपलब्धि और परस्पर प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा । परियोजना स्थल पर सिविल निर्माण कार्य शुरू हो जाने के बाद उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर को चालू करने के आमतौर पर लगभग 3–4 वर्ष का समय लग जाता है ।

आकाशवाणी अजमेर के वर्तमान उच्च शक्ति ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने की और कोई गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन और आयात

8199. **श्री मनोरंजन भक्त :**

श्री भगवान शंकर रावत :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई नई इस्पात नीति बनाई है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) वर्ष 1989–90, 1990–91 और 1991–92 के दौरान तैयार इस्पात की मांग और उत्पादन का ब्यौरा क्या है,

(घ) इसी अवधि के दौरान किए गए इस्पात के आयात और उसके फलस्वरूप कम की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है, और

(ङ) आठवीं योजनावधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान इस्पात की मांग, स्वदेशी उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):

(क) और ख) जुलाई, 1991 में सरकार द्वारा घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार लोहे और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग की अपेक्षाओं से भी छूट दे दी गई है। यदि यूनिट दस लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों की 25 कि० मी० की सीमा के अन्दर स्थित हो और किसी विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र में न हो तभी औद्योगिक लाईसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

16–1–1992 को सरकार ने इस्पात और लोहे के मूल्य निर्धारण को विनियन्त्रित करने और इसके वितरण को आंशिक रूप से विनियमित रखने की भी घोषणा की है। अब मुख्य उत्पादक अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने और घोषित करने के लिए स्वतंत्र हैं। वितरण के मामले में रक्षा, रेलवे, इंजीनियरी माल के निर्यातकों, लघु उद्योग क्षेत्र और उत्तर–पूर्वी राज्यों को सप्लाई करने में प्राथमिकता दी जाती रहेगी।

16–1–1992 से भाड़ा समकरण योजना भी समाप्त कर दी गई है। अब मुख्य उत्पादक (इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर) संत्र–बाह्य मूल्य निर्धारित कर रहे हैं और संयंत्र की दूरी से वास्तविक भाड़ा अथवा इस्पात के लिए 1080 रु० प्रति टन और कच्चे लोहे के लिए 730 रुपये प्रति टन, इनमें से जो भी कम हो, वसूल कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 1989–90, 1990–91, तथा 1991–92 के दौरान परिसज्जित इस्पात की कुल मांग और उत्पादन निम्नानुसार है :—

(दस लाख टन)

वर्ष	कुल अनुमानित मांग	उत्पादन
1	2	3
1989–90	14.98	13.00
1990–91	15.52	13.53
1991–92	16.35	14.20 (अनन्तिम)

(घ) परिसज्जित इस्पात के आयात से संबंधित सूचना निम्नानुसार है :—

(मात्रा : दस लाख टन)

वर्ष	मात्रा	मूल्य (करोड़ रुपए)
1989–90	1.46	1562
1990–91	1.25	1382
1991–92 (अप्रैल से जनवरी, 92)	0.81	1068

(ङ) आठवीं पंजवर्षीय योजनावधि के दौरान परिसज्जित इस्पात की अनुमानित मांग, स्वदेशी उत्पादन और सम्भावित अन्तर निम्नलिखित है :—

(मात्रा : दस लाख टन)

वर्ष	कुल अनुमानित	अनुमानित स्वदेशी उत्पादन	अन्तर
1992–93	17.76	16.48	1.28
1993–94	19.37	18.38	0.99
1994–95	21.05	20.54	0.52
1995–96	22.90	22.21	0.69
1996–97	25.00	24.09	0.99

पंचायतों और समुदाय–केन्द्रों को टी० वी० सेट

8200. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्रीमती वासवा राजेश्वरी :

श्री बापू हरि चौरे :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी पंचायतों और समुदाय केन्द्रों को टेलीविजन सैट प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सातवीं योजना–अवधि के दौरान आबंटित की गई धन–राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे गांवों की कुल संख्या कितनी है जहां अब तक टेलीविजन सैट नहीं दिए गए हैं;

(घ) क्या कोई ठोस फार्मूला तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास):

(क) से (ङ) यद्यपि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, लेकिन सरकार ने 7वीं योजना की अवधि में 13.36 करोड़ रुपए की लागत से पूर्वांचल के राज्यों, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों में विशेष मामले के रूप में 6258 सामुदायिक टी० वी० सैट उपलब्ध कराने की स्कीमों का अनुमोदन किया था । इसके अलावा केन्द्रीय स्कीमों के अन्तर्गत सामुदायिक टी० वी० सैटों के अलावा कई राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने भी सामुदायिक टी० वी० सैट उपलब्ध कराये हैं; और ऐसी स्थिति में ऐसे गांवों के बारे में दूरदर्शन के पास सूचना उपलब्ध नहीं है जहां सामुदायिक टी० वी० सैट उपलब्ध नहीं कराये गए हैं ।

सामुदायिक टी० वी० सैट लगाने और उनके रख–रखाव की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है और उन्हें अपने साधनों में से सामुदायिक टी० वी० सैट उपलब्ध कराने के लिए समय–समय पर अनुरोध किया गया है ।

महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

8201. श्री अन्ना जोशी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1992 की स्थिति के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए महाराष्ट्र में जिलेवार कितने व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में हैं,

(ख) उक्त अवधि के दौरान श्रेणीवार कितने कनेक्शन दिये गये हैं, और

(ग) बाकी कनेक्शन शीघ्र देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फन्ड ऑफ इंडिया

8202. डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिने आर्टिस्ट्स वेलफेयर फंड ऑफ इंडिया का संचालन किसके प्राधिकार के अंतर्गत है ;

(ख) इसके लिए अब तक कितनी धनराशि एकत्र की जा चुकी है ;

(ग) कलाकारों को धनराशि के संवितरण करने के लिए किस मानदंड को अपनाया जाता है; और

(घ) इस कोष से अब तक लाभान्वित हुए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) :

(क) सिने आर्टिस्ट वैलफेयर फंड ऑफ इंडिया का प्रबंध और संचालन इस फंड के न्यासियों द्वारा किया जाएगा ।

(ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा इस फंड के लिए बीज राशि के रूप में अथवा ट्रस्ट फंड के रूप में निधि का प्रारंभ करने के लिए 10,000/– रुपए की राशि न्यासियों के नाम अन्तरित कर दी गई है।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

(घ) सर रिचर्ड एटनबरो राष्ट्रीय फिल्म बिकास निगम तथा अन्य पार्टियों के बीच फिल्म "गांधी" के सह–निर्माण और वित्त करार के अनुसार फिल्म के शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत सिने आर्टिस्ट वैलफेयर फंड ऑफ इंडिया को देय होगा । चूंकि यह राशि अभी तक भारत को अन्तरित नहीं की गई है, इसलिए यह स्कीम अभी तक शुरू नहीं हुई । राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने इस धनराशि को भारत अन्तरित करने के लिए उपाय शुरू कर दिए हैं ।

विवरण

(1) उन सिने कलाकारों (अथवा उसके आश्रितों) की सहायता करना जो बुढ़ापे अथवा किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण अपंग हो गए हों और जिन्हें वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो ।

(2) ऐसे सिने कलाकारों और उनके आश्रितों को डाक्टरी सहायता प्रदान करना ।

(3) ऐसे सिने कलाकारों के आश्रितों (2 बच्चों तक सीमित) की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना ।

(4) दुर्घटना, इलाज संबंधी आपात स्थिति आदि के मामले में सहायता प्रदान करना ।

(5) न्यासियों द्वारा अन्यथा अनुमोदन के आधार पर किसी सिने कलाकार को जिसने कम से कम 5 फिल्मों में काम किया हो और जिसकी वार्षिक आमदनी सभी स्रोतों से 24,000/– रुपए से कम हो, वह इस न्यास की उपर्युक्त किसी कल्याण स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकता है ।

(6) "सिने कलाकार" से अभिप्राय ऐसा कोई व्यक्ति है जो किसी भी रूप में किसी भी फिल्म में पर्दे पर आया हो ऐसी फिल्म का निर्माण किया गया हो तथा उस फिल्म को जनता को दिखाया गया हो ।

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : सर, हमने जो सवाल उठाया था, उस पर उन्होंने कहा था, कि हम स्टेटमेंट देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बताया गया कि वे स्टेटमेंट देंगे। मैं आपको बाद में समय दूंगा।

श्री रामविलास पासवान (रोमेड़ा) : सर, अम्बेड़कर साहब की मूर्ति तोड़ने पर स्टेटमेंट देने के बारे में भी कहा था कि हम स्टेटमेंट देंगे। **(व्यवधान)**

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : सर, दिल्ली में सारे घरों को उजाड़ा जा रहा है, ...

अध्यक्ष महोदय : आप मालिनी जी को बोलने दीजिए। आपको बाद में समय दिया जाएगा। **(व्यवधान)**

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, दोनों सूचना और प्रसारण मंत्री यहां मौजूद हैं इसलिए मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि क्या वह जानते हैं कि कुछ विदेशी टेलीविजन कम्पनियों ने समाचार सेवाओं के लिए सहयोग हेतु भारतीय समाचार पत्र ग्रुप से बातचीत की है। इसके साथ ही समाचार पत्रों में कुछ समाचार हैं कि कुछ भारतीय समाचार पत्र ग्रुप दूरदर्शन के नए चैनल में भागीदारी चाहते हैं।

यह सूचना हमारे लिए खतरनाक है क्योंकि समाचार पत्रों द्वारा दूरदर्शन में आने के ऐसे प्रयास तथा समाचार सेवा का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करना के प्रयास से कुछ बड़ी एजेंसियों का समाचार सेवा पर कुछ हद तक नियंत्रण हो सकता है और समाचार सेवा में उनका एकाधिकार होगा। हमें आशंका है कि इससे स्वदेशी समाचार सेवा बनाने के प्रयास समाप्त हो जायेंगे। मैं इस मुद्दे पर मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि क्या यह सच है कि वे संचार माध्यमों में एक दूसरे पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रहे है। जहां तक इस मुद्दे का प्रश्न है इससे सूचना नीति पूर्णरूप से प्रभावित होती है। हम इस सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं कर पाए हैं, मैं जानना चाहूंगी कि क्या ऐसी प्रारूप नीति तैयार की गई है क्या इस प्रारूप नीति के बारे में कोई निर्णय, मुख्य निर्णय लेने से पूर्व जो हमारी सूचना नीति को बदल दें उन्हें कार्यान्वित करने से पहले सभा के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, जिस सवाल की और मालिनी जी ने ध्यान दिलाया है और अभी रॉयटर नाम की जो एजेंसी है, जो यहां 1 हिन्दुस्तान में पी. टी. आई. के नैटवर्क पर अपना काम करती थी, उसने भी कह दिया है कि जुलाई से उसका अपना सैपरेट नैटवर्क होगा, पी.टी.आई. के जरिए वह अपना काम नहीं करेगी।

अमरीका की दि समाचार एजेंसीज को भारत सरकार ने भारत में आने की छूट दे दी, यूनीवार्ता, यू. एन. आई,. पी० टी० आई० और भाषा जो भारत की प्रमुख समाचार एजेंसीज थीं, उनके कार्यक्षेत्र में विदेशी एजेंसीज का प्रवेश हो गया है। इग्लैंड की एजेंसी और अमरीका

की एजेंसीज 3 बड़ी एजेंसीज ने भारत में इनके नैटवर्क को समाप्त करने का काम शुरू कर दिया है। इस तरह से इस देश में इन्फर्मेशन की जगह पर डिस्इन्फर्मेशन की सारी गुंजाइश पैदा हो गई है।

क्या भारत सरकार इस बात पर भी काबू पाएगी। हमारे देश की जो समाचार एजेंसीज हैं, इनके नैटवर्क को अपनी तरफ से सहायता देकर मजबूत बनाने की बजाय बाहर की एजेंसीज को इस देश में बुलाकर जो हमारे देश की समाचार एजेंसीज का नैटवर्क है, उसको खत्म करने और इस देश को धीरे-धीरे डिस्इन्फर्मेशन की ओर ले जाने का जो काम कर रही है यह कहां तक उचित, ताकि और इस देश की सुरक्षा और अपनी सम्प्रभुता के लिए उपयोगी और अच्छा कदम होगा, इस पर मैं सरकार का वक्तव्य पूर्णरूप से चाहता हूं और विदेशी कम्पनियों के समाचार एजेंसीज के रूप में भारत में प्रवेश की निन्दा करता हूं और उस पर रोक लगाने की भारत सरकार से मांग करता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफरपुर) : अध्यक्ष जी, मुझे इस पर तो खैर नहीं, बोलना, लेकिन मेरा समर्थन इसके लिए भी है, परन्तु मैं दूसरे बिन्दु पर बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपका भी वही मुद्दा है। यदि आपका मुद्दा भिन्न है तो मैं बाद में आपको अनुमति दूंगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : महोदय, मैं दोनों माननीय सदस्यों की बातों का उत्तर दे सकता हूं। जहां तक श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य का संबंध है हमने भी समाचार पत्रों में देखा कि हमारे कुछ समाचार पत्र अर्थात जो समाचार पत्र भारत में ही प्रकाशित होते हैं तथा उनके मालिक भारत में ही हैं, उन्होंने कोई समझौता करने के उद्देश्य से विदेशी टेलीविजन कम्पनियों से सम्पर्क किया है। हमने इस बारे में पूछताछ शुरू कर दी है।

जहां तक विदेशी एजेंसियों का संबंध है इस बारे में उच्च स्तर पर चर्चा हुई थी। पी० टी० आई० तथा यू० एन० आई० कार्यरत हैं और हम तथा जनता उनके कार्यकरण से संतुष्ट है। वित्त विभाग ने कुछ आर्थिक सूचना मांगी थी जिसे वे बहुत आवश्यक समझते थे। इसी कारण क्या किसी विदेशी एजेंसी को कुछ आर्थिक आकंडे सार्वजनिक उपयोग हेतु नहीं बल्कि अपने उपयोग हेतु देने के लिए कहा जा सकता है। इस समय सरकार ने भारतीय समाचार एजेंसियों समाचारपत्र उद्योग में इस मामले पर पूर्ण चर्चा किए बगैर ही निर्णय लिया है कि विदेशी एजेंसियों से किसी प्रकार की मदद न ली जाए। हम अपनी स्वदेशी एजेंसियों अर्थात पी०टी०आई० और यू० एन० आई० पर निर्भर रहेंगे और उनके साथ चर्चा करेंगे कि क्या उन्हें ऐसी आर्थिक सूचना देने में कोई कठिनाई है जो सरकार नई आर्थिक नीति के तहत बहुत आवश्यक है, इसमें निहित जानकारी में बहुत आवश्यक है। **(व्यवधान)**

जहां तक संचार माध्यमों में परस्पर प्रतिबन्ध का संबंध है इस बारे में विभिन्न समितियों ने विचार किया था। सरकार का विचार एकाधिकार को समाप्त करना है और संचार माध्यमों में परस्पर प्रतिबन्ध सभी विकसित और विकासशील देशों में लगाए गए है।

वर्धन समिति ने सिफारिश की है कि दूरदर्शन में किसी निजी निर्माता को कोई अधिकार देते समय संचार माध्यमों में परस्पर प्रतिबन्ध को ध्यान में रखा जाए। इसलिए सरकार इस बारे में पूर्णतः सजग और सचेत है।

12.02 म.प.

महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति के बारे में

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में व्याप्त भयंकर सूखे की स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मौजूदा समीक्षा के अनुसार महाराष्ट्र में 47,000 गांवों में से 29,157 गांवों को कमी से प्रभावित गांव घोषित किया गया है। यह बहुत ही विरल स्थिति है। ऐसी स्थिति में यह अपेक्षा है कि केन्द्र सरकार इस कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराए।

महाराष्ट्र सरकार के प्रावाधानों के अनुसार यह दर्शाया गया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए लगभग 834 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। 834 करोड़ में से 500 करोड़ रुपये पहले ही 31 मार्च तक खर्च किए जा चुके हैं और केन्द्र सरकार ने इसके लिए केवल 33 करोड़ का योगदान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने कृषि मंत्रालय को अनेक ज्ञापन दिए हैं। प्रधान मंत्री को भी पहले ही ज्ञापन दिया गया है। लेकिन पहले एक अवसर पर सरकार ने घोषणा की थी कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं दी जाएगी।

माननीय कृषि मंत्री सभा में मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि पहले तो गुजरात और मध्य प्रदेश में दल पहले ही वहां सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा कर चुका है। इसलिए एक दल तुरन्त महाराष्ट्र भी जाए तथा महाराष्ट्र को अतिरिक्त धनराशी दी जाए क्योंकि इस स्थिति का सामना करने के लिए नियोजित धन कोष का 20 प्रतिशत पहले ही ले लिया गया है और इससे राज्य का नियोजित विकास प्रभावित होगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा); 24-25 तारीख को मैं महाराष्ट्र में गया था नागपुर, वर्धा और पुलगांव में जिस तरह सूखे की स्थिति है, उसमें आदमी तो किसी तरह से पानी जुटा रहे हैं लेकिन मवेशियों की हालत बहुत खराब है। जो हालत देखने को मिली, हजारों लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि किसी तरह से पानी की व्यवस्था करवाइए, नहीं तो हम मर जाएंगे।

इसलिए मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा कि अभी गर्मी बहुत नहीं आई है। अप्रैल का महीना है, फिर पूरा का पूरा मई व जून का महीना है, इस कारण अकाल के संकट को भारत सरकार बहुत गम्भीरता से ले। विदर्भ और मराठवाड़ा के एरिया के बारे में तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। भारत सरकार राज्य सरकार के ऊपर यह सब न छोड़े। भारत सरकार युद्ध स्तर पर अभी से इसकी तैयारी करें और जो भी सहायता हो वह निश्चित रूप से देने का इंतजाम करना चाहिए।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में जो अकाल पड़ा है, आजादी के बाद सबसे गम्भीर यह अकाल है। ऐसा गम्भीर अकाल 1972 में पड़ा था उस अकाल में

लगभग 600 करोड़ रुपये की सहायता केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र को दी थी। लेकिन अभी इस समय पर कुछ नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि इसके बारे में नई पालिसी बनायी थी। लेकिन जब परिस्थिति गम्भीर हो, तब एक डेलिगेशन वहां भेजा जायेगा। ऐसा फाइनान्स कमीशन ने कहा था। यह एक गम्भीर स्थिति है। गम्भीर स्थिति को देखते हुए वहां डेलिगेशन भेजना चाहिए।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र, सरकार के हिसाब से दो करोड़ जानवरों को चारा खाने के लिए नहीं मिल रहा है और न ही पानी पीने को मिल रहा है, 4 करोड़ पशुओं की संख्या में से अगर उनको खाने के लिए घास नहीं मिलेगी तो स्थिति और गंभीर हो जायेगी। महाराष्ट्र के सारे लोग इसके कारण बहुत उत्तेजित हैं। आपने देखा होगा इसके कारण विधान सभा की कार्रवाई रूक गई है। और 8 मई को सारा महाराष्ट्र बंद होने जा रहा है। मैं चाहता हूं सरकार इसके बारे में बयान दे।

[हिन्दी]

वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक सेंट्रल टीम वहां तुरन्त जाये और कम से कम 500 करोड़ रुपया फस्ट इनस्टालमेंट के जरिये महाराष्ट्र सरकार को दिया जाए। अब तक 800 करोड़ रुपये इस पर खर्च किए गए हैं। सरकार को तुरन्त इसके बारे में काम करना चाहिए और समाचार मेंस्टेटमेंट भी देना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस पर ख्याल तो करें। यह एक गम्भीर बात है। महाराष्ट्र के लोग बार-बार कह रहे हैं कि वहां एक टीम भेजी जाये, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

श्री बिलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महाराष्ट्र में अकाल की गम्भीर स्थिति के बारे में अभी कई माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अकाल में खाने के सामान का तो इंतजाम किया जा सकता है लेकिन हमें आज यह भी सोचना है कि पीने के पानी की व्यवस्था इंसानों और जानवरों के लिए कैसे की जाए। वहां की जो सिंचाई योजनाएं हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अकाल के बारे में पूरा ब्यौरा लेकर वहां सेंट्रल टीम भेजी जाए। आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति वहां नहीं हो, ऐसी मांग सदस्यों ने पहले भी उठायी है। माननीय मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह से अवगत हैं। शायद वे ऐसा सोचते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से रिप्रेजेंटेशन मिले और हम सभी सदस्यों की तरफ से मिले तभी वह कोई पहल करेंगे। अतः हम उनसे यह आग्रह करना चाहेंगे कि महाराष्ट्र पर जो आपत्ति आई है, उसमें वह उनकी मदद करें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देंगे ? (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, मंत्री महोदय के उत्तर से पहले मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, केरल और पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 80 जिलों से अधिक में बिल्कुल भी वर्षा नहीं हुई है और मानसून में भी बहुत बिलम्ब हुआ है। वहां पर पेयजल नहीं है और गरीब लोगों तथा खेतिहर मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा है।

वे भुखमरी से ग्रस्त हैं और यह एक गंभीर स्थिति है। कृषि मंत्रालय की अनुदान मांगों पर पहले ही विचार हो चुका है और पहले ही समय जा चुका है, सरकार इस पर गौर करे और देश भर में सूखे की गंभीर स्थिति का सामना करने के लिए एक नई योजना तैयार की जाए। महोदय, माननीय मंत्री यहां पर मौजूद हैं और मुझे उम्मीद है कि यह आश्वासन देंगे कि वह पश्चिम-बंगाल सहित देश के विभिन्न भागों में दल भेजेंगे और देश में स्थिति से निपटने के लिए विशेष योजनाएं बनायेंगे।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, नई योजना के संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि केरल भी सूखे से बहुत प्रभावित है। इस वर्ष केरल में असाधारण सूखा पड़ा है। मंत्री महोदय उत्तर देते समय केरल राज्य को भी ध्यान में रखें ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : थामस जी, हम पहले ही काफी लम्बे समय तक कृषि मंत्रालय की मांगों पर चर्चा कर चुके हैं और यह बात पहले ही कही जा चुकी है। कृपया बैठ जाइए।

श्री पी० सी० थामस : महोदय, केरल में तापमान 40° सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है.. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय का उत्तर नहीं चाहते ? ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य जो कुछ कहते हैं उनकी बात से बिल्कुल सहानुभूति रखता हूं। मुझे पता है कि किस प्रकार से कष्ट होता है लेकिन कुछ व्यवधान होते हैं, कुछ बीच में बाधाएं होती हैं, इस बात को, उसको देखना पड़ता है। आपको पता है कि हमने यहां ड्राउट कण्डीशन पर पूरी की पूरी बहस में हिस्सा लिया पिछली दफा भी लिया और अब भी हम ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, टीम भी भेजी। महाराष्ट्र में भी टीम भेजने की बात उस दिन मैंने कही थी, अब भेजेंगे। अब जो टीम हम भेजेंगे, वह देखकर अपनी रिपोर्ट दे देगा, वह रिपोर्ट मैं केबिनेट के सामने रखूंगा।

प्रश्न इस बात का होता है कि हमारे पास क्या है, जो मैं दे सकता हूं। पुराने जमाने में, आज से तीन चार साल पहले यहां से टीम जाती थी, फिर देखकर उसका काम करते थे कि जितना नुकसान हुआ, उसके हिसाब से अनुदान भी देते थे। नया काम भी करते थे, सहायता भी सेंट्र से दी जाती थी लेकिन जब से नाइन्थ फाइनेंस कमीशन बना, उस फाइनेंस कमीशन की वजह से सारे स्टेटस ने यह कहा कि पैसा सारा का सारा स्टेटस को बांट दिया जाए, उसे सेंटर न रखे। कैलेमिटीज रिलीफ फण्ड को। उस कैलामिटीज रिलीफ फण्ड के तहत 10 साल की एवरेज के हिसाब से हर स्टेट को पैसा बांट दिया गया कि हर स्टेट को इतना-इतना पैसा साल में मिलेगा और चार किश्तों में मिलेगा। हर तीन महीने बाद वह किश्त रिलीज कर दी जाती है जिसमें 603 करोड़ सेंटर की तरफ और 201 करोड़ रुपये स्टेट्स की तरफ से, इस प्रकार का है तो वह हमने पहल भी रिलीज कर दी है और अगर ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो स्टेट मांगता है तो हम दूसरी रिलीज कर सकते

है। और भी यदि जरूरत पड़ती है तीसरी भी रिलीज करने की सिफारिश कर सकता हूं। बाकी नेशनल कैलेमिटीज अगर सरकार डिक्लेयर कर दे। सरकार या हम यहां सेंटर में बैठकर फैसला कर लें कि इतनी गंभीर समस्या है कि उसके मुताल्लिक नया पैसा सेंटर से दिया जाए, फिर मैं और मदद कर सकता हूं तो उसके लिए जैसे-जैसे टीम जाती है, मैं उसकी रिपोर्ट कैबिनेट के सामने रखूंगा। यह बात है। ····(व्यवधान)

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : गुजरात के बारे में नहीं कहा, वहां तीन साल से अकाल पड़ रहा है।····(व्यवधान)

12-18 म० प०

स्टाक एक्सचेंज के बारे में

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष जी, पिछले महीने की 31 तारीख को इस सदन से सिक्योरिटीज एण्ड एक्सचेंज बोर्ड आफ इण्डिया कानून को पास किया था। उस कानून का अमल उसके तत्काल बाद शुरू होना था। एस०ई०बी०आई० के अध्यक्ष हैं श्री जी०वी० रामकृष्णन, उनकी तरफ से देश के तमाम स्टाक एक्सचेंज को यह आदेश गया कि वे तमाम स्टाक ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन को तत्काल एस०ई०बी०आई० से करें।

अपने को रजिस्ट्रेशन करने की जगह पर, यानि इस संसद में पारित किए हुए कानून को स्वीकार करने के बजाय इन स्टाक ब्रोकर्स ने देश के सारे स्टाक एक्सचेंज में हड़ताल शुरू करके, आज यह तीसरा सप्ताह शुरू है रहा था, मेरी उम्मीद थी कि वित्त मंत्री इस सदन में इस बारे में कुछ कहेंगे या सदन के बाहर इसको हल करने के किसी उपाय को भी निकालेंगे। चूंकि यह मामला अभी इतना गंभीर हो गया है कि हिन्दुस्तान के स्टाक एक्सचेंज में इस वक्त जो कुल पूंजी लगी है, वह पूंजी की रकम तीन लाख 20 हजार करोड़ रुपये है।

12.19 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज के स्टाक मार्केट की जो कीमत है, वहां जो कुछ रजिस्टर्ड पूंजी है, वह तीन लाख 20 हजार करोड़ रुपये है। एक बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि जितने स्टाक ब्रोकर्स हैं, यह किसी भी प्रकार के सरकारी नियंत्रण के अन्तर्गत आने के लिए तैयार नहीं हैं। इसकी एक वजह पिछले हफ्ते में देश के सामने आ गई जब स्टेट बैंक आफ इण्डिया अकेले एक बैंक ने एक हजार करोड़ रुपये रीकन्साइल करने में मुश्किलात दिखाई·····हजार करोड़ रुपये एडवांस किया था, एक स्टाक एक्सचेंज के बड़े ब्रोकर को, जिसका नाम ·····को हजार करोड़ रुपया अकेले स्टेट बैंक ने एडवांस किया और वह पैसा सिक्योरिटीज रिकंसाइल नहीं कर पाए, क्योंकि सिक्योरिटीज को वापिस मिलनी थी, वह उन्होंने नहीं दिया। कल बम्बई में एक सभा में**····· एलान किया, पांच सौ करोड़ रुपये का हमारा लेन-देन था, उसमें 480 करोड़ रुपये की

सिक्योरिटीज हमने डिपाजिट की है और हम को इस लिए यह खेल खेलना पड़ा कि विदेशी बैंक हमारे स्टाक एक्सचेंज में खेलने का काम कर रहे थे। कुल मिलाकर यह स्थिति है कि हमारे बैंक अपने पैसों को ऐसे लोगों के हाथ में दे रहे हैं, जो पैसा स्टाक एक्सचेंज में, सट्टे बाजार में इस वक्त जा रहा है और उस की सिक्योरिटीज को वापिस लेने का काम नहीं हो रहा है दूसरी बात यह है कि बहुत छोटे लोग, यानि आर्थिक मामलों में साधारण इंसान जो स्टॉक एक्सचेंज में खेलने के लिए गया है, शेयर खरीदने के लिए गया है। अभी यहां पर हवाई जहाज मिनिस्ट्री की चर्चा हो रही थी कि जहाज लेट होते हैं। परसों हमारा जहाज भी तीन घण्टे लेट था वहां इंडियन एयरलाइंस के ट्रैफिक असिस्टेंट ने घेर लिया और बोले कि हम लोग प्रोविडेंट फण्ड से कर्ज ले रहे हैं, सोसायटीज से कर्ज ले रहे हैं और स्टाक एक्सचेंज में शेयर खरीद रहे हैं, हम लोगों का क्या होगा? मैंने कहा--एक दिन सब डूब जाओगे। चूंकि इस वक्त हमारे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की कीमत इन्डैक्स में जो असली दाम है, उससे सैंतीस गुना ज्यादा चल रहा है। कम्पनियां** ..... कर रही हैं और ** ..... कर रही है और स्टाक ब्रोकर्स संसद को चुनौती देकर बैठे हैं। मैं केवल हड़ताल की बात नहीं उठा रहा हूं। स्टेट बैंक आफ इंडिया जैसा बैंक, हिन्दुस्तान की सरकार का सबसे बड़ा बैंक, रिजर्व बैंक के बाद हिन्दुस्तान की सरकार का बैंक, आपको मालूम है स्टेट बैंक से पिछले हफ्ते बम्बई की काल मार्केट को देने के लिए एक पैसा नहीं था। नतीजा यह हुआ कॉल मार्केट ने 65 प्रतिशत ब्याज पर बम्बई में पिछले हफ्ते में काल मार्केट का पैसा डाला। इसके पहले रिकार्ड था, 40 प्रतिशत अप्रैल के दूसरे हफ्ते में। अप्रैल के चौथे हफ्ते में 65 प्रतिशत ब्याज के ऊपर काल मार्केट चल रही है। हम लोग यह खिलवाड़ देख रहे हैं और इस सदन को चुनौती आ रही है। उपाध्यक्ष जी, मामले को समझ लिजिए --"चुनौती"। मैं उस हड़ताल की चर्चा नहीं कर रहा हूं जो मजदूरों की हड़ताल होती है और सरकार पता नहीं कब कौन-कौन सा कानून --ऐसेन्शियल सर्विसेज मेंटेनन्स एक्ट और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या जो भी कानून हैं -- उन कानूनों का इस्तेमाल करती है। मजदूरों को गिरफ्तार करते हैं, हड़ताल को तोड़ने के लिए पुलिस भेजते हैं। यह स्टाक एक्सचेंज के ब्रोकर्स लिया-दिया लेकर पैसा बनाने वाले लोग, भारत के संविधान में बनाया हुआ यह कानून, सारे दूसरे कानूनों को बाजू में रख कर, इस सदन में पिछले महीने 30 तारीख को बनाया हुआ है, उस कानून को चुनौती है, देश के स्टॉक एक्सचेंज में। क्या कर रही है सरकार? क्यों झुक रही है स्टॉक ब्रोकर्स के सामने? क्यों आवाज नहीं उठाती है सरकार? क्यों रोकने का काम नहीं कर रही है सरकार? लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा, चूंकि आपका पैसा इस शेयर बाजार में नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे पास पैसा कहां है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यही बात है। इसलिए आपको आश्चर्य होगा यह बात सुनकर कि यह शेयर्स का जो लिया-दिया चलता है, इसमें अखबारों में आता है कि अमुक शेयर अमुक पैसे में अमुक रकम में खरीदा जा रहा है या बेचा जा रहा है। वह पैसा नहीं मिल रहा है। बम्बई की

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया गया।

स्टॉक मार्केट में जो लेना-देना होता है, ये स्टॉक ब्रोकर्स 15 प्रतिशत से 20 प्रतिशत रकम को अपनी जेब में रखते हैं और बकाया रकम को देने का काम करते हैं। अब वहां पर नए लोग खेलने के लिए गए हैं और अपने प्रोविडेंट फण्ड से या कहीं से भी कर्ज लेकर इस काम को कर रहे हैं। आज कल अखबारों में भी खूब छप रही है कि इन्डैक्स इतना जा रहा है। अमरीका ने भी शेयर मार्केट पर टिप्पणी लिखना शुरू किया है। मैं ये सारी की सारी चीजें सदन में सिर्फ इस बात को छेड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं।

मेरा आग्रह है कि आप वित्त मंत्री को बुलाकर उनसे निवेदन कीजिए। मैंने आज सुबह कालिंग अटेन्शन दिया है, उसको स्वीकार कीजिए और इस मसले पर सदन में तत्काल बहस कराइए। इस सदन में यह चुनौती है कि हम पास किए हुए कानून को मुट्ठी के बल पर और पैसे के बल पर खेल रहे हैं और देश को खत्म करने के काम में लगे हुए हैं।

.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं भी इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस मुद्दे पर श्री जार्ज फर्नान्डीज का पूर्ण समर्थन करता हूं उन्होंने अभी यह मुद्दा उठाया है। महोदय यह बहुत गंभीर मामला है। स्टॉक दलालों की हड़ताल चल रही है। यह लगभग तीन सप्ताह पुरानी हड़ताल हो गई है यह एक सुनियोजित चाल है और कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी यह चाहती हैं। इस नई संस्कृति को इस देश में बढ़ावा दिया जा रहा है और यह शेयर तथा प्रतिभूति की संस्कृति है। यह एक प्रसिद्ध हेरा फेरी का जुआ बन गया है जिसमें गरीब, आम लोग भी फंस रहे हैं। बजट सत्र चल रहा है।

इस सत्र में यदि इस समय हमारी वित्त व्यवस्था में, बैंकिंग प्रणाली में और हमारे उद्योग में निहित स्वार्थों की मदद के लिए ऐसे गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं तो इससे समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह सुसंगठित और सुनियोजित प्रयास है।

इसलिए मैं वित्त मंत्री से भी मांग करूंगा कि वह एक वक्तव्य दें और सही स्थिति का पता लगाएं कि हमारे बैंक इसमें कैसे लिप्त हो गए। यह हमारी अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वित्त मंत्री इस मामले में यथाशीघ्र वक्तव्य दें।

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन दिनों से दिल्ली में लगातार आतंकवादियों द्वारा बम कांड हो रहे हैं, उसकी पुलिस को और सरकार को चिंता नहीं है..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह स्टाक एक्सचेंज से संबंधित है। अब शून्यकाल चल रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण काल है। महत्वपूर्ण मद्दें सरकार के ध्यान में लाने होंगे ताकि सरकार उचित और तत्काल

कार्यवाही कर सके। इसलिए वह सरकार के ध्यान में लाए हैं। अब इसे एक वाद-विवाद में नहीं बदला जा सकता । श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सभी संबद्ध मुद्दों को शामिल कर लिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जो बहस चल रही थी तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। हमने उस समय खतरे की ओर इशारा किया था। यहां जो सेबी के लिए कानून बन रहा था और डिसकशन हो रहा था तो उस पर हमने खतरे का इशारा किया था । बड़े लोग इस देश में उस मामले में खेल खेलते थे और उसमें निम्न आय वर्ग के लोग भी लगे थे। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले अपना काम छोड़कर यह डिसकस कर रहे थे कि शेयर मार्किट में किसका क्या रेट है। हर जगह इसकी चर्चा हो रही थी। हमने यह आगाह किया था कि सभी लोगों का पैसा डूबेगा। इसको ग्लोरीफाई करने का काम वित्त मन्त्री जी ने अपने भाषण में किया । इसमें कैपीटल मार्किट में बिल्कुल नए सिरे से बढ़ोत्तरी हुई है, यह कहकर इसको प्रचारित किया । आज जब यह कोलेप्स हो रहा है और देश के सामने घनघोर आर्थिक संकट पैदा हो रहा है तो वित्त मन्त्री अपना मुंह छिपाए हुए हैं । आपसे अपील करूंगा कि उनको निर्देश दें कि वे अपना मुंह न छिपाएं और देश के सामने उनकी गलत नीतियों के कारण जो भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई है तो वे मुंह छिपाने की बजाए सदन का और देश का सामना करें और सारी स्थिति से जनता को अवगत करायें। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुश्किल यह है कि प्रत्येक राजनीतिक दल इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता है। यदि ऐसा है तो शायद अधिक समय लगेगा। प्रत्येक माननीय सदस्य का यह कर्त्तव्य है कि शून्यकाल के दौरान वह संगत और महत्वपूर्ण मुद्दों को ही सरकार के सामने रखे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैंने एक नोटिस दिया है पर इस विषय पर नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्यों ने महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है तो सरकार उन पर ध्यान देगी । यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो वक्तव्य दे दिया जायेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति एक ही मुद्दे पर अपना विचार व्यक्त करना चाहता है तो यह नियमित चर्चा हो जायेगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा मुद्दा तो एकदम अलग है । मैंने आपको लिखित में दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह अलग मुद्दा है तो निश्चित तौर पर आपको मौका मिलेगा ।

दूसरे, मुझे समस्त देश के माननीय सदस्यों के विचारों को--चाहे वे दक्षिण या उत्तर या पूर्व या पश्चिम किसी भी क्षेत्र के सदस्य हों जान लेने दें। अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी हैं जिन पर उन्होंने नोटिस दिया है। 10 बजे से पहले वह नोटिस कार्यालय में मिले हैं। उनका सूची में उल्लेख है ।

यदि ऐसे लोगों को बोलने का मौका न दिया जाए—जिन्होंने 10.00 बजे से पहले नोटिस दिया है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा ।

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढ़ा (झालो) : उपाध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न जार्ज साहब ने उठाया है वह इतना गम्भीर है कि आज देश में कई लोगों ने अपने प्रोविडेंट फंड से, पेंशन का पैसा और उधार पैसा लेकर तथा छोटे दुकानदार और पान की दुकान करने वालों ने अपने कारोबार बन्द करके सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया है। सारे देश में मिनिया हो गया है, सारे देश में पागलपन आ गया है। हमने वित्त मंत्री से कई बार कहा, उनके मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में भी कहा कि भगवान के लिए करोड़ों लोगों के जीवन में खिलवाड़ न होने दें। आप उसके बारे में कुछ कहें और करें। क्योंकि कई बोगस कम्पनीज बनती हैं, कल इश्यू होता है दस रुपए का भाव चार सौ रुपये तक फिक्टीसयस बढ़ा दिया जाता है। उसके ऊपर ····आकर वित्त मंत्रीजी स्टेटमेंट दें और हमारे काल अटेंशन मोशन को स्वीकार करें तथा इस पर चिन्तन हो।

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्षजी, पिछले तीन दिनों से दिल्ली में लगातार आतंकवादियों द्वारा बम कांड की घटनायें हो रही हैं, लेकिन पुलिस आतंकवादियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो रही है। आप भी सुनते हैं कि दिल्ली पुलिस किन कामों में लगी रहती है कि कभी वह शराब बिकवाती है या अन्य काम कराती है। लेकिन यहां मैं जो घटना आपको बताना चाहता हूं वह आश्चर्यजनक है। साऊथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर द्वारा एक मजबूर लड़की को काल गर्ल बनाने की सलाह देने वाली दिल दहलाने वाली और रौंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना मेरे सामने आई है। इसको परसों के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित किया है और कल यह जनसत्ता में भी आई है। इसके बारे में नेशनल कमीशन फार वूमेन की अध्यक्षा, जयंती पटनायक होम मिनिस्टर से मिलीं और अपने साथ वे दो कैसेट भी ले गई जिसमें उस सब-इंस्पेक्टर और उस महिला के बीच जो बातें हुई थी वह टेप है। यह घटना दक्षिण दिल्ली में हुई। मैं संक्षिप्त विवरण बताना चाहता हूं कि 25–26 साल की पूनम नाम की लड़की जिसकी सात–आठ साल पहल शादी हुई थी, उसके एक तीन साल का और दूसरा पांच साल का लड़का है। पति से नहीं बनी इसलिए वह महिला अपने दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। 10 शिकायतें करने के बाद भी अपने पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने दहेज के बारे में, उसको पीड़ित करने के बारे में शिकायतें कीं, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब ससुराल वालों की तरफ से उसकी सिस्टर-इन-लॉ की रिपोर्ट के ऊपर 10 अप्रैल को पूनम को गिरफ्तार किया गया। लाजपत नगर में उसको थाने में ले जाया गया। जबकि होम मिनिस्ट्री के आर्डर हैं कि बिना महिला पुलिस के रात को किसी महिला को थाने में नहीं रखा जा सकता ···· (व्यवधान) एक तरफ तो उसने दस शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ उसको रात को थाने में रखा जाता है। उसको मेट्रिन नहीं जाने

दिया जाता, ओपन टायलट दिया जाता है । फिर उसकी जमानत हो गई, घर में उसके बच्चे रात में अकेले रहे। उसके यह महिला इंडियन हाउसवाइव्स फेडरेशन की जाइंट सेक्रेटरी के पास जाती है और वह इसको जयंती पटनायक के पास ले जाती है। ये दोनों महिलायें थाने जाती हैं भेष बदलकर और उनमें से एक बाहर बैठी रहती है । जो वहां चर्चा होती है वह मैं आपको बताना चाहता हूं । पुलिस सब-इंस्पेक्टर उसको पैसा कमाने का तरीका बताता है और कहता है कि अच्छे पैसे की नौकरी दिलाने का मैं वादा करता हूं । उसको वह बताता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है । उसने पूनम को कहा कि औरतों के पास पैसा कमाने का एक ही जरिया होता है । उसने आगे कहा कि तुम मुझ से अच्छी तरह बात करती तो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता । मैं तो गिरफ्तार नहीं करता । तुम्हारे पास अच्छी खासी शक्ल है, काम से तो नोट कमाओगी । तुमने अभी 5-स्टार होटल या ओबराय-होटल नहीं देखा है ..... (व्यवधान) ..... यह सारा टेप में है। मैं जानना चाहता हूं कि एक पुलिस आफिसर ने एक यंग गर्ल को काल गर्ल रैकेट में भेजने के लिए साजिश की है, उसमें क्या कार्रवाई करते हैं ? मैंने आपसे यह भी कहा कि दिल्ली में महिलाओं की प्रतिनिधि श्रीमती जयन्ती पटनायक मुझसे मिल चुकी हैं और उन्होंने सारी घटना बतायी है । मैं जानना चाहता हूं कि जो महिलाओं की इज्जत का सवाल है, महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, उसके बारे में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

[अनुवाद]

संसदीय कार्यमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : श्री मदन लाल खुराना ने जो कुछ भी कहा है यदि वह सत्य है तो मैं गृहमन्त्री से आग्रह करूंगा कि वह इसकी तहकीकात करें। ऐसे पुलिस अधिकारियों को केवल निलम्बन ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध कठोरतम संभव कार्रवाई की जानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष (होदय) : सरकार ने पूरी जांच करने तथा उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि उस अधिकारी विशेष के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला): उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि यदि उ० प्र० में ऐसी कोई घटना घटती तो 356 धारा लगायी जाती । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि गृह मन्त्री इस्तीफा दें या उनको बर्खास्त किया जाये । उनकी नाक के नीचे और दिल्ली प्रशासन के नीचे ऐसा हो रहा है । यह गम्भीर विषय है । इस प्रकार केवल संसदीय कार्य मन्त्री के कहने से कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक लड़की को पीड़ित करने के सम्बन्ध में हम सभी की ओर से श्री मदन लाल खुराना की बातों को सरकार ने सुन लिया है। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री राम नाइक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए···· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डे (मंदसौर) : आज ही गृह मन्त्री से स्टेटमेंट दिलवाइये। **(व्यवधान)**

श्री कालका दास (करोलबाग) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में आतंकवाद की ओर माननीय सदस्य ने जो ध्यान दिलाया है, यह इतना जोर पकड़ रहा है कि रोज ही ऐसी घटनायें हो रही हैं। इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी कुछ बतायें कि आखिर इस तरह से ये कैसे बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसी घटनायें हो रही हैं। बम फूट रहे हैं, आतंकवाद भी बढ़ रह है, लोग मारे जा रहे हैं। गृह मन्त्री यहां आयें·····

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के किसी भी भाग में यदि ऐसी अपमानजनक घटना घटी होती तो उस पर इस सभा द्वारा चिंता व्यक्त की जाती। परन्तु यह घटना दिल्ली में ही घटित हुई है। इसके साथ ही विगत चार दिनों में तीन लगातार बम विस्फोटों की घटना का भी उल्लेख हमारे सहयोगियों द्वारा किया गया है। मेरे विचार में दोनों ही घटना इस प्रकार की हैं कि गृह मंत्री को सभा में आकर एक औपचारिक वक्तव्य देना चाहिए। आखिर दिल्ली में ऐसे मुद्दों पर चर्चा के लिए संसद के सिवाय और कोई मंच नहीं है। अन्य राज्यों के मामलों में राज्य विधान सभाएं राज्य विधान मंडल हैं जहां शायद ऐसे मुद्दों पर दिन भर चर्चा होती। परन्तु यहां यह संभव नहीं है। लेकिन कम से कम यह आशा की जाती है कि सरकार स्वयं ही संपूर्ण तथ्यों के साथ एक औपचारिक वक्तव्य दें और तब यदि सभा आवश्यक समझे तो आगे चर्चा की जा सकती है। मैं सरकार से कम-से-कम यह आशा करता हूं।····· **(व्यवधान)**

श्री मनोरंजन भक्त : (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) : दिल्ली में बम विस्फोट पर शुक्रवार को एक वक्तव्य दिया गया था। ···· **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : दिल्ली में चार दिन में इस तरह से तीन बम ब्लास्ट्स हुए हैं।

[अनुवाद]

वह इस तथ्य को उजागर करते हैं कि बल अपर्याप्त है। पुलिस इसका सामना करने में सक्षम नहीं है। इसके साथ ही इस तरह की निंदनीय घटना हो रही है।

[हिन्दी]

दोनों बातों के बारे में निवेदन करूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री से निवेदन करें कि इन दोनों के बारे में वक्तव्य दें। (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नांडीस (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, हम इसका समर्थन करते हैं कि जो मंत्री जी ने उत्तर दिया है, वह काफी नहीं है। गृह मंत्री आयें और फिर निवेदन करें ···· (व्यवधान)

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चान्दनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने क्षेत्र के लिए नोटिस दिये हैं। मुझे गंभीर बातें कहनी हैं ····· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में मौका दूंगा।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (तिवेंद्रम) : महोदय भारत सरकार की राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् पूरे देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों के समुचित कार्यकरण के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय परिषद् इन प्रशिक्षण केन्द्रों में तकनीकी प्रशिक्षण एक समान पाठ्यक्रम और उपयुक्त मानदंड सुनिश्चित करती है। दुर्भाग्यवश यह परिषद् 30 व्यावसायिक प्रशिक्षणों (ट्रेडों) को अनावश्यक मानते हुए समाप्त करने का प्रस्ताव कर रही है और उन्हें राष्ट्रीय परिषद् के क्षेत्र से निकाला जा रहा है। यह गैर कानूनी और गलत है और यह प्राकृतिक न्याय के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। उनमें से कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे लोहारी, बढ़ईगिरी, हीट मेटल तथा ढलाई आदि हैं और इसी तरह के करीब 30 व्यावसायिक प्रशिक्षण हैं जिन्हें अनावश्यक करार दिया जा रहा है। लोहारी और बढ़ईगिरी को पारम्परिक व्यवसाय माना जाता है और ये किसी समुदाय विशेष से जुड़े हैं। राष्ट्रीय परिषद् द्वारा समान नीति अपनाए जाने के कारण इसके पाठ्यक्रमों में सभी समुदाय के छात्र हैं। हजारों छात्रों ने प्रशिक्षण ले लिया है और वे बतौर कारीगर देश और विदेश में कार्य कर रहे हैं।

यह अत्यन्त गंभीर बात है। मुझे पता चला है कि कल बैठक होने वाली है और यदि ऐसा निर्णय ले लिया जाता है तो यह पूरे देश के औद्योगिक प्रशिक्षण के ढांचे को नष्ट कर देगा। मैं माननीय मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि वह परिषद् को यह निर्देश दें कि उन व्यावसायिक प्रशिक्षणों को समाप्त करने और उन्हें अनावश्यक घोषित करने के कार्य को रोका जाए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान आज सुबह के 'स्टेट्समैन' के संस्करण में छपी खबर की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें कुछ गंभीर आरोपों का जिक्र है जिसे मैं अभी प्रमाणित करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन, हमें उन आरोपों से अभी कुछ भी मतलब नहीं है जिसमें सरकार के कुछ उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। वह तो तब हो सकता है जब जांच के आदेश दिये जायें लेकिन मेरा मतलब इस बात से है कि विगत छह-सात महीनों से केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सरकार से अनुमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया है कि मारूति उद्योग लिमिटेड

के अध्यक्ष और अन्य उच्चाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सके और इस संबंध में मैंने आपको लिख कर दिया है। यह रिकार्ड में दर्ज है कि उन्होंने बारबार मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री के कार्यालय और उद्योग मंत्रालय को लिखा है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य जो उन्होंने ऐसे 16 मामलों से एकत्र किया है के आधार पर आरोप दर्ज करने तथा मारुति उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाये।

सबसे विचित्र बात यह है कि हम उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर इस बार कोई चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। अन्यथा मैं इस मामले को अभी नहीं उठाता। मुद्दा यह है कि सरकार के इस विचित्र तौर तरीकों का कारण क्या है। कोई प्रभावी व्यापारी इसमें शामिल है पर मुद्दा वह नहीं है। मारुति उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित कम्पनी है। यदि भार्गव जो कि अध्यक्ष हैं और जिनके विरुद्ध जांच के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने बहुत अधिक साक्ष्य एकत्रित किया है —मैं जानता हूं कि आप मुझे उतना समय नहीं देंगे जितना आपने श्री खुराना को दिया है। ठीक है। मुझे कोई आपत्ति नहीं। श्री खुराना और श्री जार्ज फर्नान्डीज एक घंटे तक यहां भाषण दे सकते हैं। मैं यह मुद्दा केवल आपके समक्ष रख रहा हूं कि सरकार की ओर से कोई व्यक्ति बेहतर होगा कि प्रधानमंत्री ही क्योंकि वह उद्योग मंत्रालय के प्रभारी हैं तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी उनके हाथ में है हमें यह बताएं कि क्या कारण है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लगातार निवेदन के बावजूद भी, जो साक्ष्य जांच ब्यूरो ने जुटाया है उसके आधार पर मारुति उद्योग के अध्यक्ष तथा अन्य उच्चाधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने के संबंध में सरकार की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति दोषी अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहा है। इसलिये, मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ संगत दस्तावेज भी मांगे हैं। वे दस्तावेज उन्हें न तो मंत्रालय द्वारा और न मारुति उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैं उन सभी आरोपों का जिक्र नहीं कर सकता जो उन्होंने लगाए हैं क्योंकि उन्हें मैं प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन मेरा मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यह सत्य है कि नहीं कि उक्त अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा बार–बार अनुमति मांगे जाने पर भी सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं दिया गया है। उनकी जांच के दौरान कुछ निंदनीय पहलु सामने आएं हैं और इसमें एक व्यक्ति: श्री ललित सूरी जिनका नाम हम इस सभा में पहली बार नहीं सुन रहे हैं वह दिल्ली के एक जाने माने व्यापारी हैं वह इन उच्च अधिकारियों से सांठगांठ में हैं और मुझे कोई कारण नहीं दीखता कि सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। अतः उन्हें के० जाँ० ब्यू० को श्री** . . . . तथा मारुति उद्योग के अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। अन्यथा हमें यह बताया जाए कि इन आरोपों का कोई आधार नहीं है और वे झूठे हैं। यदि ऐसा हुआ तो मुझे यह भय है कि और भी बातें सामने आयेंगी। जो संगत दस्तावेज केन्द्रीय जांच ब्यूरो मांगें वह उसे उपलब्ध कराई जायें।

जांच के दौरान श्री भार्गव और अन्य संबंधित अधिकारियों को पद मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वे उन पदों पर नहीं रह सकते जबकि उनके विरुद्ध जांच चल रही हो। मेरे विचार में यह सामान्य तरीका है। उन अधिकारियों के विरुद्ध कारंवाई होनी चाहिए जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जाँच कार्य में विलम्ब पैदा कर रहे हैं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अतः मैं समझता हूं कि इस मामले में इस तरह के० जाँ० ब्यू० को कलुषित और नीचा नहीं दिखाया जाए। सरकार के पास ऐसे मामलों की जांच के लिए केवल यही उच्चस्तरीय जांच एजेन्सी है। उन्होंने 16 मामले बनाए हैं। इनमें निहित आरोप बताए हैं। प्रथम दृष्टया साक्ष्य एकत्र किया गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह विश्वास है कि अगर मुकदमा चलाया जाए तो ये लोग दोषी पाए जायेंगे इसके बावजूद सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सरकार चुप बैठी है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो की अनुमति नहीं दी जा रही है और न ही दस्तावेज दिए गए हैं कुछ भी नहीं किया गया है। इस प्रकार मेरे विचार में बहुत ही गड़बड़ी वाली स्थिति है। दुर्भाग्य से हम उद्योग मंत्रालय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं अन्यथा हम इस मामले पर बहुत विस्तार से बोलते।

अन्त में, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि सरकार की तरफ से गृह मंत्री अथवा प्रधान-मंत्री या उद्योग मंत्री आगे आयें क्योंकि मैं सभा के अंदर यह आरोप लगा रहा हूं। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले में साक्ष्य एकत्र करने के आधार पर इन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। क्या ऐसा किसी व्यक्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है?

श्री अम्मा जोशी (पुणे): महोदय, मैं इसका समर्थन करना चाहता हूं। ..... **(व्यवधान)**।

उपाध्यक्ष महोदय: एक मिनट, इन्द्रजीत जी, मैंने कभी नहीं चाहा है कि मदन लाल खुराना जी को अधिक समय दूं और दूसरों को बिल्कुल समय न दूं। जब मैं यहां बैठता हूं तब मैं स्वयं को अपने मित्रों की मित्रता से अलग कर लेता हूं ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता कि वरिष्ठ व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी बुरी धारणाएं बनायें। ..... **(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मैंने आप पर कोई आक्षेप नहीं लगाया है। श्री खुराना की आवाज मेरी आवाज की तुलना में बहुत शक्तिशाली है। इसलिए मैंने ऐसा कहा, अन्य किसी कारण से ऐसा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे, अनेक सदस्य दस बजे से पहले कार्यालय में आ गये थे और उन्होंने अपने नाम दे दिए थे जिनकी सूची यहां मौजूद है। वे अति महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। शून्यकाल का उद्देश्य सरकार का ध्यान गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना होता है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और यदि वह आवश्यक समझे तो उन्हें सभा में वक्तव्य देना चाहिए। यह सरकार की मर्जी पर निर्भर है। शून्य काल को 'शून्य' नहीं बना देना चाहिए बल्कि इसे उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। अतः यदि कोई सदस्य किसी महत्वपूर्ण मामले के बारे में कुछ कहना चाहता है तो वह बात सरकार के ध्यान में लायी जाती है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि उस विषय पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार सुने जायें।

इसके अलावा कुछ व्यक्ति तत्काल ही अपनी शिकायतें दूर करवाना चाहते हैं। हमें ऐसी बातों के लिए अवसर देना चाहिए। जिन्हें पहले बोलने का मौका मिल जाता है उन्हें अपनी सीमाएं समझनी चाहिएं। उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि बाद के वक्ताओं को भी अपनी बात

कहनी है। मेरे विचार से यदि ऐसा मित्रतापूर्ण रवैया अपनाया जाए तो इससे ठीक बड़ा लाभ होगा। ..... (व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैंने भी इसी विषय पर सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भक्त, इसलिए मैंने आपको बताया है कि आपका नाम यहां है। सूची में 16 नाम हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति समय के महत्व को समझ लें तो सभी 16 लोग अपनी शिकायत यहां बता सकेंगे क्योंकि सभी अत्यन्त महत्व के विषय हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, मैं उसी विषय पर बोलना चाहता हूं जो श्री गुप्त ने अभी उठाया था। आपने उन्हें बोलने की अनुमति दे दी कृपया मुझे भी बोलने की अनुमति दीजिए क्योंकि मैं भी उसी विषय पर बोलना चाहता हूं और मैंने सूचना दी है (व्यवधान)

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : मैंने भी सूचना दी है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कोई भी राजनीतिक दल पीछे नहीं रहना चाहता है। मैं देख रहा हूं कि वरिष्ठ व्यक्तियों ने भी अपने हाथ उठाए हुए हैं। यह हम पर ही निर्भर है कि हम समय का कैसे उपयोग करते हैं और कैसे समय बचाते हैं ताकि बाद के वक्ताओं को भी समय मिल सके।

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, आपने उन्हें अनुमति दी है ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उनके मुद्दे सभा में उठाये नहीं जाते तो सदस्यों को 10.00 बजे से पहले सूचना देने के लिए कहने तथा ऐसी सूची बनाने का क्या फायदा है? क्या इसका कोई अर्थ है? वे क्यों कार्यालय में आयें आकर सूचना दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अतः कृपया चुप हो जाइए ताकि हम अगले विषय को ले सकें।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : एक वरिष्ठ सदस्य ने श्री भक्त के नाम की सिफारिश की थी। कृपया हम सुनें कि वह क्या कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी एक मौका मिलेगा।

श्री जगमीत सिंह बरार : महोदय, हम सुबह से प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको मौका दूंगा और श्री अहमद को भी मौका मिलेगा। अब श्री भक्त को बोलने दें।

श्री मनोरंजन भक्त : हम कथित भ्रष्टाचार के अनेक मामले देखते हैं जो हर दूसरे दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं। आज 'स्टेट्समैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो.....

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बार-बार यही बात कहने का क्या औचित्य है ?

श्री मनोरंजन भक्त : केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मारूति उद्योग के निदेशक पर मुकदमा चलाने के लिए उद्योग मंत्रालय से अनुमति मांगी है (**व्यवधान**) यह मामला बहुत समय से लंबित पड़ा है। उद्योग मंत्रालय के तत्कालीन सचिव ने इस बात से इंकार किया है कि उन्होंने स्वीकृति देने को टालने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो से और जानकारी मांगी है। दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो **प्रथम दृष्टया** जानकारी के आधार पर कार्य कर रहा है। चूंकि हम सच्चाई के बारे में नहीं जानते हैं इसलिए सरकार को एक वक्तव्य देकर इस आरोप का खंडन करना चाहिए अथवा उसे स्वीकार करना चाहिए। (**व्यवधान**) यदि सरकार इसे स्वीकार करती है तो सरकार को यह स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उसने उक्त व्यक्ति को अभियोजित करने की अनुमति क्यों नहीं दी।

इस संबंध में मैं सभा का ध्यान प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह सिफारिश की गई है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो सरकार से अनुमति लिए बिना ही उच्च अधिकारियों पर मुकदमा चला सकता है। अतः यह आवश्यक रूप से .....

श्री इन्द्रजीत गुप्त: महोदय, क्या आप एक पूरी चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं, चर्चा की अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं तो चर्चा समाप्त करना चाहता हूं। आपने यह बात शुरू की थी। आपको इस बात का श्रेय जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने तो केवल आपके ध्यान में यह बात लाई है। (**व्यवधान**)

श्री मनोरंजन भक्त : महोदय, उस समय उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। अब वह वाद-विवाद में शामिल होना चाहते हैं। आपने ..... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपनी बात पूरी कीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : इसलिए मैंने यह अनुरोध किया कि सरकार को ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में कदम उठाना चाहिए। सभा के सभी सदस्यों को संयुक्त रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। सरकार को या तो उस बात का खंडन करना चाहिए अथवा उसको स्वीकार करना चाहिए और साथ ही केन्द्रीय जांच ब्यूरो को बिना पूर्वानुमति लिए अपना कार्य करने का अधिकार देना चाहिए। वे मुकदमा चला सकते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जगमीत सिंह और श्री अहमद को अनुमति दूंगा। लेकिन उनसे पहले श्री अन्ना जोशी की बारी है। श्री जोशी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप संक्षेप में बोलिए और विषय पर ही बोलिए। (**व्यवधान**)

श्री अन्ना जोशी : महोदय मैं माननीय सदस्य का इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को मारूति उद्योग लिमिटेड के उच्च अधिकारियों के भ्रष्ट कार्यों के कारण उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी विषय पर डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय, श्री राम नाइक और मदनलाल खुराना जी सहित 46 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को स्वंय इस आशय का एक ज्ञापन दिया था, क्योंकि उनके पास उद्योग मंत्रालय का कार्यभार भी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भ्रष्टाचार के सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए और उसी समय श्री थुंगन, जो उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ने प्रेस के सामने यह कहा कि एक महिने के भीतर अनुमति दे दी जायेगी। उसके बाद प्रधान मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया कि वह श्री थुंगन को अनुमति देने के लिए कहेंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है। अतः मैं माननीय सदस्य की इस मांग का समर्थन करता हूं कि जिन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को तत्काल अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जगमीत सिंह **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक राजनीतिक दल को मौका मिलना चाहिए। इसके कुछ नियम हैं। यदि एक दल का सदस्य अधिक समय ले लेता है तो ..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी उनकी बात सुनी है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह (बरार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए सरकार के नोटिस में एक गम्भीर मुद्दा, जो सारे देश के लिए चिन्ता का विषय है, के बारे में कुछ बात कहना चाहूंगा। आज पंजाब की मण्डियों में गेहूं की आमद पीक पर है और पंजाब 70 प्रतिशत गेहूं हिन्दुस्तान को देता है। आज पंजाब में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा खड़ा हो गया है। कोई जोनल रैसट्रिक्शन न होने के बावजूद आज पंजाब का किसान और छोटे व्यापारी को कहा जा रहा है कि अगर ढाई सौ क्विंटल से ऊपर गेहूं की खरीद की जाएगी तो आपका लाइसेंस कैंसल कर दिया जाएगा। किसान को स्टोरेज की इजाजत नहीं दी जा रही है। आज देश में वर्धा की मण्डियों में वही गेहूं, जिसको पंजाब में 250 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जा रहा है, 500 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है।

मैं सरकार का ध्यान कृषि मंत्री जी नहीं हैं, इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि व्यापारी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें रेलवे वैगन दे दिए जाए जब जोनल रैसट्रिक्शन नहीं है। एक तरफ सरकार इन्टरनेशनल ट्रेड लिबरलाईजेशन की बात कर रही है, एक तरफ पंजाब का किसान जिसने केवल सरकार को रिवैन्यू नहीं दिया, खाड़कुओं को भी रिवन्यू देकर अपनी फसल को पाला है, आज उस पर यह रैसट्रिक्शन क्यों लगाई गई है। बरबल रैसट्रिक्शन को वापिस होना चाहिए। खाड़कुओं ने एक-एक एकड़ पर, जो गेहूं आज मण्डियों में आया है, किसानों से पैसा लूटा। यह तो वह बात हुई कि वरक की जिद से बचाने के लिए पंजाब के

किसान ने अपने आशियाने को आग लगाई है। आज देश की अन्य मण्डियों में 600 रुपए भाव हो और 1 से 7 मई तक पंजाब के समूह मजदूर और किसान संगठन, एक-एक मजदूर और किसान का बेटा आज पंजाब की खेती में यह गीत गा रहा है :

जिस खेत से दहकां को मुइस्सर न हो रोजी

उस खेत के हर गोशाए गंदम को जला दो।

सरकार बरबल इंस्ट्रक्शन्स के जरिए व्यापारियों को वैगन नहीं दे रही, 250 क्विंटल से ऊपर खरीद की इजाजत नहीं दे रही है और स्टोरेज की इजाजत किसान को नहीं दी जा रही है।

मैं कहना चाहूंगा कि हम बड़ी लिबरलाईजेशन की बात करते हैं, 70 प्रतिशत गेहूं पंजाब का किसान हिन्दुस्तान को दे रहा है लेकिन इस पर पाबन्दी क्यों लग रही है। आगे ही पंजाब के हालात इतने बिगड़े हुए हैं कि अगर सात दिन मण्डी का बायकाट रहा तो देश के लिए जो प्रक्योरमेंट टारगेट है, वह सम्पन्न नहीं हो पाएगा। डाईवर्सीफ़िकेशन की बात पंजाब के किसान के हृदय में बस चुकी है कि अगर लूट जारी रही तो क्यों न सन फ्लावर की खेती की जाए। वह बात जो खाड़कू करवाना चाहते हैं, कोई पंजाब का किसान गेहूं की फ़सल न बोए, वे उसमें कामयाब हो जाएंगे। यदि जोनल रैसट्रिक्शन नहीं है तो किसान, व्यापारियों को वैगन दिए जाएं, स्टोरेज की इजाजत दी जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यबाद।

1.00 म० प०

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार का ध्यान लोक हित के इस बहुत ही सार्वजनिक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में औषधियों और दवाइयों की कीमतों में अनुचित वृद्धि हुई है। मुझे यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि दवाइयों की कीमतों में 30 से 100 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और सरकार ने इसे रोकने में बड़ी सुस्ती दिखाई है। दवाइयों की कीमतों में इस अनुचित वृद्धि से निर्धन वर्ग के लोगों को अत्यन्त कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं नहीं जानता कि दवाइयों की कीमतों में वृद्धि का जो रवैया देश में प्रचलित है उस ओर सरकार ने गम्भीरता से ध्यान क्यों नहीं दिया।

महोदय, तीन माह पहले अम्पीसलीन के दस कैप्सूलों की कीमत 28 रुपए थी जो अब 37.50 रुपए हो गई है, क्लोरोमाइसिटिन के दस कप्सूलों की कीमत 6.80 रु० थी जो अब 9.80 रुपए है, सेपरोफ्लोकसिन की एक गोली 15 रु० की थी जो अब 23 रु० हो गई है। निर्धन वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से तपेदिक के रोगियों के लिए रेफ़ेमाइसिन के चार कैप्सूल तीन माह पहले 13.50 रु० के थे और अब यह 19.87 रु० के हो गए हैं एपीलेप्सी के लिए एपटोइन एक आवश्यक दवाई है और तीन माह पहले इसकी कीमत 12 रु० थी जो अब 21 रु० हो गई है। मेनीटाल की कीमत 58 रु० थी जो अब 98 रु० हो गई है।

मधुमेह के रोगियों के लिए डायनोइल की दस गोलियां 0.90 पैसे की थी जिनमें अब 200 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है और अब इनकी कीमत 2.70 रु० हो गई है । आई० वी० फ्लूयड की एक बोतल 20 रु० की थी जो अब 28 रु० की हो गई है । अनेक आवश्यक दवाइयों की कीमतें 50 प्रतिशत से 200 प्रतिशत तक बढ़ गई है लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है । सरकार इस मामले पर कोई कार्यवाई नहीं कर रही है।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अनेक व्यक्तियों को प्रधान मंत्री राहत कोष से धन दिया जाता है । कुछ सामाजिक संगठन गुर्दा प्रत्यारोपण और ऐसे अन्य आपरेशन करवाते हैं और उनके लिए जीवन रक्षक दवाइयों की कीमत पहले 3000 रु० होती थी और अब 6000 रु० हो गई है । मैं नहीं जानता कि सरकार इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपना रही है क्योंकि यह निर्धन वर्ग के लोगों को प्रभावित करता है। मैं आशा करता हूं कि कम से कम संसदीय कार्य मंत्री सरकार के ध्यान में यह बात लाएंगे। सरकार यूं ही इस मामले की उपेक्षा नहीं कर सकती है । दवाइयों की कीमतें बहुत अधिक बढ़ रही हैं और यहां पर कोई चर्चा नहीं की जा रही हैं तथा लोगों को इससे कठिनाइयां हो रही है । फिर हम कहां जाएं ? अतः महोदय, मेरा अनुरोध है कि सरकार इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अहमद आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और सरकार निश्चित रूप से इस ओर ध्यान देगी ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार की गुप्तचर एजेंसियां संसद अथवा समाचारपत्रों का अन्य संगठनों द्वारा निगरानी किये जाने के क्षेत्राधिकार से बाहर होती है ।

अतः इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि यह आशंका न रहे कि धन ठीक ढंग से खर्च नहीं किया गया और इस अभिकरण द्वारा ये कार्य इस तरह से न किए जाएं कि ये देश के हित में ही न हो।

आज के समाचार–पत्र में भारत सरकार की अनुसन्धान और विश्लेषण स्कन्ध के बारे में समाचार छपा है जिसका कार्य प्रभार सीधे प्रधान मंत्री के हाथ में है । यह सरकार की खुफ़िया सेवा एजेंसियों का प्रमुख संगठन है । इसका कार्य विदेश से जानकारी एकत्र करना है और इसे मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को अन्तर्राष्ट्रीय हालात को समझने के लिए प्रस्तुत करना है । आज के इस समाचार से पता चलता है कि सरकारी निधियों से मिलने वाले धन को खर्च करने के मामले में इस संगठन पर कोई निगरानी नहीं की जाती है । सरकार विलासितापूर्ण वस्तुओं से युक्त फ्लैटों को खरीदने की अनुमति नहीं देती है । लेकिन उन्होंने इस संगठन के अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए इन विलासितापूर्ण सामग्री से युक्त फ्लैटों को सरकारी निधियों के द्वारा खरीदा है। उन्होंने एक वाणिज्यक कम्पनी भी दर्ज की है जिसमें इस संगठन के अधिकारी निदेशक बने हुए हैं । उन्होंने इसमें काफ़ी अधिक धन का अन्तरण किया है । पड़ौसी देश में एक राजनीतिक दल को चुनाव में सहायता देने के लिए 4.5 करोड़ रुपयों को खर्च करने का आंकड़ा दिया गया है । मैं यह अन्दाज नहीं लगा रहा

हूं कि वह दल कौन सा है । अब चूंकि यह अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध के मार्फ़त कलकत्ता में दिया गया है । अतः कोई भी आसानी से यह अनुमान लगा सकता है कि यह पैसा कहां गया। मैं नहीं समझता हूं कि भारत सरकार का कोई ऐसा कार्यक्रम है, जिसको संसद की यह स्वीकृति हो कि वह वहां जा सकते हैं और एक पड़ोसी देश के चुनावों में हस्तक्षेप कर सकते हैं । अब सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि वह सभा के समक्ष आए और इस बात को स्पष्ट करे ।

समाचार पत्रों में मयान्मार का नाम समाचार पत्रों में आया है । मयान्मार में भी यह एजेंसी कार्यरत है । यह मयान्मार उस क्षेत्र में व्यापार कर रही है जहां कचिन इण्डिपेंडेंट्स आर्मी की गतिविधियां जारी हैं। वे हीरे और जवाहारात का व्यापार कर रहे हैं। यह कहा जाता है कि सेना मयान्मार की केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध लड़ रही है । इस सेना को अनुसंधान और विश्लेषण स्कन्ध द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है ।

क्या हो रहा है ? सरकारी पैसे से वे क्या कर रहे हैं ? क्या इन गतिविधियों को मंत्रिपरिषद की मंजूरी प्राप्त है ? प्रधान मंत्री जिनके पास इस संगठन का कार्य प्रभार है ? वह सदन में आएं और यह अश्वासन दें कि इस संगठन के इन मामलों में और अन्य मामलों में एक जांच की जाएगी और यदि कुछ गलत घटित हुआ हो तो सभा को इसकी जानकारी दी जाएगी ।

सभा को स्पष्ट रूप से यह बताया जाना चाहिए कि क्या इस संगठन की आज की नीति के मुताबिक इसे किसी अन्य देश की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति है और यदि हां तो यह नीति बदल दी जानी चाहिए।

प्रधान मंत्री को यहां आकर हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन देना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बोलने वाले बहुत हैं, लिस्ट तो बहुत बड़ी है लेकिन.....

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अति गम्भीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दिल्ली के सातों जिलों में देश के कोने–कोने से आए हुए 40–50 लाख लोगों की आबादी है, जो गरीब हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, मजदूर हैं । उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों की संख्या लगभग 30 लाख की है । पिछले दो–तीन महीनों से जब भी पुलिस का मन होता है, उनके घर को तोड़ देने, उनको गिरफ्तार कर लेने, उनकी दुकान को उठा लेने का काम पुलिस द्वारा किया जा रहा है । मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि दिल्ली में जहां प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं वहां साधारण रिश्वत लेकर उनको परेशान किया जाता है । इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री को, गृह मंत्री को और सदन में भी कई बार इस प्रश्न को उठाया है कि इसमें सुधार किया जाए ।

चूंकि यह अपने ही देश के नागरिक हैं और उनका संवैधानिक अधिकार है, यहां रहने का। हर रोज हमारे यहां लोग आते हैं, कल भी हमारे यहां दो हजार लोग ऐसे आए थे, दिल्ली के, उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों की मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम लोग सरकार

को, दिल्ली को घेरेंगे। 50 लाख आदमी अगर दिल्ली को घेरना चाहेंगे तो दिल्ली की नाका-बन्दी हो जाएगी इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि पुलिस का परहेज करें..... गरीबों को रहने के लिए जगह दें, उनको सुविधा दें। यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है। इस सम्बन्ध में हम जब-जब भी बात को उठाते हैं, तो गृह मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने इस पर आज तक कोई जवाब नहीं दिया है। जब हम लोगों की सरकार थी, उस वक्त हम लोगों ने राशन कार्ड देने का काम किया था। इस सरकार में तो उनके राशन कार्ड को छीनने का काम किया जा रहा है, उनकी बस्ती को उजाड़ा जा रहा है। उनकों जेलों में ठूंसा जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सरकार को उनको राहत देनी चाहिए। यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं, आप उनसे इस पर वक्तव्य दिलवाइए। यह चूंकि तीस लाख लोगों का सवाल है, लेकिन जब एक दो लोगों की समस्या आती है, तो सदन में हंगामा होता है और सरकार जवाब देती है और मुआवजा देने का काम करती है। यहां तो सरकार ही उनको, उन गरीब लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आप पुलिस से परहेज कराइए और गरीब लोगों को राहत दीजिए।

श्री मदन लाल खुराना : उपाध्यक्ष महोदय, यादव जी ने जो कहा है, मैं उनका समर्थन करता हूं। उनको आल्टरनेटिव जगह दिए बिना ही उन को हटाया जा रहा है और पुलिस जबरदस्ती कर रही है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बिना आल्टरनेटिव कोई जगह दिए हुए किसी झुग्गी वाले को उजाड़ा न जाए। ..... **(व्यवधान)** ...

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सारे देश में और विशेष तौर पर दिल्ली में आतंकवाद बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, यह इस बात को सिद्ध करता है कि सरकार इस दिशा में बिल्कुल फेल हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, पिछली 13 तारीख को पहाड़गंज में बम कांड हुआ और 13 व्यक्ति घायल हुए। 15 तारीख को लाल किले के सामने बस में कांड हुआ और आठ व्यक्ति घायल हुए। कल सुबह जामा मस्जिद के पास बम कांड हुआ, जिसमें चौदह वर्ष का एक नौजवान बच्चा मारा गया और छः बच्चे बुरी तरह से घायल हुए हैं। कहा जाता है कि रैड अलर्ट किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब शनिवार को लाल किले के सामने बम कांड हुआ, रैड अलर्ट था, तो उसकी दो सौ गज की दूरी पर अगले दिन सुबह फिर बम कांड होता है। इसका मतलब यह है कि पुलिस सतर्क नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यह गम्भीर मामला है। अभी तक दिल्ली में घनी आबादी वाले इलाकों में बम कांड नहीं होते थे, लेकिन अब तो घनी आबादी वाले इलाकों में ये लोग सक्रिय हो गए हैं। मैं यह समझता हूं कि सरकार का और पुलिस का भय आतंकवादियों में नहीं रहा। सरकार को इस ओर सख्ती बरतनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल राज्यपाल महोदय की घटना स्थल पर आने की सूचना थी.....

श्री मदन लाल खुराना : उसकी छुट्टी हो गई।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : छुट्टी हो गई, लेकिन मैं तो कल ही करवाना चाहता था। कल रात को ही, लेकिन बारह घण्टे की देरी हुई है। हम लोग थाने में एक-दो घण्टे बैठे रहे।

उनकी हिम्मत नहीं हुई । लोग उन का इन्तजार कर रहे थे पार्क में, और लोगों में बड़ा रोष था । मैंने लोगों को सन्तोष दिया। वे थाने में अपने कार्यालय से भी सूचना दे सकते थे, सूचना ले सकते थे और आदेश दे सकते थे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं । उन्होंने मनुष्य के जीवन के साथ मजाक किया है । एक आदमी का एक बच्चा पन्द्रह साल का मरता है और दूसरा तीन साल का छोटा भाई उसी का, बुरी स्थिति में वहां पर है । उसको उन्होंने बीस हजार का अनुदान दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि एक मनुष्य के जीवन के साथ यह भद्दा मजाक है । मेरा निवेदन है कि मरने वालों के परिवार को दो लाख रुपए दिए जाएं और जो बुरी तरह से घायल हुए हैं, उनको 50 हजार रुपए दिए जाएं । मैं हास्पीटल में भी गया था । जिस प्रकार से जो वहां घायल थे, उनके जो मां–बाप वहां थे, बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था, जो कि देखा नहीं जा सकता था । हर आदमी की आंखों में आंसू थे। वहां की स्थिति—पेशाब की थैली जो होती है इमरजैंसी वार्ड में, पेशाब की थैली भी वहां पर मुहैया नहीं थी । मरीजों के मां–बाप से कहा गया कि आप बाजार से खरीद कर ले आइए । इमरजेंसी वार्ड में दो लाइट है, एक लाइट खराब पड़ी हुई है और एक लाइट जल रही थी । इतना अन्धेरा था कि जो डाक्टर्स मरहम पट्टी कर रहे थे या इन्जेक्शन दे रहे थे या इलाज कर रहे थे, मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहां बहुत ही अन्धेरा था । मैं निवेदन करना चाहता हूं जिस प्रकार की स्थिति आज वहां है, गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में कार्रवाही करें और उस बारे में यहां पर पूरा–पूरा स्टेटमेंट दें।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : भद्रोदय, मैं इसकी माननीय गृह मंत्री से चर्चा करूंगा और अगर कोई अन्याय किया जा रहा है तो उसे दूर किया जाएगा ।

[हिन्दी]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट का एक मामला आपके सामने लाना चाहती हूं । अभी–अभी मैं लिफ्ट नं० एक से नीचे जा रही थी तो वह लिफ्ट बीच में अटक गई।

[अनुवाद]

अत: वह बूढ़ा आदमी जो लिफ्ट चला रहा था उसने कई फोन नम्बरों को घुमाया लेकिन कोई आने नहीं आया। मैं वहां 25 मिनट तक रही ।

[हिन्दी]

मुझे ताज्जुब है कि आनरेबल मेम्बर्स बाहर से झांक कर जा रहे थे । यदि आपको चलानी है तो अच्छी तरह लिफ्ट चलाइए । इन तीन मंजिलों में इसके अलावा और कोई लिफ्ट भी चल सकती है । यह खटारा लिफ्ट मत रखिए। अगर रखनी है तो ठीक तरह से रखी जाएं और अच्छे मैकेनिक रखिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए : मैं वहां 25 मिनट तक रही । क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं ।

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कुछ कहने का समय दिया।

[हिन्दी]

श्री सूर्यनारायण यादव (सहरसा) : इस लिफ्ट की पूरी मरम्मत करानी चाहिए। (व्यवधान).....

[अनुवाद]

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : महोदय, मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड (ई० सी० एल०) के अन्तर्गत कार्यरत जे० के० रोपवेज एक ऐसा संगठन है जो नदी की तलहटी से रेत निकालने का कार्य करता है और इस रेत की आपूर्ति भराई करने के प्रयोजन में भूमिगत खानों को करता है।

इस संगठन में सामग्री और रेत की बोरी आए दिन की घटना हो चुकी है। पिछले 5 वर्षों में 50 लाख रुपए मूल्य की सामग्री को असामाजिक तत्वों द्वारा ई० सी० एल० के अनुभाग अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से चोरी किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जे० के० रोपवेज का संयन्त्र और मशीनें बेकार हो गई हैं। जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण संगठन से रेत का कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है। साथ ही कोयले का उत्पादन विशेष रूप से खानों की भराई पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। यहां रेत की भराई न होने के कारण प्रत्येक दिन गंभीर रूप से गैस निकलने और आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं। समस्त कोयला क्षेत्र असुरक्षित हो गया है। यह क्षेत्र लोगों की जान-माल के सन्दर्भ में भी असुरक्षित हो गया है।

ई० सी० एल० के प्रबन्धक मण्डल को विभिन्न स्तरों पर कई अभ्यावेदन पेश किए गए हैं, कोयला मंत्रालय को भी इस मामले पर गौर करने और इन सामग्रियों तथा रेत की पूर्व नियोजित चोरी को बन्द करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कई अभ्यावेदन दिए गए लेकिन अभी तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यहां तक कि सुरक्षा के सभी इन्तजामों को ई० सी० एल० प्रबन्धक मण्डल द्वारा सुनियोजित ढंग से कम से कम किया गया है तथा कम किया जा रहा है ताकि इन सामग्रियों की चोरी को चलने दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मामले के सारांश का उल्लेख कीजिए।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : मुझे पता चला है ई० सी० एल० के प्रबन्धक मण्डल ने इस महत्वपूर्ण संगठन को बन्द करने का फैसला किया है इससे लगभग 1200 कामगार फालतू हो जाएंगे। प्रबन्धक मण्डल ने इस रेत की आवश्यकता को निजी ठेकेदारों के द्वारा पूरा करने की भी योजना बनाई है। इससे स्वाभाविक रूप से ई० सी० एल० के अनुभाग अधिकारियों को इन निजी ठेकेदारों से अवैध रूप से कई लाख रुपए कमाने का अवसर मिलेगा।

महोदय, इन परिस्थितियों में मैं आपके जरिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ई० सी० एल० के उन भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाही करे जो सामग्री की चोरी के लिए

जिम्मेदार हैं और जो अपने प्रयोजन के लिए इस संगठन को बेकार पड़े रहने देना चाहते हैं और मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह ई० सी० एल० के प्रबन्धक मण्डल को जे० के० रोपवेज जैसे मूल्यवान संगठन को खत्म करने न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं जरा एक मिनट लूंगा ।

श्री नीतीश कुमार : आज आपका यह दूसरा अवसर है ।

श्री नीतीश कुमार: जी नहीं, महोदय। तब तो मैंने केवल श्री जार्ज फर्नान्डीस का समर्थन किया था, बस ।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप सामाजिक न्याय करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अन्य सदस्य भी यहां हैं । ठीक है, एक मिनट में करिएगा । क्योंकि पहले ही 1.25 म० प० हो चुके हैं । सभा पटल पर पत्र रखे जाने हैं । ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है । हमें समय का भी ध्यान रखना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी है ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, तिरूपति के बाद यह सरकार बिलकुल दमन की ओर बढ़ चली है । निश्चित मन बनाकर बढ़ चली है । 24 अप्रैल को मजदूरों पर संसद भवन से आधा किलोमीटर दूर निर्माण भवन के सामने बर्बर लाठी चार्ज किया गया।

नेशनल फ्रंट आफ ट्रेड यूनियन के तहत मजदूर वहां वित्त मंत्री डा० मननोहन सिंह को एक ज्ञापन देना चाहते थे । उनको ज्ञापन नहीं देने दिया गया। ये लोग सी० पी० डब्ल्यू० डी० के 27 हजार दैनिक भोगी कर्मचारी थे । वे नेशनल फ्रंट आफ ट्रेड यूनियन के तहत एक प्रदर्शन कर रहे थे । 62 मजदूर और उनके नेता घायल हुए, उनके तम्बुओं को उखाड़ कर फेंक दिया गया। कितने ही लोग जख्मी पड़े हुए हैं । उनको झूठे मुकदमों में फंसाया गया है, उन पर आंसू गैस छोड़ी गई और हवाई फायरिंग भी हुई ।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि यह सरकार मजदूरों पर दमन की कार्रवाई कर रही है, अगर इसमें सरकार की गलती नहीं है और मौके पर उपस्थित अधिकारियों की गलती से यह हुआ है तो इस मामले की जांच करानी चाहिए और जो दोषी हों उसको सजा मिलनी चाहिए। वरना यह माना जाएगा कि सरकार मजदूरों के किसी भी आंदोलन को, शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए तैयार है । आई० एम० एफ० के इशारे पर या मल्टी नेशनल कम्पनीज को मजबूत करने के लिए यह सरकार लगता है मजदूरों को नष्ट करने और उनकी जीविका को समाप्त करने पर आमादा है । **(व्यवधान)** ....

[अनुवाद]

श्री गुलाम नबी आजाद : शून्य काल में एक संसद सदस्य कितनी बार, बोल सकते हैं । मैं समझता हूं कि एक संसद सदस्य एक बार में एक मुद्दा उठा सकते हैं । लेकिन उस रोज इसने वाद-विवाद का रूप ले लिया । सरकारी कार्य का पूरी तरह नुकसान हो रहा है, हम इसे सुबह से कर रहे हैं । लेकिन इसका अन्त ही नहीं है । **(व्यवधान)** ....

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर विचार किया जा सकता है । शून्य काल में आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं । हमें इसे समाप्त करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं शून्य काल में किसी एक संसद सदस्य का मुद्दा उठाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक संसद सदस्य शून्य काल में तीन या चार बार मुद्दा उठा रहे हैं । जब भी उन्हें याद आता है वह खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं । दस मिनट बाद उन्हें कुछ और याद आता है तो वह खड़े होते हैं और कहते हैं । इसका कोई अन्त होना चाहिए । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जहां तक जीरो आवर का सवाल है, आप पुराने सदस्य हैं और गुलाम नबी जी भी पुराने सदस्य हैं । 1980 से यह परिपाटी चली थी कि प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर ध्यानाकर्षण हो जाया करता था और उस पर आधा या एक घंटा चर्चा हो जाती थी । अब क्या हो रहा है कि सदस्यों का कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके तहत वे अपनी बात को रख सकें। यदि रोज ध्यानाकर्षण लिया जाए तो उसमें महत्वपूर्ण विषय आ सकते हैं । जो नीतीश कुमार जी ने मामला उठाया है वह मेरे घर के सामने, 12 जनपथ रोड पर हुआ था । मैं उस वक्त नहीं था । जिस तरीके से मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जिस तरीके से आंसू गैस का प्रयोग किया गया, या तो उनको वहां जाने ही नहीं दिया जाता, कहीं दूर ही रोक लेते लेकिन वहां घायल अवस्था में लोग चिल्ला रहे थे, मैं सोच रहा था कि नीतीश कुमार जी ने यह मामला उठाया है, इस पर सरकार वक्तव्य देगी और गुलाम नबी जी उठे भी, हम समझे कि आप वक्तव्य के बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन आप इस गम्भीर मामले को दूसरी तरफ ले गए। नेशनल फ्रंट ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे उनमें से कई पुलिस की दमनात्मक कार्रवाई से घायल हुए, हम इसकी निन्दा करते हैं और सरकार को इस पर निश्चित रूप से वक्तव्य देना चाहिए, इस प्रकार की मांग करते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं । अधिकांश सदस्य जिन्हें पहले बोलने का अवसर मिला है उन्हें घुटन महसूस हो रही है । जिन्हें एक भी अवसर नहीं मिला वे भी व्यथित हो रहे हैं । यह हम पर निर्भर है कि हम एक निर्णय लें, आखिर इसे 1.30 म०प० तक नहीं बढ़ाना चाहिए। आम तौर पर इसे 12.45 म० प० तक खत्म हो जाना चाहिए था और हमें ध्यानाकर्षण लेना चाहिए था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सत्र के अवसान के समय आप यह सब सुझाव दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है । आप कितने अधिक समय से यहां पर हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह बजट सत्र है और विभिन्न मंत्रालयों की महत्वपूर्ण मांगों पर चर्चा की जानी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सहयोग कर सकें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा ।

[हिन्दी]

श्री राम निहोर राय (राबर्टसगंज) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं । मैं उत्तर प्रदेश की ऐसी जगह से आया हूं जो कि बहुत पिछड़ा हुआ जिला है । मिर्जापुर, सोनभद्र जिला में 60 प्रतिशत लोग हरिजन, आदिवासी और गिरिजन लोग रहते हैं जिनका मुख्य पेशा पत्थर तोड़ना है । वहां की भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए सरकार ने उन गरीब लोगों को सुविधा दी लेकिन आज इस उद्योग को बड़े-बड़े लोगों के हाथ में देने के लिए सरकार काम कर रही है । वे गरीब मजदूर अपनी मेहनत से छैनी-हथौड़ी से पत्थर काटते हैं यदि इसको बड़े लोगों के हाथों में दे दिया जायेगा तो लाखों गरीब हरिजन तबाह हो जाएंगे। मान्यवर, उनके ऊपर सरकार द्वारा बिक्री कर लगाया गया है। इससे वहां समस्या बढ़ती जा रही है । एक-एक हरिजन पर दस-दस हजार बिक्री कर आया है । यह सुनकर कई लोगों का हार्ट फेल हो गया है । वहां के ग्राम घाटमपुर के ऐसे कई लोग हैं । इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे और इस बिक्री कर को खत्म करवाये वरना वहां के लोग उजड़ जायेंगे। यह क्षेत्र हिन्दुस्तान को बिजली देता है, कोयला देता है फिर भी वहां के गरीब हरिजन भूखों मर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले मैंने वहां की गरीब हरिजन लड़की के साथ 4 व्यक्तियों द्वारा बलात्कार किये जाने की घटना का वर्णन किया था जिसकी सी०बी०आई० द्वारा जांच की मांग भी की थी इस प्रकार वहां के इस बिक्रीकर को हटाया जाये ताकि गरीब हरिजनों का विकास हो सके । साथ ही भारत सरकार वहां दाना-पानी दिलाने की व्यावस्था कराये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति पांच या छः मिनट बोलना चाहता है । मैं घंटी बजा रहा हूं और कृपया यह नहीं समझें कि यह प्रोत्साहन देने के लिए बजाई जा रही है और आप सभा में बहुत अच्छे मुद्दे रख रहे हैं । ऐसा नहीं है । जब घंटी बजती है तो इसका मतलब है कि आपको अपना भाषण पूरा करना है । अतः इसे प्रोत्साहन देना नहीं समझें। और मेरी आपसे प्रार्थना है कि बहुत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बातें ही कहें।

कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग करें। आप अपने भाषण को डेढ़ मिनट या ज्यादा से ज्यादा दो मिनट तक सीमित कर सकते हैं । जब आपको अवसर नहीं मिले तो आप एक मिनट के लिए कह सकते हैं लेकिन जब आपको अवसर मिल जाता है तो आप पांच या छह मिनट ले लेते हैं । यह तो वर्तमान नियमों का उलंघन है । सभा को 12.45 म० प० तक ध्यानाकर्षण ले लेना चाहिए था । सत्तारूढ़ पक्ष के सदस्य भी प्रसन्न नहीं हैं । अतः कृपया सहयोग करें । अब श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ (सिल्चर) : देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष रूप से बारक घाटी में समूची संचार व्यवस्था की स्थिति दयनीय है पैसा कम होने की दलील देकर असम सरकार चुप्पी साधे है

उपाध्यक्ष महोदय : यह नियम 377 के अन्तर्गत मामला नहीं है । आप कृपया सारांश कहें। इसे नहीं पढ़ें, इसमें तो अनावश्यक रूप से समय लगेगा ।

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : इसे छोटा करने के लिए ही में इसे पढ़ रहा है यदि मैं सब कुछ स्पष्ट करने लगू तो ज्यादा समय लगेगा ।

वर्षा ऋतु में संचार व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो जाती है जिससे बारक घाटी को बहुत परेशानी हो जाती है वर्षा ऋतु में गुवाहाटी से संचार जोड़ने वाले एक माल मार्ग से तथा देश के अधिकांश हिस्सों से संबंध टूट जाता है । देश के अन्य भागों से बारक घाटी को जोड़ने वाली एकमात्र रेलवे लाईन भी यातायात वर्ष में अधिकांशतया स्थगित रहता है।

स्वतन्त्रता से पहले बारक घाटी का कलकत्ता से वाया बंगला देश रेलगाड़ी के साथ–साथ स्टीमरों से सम्पर्क बना रहता था । लेकिन देश के विभाजन के बाद यह सम्पर्क टूट गया। अतः मेरा निवेदन है कि बारक घाटी के साथ वाया बंगलादेश रेल और स्टीमरों से सम्पर्क बरकरार रखा जाये । इसके लिए भारत सरकार को बंगला देश सरकार के साथ यह मामला उठाना चाहिए। और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चित्तबसु महोदय, आपका भाषण सबके लिए आदर्श होना चाहिए कृपया मुझे घन्टी बजाने का अवसर न दें ।

श्री चित्त बसु (बारसात) : आपके जरिये मैं सरकार का ध्यान पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के प्रति असंतुष्टि की तरफ दिलाना चाहता हूं । बात बहुत साधारण और छोटी सी है उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिये थे कि अपशिष्ट पदार्थ फेंकने वाले उद्योग 31 दिसम्बर 1991 तक प्रदूषण नियंत्रण उपाय कार्यान्वित कर लें । लगभग 1500 और शेष औद्योगिक इकाइयों द्वारा अभी इन प्रदूषण नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित करना बाकी है । पर्यावरण मंत्रालय ने यह तिथि दो वर्ष तक बढ़ा दी है । गंगा सफाई प्रक्रिया को ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, यद्यपि गंगा सफाई परियोजना में करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। वास्तव में गंगा हमारे लाखों लोगों के लिए जीवन है। अतः मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय का गंगा सफाई के संदर्भ में बगैर किसी बाधा के कार्यान्वित हो ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मान्यवर उपाध्यक्ष जी, मैं कोई शौकिया बोलने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । एक बहुत ही जरूरी नोटिस मैंने आपको दिया था कि हमें देवरिया से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों—देवरिया, गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ में पेट्रोल और डीज़ल बरौनी से सप्लाई होता रहा है। इस समय बरौनी से सप्लाई में बाधा पड़ गई है । वहां से पेट्रोल और डीज़ल नहीं आ रहा है । गन्ने की ढुलाई हो रही है, गेहूं की मढ़ाई हो रही है। वहां डीज़ल और पेट्रोल नहीं है इसलिए हाहाकार मचा हुआ है। सारे लोग बेकार पड़े हुए हैं । इसलिए या तो बरौनी से तेल वहां पहुंचाया जाए, नहीं तो दूसरे माध्यम से तेल वहां पहुंचाया जाए ताकि किसान अपने गेहूं की मढ़ाई कर सकें, गन्ने की ढुलाई कर सकें

यह ही अत्यन्त महत्व का प्रश्न है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने यह कहने के लिए मुझे समय दिया।

[अनुवाद]

श्री वी० कृष्णा राव (चिक्बल्लापुर) : कर्नाटक में बिजली की बहुत कमी है। कम वोल्टेज की वजह से सिंचाई मोटरें कार्य नहीं कर पाती हैं। बिजली न मिलने और कम वोल्टेज के कारण हजारों एकड़ भूमि में धान की फसल नष्ट हो रही है।

अत: मैं सरकार से कर्नाटक के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जैसे कोलार तुमकुर, बंगलौर और चित्रदुर्गा एवं बेल्लारी को भी रामागुण्डम से बिजली की व्यवस्था अथवा पूर्ति करने हेतु आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उसमें मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी शामिल कर सकते हैं। मैं भी उसी समस्या का सामना कर रहा हूं। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं।

श्री वी० कृष्णा राव : बिजली की आपूर्ति उन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए की जाएगी, जहां पर धान की फसलें कम से कम एक महीने से सूखी पड़ी हुई हैं। यह ताजा स्थिति है। अब उसके कटाई करने का समय आ चुका है। अत: दो तीन दफा जल की पूर्ति करना होगा। कम से कम एक से डेढ़ महीने के लिए इन क्षेत्रों को जल की आपूर्ति करने के लिए विशेष व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ धनराशि देकर, महाराष्ट्र से जल का प्रबन्ध कर सकते हैं। अब श्री धनंजय कुमार जी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या आप बयान दे रहे हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : महोदय, मैं केवल सभा-पटल पर पत्र रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ देर इन्तजार कीजिए। मैंने सोचा था कि आप इस मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। श्री धनंजय कुमार।

[हिन्दी]

श्री वी० धनंजय कुमार (मंगलौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हजारों की संख्या में जैन लोग राजघाट पर धरने पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि महावीर जयंती के अवसर पर हैदराबाद में जब जैन लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक ढंग से, जुलूस निकाल रहे थे, उस समय बिना किसी प्रोवेकेशन के, पुलिस के आफिसरों ने उन पर फायरिंग की।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब्जैक्ट आलरैडी लिया जा चुका है।

श्री वी० धनंजय कुमार : आज जैन समुदाय के लोग राजघाट पर धरना दे रहे हैं और मैं उसकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । कई माननीय सदस्य, मदन लाल जी खुराना, आदि वहां होकर आये हैं, हम भी वहां होकर आये हैं । जब महावीर जयंती के अवसर पर वे लोग शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक ढंग से जुलूस निकाल रहे थे तो उन पर फायरिंग की गयी, अंधाधुंध गोलियां चलायी गयीं और अश्रुगस का प्रयोग भी किया गया। इसके विरोध में आज देश भर के जैन सम्प्रदाय के लोग अपना गुस्सा प्रकट करने के लिये, यहां दिल्ली में राजघाट पर धरना दे रहे हैं । उनकी मांग है कि जो दोषी अधिकारी हैं, उन्हें तत्काल सस्पैंड किया जाये और वहां है जो काण्ड हुआ, उसकी ज्यूडीशियल इंक्वायरी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज से करायी जाये। इसके अतिरिक्त जिन लोगों पर वहां मुकदमे चलाये जा रहे हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाये । इस कारण सभी जैन सम्प्रदाय के लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएं आज फैल रही हैं । आप जानते हैं कि भगवान महावीर ने दुनिया को शांति और अहिंसा का रास्ता दिखाया था, मार्गदर्शन किया था । उनकी जयंती के अवसर पर जैन लोग शांतिपूर्ण और ठीक ढंग से जुलूस निकाल रहे थे परन्तु वहां उन पर अंधाधुंध गोलियां चलायी गयीं । हम सब उधर होकर आये हैं, जिसमें मदन लाल जी खुराना, खण्डेलवाल जी, और कालका दास जी भी शामिल हैं । मैं सदन में मांग करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इस काण्ड के सम्बन्ध में वक्तव्य आये और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध तुरन्त कार्यवाही की जाये ।

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल : उपाध्यक्ष जी, अगर इस विषय में तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी तो मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं, सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि अगर इन्होंने शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया तो 30 अप्रैल को दिल्ली बंद करने का इन लोगों ने निर्णय लिया है । फिर लाखों लोग यहां प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे । सारे भारतवर्ष से लोग यहां आये हुए हैं ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे । मुझे खेद है कि मैं प्रत्येक सदस्य को भाषण देने का अवसर नहीं दे सका ।

1.38 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से, संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी० 1846/92]

राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) :

मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों को एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय परियोजना सन्निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए सं० एल० टी०-1847/92]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) :

मैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए सं० एल० टी० 1848/92]

भारतीय प्रेस परिषद का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : मैं श्री अजित कुमार पांजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रेस परिषद के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी या अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गये /देखिए सं० एल० टी०-1849/92]

डाक विभाग की वर्ष 1992–93 के अनुदानों की विस्तृत मांगें संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : मैं डाक विभाग की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए संख्या एल० टी०—1850/92]

खान मंत्रालय की वर्ष 1992–93 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : मैं खान मंत्रालय की वर्ष 1992-93 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया/देखिए सं० एल० टी०-1851/92]

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का वर्ष 1990–91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : मैं, श्री एम० ओ० एच० फारूक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990–91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1990–91 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये/देखिए, संख्या एल० टी०-1852/92]

1.40 म० प०

प्राक्कलन समिति

सातवां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)—पूंजी निर्गम नियंत्रक की भूमिका–पूंजी बाजार का विकास और लघु निवेशकों की हैसियत संबंधी प्राक्कलन समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.40½ म० प०

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.40½ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

सातवां तथा नौवां प्रतिवेदन

श्री के प्रधानी (नवरंगपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही—सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) राष्ट्रीय अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों वित्त और विकास निगम संबंधी सातवां प्रतिवेदन;

(2) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

1.41 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.52 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.52 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को वी० एफ० सी० तम्बाकू के लिए कम कीमत दिए जाने पर उनमें व्याप्त असंतोष

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले पर वाणिज्य मंत्री का ध्यानाकर्षित करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

"आंध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों को वी० एफ० सी० तम्बाकू के लिए कम कीमत दिये जाने पर उनमें व्याप्त असंतोष।"

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): तम्बाकू बोर्ड अपने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के नीलामी स्थलों में तम्बाकू की नीलामी करता है। तम्बाकू उत्पादक अपनी तम्बाकू इन नीलामी स्थलों पर लाते हैं। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्राधिकृत सिगरेट निर्माता, निर्यातक और अन्य तम्बाकू व्यापारी इन नीलामियों में भाग लेते हैं और तम्बाकू खरीदते हैं। इस वर्ष आंध्र प्रदेश में नीलामी 14 फरवरी, 1992 को शुरू हुई। कुल मिलाकर 23 नीलामी मंच हैं।

घरेलू मांग और निर्यात संभावना का आकलन करने के बाद तम्बाकू बोर्ड ने आंध्र प्रदेश के लिए इस वर्ष 124.83 मिलियन कि०ग्रा० तम्बाकू की फसल मात्रा प्राधिकृत की है जबकि पिछले वर्ष यह मात्रा 89 मिलियन कि०ग्रा० तम्बाकू की प्राधिकृत की गई थी। यहां मैं बताना चाहूंगा कि 124.83 मिलियन कि०ग्रा० की इस मात्रा की तुलना में तम्बाकू बोर्ड की मूल योजना 145 मिलियन कि०ग्रा० प्राधिकृत करने की थी और पंजीकरण के लिए उत्पादकों के आवेदन लगभग 133 मिलियन कि०ग्रा० के थे।

वर्ष 1990 तक आंध्र प्रदेश में नीलामी मंचों पर औसत कीमत 17.00 रु० प्रति कि०ग्रा० से अधिक नहीं रही थी। वास्तव में तो 1990 में औसत कीमत केवल 14.69 रु० प्रति कि०ग्रा० रही थी। वर्ष 1991 में मांग में बहुत वृद्धि हो गई और इसीलिए, आंध्र प्रदेश में नीलामियों में औसत कीमत बढ़कर 33 रु० प्रति कि०ग्रा० हो गई।

परन्तु इस वर्ष नीलामियों में औसत कीमतों में गिरावट आई है। दिनांक 17 अप्रैल, 1992 की स्थिति के अनुसार, नीलामियों के दसवें सप्ताह के अन्त में औसत कीमत 30.22 रु० प्रति कि०ग्रा० थी जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 32.66 रु० प्रति कि० ग्रा० रही थी। इसकी तुलना में कृषि लागत और कीमत आयोग द्वारा निश्चित न्यूनतम समर्थन कीमत लगभग 16 रु० प्रति कि०ग्रा० है और व्यापारियों द्वारा आश्वस्त न्यूनतम गारन्टी कीमत 18.50 रु० से लेकर 21.50 रु० प्रति कि० ग्रा० तक है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कीमतों में कमी होने के कारण तम्बाकू उत्पादकों में काफी रोष रहा है।

तम्बाकू बोर्ड के अध्यक्ष तम्बाकू बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ लगातार सम्पर्क रखे हैं—इनमें उत्पादकों और व्यापारियों के प्रतिनिधि शामिल हैं। अध्यक्ष को निर्यातकों सहित सभी व्यापारियों और सिगरेट निर्माताओं के साथ भी सम्पर्क रखा है। तम्बाकू बोर्ड ने 23 अप्रैल, 1992 को बोर्ड की एक आपात बैठक आयोजित की जिसका उद्देश्य था सारी स्थिति का जायजा लेना और कीमतों को स्थिर करने के लिए समुचित उपायों पर विचार करना।

कीमतों में कमी अनेक कारणों से हुई है। इस वर्ष कुछ प्रतियोगी देशों जैसे ब्राजील, जिम्बाब्वे, मलावी, अर्जनटाइना और मैक्सिको में तम्बाकू का उत्पादन अधिक हुआ है। रूस ने अब तक 15,000 मी० टन का ही करार किया है जबकि 1992 के लिए भारत-रूस व्यापार संलेख में 25,000 मी० टन के करार की व्यवस्था थी। ब्रिटेन के व्यापारी हमारे प्रमुख खरीदार है किन्तु इस वर्ष वह भी कम सक्रिय है। जिम्बाब्वे में हाल ही में जो मुद्रा अवमूल्यन

हुआ है उसके फलस्वरूप भारतीय तम्बाकू को उस देश के तम्बाकू के साथ कीमत के मामले में कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है ।

तम्बाकू बोर्ड के प्रयासों के फलस्वरूप, व्यापारियों ने कीमतों में वृद्धि का आश्वासन दिया है । व्यापारियों ने एफ–1 ग्रेड के लिए कम से कम 32.50 रु० प्रति कि०ग्रा० कीमत देने की पेशकश की है और अन्य ग्रेडों के लिए तदनुसार ही समुचित कीमत की पेशकश की है । सरकार भी रूस की सरकार के साथ सम्पर्क रखे हुए है और आशा है कि रूस शीघ्र ही अगले करार करेगा ।

सरकार तम्बाकू उत्पादकों के हित के बारे में सर्वाधिक सजग है । सरकार ने तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों और उत्पादकों के बीच सौहार्दपुर्ण समझौता कराने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं । पिछले कुछ दिनों में जो गतिविधियां हुई हैं और व्यापारियों ने जो पेशकश की है उसे ध्यान में रखते हुए तम्बाकू बोर्ड ने सभी नीलामी मंचों पर-नीलामी कार्य फिर शुरू करने का निर्णय किया है । उत्पादकों ने अपनी उपज इन मंचों तक लाने की इच्छा व्यक्त की है । उत्पादकों को अपनी उपज नीलामी मंचों तक लाने में सहायता के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं । सरकार को आशा है कि कीमतें शीघ्र ही स्थिर हो जाएंगी और आंध्र प्रदेश में नीलामी कार्य फिर सामान्य तरीके से चलने लगेगा ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु (तेनाली) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से आपका आभारी हूं कि आपने इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया । आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादक विशेषत: तम्बाकू की कीमतों में कमी हो जाने के कारण काफी दबाव में है । तम्बाकू भारत में पैदा होने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण व्यावसायिक फसल है । इस फसल की 80 प्रतिशत पैदावार केवल आन्ध्र प्रदेश ही में होती है जिससे राजकोष में उत्पाद शुल्क के रूप में लगभग 2600 करोड़ रु० की आमदनी होती है और विदेशी मुद्रा के रूप में 3 करोड़ रु० से अधिक की आमदनी होती है । जब यह फसल इतनी महत्वपूर्ण है तो तम्बाकू बोर्ड म केवल नीलामियों को विनियमित तथा संचालित करता है बल्कि वह फसल की मात्रा भी निर्धारित करता है यह दूसरी फसलों से भिन्न बात है ।

अब क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नीलामियां संचालित कर रहा है और नीलामियों पर निगरानी भी रख रहा है, व्यापारियों तथा उत्पादकों के बीच समन्वय भी स्थापित कर रहा है और फसल की मात्रा भी निर्धारित कर रहा है, इसलिए बोर्ड का वास्तव में इस पर पूर्ण नियंत्रण है । बोर्ड उत्पादकों को पंजीकृत अथवा प्राधिकृत भी करता है और प्रत्येक वर्ष फसल की मात्र भी निर्धारित करता है । फसल की मात्रा को निर्धारित करते समय दो तत्वों पर विचार किया जाता है वह है––घरेलू मांग और संभावित निर्यात । इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर ही फसल की मात्रा निर्धारित की जाती है ।

वर्ष 1990–91 के दौरान तम्बाकू का उत्पादन मुश्किल से 89 मिलियन कि० ग्रा० था । असामान्यत: इस वर्ष मौसम के आरम्भ में ही ये संकेत मिल गए थे कि विदेश में विशेष कर ब्रिटेन के बाजार में इसकी मांग अधिक होगी ।

3.00 म० प०

ब्रिटेन के बाजार से ये संकेत मिले हैं कि उनके द्वारा लगभग 63 मिलियन कि० ग्रा० की खरीद की जाएगी और तदनुसार ही फसल की मात्रा मूलतः 145 मिलियन कि० ग्रा० पर नियत की गई थी। इस प्रकार तम्बाकू बोर्ड द्वारा यह मात्रा नियत की गई थी। सामान्यतः यह उत्पादकों को यह संकेत देता है कि तम्बाकू में भारी मांग होगी। यह मांग देश में उत्पादन अथवा पूर्ण आपूर्ति की सीमा तक होगी। इस वर्ष के दौरान जलवायु सम्बन्धी विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण पूर्व नियोजित फसल की मात्रा 145 मिलियन कि० ग्रा० की मात्रा के समक्ष केवल 122 से 125 मिलियन कि० ग्रा० थी। कृषक समुदाय अथवा उत्पादक दुविधा में है कि क्या इस वर्ष का बाजार खरीदारों के हाथ में होगा कि उत्पादकों के हाथ में। वे इस संशय में है कि क्या इस वर्ष उत्पादित फसल, जो कि 125 मिलियन कि० ग्रा० तक है, क्या पिछले वर्ष के 89 मिलियन कि० ग्रा० उत्पादन से 40 प्रतिशत अधिक है, उसके लिए इस वर्ष के दौरान भी पिछले वर्ष बाजार में लागू औसत कीमतें ही बरकरार रखी जाएंगी अथवा नहीं।

3.01 म० प०

(राव राम सिंह पीठासीन हुए)

सौभाग्य से हमारे माननीय वाणिज्य मंत्री ने 26 दिसम्बर, 1991 को गुंटूर की यात्रा की थी और उन्होंने हमारे बोर्ड की प्रथम बैठक में भी भाग लिया था। तत्पश्चात, माननीय वाणिज्य मंत्री ने उत्पादकों को सम्बोधित किया था जो 26 दिसम्बर 1991 को गुंटूर में तम्बाकू बोर्ड कार्यालय में एकत्र हुए थे।

महोदय, तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 'तम्बाकू बोर्ड द्वारा दिलाई गई उम्मीद की पुष्टि करते हुए माननीय वाणिज्य मंत्री ने यह भी कहा था कि विशेषकर कि इस वर्ष भी तम्बाकू की कीमतें पिछले वर्ष की कीमतों के बराबर ही रहेंगी अर्थात 33 रु० प्रति कि० ग्रा० रहेंगी। उन्होंने यह वचन भी दिया था कि इस वर्ष के दौरान रूस की मंडी भी एक बार फिर से और अधिक मात्रा में तम्बाकू की खरीद करेगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री से भी बातचीत की थी और इसलिए यह भी सम्भावना है कि इस वर्ष के दौरान चीन से भी क्रयादेश प्राप्त हो जाए। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बिना किसी आशंका के आश्वासन दिया थी कि इस वर्ष के दौरान भी औसत मूल्य 33 रु० प्रति कि० ग्रा० से अधिक होगा।

यहां तक कि माननीय मंत्री जी ने तम्बाकू बोर्ड को इस बात के लिए भी प्राधिकृत कर दिया है कि वे अनाधिकृत निर्मित कोठारों को पंजीकृत कर दें ताकि उत्पादित की गई फसल को सुनियमित किया जा सके और फसल केवल नीलामी मंचों से होकर ही आगे भेजी जाए इस वर्ष के दौरान]मांग को पूरा करने के उद्देश्य से नीलामी मंचों की संख्या भी 19 से बढ़ाकर 24 कर दी गई थी।]

जब यह स्थिति है और जब माननीय मंत्री जी ने कृषक समुदाय को इतना आश्वासन दिया था तो कृषक समुदाय को काफी उम्मीदें थीं। तत्पश्चात उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि नीलामी मंचों (धड़ों) के बन जाने और उनके द्वारा कार्य आरम्भ कर देने के बाद वे फरवरी माह में एक बार फिर इस क्षेत्र का दौरा करेंगे। महोदय, दुर्भाग्यवश मैं इस बात का कारण नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी ने विद्यमान नीलामी मंचों की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक बार फिर से गुंटूर का दौरा क्यों नहीं किया।

पिछले वर्ष औसतन कीमत 33 रु० प्रति कि० ग्रा० थी और पिछले वर्ष के दौरान जब मंडी खुली थी तब केवल 24 रु० प्रति कि० ग्रा० की कीमत थी और धीरे-धीरे उच्च ग्रेड के स्तर तम्बाकू के लिए यह 40 रु० से 45 रु० प्रति कि० ग्रा० तक पहुंच गई। अन्त में आन्ध्र प्रदेश में इसका औसत मूल्य 33 रु० प्रति कि० ग्रा० था और कर्नाटक में यह 42 रु० प्रति कि० ग्रा० था।

दुर्भाग्यवश पिछले वर्ष की कीमतों के रुख के प्रतिकूल इस वर्ष बाजार में कीमतें 30 रु० अथवा 31 रु० प्रति कि० ग्रा० की उच्च दर पर आरम्भ हुई और धीरे-धीरे यह कीमतें 24 रु० अथवा 23 रु० तक भी गिरना आरम्भ हो गईं। उत्पादकों में भय उत्पन्न हो गया था और क्योंकि कीमतें नीचे की ओर जा रही है, उन्होंने आन्दोलन किया कि तम्बाकू बोर्ड की कृषक समुदाय के बचाव के लिए आगे आना चाहिए। इस आन्दोलन के अंतर्गत बसें रोकने तथा 'रास्ता रोको' इत्यादि का अभियान आरम्भ किया गया था। इन लोगों की दुर्दशा को देखते हुए, हमने संसद सदस्यों के रूप में इस मामले को इस सदन में उठाया। 6 अप्रैल को शून्यकाल के दौरान हमने तम्बाकू की कीमतों में गिरावट की प्रवृति और आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू उत्पादकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

इसके साथ-साथ इस माह की 3 तारीख को हमने एक पत्र का मसौदा तैयार किया और प्रधान मंत्री जी तथा माननीय वाणिज्य मंत्री को बुलाने पर विचार किया। उस पत्र पर सभी संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गये थे। तत्पश्चात, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक साक्षात्कार की मांग की लेकिन दुर्भाग्यवश हमें प्रधानमंत्री जी के साथ साक्षात्कार का अवसर नहीं मिला क्योंकि वे वार्षिक सत्र का प्रबन्ध करने में बहुत व्यस्त थे और दुर्भाग्यवश हमारे वाणिज्य मंत्री भी देश से बाहर गए हुए थे और हम उनसे मिल भी नहीं सके। परन्तु हमने सम्बन्धित कार्यालयों को यह पत्र सौंप दिया था।

इस माह की 8 तारीख को हमने आन्ध्र प्रदेश के कुछ तम्बाकू उत्पादकों सहित वाणिज्य उपमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें स्थिति स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने हमें पक्का आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को देखेंगे।

6 तारीख से अब तक मैं लागातार रोजाना गुंटूर स्थित तम्बाकू बोर्ड के कार्यालय से इस स्थान से दूरभाष पर सम्पर्क कर रहा हूं। 8 तारीख को तम्बाकू बोर्ड के कार्यकारी निदेशक ने मुझे बताया था कि उस दिन का बाजार मूल्य लगभग 26 रु० प्रति कि० ग्रा० था।

जब उन्होंने सभी व्यापारियों की एक बैठक बुलाई थी और संभवतः व्यापारियों ने यह आश्वासन दिया था कि लगभग 30 रु० प्रति कि० ग्रा० दिये जायेंगे । तम्बाकू बोर्ड के कार्यकारी निदेशक द्वारा मुझे यही जानकारी दी गई थी । परन्तु दुर्भाग्य से अगले ही दिन इस मूल्य में एक दो रुपये और कम हो गये और यहां तक कि यह मूल्य फिर 24 रुपये हो गया । अतः व्यापारियों तथा तम्बाकू बोर्ड के इस निराशाजनक रवैये को यहां पर बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है । जब कि स्वयं तम्बाकू बोर्ड ने व्यापारियों से यह आश्वासन ले लिया था कि मूल्यों में वृद्धि की जायेगी, अगले ही दिन मूल्यों में एक दो रुपये और कम हो गये । अतएव जब इस प्रकार की स्थिति में हमने बोर्ड से पूछा तब उन्होंने अपनी विवशता अभिव्यक्त की और उन्होंने व्यापारी सम्प्रदाय को राजी कर पाने में अपनी असमर्थता अभिव्यक्त की ।

सभापति महोदय : नियम के अनुसार आप मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में एक अथवा दो स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । परन्तु आप इसे बाकायदा एक चर्चा बना रहे हैं । अधिकांश बातें आप वही दोहरा रहे हैं जो माननीय मंत्री जी ने कही हैं । अतः कृपया स्पष्टीकरण ही मांगिए ।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कुछेक तथ्यों का बिल्कुल ही जिक्र नहीं किया है । जब उन्होंने एम० एस० पी० और एम० जी० पी० का जिक्र किया है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने एम० ई० पी० अर्थात विद्यमान न्यूनतम निर्यात मूल्य का जिक्र क्यों नहीं किया है । इस वर्ष एम० एस० पी० में पिछले वर्ष की तुलना में केवल सात-आठ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है जबकि न्यूनतम निर्यात मूल्य में पचास प्रतिशत की वृद्धि हुई है । इससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विदेशों को तम्बाकू बेचने पर व्यापारियों को काफी अच्छी कीमतें मिल रही हैं ।

अतः जब इस माह की 23 तारीख को निदेशक मंडल की एक बैठक बुलाई गई थी तब उसमें एक संकल्प पारित किया गया था कि तम्बाकू बोर्ड को भी बाजार में प्रवेश करना चाहिए और विशेष रूप से इस वर्ष के आवश्यकता से अधिक हुए उत्पादन में और वृद्धि करने के लिए तम्बाकू बोर्ड का बाजार में हस्तक्षेप होना चाहिए ।

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बोर्ड द्वारा पारित किये गये संकल्प का उल्लेख नहीं किया है उन्होंने केवल यह बताया है कि व्यापारी 32.50 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर से तम्बाकू खरीदने पर सहमत हो गए हैं । इस माह की 23 तारीख को आयोजित की गई तम्बाकू बोर्ड की बैठक में एक संकल्प पारित किया गया था कि तम्बाकू बोर्ड को बाजार में प्रवेश करना चाहिए और 32.50 रु० प्रति कि० ग्रा० की दर पर तम्बाकू खरीदना चाहिए । जो कि लागत मूल्य और घाटे सहित अन्य मदों को भी निकालकर एम० ई० पी० के आधार पर निधोरित किया गया है ।

बोर्ड की बैठक में यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है । बोर्ड ने केन्द्रीय सरकार से विनम्र अनुरोध करते हुए 50 करोड़ रुपये ब्याज रहित चल निधि के रूप में देने की अनुमति मांगी है । इसका यहां जिक्र नहीं किया गया है ।

जब तक तम्बाकू बोर्ड अतिरिक्त उत्पादन को निपटाने के लिए बाजार में प्रवेश नहीं करता और खरीद नहीं करता, तम्बाकू की कीमतें 32.50 रुपये पर नहीं टिक सकेंगी । केवल वर्तमान स्थिति पर काबू पाने के लिए, व्यापारी 32.50 रुपये मूल्य देने को राजी हुए हैं । वे कहते हैं कि वे इस महीने की 9 तारीख से 30 रुपये की कीमत देगें लेकिन उन्होंने केवल 26 रुपये ही कीमत लगाई है । अतः वह अपने पहले से किये गये वायदे से फिर गये हैं । इसके फलस्वरूप जब तक तम्बाकू बोर्ड बाजार में प्रवेश नहीं करता, तब तक बाजार भावों में स्थिरता लाना बिल्कुल सम्भव नहीं है । इस पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

इसका दूसरा पहलू रूसी बाजार है । अठाइस हजार मिलियन किलोग्राम की व्यापार संधि थी । अब तक केवल 15,000 मिलियन किलोग्राम का ठेका दिया गया है । शेष 10,000 मिलियन किलोग्राम का ठेका अभी तक नहीं हुआ है । जब तक तम्बाकू-बोर्ड बाजार में प्रवेश नहीं करता, तब तक अतिरिक्त-उत्पादन को निपटाना और बाजार-मूल्य को स्थिर करना सम्भव नहीं होगा कृषक समुदाय के हित में, हमें इस पहलू पर ध्यान देना होगा ।

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि इस वर्ष उत्पादन-लागत लगभग 30 से 40 प्रतिशत तक बढ़ गई है ।उर्वरक के मूल्य में वृद्धि के कारण, कोयले के मूल्य में वृद्धि के कारण और अन्य सभी निविष्टियों जैसे कि मजदूरी में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत लगभग 40 प्रतिशत बढ़ गई है । इस वर्ष औसतन उत्पादन लागत प्रति हैक्टेयर 3,000 रुपये से 34,00 रुपये पर आ गई है । बोर्ड ने औसतन-उत्पादन दस हैक्टेयर प्रति टन के लगभग गिना है । जब यह उत्पादन दस टन प्रति हैक्टेयर है, तो उत्पादन लागत प्रति टन औसतन 3000 से 4000 रुपये–अपने आप आ जाती है । जबकि व्यापारी विदेशों से से एक बहुत ऊंची कीमत ले रहे हैं तो तम्बाकू-उत्पादकों को इस मूल्य का एक बड़ा हिस्सा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए ? इसी कारण कृषक-समुदाय ने आन्दोलन शुरू किया था ।

महोदय, आप को पता ही है कि उत्पादकों ने ही आन्दोलन शुरू किया था और 13 तारीख को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें कांग्रेस (आई) सी० पी० आई०, सी० पी० एम०, भारतीय जनता पार्टी सहित सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया था और हम उनकी मांग से सहमत थे । कृषक समुदाय की मांग यह है कि तम्बाकू बोर्ड की खरीद के लिये बाजार में प्रवेश करना चाहिए और इसकी अनुपालना की जानी चाहिए । उन्हें 50 करोड़ रुपये की राशि भी चल-निधि के रूप में दी जानी चाहिए । तम्बाकू बोर्ड को कृषक-समुदाय के बचाव हेतु आगे आना ही चाहिए ।

श्री जो० एम० सी० बालयोगी (अमलापुरम) : सभापति महोदय मैं आपका यह मौका प्रदान करने के लिए धन्यवाद करता हूं ।

आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों ने 13–4–92 को एक सम्मेलन आयोजित किया था और उसमें कुछ संकल्प पारित किये थे । मंत्री महोदय के वक्तव्य में वे संकल्प शामिल नहीं है । इस सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं :

तम्बाकू उत्पादकों की निम्नलिखित मांगे हैं :—

1. 13 मिलयन का बकाया रूसी आदेश राज्य-व्यापार निगम छोटे पैकरों और व्यापारियों में तत्काल निर्मुक्त किया जाये ।

2. बाजार में स्थिरता लाने के लिए केन्द्र सरकार को राज्य व्यापार निगम को तम्बाकू खरीदने के लिए बाजार में लाना ही चाहिए ।

3. सरकार को तम्बाकू-बोर्ड विपणन प्रभाग को बाजार-स्पर्धा-पैदा करने और शोषण रोकने के लिए तम्बाकू की कुछ मात्रा खरीदने के लिए बाजार में प्रवेश करने हेतु कहने के लिए भी विचार करना ही चाहिए ।

4. तम्बाकू उत्पादक सहकारी संघ को भी उचित निर्यात-आदेश दिये जायें तथा सहकारी संघ को सीमान्त-राशि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को आगे आना चाहिए ।

5. उत्पादकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए तम्बाकू बोर्ड का पुर्नगठन किया जाना चाहिए ।

हम मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें और स्थिति की समीक्षा करने तथा आगामी कार्रवाई की पद्धति निर्धारित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड और तम्बाकू उत्पादको के प्रतिनिधियों की राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित, एक आपात्कालीन बैठक बुलाये ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे मित्र, श्री वेंकटेस्वरलू उम्मारेड्डी ने जो कहा है उसे दोहराये बिना, मैं मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं ।

क्या यह सही नही है कि इस वर्ष हमारे देश से तम्बाकू की निर्यात की जाने वाली संभावित मात्रा के बारे में तम्बाकू बोर्ड तथा वाणिज्य मंत्रालय एक स्पष्ट अवधारणा नहीं है ? 23 अगस्त, 1991 को मेरे मित्र श्री एस० एम० लालजान बाशा को एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने यह कहा था कि निर्यात किये जाने वाले तम्बाकू की सम्भावित मात्रा अनुमानतः 74 मिलियन किलोग्राम है ।

माननीय वाणिज्य मंत्री महोदय ने 3 दिसम्बर, 1991 को राज्य सभा में यह कहा था कि सरकार घरेलू आवश्यकता का अनुमान 73 मिलियन किलोग्राम लगा रही है और इस मौसम में तम्बाकू की 85 मिलियन किलोग्राम मात्रा का निर्यात किये जाने की संभावना है । चार महीनों की अवधि में, सरकार ने विचार किया कि निर्यात की मात्रा 10 मिलियन किलोग्राम और बढ़ा दी जाएगी ।

महोदय, एक किसान होने के नाते आपको अच्छी प्रकार से मालूम है कि समाज का प्रत्येक वर्ग, इस देश के कृषकों का शोषण करने का प्रयास कर रहा है और इस मामला विशेष में तम्बाकू बोर्ड की गलतियां ही इस खेदजनक स्थिति के लिए जिम्मेदार है जिसका मेरे मित्र ने उल्लेख किया है ।

मंत्री महोदय जब गुंटूर आये थे तो उन्होंने कहा था कि हमारे तम्बाकू को अन्य देशों के तम्बाकू से कम मूल्यों पर नहीं बेचा जाना चाहिए और हमें खुशी है कि उन्होंने न्यूनतम निर्यात मूल्य बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं, जिसका कि उत्पादकों को मिलने वाले मूल्य पर भी प्रभाव पड़ेगा । इससे पहले हमारा तम्बाकू पूर्व सोवियत संघ को अन्य देशों के तम्बाकू के मुकाबले बहुत कम मूल्यों पर बेचा जाता था । हमें खुशी है कि आपने इसे विभिन्न समूहों के लिए 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है । उदाहरण के तौर पर, आपने इसे एक ग्रेड में 40 रुपये से बढ़ाकर 63 रुपये कर दिया है और निःसंदेह ऐसी ही वृद्धि अन्य ग्रेड के तम्बाकू में भी की है । इस संबंध में, जब कि काश्त लागत बढ़ गई है एवं जैसा मेरे मित्र ने कहा है, जो मूल्य दिसम्बर के आखिरी सप्ताह में आपने गुंटूर में देने का वायदा किया था तथा जो कि पिछले वर्ष के मूल्य से कम नहीं है, को व्यापारी वर्ग द्वारा देना स्वीकार करने में क्या कठिनाई है ।

रूस के मामले में यह मूल्य 50 प्रतिशत है, ब्रिटेन के संबंध में यह इससे भी बहुत अधिक है और खाड़ी देशों के मामले में शुद्धि के अध्यधीन मेरी जानकारी है—यह 100 रुपये प्रति किलो से भी अधिक है : अतः जबकि ऐसी स्थिति है, तो भारतीय निर्यातकों अथवा सिगरेट निर्माताओं अथवा बड़ी कम्पनियों को उन्हें कम से कम वह मूल्य जोकि उन्होंने पिछले वर्ष दिया था, देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । यद्यपि आपने कुछ आंकड़े भी दिये हैं कि पहले यह 17 रुपये था और पिछले वर्ष उन्होंने 33 रुपये दिया है, जो कि सही है । लेकिन, क्या उन्होंने यह श्रद्धा पूर्वक दिया है ? क्या आपके कहने का यह आशय है कि उन्होंने घाटा उठाया है ? मैं समझता हूं, बिल्कुल नहीं । उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में रुपये के मूल्य के पुनः समायोजन के कारण तथा किसानों को ऊंचे दाम अदा करने के बावजूद डालर से अधिक रुपये आ रहे थे, ये निर्यातक, ये बड़ी व बहुराष्ट्रिक कम्पनियां, ये सिगरेट निर्माता मोटे मुनाफ़े और बहुत अच्छे लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस वर्ष न्यूनतम निर्यात मूल्य को बढ़ाने के आपके परोपकारी निर्णय से वे लाभान्वित हुए हैं। मैं और डा० डी० वेंकटेश्वर राव आपसे मिले थे और हमने आपके साथ आपके कक्ष में एक लम्बे समय तक चर्चा की थी । आपने तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों से भी बातचीत की थी। मेरा कहना है कि फ़िलहाल व्यापारी एफ–1 ग्रेड के तम्बाकू को 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर खरीदने के लिए आगे आ गये हैं । उसी प्रकार एफ़–2, एल–3 और इससे निम्न ग्रेड के लिए यह मूल्य काफ़ी कम है। 26 रुपये, 25 रुपये, 24 रुपये और इसी प्रकार से होगा। औसतन मूल्य जो कि दिया जा सकता है, वह उस मूल्य से जो कि किसानों को पिछले वर्ष मिला था, बहुत कम होगा। आखिरकार, यह लंदन चैम्बर आफ़ कामर्स था जिसने तम्बाकू बोर्ड को यह कहा था कि उन्हें इस मौसम से तम्बाकू की बहुत बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी और उसके शब्दों पर विश्वास करते हुए, बिना किसी पक्के आदेश के बिना किसी पक्की वचनबद्धता के, आपने किसानों को और अधिक तम्बाकू उगाने के लिए कह दिया है। तम्बाकू बोर्ड लंदन चैम्बर आफ़ कामर्स और ब्रिटेन के निर्यातों को फटकारने में विफल क्यों होना चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिये कि क्योंकि उन्होंने अपनी आवश्यकता बताई है, इसलिए सरकार ने किसानों को और अधिक तम्बाकू पैदा करने को कह दिया है । हमारे देश के किसान क्यों नुकसान उठायें ?

यदि वे हमारे किसानों को इस प्रकार से धोखा देते हैं, तो अगले वर्ष वे हमारे देश से तम्बाकू प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे। बोर्ड ऐसा क्यों नहीं कहता? सरकार उन्हें फटकारती क्यों नहीं? हालांकि, मैं यह नहीं कहता कि सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी भी और अधिक प्रयास की जरूरत है। आपको कहना चाहिए कि 32.50 रूपये ग्रेड एफ़–1 का मूल्य नहीं, बल्कि यह औसत मूल्य होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि उच्च ग्रेड के तम्बाकू उच्च मूल्य तथा निम्न ग्रेड को निम्न मूल्य मिलना ही चाहिये। लेकिन औसत मूल्य किसी भी अवस्था में 33 रुपये अथवा 32.50 रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री शोमनाद्रीश्वर राव बाड्डे: महोदय, मैं केवल कुछ स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं।

आई० टी० सी० वाले कहते हैं कि उन्हें 54 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू चाहिए, नेशनल तम्बाकू कम्पनी कहती है कि उन्हें 13 मिलियन कि० ग्रा० चाहिए और गोल्डन तम्बाकू कम्पनी कहती है कि उन्हें 6 मिलियन कि० ग्रा० तम्बाकू चाहिये। लेकिन उन्होंने जो अब तक खरीदा है, वह कितना है? उन्होंने अपनी कथित आवश्यकता का पच्चीस प्रतिशत भी तम्बाकू नहीं खरीदा है। वे बहुत कम दाम पर तम्बाकू खरीदना चाहते हैं। उनके मुनाफ़े बढ़ रहे हैं, लेकिन वे किसानों को धोखा देना चाहते हैं, वे किसानों का शोषण करना चाहते हैं। किसान इस प्रकार का शोषण सहन नहीं करेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। यदि वह तम्बाकू बोर्ड के माध्यम से व्यापारियों पर कुछ और दबाव डलवा दें, तो उन्हें तम्बाकू खरीदना ही पड़ेगा। उनके पास इसके सिवाए कोई चारा नहीं है।

आंध्रा तम्बाकू उत्पादक सहकारी संघ, आनगोल है, जिसने इससे पहले भी जो संकट आया था, उस घड़ी में एक रचनात्मक भूमिका अदा की थी। उसने बाजार में प्रवेश किया है, उसने तम्बाकू के ऊंचे दाम अदा किये हैं। उसके प्रवेश की वजह से, उसकी भागीदारिता के कारण, ये बड़ी कम्पनियां भी ऊंची कीमत अदा करने को मजबूर हुई हैं। इस प्रकार से, कुछ हद तक, आंध्रा तम्बाकू उत्पादक सहकारी संघ, आनगोल ने तम्बाकू उत्पादकों के हितों की रक्षा की थी।

तम्बाकू बोर्ड ने आपसे सिफारिश की है कि शेष राशि में से रूस के दस हजार टन के आर्डर में से कम से कम दो हजार टन आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों को दिया जाना चाहिए। निश्चित रूप से हमारी उपस्थिति में आपने सम्बद्ध अधिकारियों से अपने अधिकार का प्रयोग इसलिए भी करने का निर्देश दिया था, ताकि वे देखें कि रूसी संघ को दो हजार टन प्रदान किया जाये। मैं सभापति के माध्यम से आप से एक बार फ़िर आग्रह करता हूं कि इसे कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

इससे पूर्व आपको तम्बाकू व्यापार निगम की स्थापना के बारे में विश्वास भी नहीं था। हम आपसे अनुरोध कर रहे थे कि जब चाय बोर्ड की भी स्थापना की जा चुकी है और चाय व्यापार निगम भी है। आप तम्बाकू व्यापार निगम की स्थापना के बारे में सहमत नहीं थे।

तम्बाकू उत्पादों से आपके राजकोष को लगभग 2600 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो रही है और आपको लगभग 20 करोड़ रुपये से 300 करोड़ रुपये मूल्य तक की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है । हमेशा केवल संकट के समय पर ही किसान अत्यधिक शोर शराबा करते हैं और फ़िर कुछ हद तक तम्बाकू बोर्ड अथवा राज्य व्यापार निगम बाजार में प्रवेश कर सकता है । परन्तु तम्बाकू उत्पादक जिनके प्रयासों के फ़लस्वरूप आपको इतनी अधिक आय हो रही है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। इसी मद से केन्द्रीय राजस्व को सर्वाधिक अर्थात् 2600 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की प्राप्ति हो रही है । तब आप इसे व्यापारियों की दया पर क्यों छोड़ते हैं। आप व्यापार सम्बन्धी कार्यों के संचालन और व्यापारिक खरीद हेतु तम्बाकू बोर्ड अधिनियम में संशोधन क्यों नहीं करते अथवा तम्बाकू व्यापार निगम की स्थापना क्यों नहीं करते ? हमारे तम्बाकू बोर्ड के पास पहले से ही सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां अधिकारी, वैज्ञानिक और तकनीशियन हैं। उसमें काफी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आप उनकी सेवाओं का सदुपयोग कीजिए। उससे तम्बाकू उत्पादकों को कुछेक संकट से उभरने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी।

महोदय, मैं भी माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं । सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य के लिए तम्बाकू बोर्ड की सिफारिशों का अनुमोदन कर दिया है । यह ठीक है । परन्तु आप सी० ए० सी० पी० से न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए क्यों कहते हैं ? आप जानते हैं कि इस सी० ए० सी० पी० ने 16 रुपये प्रति कि० ग्रा० न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफ़ारिश की थी। गेहूं और चावल उत्पादक होने के कारण आप जानते हैं कि उनकी सिफ़ारिशें वास्तविक स्थिति से संबद्ध नहीं हैं। वे उन आंकड़ों के हिसाब से चलते हैं जिन्हें पांच वर्ष पूर्व एकत्रित किया गया था और उसके लिए वे केवल कुछ और प्रतिशत जोड़ देंगे और कुछ गणना इत्यादि करने के पश्चात वे फिर सरकार के पास मूल्य की सिफ़ारिश करेंगे । जब आप यह ठीक समझते हैं कि तम्बाकू बोर्ड न्यूनतम निर्यात मूल्य की सिफ़ारिश करने में सक्षम है, तब आप सी० ए० सी० पी० से न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफ़ारिश करने का अधिकार क्यों वापस नहीं ले लेते और तम्बाकू बोर्ड से न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करने के लिए क्यों नहीं कहते ? ऐसा किया जाना चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति ही समस्या की जड़ हैं । इसे वे जानते हैं क्योंकि वे ही बहुत अच्छी तरह से स्थिति को समझते हैं कि जैसे कि उपज की लागत क्या है, किसानों की कठिनाईयां क्या हैं और विभिन्न क्षेत्रों में औसत उत्पादन क्या है। दिल्ली में स्थित सी० ए० सी० पी० की तुलना में वे ही सर्वोत्तम निर्णायक हैं। यह संगठन निश्चित रूप से मंच नहीं है और आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं और यह उचित अवसर नहीं है, परन्तु इस संगठन के साथ अपने थोड़े समय के अनुभव के आधार पर मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि यह संगठन सक्षम नहीं है और न ही यह किसानों के लिए कुछ काम कर रहा है । अतएव मैं माननीय मंत्री जी से न्यूनतम समर्थन मूल्य में परिवर्तन करने की प्रार्थना करता हूं ।

मैं माननीय मंत्री जी और सरकार के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं । आपने न्यूनतम निर्यात मूल्य में पचास प्रतिशत की वृद्धि की है। परन्तु मेरे पास उपलब्ध जानकारी के

अनुसार रूस के लोग सरकार द्वारा सिफारिश किये गये न्यूनतम निर्यात मूल्य की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक मूल्य देने को सहमत हो गए हैं। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है क्योंकि आपने वादा किया है (व्यवधान) उन्होंने किसानों और तम्बाकू उत्पादकों की आशाओं को जगाया है कि उन्हें कम से कम पिछले वर्ष जितना मूल्य तो मिलेगा ही। अतः आप कुछ कीजिए। अतः मैं माननीय वाणिज्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि किसानों को 33/- रु० औसत मूल्य तो दिया जाना चाहिए अन्यथा तब तक वे संतुष्ट नहीं होंगे। पिछले वर्ष के समान इस वर्ष भी मुख्य दायित्व आपके कन्धों पर है, क्योंकि आपके परामर्श पर ही उन्होंने अधिक तम्बाकू उगाया है। इसका अभिप्राय यह है कि तम्बाकू बोर्ड जो कि आपका ही निकाय है, वही तम्बाकू के इस बढ़े हुए उत्पादन के लिए जिम्मेवार है। आपको अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रति कि० ग्रा० 33-रु० औसत मूल्य दिया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे :

श्री पी० चिदम्बरम : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों डा० उमारेड्डी वेंकटेश्वरलु, श्री बालयोगी और श्री वी० एस० राव का आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों में व्याप्त आक्रोश की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने और इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद करता हूं।

जिस विषय पर हमने आज चर्चा की है उसमें से अधिकतर बातों पर मेरे कार्यालय में चर्चा हो चुकी है जब श्री राव और उनके सहयोगी श्री वेंकटेश्वर राव कुछ दिनों पूर्व मुझसे मिले थे। मेरे कार्यालय की सारी बातें सामने हैं। हम जो भी काम करते हैं, उसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। उनकी उपस्थिति में मैंने तम्बाकू बोर्ड से बातचीत की थी। मैंने विभिन्न अधिकारियों से बातचीत की थी और उनके कुछ सुझावों को स्वीकार किया था और कुछेक निर्देश दिये थे। वास्तव में तीनों सदस्यों में से कम से कम श्री वी० एस० राव जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ दिनों में क्या कम किये हैं और जो हम कदम उठा रहे हैं, वह उनसे भी पूरी तरह अवगत हैं।

यहां उठाये गये कुछ मुद्दों में से मैं कुछ पर बोलना चाहता हूं। पहला मुद्दा फसल के क्षेत्र आकार के सम्बन्ध में है। पिछले वर्ष 89 मिलियन कि० ग्रा० फसल हुई थी। पिछले वर्ष अफरमात इसकी मांग बढ़ी थी। प्रोटोकोल में निर्धारित से भी अधिक रूसी लोगों ने इसे खरीदा था। और वर्ष 1990 के केवल 14.69 के औसत मूल्य की तुलना में अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई थी और एक उस मूल्य में जो कि इससे पहले किसी भी वर्ष में 17–00 रु० से अधिक नहीं हुआ था।

पिछले वर्ष मौसम के अन्त में जो कि लगभग 19 अथवा 20 सप्ताह है, औसत मूल्य 33 रु० प्रति किलो ग्राम था। कर्नाटक में तम्बाकू की कीमतें आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू की कीमतों से कहीं अधिक हैं, क्योंकि कर्नाटक में पोली मिट्टी में तम्बाकू उगाया जाता है और उसकी अन्तराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा मांग है। महोदय, आन्ध्र प्रदेश में भी समस्या तम्बाकू की नहीं है बल्कि समस्या काली मिट्टी

में उगाये गये तम्बाकू की है । पोली मिट्टी में उगाये गये तम्बाकू की आज भी बिक्री हो रही है । आठ नीलामी केन्द्र इस सम्बन्ध में कार्यरत हैं और पोली मिट्टी में उगाये गये तम्बाकू के लिए किसानों को काफी अच्छा मूल्य मिल रहा है और माननीय सदस्य इससे अवगत हैं । परन्तु समस्या काली मिट्टी में उगाये गये तम्बाकू की है । महोदय, हम जानते हैं कि जब कीमतों में वृद्धि होती है, किसानों के लिए यह कहना स्वाभाविक है कि "चूंकि इस वर्ष कीमतों में वृद्धि हुई है, अगले वर्ष भी मैं तम्बाकू की ही खेती करूंगा ।" किसानों ने इस मौसम के लिए पंजीकरण के लिए कुल मांग 133 मिलियन कि० ग्रा० की है । प्रारम्भ में बोर्ड ने 145 मिलियन कि० ग्रा० फसल के आकार की सिफारिश की थी । हमने मामले में हस्तक्षेप किया था और कहा था कि सोवियत संघ में हो रही घटनाएं चिन्ताजनक हैं और इसलिए फसल का आकार इतना विशाल रखना विवेकपूर्ण नहीं होगा तथा वाणिज्य मंत्रालय के हस्तक्षेप करने के पश्चात् इस आकार को कम किया गया और अन्त में यह 124.83 मिलियन कि० ग्रा० कर दिया गया । संयोग से, फसल लगभग 122 मिलियन कि० ग्रा० तक है ।

परन्तु 23 अगस्त, 1991 को इस सम्माननीय सभा में हुई चर्चा के सम्बन्ध में मैं पुनः कुछ कहना चाहता हूँ । एक माननीय सदस्य ने कहा था और मैं उन्हें उद्धृत करता हूँ । "व्यापारियों ने तम्बाकू बोर्ड और उत्पादन समिति पर उत्पादित दिए जाने वाले तम्बाकू की मात्रा बढ़ाने के लिए काफी दबाव डाला है जो कि किसानों के हितों के लिए हानिकारक है । क्या सरकार इस पर विचार करेगी और उचित कदम उठाएगी ताकि 120 मिलियन कि० ग्रा० के इस मूल लक्ष्य का पालन किया जा सके ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार•••••इस पर गौर करेगी । हमें 120 कि० ग्रा० तक के लक्ष्य को मान कर चलना चाहिए, यह अनुरोध किसी अन्य ने नहीं बल्कि श्री वी० एस० राव ने ही किया था ।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : सभापति महोदय, मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी ने इसका जिक्र किया था। आपके द्वारा दिए गए संक्षिप्त समय में मैंने उस बारे में उल्लेख नहीं किया था ?

सभापति महोदय : आप विषय पर आइए।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : मैं विषय पर ही आ रहा हूँ । तम्बाकू बोर्ड में यह निश्चित किया गया था कि 120 मिलियन कि० ग्रा० फसल का आकार होगा और बाद में उत्पादन समिति ने इसे बढ़ाकर 145 मिलियन कि० ग्रा० कर दिया है जबकि उस अनुपूरक प्रश्न के दौरान मैंने आपसे इस उत्पादन लक्ष्य को कम करने के लिए कहा था। क्योंकि तम्बाकू उत्पादकों के लिए 145 मिलियन कि० ग्रा० फसल का लक्ष्य प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होगा। **(व्यवधान)**

श्री पी० चिदम्बरम् : महोदय, अतः उन्होंने मुझ से पूछा था "क्या आप मूल योजना के 120 मिलियन कि० ग्रा० तक के लक्ष्य का अनुपालन करेंगे ?" मैंने कहा था "जी हां ? उत्पादकों द्वारा पंजीकरण की मांग को हम ध्यान में रखेंगे और जो लोग तम्बाकू की खेती

करना चाहते हैं, मैं ध्यान रखूंगा, मैं इस बात को भी ध्यान में रखूंगा कि इस देश में किस वस्तु की बिक्री संभव है और किसका निर्यात हो सकता है और मैं अन्तिम फसल के आकार का निर्धारण करूंगा और अन्तिम फसल का आकार 120 मिलियन कि० ग्रा० निर्धारित किया गया है। हमने इसे 124 मिलियन कि० ग्रा० निर्धारित किया था और अब फसल का आकार केवल 122 मिलियन कि० ग्रा० है। अब श्री वी० एस० राव मुझसे नहीं पूछ सकते कि आपने 120 मिलियन कि० ग्रा० क्यों निर्धारित किया? उत्पादकों की मांग, निर्यात सामर्थ्य और घरेलू खपत इत्यादि के आधार पर 120 मिलियन कि० ग्रा० निर्धारित किया गया था और मेरे विचार से 120 मिलियन कि० ग्रा० निर्धारित करने का सही निर्णय था और मैं समझता हूं कि श्री वी० एस० राव मुझसे इसे 120 मिलियन कि० ग्रा० निर्धारित करने के लिए ठीक कह रहे थे।

उस समय हमने निर्यात के विषय में क्या सोचा था? वर्ष 1990–91 में 47,000 टन फ्लू क्योर्ड विरजिनिया तम्बाकू का निर्यात किया गया था। 1991–92 में 50,438 टन तम्बाकू का निर्यात किया गया था। 50,438 टन में से रूस, तत्कालीन सोवियत संघ ने लगभग 16,000 अथवा 17,000 टन तक की मांग की थी। इस वर्ष रूस ने 29,000 टन तम्बाकू के निर्यात सम्बन्धी मूलप्रति पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि हम 25,000 टन बेचते हैं जोकि हमारे निर्यात के लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत है, तब कोई समस्या ही नहीं होगी। वास्तव में नीलामी के सातवें सप्ताह तक कोई समस्या ही नहीं थी। जब तक कि नीलामी के सातवें सप्ताह तक पिछले वर्ष के केवल 30 रुपए की तुलना में इस वर्ष औसत मूल्य 30.37 रुपए था। अतः सातवें सप्ताह तक कोई समस्या नहीं थी। रूसी व्यक्ति सातवें सप्ताह में भारत आये थे और यह आशा की जा रही थी कि वे 25,000 टन के लिए अनुबन्ध करेंगे। दुर्भाग्य से सुविदित कारणवश उन्होंने केवल 15,000 टन के लिए ही अनुबन्ध किया था। इससे तुरन्त संकेत मिल गया और कीमतों में गिरावट आ गई। उन्होंने शेष 10,000 टन के लिए कोई सम्पर्क नहीं किया है और इससे भी अधिक निराशाप्रद बात यह है कि उन्होंने 15,000 टन के लिए कोई जमा पात्र भी नहीं भेजे हैं और मैं इस बारे में गौर कर रहा हूं कि मैं इस कठिनाई से कैसे उबर सकता हूं। मैंने श्री वी० एस० राव के साथ इसके बारे में बातचीत की थी। समस्या थोड़े समय की है। समस्या यह है कि हम अपने निर्यात के लिए सोवियत बाजार पर निर्भर हैं और पिछले कई वर्षों से हम उस पर निभर रहे हैं। यह कोई ऐसी समस्या नही है जिसका समाधान मैं एक वर्ष में कर दूं।

हम कुछ समय के बाद ही अपने बाजार को व्यापक फैला सकेंगे ऐसा रातों रात नहीं हो सकता। यह एक अस्थाई समस्या है। यदि रूसी लोगों ने 15,000 टन के लिए खुले ऋण पत्र का अनुबन्ध किया है और बाकी 1,000 टन के लिए और अनुबन्ध करते हैं तो मैं और सभी जानते हैं कि बाजार में एकदम तेजी आएगी। अब समस्या यह है कि रूसियों को उनकी मौजूदा कठिनाइयों से निकालने के लिए मदद देना है। मैं इस समय विस्तृत ब्यौरा नहीं दे सकता, हमने रूसी सरकार को सन्देश दिया है जिसमें उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ उपाय

सुझाए गए हैं और उन्हें बाकी 10,000 टन के अनुबन्ध के लिए मदद का प्रस्ताव है और उनके द्वारा अनुबंधित 15,000 टन के लिए खुले ऋण पत्र का प्रस्ताव है। मुझे अभी-अभी यह सन्देश मिला है कि रूसी अधिकारी आ रहे हैं। वे संभवत: दिल्ली आएंगे और गुंटूर जायेंगे और संभव है कि यह समस्या दूर हो जायगी।

महोदय, जहां तक मूल्यों का संबंध है मैंने कहा है कि सातवें सप्ताह के बाद से मूल्यों में गिरावट आई है। महोदय वास्तव में पिछले सप्ताह मेरे कहने पर तम्बाकू बोर्ड ने अपनी आपात बैठक बुलाई। डा० उमारैड्डी ने वेंकटेश्वरलु तम्बाकू बोर्ड का उल्लेख तीसरे व्यक्ति के रूप में किया है और पुन: उन्होंने तम्बाकू बोर्ड के द्वारा पारित एक संकल्प का उल्लेख किया है। वह तम्बाकू बोर्ड में सदस्य है। तम्बाकू बोर्ड क्या है? तम्बाकू बोर्ड कोई भवन, सीमेन्ट, पत्थर ईंट या दरवाजे की चौखट नहीं है। तम्बाकू बोर्ड सदस्यों का एक संगठित निकाय है। वह इस सभा द्वारा निर्वाचित सदस्य के रूप में तम्बाकू बोर्ड के सदस्य बनाए गए हैं। यह एक संगठित निकाय है। इसलिए अगर तम्बाकू बोर्ड निर्णय लेता है तो अगर यह गलत है और वह इससे अलग नहीं हो सकते और अगर यह निर्णय अच्छा है तो वह इससे जुड नहीं सकते। वह तम्बाकू बोर्ड के सदस्य हैं और मैं तम्बाकू बोर्ड का प्रभारी मंत्री हूं। लेकिन हम चाहते हैं कि तम्बाकू बोर्ड एक निकाय के रूप में कार्य करे, हम नहीं चाहते कि यह अध्यक्ष के प्रति एक परामर्शदात्री समिति के रूप में कार्य करे। वास्तव में मैंने अपनी पहली बैठक में कहा था कि आप एक संगठित निकाय हैं इसलिए आपको संगठित रूप में ही कार्य करना चाहिए और संगठित रूप में ही निर्णय लेने चाहिएं।

महोदय, अब पिछले सप्ताह में क्या हुआ? तम्बाकू बोर्ड में उत्पादक तथा व्यापारी सदस्य हैं और उन्होंने बैठक की है। मैं समझता हूं कि इनमें से अनेक एक दूसरे को अनेक वर्षों से जानते हैं। कुछ तो एक ही गांव से हैं और आपस में बोलते हैं। अन्तत: व्यापारियों ने एफ–I श्रेणी के लिए 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम का प्रस्ताव किया है। मैं मानता हूं कि औसत पूरा 32 रुपये नहीं आता। 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम और इसके अनुपात में मूल्य के आधार पर मेरी गणना के अनुसार औसत लगभग 31.20 रुपये होगी। इसमें मैं थोड़ा बहुत गलत हो सकता हूं।

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु : महोदय, माननीय मंत्री ने तम्बाकू बोर्ड तथा इसके 23 तारीख के निर्णय का उल्लेख किया है। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा। व्यापारी स्वत: ही 32.50 रुपये का प्रस्ताव लेकर नहीं आए हैं। उत्पादक समुदाय के समस्त प्रतिनिधियों सहित हमने तथा व्यापारी समुदाय ने एम० ई० पी० को आधार मानते हुए लागत निकाली है और सभी घाटे और खर्चे कम करके अन्तत: 32.50 रुपये मूल्य तय किया है। रूस द्वारा प्रस्तावित एम० ई० पी० से 8 प्रतिशत अधिक मूल्य व्यापारियों के लाभ अन्तर में कम किया गया है। इसलिए जब यह संकल्प पारित हो गया है कि तम्बाकू बोर्ड हस्तक्षेप करेगा और एम० ई० पी० के आधार पर केन्द्र सरकार से अनुमति लेकर 32.50 रुपये की दर से खरीदेगा। आई० टी० सी० ने कहा है कि वह एफ–I श्रेणी को 32.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से

खरीदेगा । सभी श्रेणियों को नहीं। इसलिए यह औसत मूल्य नहीं है । तब अन्य व्यापारी सदस्य जो वहां मौजूद थे उन्होंने भी कहा कि अगर आई० टी० सी० ऐसा करता है तो हम भी इसे 32.50 रुपये की दर से खरीदेंगे । ऐसी स्थिति तक वे आगे नहीं आए । इसलिए हम केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध करते हैं कि वह इसमें प्रभाव को देखे । अब यह निर्णय लिया गया कि तम्बाकू बोर्ड भी बाजार में रहेगा तब उन्होंने पहल की। यदि तम्बाकू बोर्ड वहां नहीं होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये मूल्य नहीं रहेंगे । यदि वे यह मूल्य भी एफ–I श्रेणी के लिए दे रहे हैं तो कुछ दिन बाद वे इस मूल्य पर नहीं डटे रहेंगे और कृषक तथा उत्पादक पुनः व्यापारी समुदाय पर निर्भर हो जायेंगे ।

श्री पी० चिदम्बरम : ये तो डराने वाले वक्तव्य हैं । मैंने स्पष्ट कहा है कि एफ–I श्रेणी के लिए 32.50 रुपये का प्रस्ताव है । मैंने यह भी कहा है कि इससे निम्न श्रेणी के लिए थोड़ा कम है ।

अगर आप एफ–I श्रेणी के लिए 32.50 रुपये का मूल्य लें और कम श्रेणियों के लिए इसके अनुपात में अथवा उचित रूप से समन्वित मूल्य तय करें तो मैंने कहा कि मेरी गणना के अनुसार नीलामी स्थल पर आने वाली मात्रा के आधार पर औसत मूल्य लगभग 31.20 रुपये होगा। मैंने यही कहा था । मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को मेरे कथन में कुछ गलत लगा है । मुद्दा यह है कि कि क्या 31.20 रुपये अच्छा मूल्य है ? अगर आप कृषि लागत और मूल्य संबंधी समिति द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य से इसकी तुलना करें तो यह बहुत अधिक है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में कहा है। कृषि लागत और मूल्य संबंधी समिति का मूल्य केवल 16 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास है । मैं यह नहीं कह रहा कि इस मामले में यह अन्तिम है ।

अब मुद्दा यह है कि एक निकाय ने कृषि की लागत तय करके एक मूल्य की सिफारिश की है । यह प्रस्तावित मूल्य कृषि लागत और मूल्य संबंधी समिति के मूल्य से बहुत अधिक है। मैं यह नहीं कह रहा कि मैं तम्बाकू उत्पादकों द्वारा कृषि लागत और मूल्य संबंधी समिति के मूल्य पर तम्बाकू बेचने का समर्थन करूंगा । मैं जानता हूं कि यह मूल्य मंदी के मूल्य हैं और वे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखते । लेकिन आप इसे पूर्णतया अप्रासंगिक राशि मानकर इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते । चर्चा शुरू करने का यह एक मुद्दा है । न्यूनतम गारन्टी मूल्य वह है जिस पर फसल के बाद शुरू होने से पूर्व तम्बाकू उत्पादक और व्यापारी एक अपरोक्ष सहमति देते हैं। यह मूल्य 18.50 रुपये से 21.50 रुपये के बीच है। यह भी कृषि लागत को पूर्णतः नहीं दर्शाता । लेकिन आप इसे एकदम अप्रासंगिक मानकर रद्द नहीं कर सकते। इस मूल्य को देखते हुए एफ–I श्रेणी के लिए 32.50 रुपये का मूल्य मेरी गणना के अनुसार औसतन लगभग 31.20 रुपये ....

श्री सोम नाथेश्वर राव वाड्डे : यह बहुत कम होगा।

श्री पी० चिदम्बरम : जब तक आप मुझे इससे भिन्न गणना नहीं देते। इस तथ्य को देखते हुए कि रूस ने अभी तक बाकी 10,000 टन के लिए ऋण पत्र नहीं खोला है या अनुबन्ध

नहीं किया है , मैं समझता हूं कि यह नीलामी शुरू करने के लिए अच्छा मुद्दा है । इसी कारण से मैंने गत शनिवार को तम्बाकू उत्पादकों से अपील की थी कि अपना तम्बाकू बेचने के इच्छुक नीलामी स्थल पर आ जाएं और काली मिट्टी के क्षेत्र में नीलामी स्थलों ने आज कारोबार शुरू किया और मुझे बताया गया है कि आज दोपहर या 1 बजे तक एक नीलामी स्थल पर तम्बाकू की 350 गांठ लाई गईं और बेची गई हैं। अब हम आज किसानों पर उनका तम्बाकू बेचने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं । वास्तव में यदि आप मुझे इस संबंध में आंकड़े पेश करने दें तो पिछले वर्ष इस समय लगभग 75 मिलियन किलोग्राम तम्बाकू बेचा गया था । इस वर्ष हमने केवल 53 मिलियन किलोग्राम बेचा है । क्यों ? क्योंकि तम्बाकू बोर्ड ने उत्पादकों को सतर्कता पूर्वक यह कार्य करने को कहा है । हम उन पर तम्बाकू बेचने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। लेकिन हम समझते हैं कि मौजूदा प्रस्ताव के तहत नीलामी शुरू करना और सामान्य स्थिति कायम करना संभव है । मुझे आशा है कि अगले कुछ दिनों में रूस 15,000 टन तम्बाकू के लिए ऋण पत्र खोलेगा और बाकी दस हजार टन के लिए अनुबन्ध करेगा ।

दूसरा मुद्दा तम्बाकू बोर्ड द्वारा बाजार में मध्यस्थता से सम्बन्धित है। मैंने तम्बाकू बोर्ड को ऐसा करने की अनुमति दे दी है बशर्ते ऐसा करने के लिए उसके पास धनराशी हो । तम्बाकू बोर्ड एक संगठित निकाय है । यदि उनके पास धनराशि है और यदि वे बाजार में मध्यस्थता कार्य करना चाहते हैं तो उन्हें मेरी अनुमति की जरूरत नहीं है । वास्तव में मैं इस प्रकार कार्य नहीं करता। मैं चाहता हूं कि तम्बाकू बोर्ड स्वत: निर्णय ले। जब वे मुझे 50 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त की मांग करते हैं..... (व्यवधान) ....आपने अपने स्पष्टीकरण के लिए कहा है। कृपया मुझे बोलने दें । यदि वे मुझसे 50 करोड़ रुपए ब्याज मुक्त की मांग करते हैं तो मैं तुरन्त वित्त मंत्री के पास जाऊंगा और इसके लिए कहूंगा । ये मामले तुरन्त निपटाए जा सकते हैं । हम इस मामले पर गौर करेंगे। यह प्रस्ताव हमारे पास आया है । हम इस मामले पर गौर करेंगे। लेकिन इससे समस्या आज कल या परसों हल नहीं हो जायेगी । इसके विपरीत मैंने यह किया है कि इस वर्ष अधिक फसल होने के कारण मैंने इस समस्या का पूर्वानुमान लगा लिया था और कई सप्ताह पूर्व मैंने रिजर्व बैंक से बात की और हमने बैंकों द्वारा ऋण की राशि बढ़ाने के लिए दबाव डाला । उदाहरण के लिए यूनाइटेड कमर्शियल बैंक पहले इस कार्य में नहीं था और अब 100 करोड़ रुपए का ऋण दे रहा है । मुझे बताया गया है कि यह पहले ही लगभग पचास करोड़ रुपए दे चुका है ।

महोदय, इसका उपाय तो निर्यात बाजार ही है । मैं इसी के साथ समापन करना चाहता हूं । माननीय सदस्य ने एम० ई० पी० का उल्लेख किया है । मैंने एम ई० पी० में पचास प्रतिशत की वृद्धि क्यों की ? मैंने उन्हें कारण बताए हैं । मैं नहीं समझता कि वह चाहते हैं कि मैं उन्हें ये कारण सार्वजनिक तौर पर बताऊं। हमने एक विशेष कारण से एम० ई० पी० में वृद्धि की । उन्होंने मुझे कहा कि यह एक अच्छा कारण है । उन्होंने एम० ई० पी० में वृद्धि के लिए मुझे बधाई दी । लेकिन एम० ई० पी० केवल निर्यात होने पर ही प्रासंगिक है । यदि निर्यात नहीं होता है तो एम० ई० पी० का कोई महत्व नहीं है । केवल जब रूस ऋण

पत्र खोलता है तब ही एम० ई० पी० प्रासंगिक होगा। एम० ई० पी० तभी प्रासंगिक होगा। जब वे बाकी दस हजार टन के लिए अनुबन्ध करते हैं। मेरे पास एम० ई० पी० तैयार है। जैसे ही रूस 15000 टन के लिए ऋण पत्र खोलेगा और दस हजार टन के लिए अनुबन्ध करेगा, आपको एम० ई० पी० में वृद्धि के अच्छे निर्णय का पता चलेगा। किसी कार्य के अभाव में एम० ई० पी० का कोई अर्थ नहीं है। आज हम यह प्रयास कर रहे हैं कि हम निर्यात पर निर्भर हैं और हमारा निर्यात रूस के बाजार पर निर्भर है और हम अन्य स्थानों पर भी निर्यात पर निर्भर हैं। हमें रूस को सहमत करना है कि वह आए और ऋण पत्र खोले तथा और अनुबन्ध करे। मुझे विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में यह हो जाएगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम रूस के बाजार में आने के लिए सभी उपलब्ध उपायों का उपयोग कर रहे हैं।

एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि विश्व में अन्य देशों के तम्बाकू के मूल्य की तुलना में भारतीय तम्बाकू को सदैव ही कम मूल्य मिला है। वास्तव में गुंटूर में तम्बाकू बोर्ड की बैठक में मैंने यह प्रश्न किया था। अब मैंने यह पता लगाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों का अध्ययन करने के लिए कहा है न सिर्फ तम्बाकू ही बल्कि चाय, काफी तथा तम्बाकू इत्यादि मुख्य भारतीय उत्पादों को अन्य देशों के उत्पादके बराबर पूरा मूल्य क्यों नहीं मिलता। उदाहरण के लिए हमारा मूल्य अमरीकी तम्बाकू मूल्य का एक तिहाई, जिम्बबवे के मूल्य का आधा है। आज विश्व में मूल्य गिरे हैं और बहुत कम हो गए हैं तथा पिछले वर्ष के उच्च मूल्य के कारण प्रत्येक देश ने इसके उत्पादन क्षेत्र को बढ़ा दिया। मूल्यों में भारी कमी आई है। जिम्बाबवे ने अपनी मुद्रा का 35 प्रतिशत अवमूल्यन किया है। यह बहुत कम मूल्य पर दे रहा है। अगर अन्य देशों के तम्बाकू मूल्य कम होंगे तो भारत के मूल्य भी इसी अनुरूप कम होंगे। यह एक बड़ा मुद्दा है। हमें यह तथ्य ध्यान में रखना है कि हम अन्तर्राष्ट्रीय परिवेश में हैं, प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश में रह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दिल्ली में रहकर या किसी अन्य स्थान से मूल्य का आश्वासन नहीं दे सकता। वास्तव में माननीय सदस्य श्री राव ने कहा कि मैंने एक मूल्य का आश्वासन दिया था। मैं 23 अगस्त को हुई चर्चा में से पढ़ना चाहूंगा। मैंने कहा था कि, "यह अधिक मूल्य वास्तव में तम्बाकू उत्पादकों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन विश्व में प्रतिस्पर्धा के कारण हम यह नहीं कह सकते हैं कि कीमत हमेशा 33 रुपए ही रहेगी।' तब उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की थी। वह इस तर्क का अर्थ समझते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे: मैंने गुंटूर में आपके आश्वासन का उल्लेख किया था।

श्री पी० चिदम्बरम : —मैं अभी भी उस पर दृढ़ हूं। मैं यह कहने गंटूर नहीं जा सकता हूं कि मैंने आश्वासन दिया था कि मैं गत वर्ष की ही कीमतें नहीं रखूंगा। मैं केवल यही कह सकता हूं कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं कीमतें स्थिर रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करूंगा। मैं यह आश्वासन आज भी देता हूं। मैं कीमतें स्थिर रखने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा हूं। मैं उचित दाम रखने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा हूं। लेकिन म प्रतियोगिता के वातावरण में प्रतियोगी उत्पादों के लिए कीमत स्थिर करने की गारंटी नहीं दे सकता हूं।

33—96LSS/93

उन्होंने मुझे आंध्र प्रदेश सहकारी संघ को क्रयादेश देने के लिए कहा था और इस बारे में अनुदेश जारी किए गए थे। उन्होंने मुझे कहा कि राज्य व्यापार निगम को खरीदना चाहिए और उनकी उपस्थिति में ही राज्य व्यापार निगम को अनुदेश जारी कर दिए गए थे। राज्य व्यापार निगम को खरीदने के लिए कहा गया था। आंध्र प्रदेश सहकारी संघ से कहा गया कि वे खरीद सकते हैं और हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या रूसी व्यक्तियों को उनके साथ संविदा करने के लिए कह सकते हैं। इस बारे में हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। सरकार यही कर सकती है। लेकिन जब विश्व में प्रतियोगिता है, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें कम हैं और जब रूसी ठेकों के साथ अनेक कठिनाइयां हो रही हैं तब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले का राजनीतिकरण न करें। वस्तव में आंध्र प्रदेश में कुछ हद तक राजनीतिकरण हो रहा है। यह बात किसानों के लिए अच्छी नहीं है। यदि तम्बाकू खेत, खलिहान अथवा यार्ड में पड़ा रहेगा तब यह सूख जाएगा, इसका वजन कम हो जाएगा और इस से कम पैसे मिलेंगे। आप इस बारे में जानते हैं कि यह किसी अन्य फसल के साथ भी हो सकता है। मैं उसे बेचने के लिए उन पर दबाव नहीं डाल रहा हूं। लेकिन मेरे विचार से जो बेचने के लिए तैयार हैं उन्हें अनुमति दी जाए कि वे इसे बेच दें। हम केवल एकक कीमत को ही न लें। 890 लाख कि० ग्रा० के लिए औसत कीमत 33 रुपए है और इस वर्ष 1,200 लाख कि० ग्रा० के लिए 32 रुपए की औसत कीमत आंकी गई है। किसानों को मिलने वाली कुल आय देखिए। आप प्रति कि० ग्रा० का एकक मूल्य नहीं आंक सकते हैं। आपको खेत की कीमत तथा आय को आंकना है। मुझे विश्वास है कि यदि हम अस्थायी कठिनाइयों से उभर सकें तब कीमतें स्थिर हो जाएंगी। मैं एक बार फिर सभा को आश्वासन देता हूं कि हम कीमतें स्थिर करने के लिए हर सम्भव प्रयास करने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं और मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए सहायता करने के लिए सहयोग करें।

समापति महोदय : मुझे ऐसा लगता है कि वे इस बात से क्षुब्ध हैं कि नीलामी क्रय कीमत और निर्यात कीमत में बहुत अन्तर है जिससे किसानों को घाटा होता है और व्यापारियों को लाभ होता है। आपने इस बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री पी० चिदम्बरम : मेरे विचार से यहां पर कुछ गलतफहमी है। न्यूनतम निर्यात मूल्य में परिवहन प्रभार, क्रय व्यय, तम्बाकू बोर्ड सेवा प्रभार, पुनः ग्रेड लगाना, छीलना, पुनः सुखाने का प्रभार, हैण्डलिंग घाटा, उठाकर ले जाने की लागत, एफ० ओ० बी० प्रभार आदि शामिल हैं। उन्होंने इसकी गणना की है। एम० ई० पी० से ये व्यय निकाल दिए जाते हैं। संसाधन घाटे के रूप में 28 प्रतिशत निकाल कर सह-उत्पाद पर मूल्य वसूली को जोड़ा जाता है और उन्होंने मुझे एक गणना दी है जिसके अनुसार व्यापारियों को न लाभ न हानि के आधार पर 34 रु० से 34.75 पैसे तक की कीमत दी जा सकती है। व्यापारी आज 32.50 रु० दे रहा है। मित्रो, मैं जहां तक समझता हूं उनका यह कहना है कि व्यापारी 34.75 रु० तक दे सकता है जबकि वह केवल 32.50 रु० दे रहा है। इसका उत्तर दोहरा है।

34.75 पैसे न हानि न लाभ के आधार पर हैं। कोई भी व्यापारी लाभ के बिना कीमत देने को तैयार नहीं है। अतः लाभ का अन्तर उन्हें देना ही पड़ेगा। दूसरे जैसा कि मैंने अभी कहा था कि यह तभी तर्कसंगत है जब रूस तम्बाकू ले ले और एक एल० सी० खोले। यह एम० ई० पी० रूसी संविदा के लिए सही है और यह हमारे निर्यात का 40–50 प्रतिशत है। जैसे ही रूस शेष 10,000 टन के लिए संविदा कर लेगा और 15,000 टन के लिए एल० सी० खोल देगा तब मुझे विश्वास है कि रुपये 32.50 पैसे से कीमतों में सुधार होगा। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आशा कर रहा हूं कि यह आज होगा, कल होगा। लेकिन हम हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं कि वैसा हो।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नहीं, हम इस पर पहले ही एक घण्टे का समय लगा चुके हैं।

अब विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदय, यह विधेयक प्रस्तुत करने के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। विधेयक को अधिनियम बने सात वर्ष हो चुके हैं।

सभापति महोदय : क्या आप यह विधेयक पुनःस्थापित करने पर आपत्ति कर रही हैं ?

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : लेकिन अब तक कुछ नहीं किया गया है।

सभापति महोदय : इस समय इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है। विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है। यदि आपको विधेयक पुरःस्थापित करने में कोई आपत्ति है तब आपको उसके लिए सूचना देनी चाहिए।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संशोधन को टुकड़ों में न लाएं बल्कि पूरे अधिनियम में संशोधन करने पर विचार करें।

सभापति महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

3.50 म० प०

भोपाल गैस विभिषिका (दावा कार्यवाही) संशोधन विधेयक*

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : महोदय, डा० चिन्ता मोहन की ओर से भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं।

*दिनांक 27–4–92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985 में संशोधन करने संबंधी विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामले लेगी ।

3.57 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद का शीघ्र समाधान किए जाने की आवश्यकता

श्री उदयसिंह राव गायकवाड़ (कोल्हापुर) : महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच 35 वर्षों से लम्बित विवाद सार्वजनिक महत्त्व का विषय है। केन्द्र सरकार दोनों मुख्य मंत्रियों को शामिल कर सका समाधान करना चाहती है । लेकिन इसमें असाधारण विलम्ब से महाराष्ट्र और कर्नाटक के लोगों में बहुत असन्तोष बढ़ रहा है । दूसरी ओर कर्नाटक के एक विधायक ने महाराष्ट्र एकीकरण समिति के बैनर के अन्तर्गत कर्नाटक द्वारा आयोजित हुतात्मा दिवस पर आत्मदाह करने का निर्णय लिया है।

सरकार को इस समस्या का समाधान करते हुए गांव को एक मानना चाहिए ताकि दोनों राज्यों के साथ न्याय किया जाए। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को शीघ्र हल किया जाए।

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड़) : महोदय, मैं इस अनुरोध का समर्थन करता हूं ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : केवल आप ही क्यों, पूरा सदन इसका समर्थन करता है ।

(दो) केरल में रेल सवारी डिब्बा कारखाना खोलने की आवश्यकता

श्री पी० सी० चाक्को (त्रिचूर) : केरल सरकार की यह मांग बहुत समय से लम्बित पड़ी है कि वहां एक रेल सवारी डिब्बा कारखाना खोला जाए। 1964 से केरल सरकार की यह मांग भारत सरकार के पास लम्बित पड़ी है । अब रेलवे विदेशी सहयोग से संयुक्त क्षेत्र में नए एकक लगाने की सोच रहा है । यह एकक केरल में लगाया जाएगा । मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में तत्काल निर्णय लिया जाए।

4-00 म० प०

[हिन्दी]

(तीन) पंजाब में 'राई' जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दिये जाने की आवश्यकता

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : सभापति महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पंजाब की राई जाति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जो पेशे से शिकारी व रस्सी बुनकर नदियों के किनारे, सीमान्त घोर जंगलों के मूल में रहने वाली हैं। 1921 की मतगणना में वे 1000 के पीछे 4 थे, जबकि शिड्यूल्ड कास्ट 1000 के पीछे 19 थे। ये वर्तमान में राई नामक जाति, जो नाम पंजाब सरकार ने अपनी 18 नवम्बर, 1942 व दिसम्बर, 1969 को नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, वस्तुतः मूल नाम माहतम, की ओर दिलाना चाहता हूं। पंजाब व हरियाणा सरकारों ने भी 1976, 1979 व 1981 में केन्द्रीय सरकार से इस जाति को शिड्यूल्ड ट्राईब्स में शामिल करने की सिफारिश की थी। 1955 में काका केलकर के नेतृत्व में बनी समिति ने भी इस जाति को आदिवासी जातियों में ही समझा था। 1982 में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने भी राई जाति को शिड्यूल्ड ट्राईब्स मानने के लिए सरकार को निर्देश किए थे, किन्तु इस मामले में आगे कार्यवाही अभी तक सरकार द्वारा नहीं की गई है। मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि इस दीनहीन वर्ग के विकास के लिए उन्हें शिड्यूल्ड ट्राईब्स जाति घोषित करे ताकि ये उचित अवसर व सुविधा पाकर समुचित विकास कर सकें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री जगमीत सिंह कृपया स्वीकृत मूलपाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा इसलिए स्वीकृत पाठ पर ही बोलिए।

[हिन्दी]

(चार) उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र जिला घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बिजनौर की आबादी लगभग 15 लाख है, जिसके अन्तर्गत 7 विधान सभा क्षेत्र आते हैं। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल शून्य है, जिसके कारण इस क्षेत्र का पढ़ा-लिखा नौजवान अपने रास्तों से भटक कर चोरी, डकैती तथा आतन्कवाद जैसे गलत कामों की ओर बढ़ रहा है। कुछ नौजवानों ने स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक से ऋण लेकर अपना कार्य किया किन्तु अविकसित क्षेत्र होने के कारण उनके काम-धन्धे चौपट हो गए और बैंक का ऋण भी अदा नहीं कर पाए। यहां पर एक-दो शूगर मिल हैं परन्तु वे खुद इतने घाटे में चल रही हैं कि अपने वर्करों को ही पूरा वेतन नहीं दे पाती। इस क्षेत्र की जनता का सरकार के प्रति दिन-प्रति-दिन आक्रोश बढ़ा ही जा रहा है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध तथा मांग है कि इस जिले (बिजनौर) को तुरन्त पिछड़ा जिला घोषित किया जाए ताकि इस क्षेत्र के भटक रहे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके ।

[अनुवाद]

(पांच) उड़ीसा तथा देश के अन्य भागों में वनों के संरक्षण के लिए केन्द्रीय वन संरक्षण बल का गठन किए जाने की आवश्यकता

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा (क्योंझर) : उड़ीसा में पेड़ों का गिराया जाना सभी के लिए चिन्ता का विषय है । प्राचीन काल में शासक वन संपदा के संरक्षण की ओर पूरा ध्यान देते थे । चूंकि इससे मूल्यवान वन्य जातियां नष्ट हो रही हैं इसलिए हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इन क्षेत्रों में हर वर्ष अकाल, आंधी, बाढ़ और तूफान जैसी प्राकृतिक अपदाएं आती हैं । उड़ीसा की 23% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है जो वन अधिनियम और वन कटाई से सीधे प्रभावित होती हैं ।

आदिवासी लोग जहां शुरू से रह रहे हैं उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा जा रहा है और उन्हें वन अधिनियम के अन्तर्गत वनों से अपना जीविकोपार्जन करने से रोका गया है । इससे आदिवासियों में असन्तोष व्याप्त हो गया है । दूसरी ओर मूल्यवान वन्य जातियों को व्यापारियों तथा असामाजिक तत्वों द्वारा तस्करी की जाती है । ड्यूटी पर जो वन्य गार्ड रहते हैं वह उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई इस डर से नहीं करते कि वह आक्रमण कर देंगे ।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि एक केन्द्रीय वन संरक्षण बल गठित किया जाए तथा उन्हें वन संरक्षण के लिए उड़ीसा और देश के अन्य भागों में तैनात किया जाए ।

(छः) पूर्व रेलवे के मुगलसराय जंकशन पर रेल यातायात के भारी दबाव को कम करने के लिए वैकल्पित रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शास्त्री (गाजीपुर) : महोदय, पूर्व रेलवे के मुगलसराय जंकशन पर ट्रैफिक के पड़ने वाले लोड को कम करने के लिए वैकल्पिक उपाय का ढूंढा जाना जरूरी है । मुगल-सराय ऐसा रेल जंकशन है जहां से भारत के लगभग हर भाग के लिए यात्री गाड़ियां गुजरती हैं । यही नहीं मालगाड़ियों का भी इस रूट पर काफी दबाव रहता है । यदि कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई तकनीकी खराबी पैदा हो जाती है तो पूरे देश के लिए गुजरने वाली

गाड़ियों का चालन प्रभावित होता है । ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक उपाय को ढूंढा जाना अति आवश्यक है । यह उपाय एक वैकल्पिक रूट का निर्माण करके तैयार किया जा सकता है ।

अतः हमारा सुझाव है कि डेहरी आनसोन या सासाराम से दिलदार नगर जंकशन तक एक नयी रेल लाईन बिछायी जाए और इस नयी रेल लाईन को दिलदार नगर जंकशन से ताड़ी घाट तक बनी रेल लाईन से जोड़ा जाए । चूंकि छपरा वाराणसी छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है । अतः गंगा नदी पर रेल ब्रिज बनाकर दिलदार नगर ताड़ी घाट तक चलने वाली बड़ी लाईन को छपरा-वाराणसी बड़ी लाईन से जोड़ दिया जाए । छपरा-वाराणसी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित किया जा रहा है, इसलिए गाजीपुर से औडिहार तक सरकार को दुबारा कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा । औडिहार से जोनपुर तक छोटी लाईन है । यदि इसे भी बड़ी लाईन में परिवर्तित कर दिया जाता है तो बहुत कम खर्च में डेहरी आनसोन या सासाराम से दिलदार नगर, गाजीपुर एवं औडिहार होकर जौनपुर तक एक नया रूट तैयार हो जायेगा । इस तरह न केवल मुगलसराय रूट पर पड़ने वाला लोड ही कम हो जायेगा बल्कि पश्चिमी बिहार एवं पूर्व उत्तर प्रदेश के विकास का नया रास्ता भी खुल जायेगा ।

अतः केन्द्र सरकार से हमारी मांग है कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाये तथा मुगलसराय रूट पर लोड कम करने के लिए उपरोक्त वैकल्पिक रूट के सर्वे और उसके निर्माण का आदेश दिया जाये ।

[अनुवाद]

(सात) मंत्रियों द्वारा संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने के बारे में संबंधित संसद सदस्यों को अग्रिम सूचना दिए जाने की आवश्यकता

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) महोदय, हमारे यहां एक बहुत अच्छी लोकतांत्रिक परम्परा है कि जब कभी मंत्री सरकारी कार्य से नई दिल्ली से बाहर जाते हैं तो लोक सभा एवं राज्य सभा के सम्बद्ध संसद सदस्यों को जिनके यहां उन्हें दौरा करना है पहले सूचित कर दिया जाता है । इससे जनता के प्रतिनिधियों और जनता के बीच अच्छा सम्पर्क बनाये रखने में सहायता मिलती है । वहां लोग अपने संसद सदस्यों के माध्यम से मंत्रियों के ध्यान में विभिन्न समस्यायें और मुद्दे लाते हैं । ताकि उन्हें सीधे जानकारी मिल सके । इससे उन लोगों का समय और धन भी बचता है जिन्हें अन्यथा इसी कार्य से दिल्ली आना पड़ता है ।

अब चूंकि सभी सबद्ध लोगों द्वारा इस चली आ रही रम्परा को नहीं निभाया जा रहा है अतः प्रधान मंत्री का ध्यान इस तरफ भी दिलाया गया था । इसके बावजूद भी इस परम्परा का अनुसरण नहीं किया जा रहा है और आम आदमी को अपने संसद सदस्य के जरिए अपनी समस्यायें दूर करने से वंचित रखा जाता है । इससे लोगों में एक ऐसी असंतोष की भावना पैदा हो जाती है जोकि टाली जा सकती थी । अतः मेरी मांग है कि सभी मंत्री इस चली आ रही लोकतांत्रिक परम्परा का अनुसरण करें ।

4-00 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1992-93

श्रम मंत्रालय

सभापति महोदय : सभा अब श्रम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान करेगी । श्री गुमान मल लोढा खड़े हैं वह 9 मिनट बोल चुके हैं । वह अपनी बात जारी रख सकते हैं ।

(हिन्दी)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : सम्माननीय सभापति महोदय, श्रम से सम्बन्धित बजट की मांगों का विश्लेषण करते हुए मैंने सदन के सामने निवेदन किया था कि भारत में दुर्भाग्यवश 45 करोड़ इंसान गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जिन्हें 5 रुपये प्रति दिन की आमदनी नहीं होती और उनमें से सभापति महोदय 20 करोड़ इंसान गरीबों से भी गरीब, पुअरेस्ट भी अमोंस्ट दि पुअर हैं, जो केवल दो रुपए प्रतिदिन की आमदनी में अपनी गुजर करते हैं, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे इस राष्ट्र में है ।

सभापति महोदय, पिछले वर्षों में इस सम्बन्ध में जो हमारी प्रगति हुई, उसके बारे में यदि एक अवलोकन किया जाए, तो यह पता लगेगा कि यह प्रगति के स्थान पर दुर्गति हुई है । 1972-73 में गरीबी की रेखा के नीचे की जनसंख्या 51.5 प्रतिशत थी, 1977-78 में 48.3, 1983-84 में 37.4 प्रतिशत हुई और 1987-88 में 29.1 प्रतिशत हुई । मैं और अधिक हर वर्ष के आंकड़े न बता कर के कहना चाहूंगा कि अब इस समय यह वापस बढ़कर के 53.8 प्रतिशत, भारत की जनसंख्या की हो गई है । अतः यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि और इसका कारण सभापति महोदय यह है कि जैसा कि हमारे वित्त मंत्री ने स्वयं अपने बजट भाषण में पृष्ट 15, पैराग्राफ 50 में स्वीकार किया है ।

[अनुवाद]

"बजट में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 2616 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कि 1991-92 के अनुमानों से कुछ कम है" ।

[हिन्दी]

जनसंख्या बढ़ रही है । गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जनता की स्थिति खराब होती जा रही है और हमारे वित्त मंत्री यह कह रहे हैं कि अगले वर्ष के अंदर जो मैं प्रावधान कर रहा हूं वे पहले से कम होंगे । यह विरोधाभास, यह दुर्गति, इस कारण से आने वाले समय में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या और अधिक बढ़ेगी और हमारे भारत के अंदर इस प्रकार से प्रगति के स्थान पर दुर्गति होगी ।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1987 में बजट भाषण के समय उस समय के प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने कमिटमेंट किया था कि और कहा था मैं भारत के जो गरीब कृषक मजदूर हैं उनके बारे में एक राष्ट्रीय आयोग बैठा रहा हूं । वह आयोग दिनांक 31-7-91 को बैठाया गया । उस नेशनल कमीशन ऑन रूरल लेबर की रिपोर्ट में

स्पष्ट कहा गया हमें न्यूनतम मजदूरी, एक गांव में रहने वाले किसान के पास काम करने वाले मजदूर की भी कम से कम 20 रुपए प्रतिदिन देनी चाहिए और यह कहा गया कि यह दिसम्बर 1990 से होना चाहिए और 6 महीने के पश्चात कंजूमर प्राइस इन्डेक्स के साथ लिंक कर देना चाहिए । ताकि यह बढ़ती रहे बहुत अच्छा सुझाव था उसके पश्चात् भारत सरकार ने उसके ऊपर बजाय उसकी सिफारिशों को स्वीकार करने के एक और 5 व्यक्तियों की कमेटी बैठा दी । उसके पश्चात् एक रामानुजम कमेटी बनी और उस कमेटी ने फिर अपनी रिपोर्ट दी । उसके पश्चात् श्रीमान डा० सी० एच० हनुमंतराव ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी । उन्होंने कहा था कि आई० आर० डी० पी० को कटीन्यू किया जाए । हमारे गांव के अन्दर रहने वाले जो लोग हैं उनको आवश्यक अनिवार्य रूप से शिक्षा और मुफ्त शिक्षा दी जाए और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट बनाया जाए । मौलिक अधिकार के रूप में काम करने का अधिकार रखा जाए । यह उस कमेटी ने रिपोर्ट दी थी । मैं इस समय उस विवाद में नहीं जाऊंगा कि यह हमारे भारत देश में संभव है कि नहीं क्योंकि जैसे हमारे वित्त मन्त्री अपनी गरीबी के कारण ऋण लेने के लिए झोला लेकर सारी दुनिया में घूम रहे हैं सम्भवत: यह उनके लिए सम्भव नहीं हो कि अनिवार्य रूप से रोजगार का अधिकार दें परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसके बारे में प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए । क्या हम यह प्रयास नहीं कर सकते ? जब हमने लैसर रेट ऑफ प्राइस एक्सैप्ट कर लिया और हमने यह कहा कि हमारी फ्री इकनौमी होगी और फ्री इकनौमी के अन्दर पब्लिक सैक्टर के अन्दर कई सारी इन्डस्ट्रीज हैं जिनमें एक करोड़ से अधिक मजदूर काम कर रहे हैं । उनमें से कईयों को बन्द कर दिया जाएगा क्योंकि वे अनइकनामिक हैं वाएबल नहीं हैं । उनके द्वारा फायदा नहीं होता है तो उन इंडस्ट्रीज में जो व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको निकाल दिया जाएगा ? वे सड़क पर आ जाएंगे, गांव की चौपाल पर आकर भूख से त्रस्त हो जायेंगे । क्या हमने कोई प्रबन्ध किया है ? अमरीका में आपने देखा होगा, फूड पैकेट दिए जाते हैं । कोई व्यक्ति बेरोजगार हुआ उसको फूड पैकट दिया जाता है । अनइम्पलायमेंट डोल दी जाती है और उसके पश्चात् वृद्धावस्था में कम्पलसरी एक प्रावधान किया जाता है । इस प्रकार के सोशल सिक्युरिटी के कई मैजर्स हैं । हमने अपने यहां पर क्या किया है । दुर्भाग्य से स्थिति यह है कि आज तक सोशल सिक्युरिटी में अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के समय से जो कानून चले आ रहे थे, वर्कमैन कम्पैनसेशन एक्ट, उसमें आज भी वही प्रावधान चले आ रहे हैं तबदीली के बाद । एक व्यक्ति फैक्ट्री में काम करते हुए मर जाता है, मजदूर अपना जीवन होम कर देता है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यदि हवाई जहाज के एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे 4–5 लाख रुपये मिलते हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे कम से कम 50 हजार से एक लाख रुपये दिए जाते हैं, कम्यूनल रायटस में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे एक लाख रुपये दिए जाते हैं और यदि कोई व्यक्ति इंजन बनाते हुए, सरकार के अच्छे काम में मजदूरी करते हुए मशीनरी के नीचे आ जाए या इलैक्ट्रिक शॉक से मर जाए तो 20–40 हजार रुपए कम्पैनसेशन दिया जाता है । हमने राइट आफ इक्विलिटी रखा है, हमारे प्रीएम्बल में यह कौन सी समानता है कि गरीब मजदूर जो राष्ट्र के लिए होम करता है उसे केवल 20 हजार रुपये और हनीमून में जाने वाले एक अय्याशी आदमी का यदि एयरलाइन में एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 5 लाख रुपये मिलते हैं । मैं चाहूंगा कि हमारे श्रम मंत्री और वित्त मंत्री इस पर विचार करें और भारत के

किसी भी नागरिक की, यदि उसकी काम करते हुए मृत्यु होती है तो कम से कम दो लाख रुपये कम्पैनसेशन मिलना चाहिए।

हमारे यहां कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद रामानुजन कमेटी बिठा दी। कल आपने देखा होगा, लेबर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई कि रामानुजन कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने के लिए सिफारिश की जाए। एक के बाद दूसरी कमेटी, कमेटी के बाद कमीशन, कमीशन के बाद इवैलुएशन, इवैलुएशन के बाद इम्पलीमेंटेशन इस प्रकार से एक के बाद एक आगे चलता जाता है परन्तु इम्पलीमेंट कहां होता है। 20 रुपये की मजदूरी मिनिमम वेज जिसको लिविंग वैज कहते हैं, लिविंग वैज है या नहीं मिनिमम वैज है वह 20 रुपये है और वह भी नहीं मिलती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे यहां राज्य सभा में एक प्रश्न पूछा गया, प्रश्न नवम्बर 2438 दिनांक 12-3-92 को, सरकार ने स्वीकार किया कि मिनिमम वैज जो हमने तय किया है, आज ऐसे प्रदेश हैं भारत में जिनमें नाम लिया आंध्र प्रदेश का; मुझे दुख है कि हमारे प्रधान मंत्री वहां से हैं और उनके प्रदेश में भी आज तक सरकारी आयोग के द्वारा जो, राजीव गांधी ने 1987 में बिठाया था मिनिमम लेबर वेजेस के लिए, उसको इम्पलीमेंट नहीं किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, नागालैण्ड, तमिलनाडु, महाराष्ट्र यहां पर मिनिमम वैज 12 रुपये से 20 रुपये के नीचे-नीचे है। मैं अपील करूंगा कि मिनिमम वैज को एक्सैप्ट करके इम्पलीमेंट कराने के लिए एनफोर्समेंट मशीनरी बनाई जाए।

धारा 356 ऐसे विषयों में यहां उठाया जाता है, राम बाण औषधि, अलाउद्दीन का चिराग है हमारे पास, कहीं पर भी जाने के लिए उसे हम काम में ले लेंगे। लकिन गरीब मजदूर शोषित हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, सदियों से दबा हुआ है, उसको मिनिमम वैज देने के लिए कुछ नहीं किया जाता है।

भारतीय मजदूर संघ ने इस बात की मांग की है कि मिनमम वैज को बढ़ाकर 40 रुपये किया जाना चाहिए। आज के युग में 7-8 व्यक्तियों का परिवार है, यदि उसे 40 रुपये मिलते हैं, इनफलेशन बढ़ता जा रहा है, रुपये की कीमत गिरती जा रही है, यदि मिनिमम वैज 40 रुपये नहीं करेंगे तो भारत का मजदूर, श्रमिक और बुरी तरह से पिसता जाएगा। अतः मिनिमम वैज कम से कम 40 रुपये की जाए। भारतीय मजदूर की मांग को स्वीकार ही नहीं किया जाए बल्कि उसको इम्पलीमेंट करने के लिए एक मानीटरिंग सैल बनाया जाए। मैं चाहूंगा कि लेबर मिनिस्टर इसके बारे में बताएं। इस सैल के द्वारा मीनिमम वैजिज एग्रीकल्चर सैक्टर के अंदर जो कि अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर है लागू करें। इस सैक्टर की आज कोई सुनवाई नहीं है, न ही व स्ट्राइक कर सकते हैं, वे अपनी कोई डिमांड भी नहीं ला सकते हैं, वे पढ़े-लिखे भी नहीं है, अभिशप्त हैं, सदियों से दबे हैं, 2-2 प्रकार के शासन से—एक शासन साम्राज्यवाद का था, उसके बाद राजा शासन करता था, फिर जमींदार शासन करता था, यह वर्ग आजादी के 42 वर्षों के बाद भी दबा हुआ है, बहुत दुखी है, इसको ऊपर के लिए 40.3 रुपये मिनिमम वेजिस किया जाये, भारत सरकार से मेरी यह मांग है।

दूसरा दृष्टिकोण है, अनएम्प्लायमेंट का। हमारे वित्त मंत्री तीन दिन पहले जोधपुर में थे। तीन दिन पहले उन्होंने घोषणा की कि 10 करोड़ श्रमिकों को रोजगार दो हजार तक दे

दिया जायेगा । मैं इनसे जानना चाहता हूं कि यह कहां से उनको रोजगार दे देंगे ? आपने अपने बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है, बजट में कमी की है, योजनाओं में कमी की है, अधिक कल्याणकारी जितने प्रावधान थे, उनमें बजट में कमी की है । ऐसे कौन से अलाउद्दीन के चिराग से रातों-रात चमत्कार हो जायेगा कि 10 करोड़ व्यक्तियों को आप रोजगार दे देंगे । इस देश के अन्दर 1991 में 4 करोड़ 51 लाख 9 हजार व्यक्ति बेरोजगार थे । ये वे बेरोजगार लोग हैं जिन्होंने एम्पलायमेंट एक्सचेंजों के अन्दर अपना नाम दर्ज कराया है । कम से कम तीन गुना व्यक्ति ऐसे होंगे जो कि एम्पलायमेंट होता क्या है, नियोजन क्या होता है, कहां पर होता है, इसका रास्ता भी नहीं जानते हैं । इन 4 करोड़ 51 लाख 9 हजार लोगों में से 3 लाख 40 हजार व्यक्तियों के लिए एम्पलायमेंट एक्सचेंज वालों ने वेकेंसियां एडवर्टाइज कीं । इसमें से 1 लाख 86 हजार को रोजगार प्रोवाइड किया । यह बड़ी गम्भीरता से सोचने की बात है ।

सभापति महोदय, कितने समय में ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : एक साल में । 1990 में एक लाख 86 हजार को रोजगार प्रोवाइड कर सके । यह मैं एनुअल रिपोर्ट में से बता रहा हूं । इसमें किसी विशेष दल की बात नहीं है । राज्यों में अलग-अलग दलों की सरकारें हैं । कहीं जनता दल है, कहीं कम्युनिस्ट पार्टी है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का शासन है लेकिन हमारे भारतीय का यह दुर्भाग्य है कि नौकरियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । कई राज्यों में ऐसा प्रतिबन्ध है । अगर कहीं पर कोई वेकेंसी निकलती भी है तो सब उसे पाने के लिए दौड़ते हैं । एक चपड़ासी की नौकरी पाने के लिए 4-4 हजार एप्लीकेंटस आते हैं । उस चपड़ासी की पोस्ट पाने के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधान मंत्री के दफ्तर से रिकमेंडेशन जाती हैं । यहां तक कि सेक्रेटरी, एम० एल० ए०, एम० पी० ज० की भी रिकमेंडेशन जाती है लेकिन हमारा ब्यूरोक्रेट चांदी के खनखनाते सिक्के से उनको नौकरी देता है चाहे कितना ही जोर लगा लिया जाए । मंत्री महोदय या किसी एक-आध की सिफारिश से नौकरी देता है । ज्यादातर सौदेबाजी करके ही नौकरी देता है । ऐसे में भारत का गरीब कहां जायेगा ? आप इस बात की चिन्ता करिए । यह बेरोजगार की स्थिति है, यह मिनिमम वेजिस की स्थिति है ।

श्रमजीवी पत्रकारों के लिए बछावत कमीशन बैठाया गया । उनकी वेजिस के लिए बछावत कमीशन का नियोजन किया गया बछावत कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दी । एक रिपोर्ट आई । उसमें कहा गया कि 1549 एस्टैब्लिशमेंट्स में इसको लागू करना था । उसमें से 1157 ने इसको लागू नहीं किया । नॉट इम्प्लीमेंटेड । अब यदि 1151 ऐस्टेबलिशमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया और 1549 में से केवल 400 ने किया तो सारे आयोग बिठाने के बाद यदि हमारे पास शक्ति नहीं है, कानून में ताकत नहीं है, प्रशासन में कि उसको इम्प्लीमेंट कराया जाये तो कमेटियां और कमीशन बिठाने से फायदा क्या, जब करोड़ों रुपया उन पर खर्च होता है ?

श्रीमन्, वैस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जो हमारे कम्युनिस्ट साथियों के हाथों में है, वहां 417 समाचार पत्रों में एस्टेबलिशमेंट्स हैं, 417 एस्टेबलिशमेंट्स ऑफ न्यूज पेपर्स, उनमें से 413 में इसको लागू नहीं किया, यह कान खोलकर सुन लें जो अपने आपको प्रगतिवादी कहते

हैं, जो अपने आपको गरीबों का रहनुमा कहते हैं, जो गरीबों का मसीहा कहते हैं, कि 417 एस्टेबलिशमेंटस हैं, वैस्ट बंगाल में, पत्रकारों के, अखबार वालों के, उनमें से 413 में इम्प्लीमेंट नहीं किया और यहां पर हमारे साथी बैठे हुए हैं, बिहार में 140 एस्टेबलिशमेंटस हैं, उनमें से 135 में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसके कारण क्या होंगे, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन श्रमजीवी पत्रकार, साधारण पत्रकार, जो बड़ी मुश्किल से छोटा अखबार निकालते हैं, उसके साथ में क्या मखौल हो रहा है।

तो श्रीमन् आज आवश्यकता इस बात की है कि आयोग बिठाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाय और इससे भी बढ़कर बात एक विचार करने की यह है कि हमारे यहां पर वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनजमेंट के बारे में 30 मई, 1990 को राज्य सभा में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया। बिल इन्ट्रोड्यूस करने के पहले लेबर कांग्रेस हुई, कमीशन बैठा, कमेटी बैठी, सलैक्ट कमेटी हुई होगी और कुछ विचार विनिमय हुआ, सेमीनार्स हुए होंगे। सारे देश में चिन्तन हुआ, मनन हुआ, मंथन हुआ और उस मंथन का नतीजा हुआ कि वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट का बिल राज्य सभा में तीस मई, 1990 से आज तक लटका हुआ है। न तो उसको वापस लिया गया है, क्योंकि यदि वापस ले लिया जाय तो भारत के समस्त श्रमजीवी, कामगार, मजदूर यह कहेंगे कि यह प्रगतिवादी सरकार नहीं है, प्रतिगामी सरकार है, रीएक्सनरी है, यह एण्टी लेबर है इसलिए इसको वापस नहीं लेते हैं। इम्प्लीमेन्ट इसलिए नहीं करते हैं कि इम्प्लीमैन्ट करने से जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो हमारे मनमोहन सिंह जी साहब के साथ में अभी जापान की सैर करके आये हैं, वह सब नाराज हो जायेंगे कि लेबर का यह आपने कहां लाकर अटका दिया। यह आज किस स्थिति में है? जिसे मूर्छित कहते हैं, यह मूर्छा की स्थिति में है, न जिन्दे में है, न मरे में है, न ही में है, न शी में है। यह श्रीमन है क्या? एक उर्दू के शायर ने कहा, हजरत मुसर्रत, न ही में है, न शी में है, न इधर में है, न उधर में है। उसको स्वीकार करते हैं। न अस्वीकार करते हैं। यह तो कहें कि लेबर पार्टीसिपेशन हम स्वीकार नहीं करते, यह कहने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है तो यह कहें कि हम इसको स्वीकार करते हैं। राज्य सभा में 30 मई, 1990 से, अब हम 1992 में हैं और आज तक वह वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमैन्ट का बिल, हमने डायरेक्टिव प्रिंसीपल्स में इसको एड किया, सभापति महोदय, आपको पता होगा, 42वें संशोधन में बीस सूत्री कार्यक्रम जब इमरजेंसी में डाल दिया गया था, उस वक्त हमने कहा कि हम नई हवा, नई रोशनी लायेंगे, हम रोजगार लायेंगे और कामगारों को मजदूरों को मालिकों के बराबर बनायेंगे लेकिन वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेन्ट का क्या हाल हुआ? कांस्टीट्यूशन एमेंडमेंट आ गया, उसके बाद कहा कि कांस्टीट्यूशन एमेन्डमेंट तो केवल एक लाफ्टी आइडियल है डायरेक्टिव प्रिंसीपल है,। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा हम एक कानून ले आते हैं, अच्छा कानून ले आइए। उसके बाद में क्या किया, बिल ले आये और बिल ले आने के बाद आज स्थिति यह है कि वह कानून पड़ा हुआ है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम श्रम की, कामगार की, मजदूर की, कर्मचारी की बात करते हैं तो दो करोड़ चाइल्ड लेबर हमारे यहां पर है, बान्डेड लेबर के रिहबिलिटेशन के सम्बन्ध में हमारे यहां आज तक कोई काम नहीं हुआ। महिलाओं के लिए हमने कानून

बनाया कि उनको बराबर वेतन मिलेगा, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सोशल सिक्योरिटी के लिए जितने कानून बने, वह अधिकतर डैड लैटर बने हुए पड़े हैं तो क्या हम उनको इम्प्लीमेन्ट करेंगे ? इस पर विचार किया जाय।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम विभाग की मांगों में कोई तो कटौती प्रस्ताव रखते हैं लेकिन मैं बढ़ाने का प्रस्ताव रखता हूं कि जितना चाहे, सरकार बढ़ाये। सरकार खजाने से पैसे ले क्योंकि, यह ऐसी मद है, जो गरीब की जेब में जायेगी, जो गरीबों के पेट में जायेगी, जो उसकी सूखी और भूखी आंतों में जायेगी, जिससे देश खुशहाल बनेगा इसलिए उसको बढ़ा दिया जाय। लेकिन केवल यह नहीं किया जाय कि वित्त मंत्री स्वयं कहें कि मैंने कम कर दिया है, क्यों कम कर दिया है ? क्या गरीब की हालत सुधर गई, क्या गरीब अमीर हो गया ? अमीरों की हालत सुधारने के लिए हमने सारे दरवाजे खोल दिये। इन्डस्ट्रियल पॉलिसी बदल दी। कोटा परमिट लाइसेंस आपने खत्म कर दिया, बहुत अच्छा किया, क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन आपने खत्म कर दिया। इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के अन्दर क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन आपने स्टार्ट कर दिया। फैरा में गायब हो रहा है, कोफेपोसा खत्म हो जायेगा। इस प्रकार इस देश के अन्दर गरीबों का शोषण करने का शासन बन कर रह जाएगा। आज तो किसानों की स्थिति है, मजदूरों की स्थिति है, खेतिहर मजदूरों की स्थिति है, उसका वर्णन करते हुए, एक कवि ने कहा है, उसकी दो पंक्ति पढ़ कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। कैसे इस देश के अन्दर 43 सालों की आजादी के पश्चात भी उनकी दुर्गति है, उनकी बुरी हालत है, वह मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :—

"ऊची धोती, अधखुले पांव, कंधे पर गज भर का टुकड़ा
सिर पर पगड़ी, कर में लकड़ी, तन का कपड़ा चिथड़ा-चिथड़ा
खाने का मुट्ठी भर दाने, ठुकराता माल खजानों को
अपनी धुन में अलमस्तों सा हंसता जग के दीवानों को।
अपना सर्वस्व लुटाकर जग अपनी कुटिया में आता है,
नन्हें बच्चों को निरख-निरख, दृग में आंसू भर लाता है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : क्या यह संसदीय है ?

श्री गुमान मल लोढ़ा : महोदय, आपके त्रिपुरा में समस्या नहीं है।

जो कुछ रुखा मिलता खाता, दो-दो दिन का लंघन करता
अपने तन में गांठे दे दे, पशु-बच्चों का पालन करता।

हमारे पंजाब के सांसद कह रहे थे, पंजाब राष्ट्र को, सारे राष्ट्र को अन्न देता है इस पर उन्होंने कहा है :—

"जो जग को अन्न प्रदान करे, जग उसको ही ठुकराता है
उसकी हड्डी को नोच-नोच, जग वैभव-भवन बनाता है
वह चरणों को मस्तक रखता, जग ठुकरा कर इतराता है
उसके चिथड़ों में आग लगा, जग हंसता है मुस्काता है।

जग की जूठन के थाल करें छितरा कर फेंक दिए जाते
रोटी की खातिर खिर-खिर कर उसके हैं बच्चे मर जाते।
उसकी टूटी खटिया, बर्तन, कुटिया, छप्पर बेचे जाते
कौड़ी-कौड़ी के सूद अरे, आंतकड़ियों से खींचे जाते।
दुर्बल तक खाली हाथ चला, पीड़ा उससे मिलने आती
सर्दी-गर्मी में मजदूरी थोड़ा सा साथ निभा जाती।
भारी मन हाथों से, थामेधरती का बेटा चल पड़ता
डग-डग भरता, रुकता, चलता, फिरता, उठता, आगे बढ़ता।
माटी से इतना प्यार उसे, माटी के बिना न रह पाता
अब माटी में मिल, फिर न कभी तोड़ेगा माटी से नाता।

सभापति महोदय : लोढा जी, आपने तो पूरी की पूरी कविता कह दी, दो चार स्टैंजा पढ़ देते।

श्री गुमान मल लोढा : सभापति महोदय, यह कविता श्रमिक मजदूरों, किसान मजदूरों से संबंधित है। जिस प्रकार की उनकी अत्यन्त ही विचारणीय स्थिति है, उसके बारे में कहा है। अब मैं आपको सोहन लाल द्विवेदी जी ने राष्ट्र के मजदूरों को प्रेरणा दी है, उसके दो-चार शब्द कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सोहन लाल द्विवेदी जी ने राष्ट्र के उत्थान में, स्वतंत्रता संग्राम में पूरी की पूरी पुस्तक लिखी है। उन्होंने जो किसानों के लिए लिखा है, वह हृदय को छूने वाली बात लिखी है। उन्होंने लिखा है, किसान क्या है, मजदूर क्या है।

राष्ट्र कवि श्री सोहन लाल द्विवेदी ने कहा :—

मैं नभ-चुम्बी प्रासाद भक्त, जिनमें ओहित मोहक कंचन,
ये चित्रकला-कौशल दर्शन, ये सिंह और तोरण बन्दन,
गृह टकराते जिनसे विज्ञान, गृह जिनका सब आतंक मान,
सिर झुका समझते धन्य प्राण, ये आम-खास, ये सभी मान,
वह तेरी दौलत पर किसान। वह तेरी मेहनत पर किसान।
वह तेरी हिम्मत पर किसान। वह तेरी ताकत पर किसान।
ये इन्द्रप्रस्थ के राज्य-सदन, पाटलीपुत्र के भव्य भवन,
ये नयन, अयोध्या, ऋषिरतन, उज्जैन अवन्ती के प्रांगण,
देशामी का वैभव महान, काशी-प्रयाग के कीर्ति-गान,
लखनवी नवाबों के वितान, मथुरा की सुख-सम्पति महान,
वह तेरी दौलत पर किसान। वह तेरी मेहनत पर किसान।
वह तेरी हिम्मत पर किसान। वह तेरी ताकत पर किसान।

अन्त में उन्होंने कहा :—

ये सिंहासन, ये तख्त-ताज, ये किले दुर्ग, गढ़, अस्त्र-ताज,
इन राज्यों की ईंटें महान, इन राजाओं की नीवें महान,
इनकी दीवारों की उठान, इनकी प्राचीरों के उफान,

सभापति महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री गुमान मल लोढ़ा : उन्होंने कहा :—

सामन्त भग रहे बचा जान, सन्तरी भयाकुल, लुप्त ज्ञान,
सामन्त भग रहे बचा जान, सन्तरी भयाकुल, लुप्त ज्ञान,
सेनायें हैं ढूंढती त्राण, उड़ गये हवा में ध्वज-निशान।
मां ने तुझ पर आशा बांधी, तू दे अपने बल की कांधी,
ओ मलय पवन बन जा आंधी, तुझसे ही गांधी है गांधी,
तुझसे सुभाष है, भावसान, तुझसे मोती का बढ़ा मान,
तू ज्योति जवाहर की महान, उड़ता नभ पर अपना निशान,
वह तेरी ताकत पर किसान। वह तेरी कुव्वत पर किसान।
वह तेरी जुरयत पर किसान। वह तेरी हिम्मत पर किसान।
तू मदवालों से भाग-भाग, सोये किसान, उठ जाग-जाग,
निष्ठुर शासन में लगा आज, गा महाक्रान्ति का अभय-राग।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं बहुत-बहुत धन्यवाद

सभापति महोदय : आपकी निजाम की रिपोर्टस नहीं लिख सकते। आप उनको लिखकर दे दीजिए।

[अनुवाद]

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : महोदय, क्या यह गाना कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा ?

सभापति महोदय : वास्तव में इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है। कार्य और प्रक्रिया पुस्तिका के पृष्ठ 63 पर एक परम्परा का वर्णन है, इसमें कहा गया है :

"सदस्यों को सभा में बोलते हुए गाना नहीं चाहिए बल्कि वे यही बात गद्य के रूप में कह सकते हैं।"

अतः गुमान मल लोढा वास्तव में न तो गा ही रहे थे और न ही गद्य के रूप में कह रहे थे। इसलिए मुझे इन दोनों के बीच विभेद करना असंभव है।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : वास्तव में वह ढोल के बगैर गा रहे थे। . . . . (व्यवधान)

सभापति महोदय : वह इतने अच्छे स्वर में गा रहे थे कि मेरा मन उन्हें हस्तक्षेप करने का नहीं हो पाया।

श्री कालिया पेरूमल।

श्री पो० पो० कालियापेरूमल (कुड्डालोर) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्रम पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। मैं इन अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय, यदि आप चाहते हैं कि कोई भी कारखाना चलता रहे तो औद्योगिक शान्ति जरूरी है। औद्योगिक झगड़े, औद्योगिक विवाद, उत्पादन पर बुरा प्रभाव डालते हैं और श्रमिक वर्ग के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। और अन्ततः उपभोक्ताओं पर असर डालते हैं। हमारे देश में औद्योगिक झगड़े अविरल चलते जाते हैं। हड़ताल और तालाबन्दी बहुत अधिक होती है। हमारा विकासशील देश इस सबको वहन नहीं कर सकता। प्रति वर्ष लाखों मानव दिवसों की हानि होती है। अतः इस सरकार का कर्तव्य है कि वह औद्योगिक शान्ति बरकरार रखे और औद्योगिक झगड़े समाप्त करे जोकि विकास में अवरोधक बनते हैं।

हमें औद्योगिक झगड़ों के कारणों को दूर करना है तथा उन्हें आरम्भिक अवस्था में ही हल कर लेना चाहिए। हम सेटेलाइट टेलिविजन के युग में हैं। यह श्राव्यदृश्य माध्यम दूर-दराज के गांवों में श्रमिक वर्ग की आंखों और कानों को तृप्ति देकर विभोर करता है तथा बड़े-बड़े व्यापारी और बड़े-बड़े उद्योगपतियों के जीवन को भी प्रभावित करता है। लेकिन, दूसरी तरफ हमारा श्रमिक वर्ग अपनी उचित आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहा है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्ष पीठ की तरफ अपनी पीठ न करें।

श्री पो० पी० कालियापेरुमल : श्रमिक क्या चाहते हैं ? वे गुजारे लायक मजदूरी चाहते हैं। वे एक अच्छा जीवन स्तर चाहते हैं वे मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार चाहते हैं। लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं हैं। वे उत्पादन प्रक्रिया में समुचित भागीदारी चाहते हैं। ये अप्राकृतिक इच्छायें या अवैध मांगें नहीं हैं। लेकिन ये आकांक्षायें और ये आशायें प्रबन्धक मंडल और मालिकों के जानेबूझकर किये असमामानता के व्यवहार से धीरे-धीरे मिटा दी जाती हैं। अतः जब उचित आवश्यकतायें और वैध अधिकार देने से इन्कार कर दिया जाता है तो तनाव और विवाद पैदा हो जाते हैं। औद्योगिक झगड़े बढ़ जाते हैं। ये श्रमिक भी मनुष्य हैं, उनके दिमाग है, दिल है, और वे खरीद फरोख्त की वस्तु नहीं हैं। अतः जब उनकी समय के अनुरूप बुनियादी जरूरतों को पूरा करने से इंकार किया जाता है तो औद्योगिक झगड़े होने अवश्यम्भावी हैं। यदि उनकी इच्छायें, आकांक्षायें पूर्ण कर दी जायें तो औद्योगिक शान्ति बर्करार की जा सकती है और अन्ततः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति भी बनाये रखी जा सकती है। श्रम सम्बन्धी कानूनों की कमी नहीं है। श्रमिकों के लिए संवैधानिक गारन्टियों की कमी नहीं है। परन्तु परिणाम क्या है और उपलब्धि क्या है ? इतने में थोड़ा किया या न किया बराबर है।

खानों में सुरक्षा उपाय ईमानदारी से लागू नहीं किये जाते हैं मशीनीकृत कृषि क्षेत्र में कोई भी सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं।

दिल्ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जैव चिकित्सा इंजीनियरिंग के केन्द्र के मुताबिक कृषि के मशीनीकरण से कृषि के क्षेत्र में दुर्घटनायें हो रही हैं। अनुमान है कि इनसे 5000 से 10000 वार्षिक मौतें, अंग विच्छेद की घटनायें 15000 से 20000 और घायल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 1.5 लाख से 2 लाख है। इनमें प्रमुख रूप से दोष ट्रेक्टरों, थ्रैशरों

और संयुक्त हार्वेस्टरों का है। इस मशीनीकृत कृषि में लगे कृषि श्रमिकों के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं? इसी तरह खानों में भी कोई सुरक्षा उपाय नहीं किये गये हैं।

जब कभी श्रमिक विवाद उठते हैं तो श्रम सम्बन्धी कानूनों को तुरन्त कार्यान्वित किया जाना चाहिए। श्रम सम्बन्धी विवादों को निपटाने में बहुत विलम्ब किया जाता है। जल्दी हल ढूंढना तो दूर की बात है। सी०जी०आई०टी० सहित श्रम न्यायालयों में लगभग 1000 मामले लम्बित हैं। अतः मेरा निवेदन है कि श्रम सम्बन्धी मामलों और विवादों का शीघ्र निपटान किया जाये।

कामगारों की उत्पादन प्रक्रिया में प्रभावी रूप से सहभागिता अनिवार्य है। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि राज्य सभा में इस सम्बन्ध में एक विधेयक पुरस्थापित किया गया है। मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर शीघ्र चर्चा की जाये और शीघ्र ही इसे कानून का रूप दिया जाये।

साथ ही-श्रमजीवी पत्रकार तथा अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अपराध संज्ञेय नहीं है। इसकी वजह से कई श्रमजीवी पत्रकार निजी शिकायतें करने पर परेशानी में पड़ जाते हैं। अतः मेरा इस सरकार से अनुरोध है कि वह इस अधिनियम में उचित संशोधन करे ताकि ये अपराध संज्ञेय करार दिये जायें।

967 ऐसे समाचार पत्र हैं जो भगवती वेतन बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि इस भगवती वेतन बोर्ड की सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।

हम विकलांग बेरोजगारों को सहायता देने के मामले में गौरवान्वित महसूस करते हैं। लेकिन इस सम्बन्ध में उपलब्धि क्या है। रोजगार कार्यालयों के वर्तमान रजिस्टरों में विकलांग बेरोजगारों की संख्या लगभग 3 लाख है। और रोजगार उपलब्ध कराये जाने की प्रतिशत इतनी दयनीय है कि यह मात्र 0.7 प्रतिशत है। जबकि विकलांगों के लिए रोजगार कार्यालय हैं। विशेष रोजगार कार्यालय हैं, विशेष कक्ष हैं, विशेष रोजगार अधिकारी हैं। मैं नहीं जानता कि ये सब सरकारी तन्त्र विकलांगों के लिए क्या कर रहे हैं। गरीब विकलांग बेरोजगार गलियों में भीख मांग रहे हैं।

शिक्षित महिला बेरोजगारों के बारे में क्या किया जा रहा है। महिला बेरोजगारों की संख्या 73 लाख है। कुल रोजगार अवसरों में से महिलाओं को अनुमानतः 13 प्रतिशत रोजगार मिला हुआ है। हमारी बहिनें, हमारे समाज का आधा हिस्सा हैं लेकिन इनको कुल रोजगारों में से केवल 1/8 भाग ही मिला हुआ है। क्या यह रोजगार के समान अवसर हैं? महिलाओं तथा पुरुषों के प्रति समान न्याय नहीं है। कई सरकारी विभाग अपने महिला कर्मचारियों के सांख्यिकी आंकड़े भी नहीं रखते हैं। उदाहरणार्थ ग्रामीण बैंक अपने महिला कर्मचारियों की संख्या बताने में असमर्थ हैं और इस आंकड़े के सम्बन्ध में हमारे अतारांकित प्रश्न का उत्तर उसी तरह दिया गया है। महिलाओं के कल्याण के लिए हमारे रुचि की यह स्थिति है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजाति, सहित शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार सहायता देने का सुखद आश्वासन महज दिखावा है। कथनी और करनी में काफी अन्तर है। महिलाओं के लिए रोजगारों में 50 प्रतिशत आरक्षण की मैं मांग करता हूं जिससे पुरुष एवं महिलाओं को समान न्याय मिले। उन सभी शिक्षित विकलांगों के लिए युद्ध स्तर पर नौकरियों के प्रावधान करने की मैं मांग करता हूं जो नौकरी की तलाश में हैं।

अब मैं ग्रामीण श्रमिक की बात करता हूं। भारत में ग्रामीण श्रमिक करीब 15 करोड़ हैं। वे सामाजिक रूप से दमित और आर्थिक रूप से निर्धन होते हैं। वे बेरोजगार और आंशिक रूप से रोजगार प्राप्त हैं। प्रतिवर्ष बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है। वे अनपढ़ हैं। निर्धनता के कारण उनके बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते। ग्रामीण श्रमिकों के बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा देने का हम षडयन्त्र करते हैं और अमीर जमीदारों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा के क्षेत्र में यही समान अवसर हैं ? नहीं वे गरीबी में जन्म लेते हैं गरीबी में पलते हैं और अपने पीछे गरीबी ही छोड़ जाते हैं।

वे जीवन का अधिकार चाहते हैं वे कार्य करने के अधिकार के साथ जीवन यापन योग्य पारिश्रमिक मांगते हैं। वे समानता और गरिमा चाहते हैं। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है लेकिन कृषि कार्य में अत्याधिक मशीनीकरण मानव श्रम को हरा रहा है। यह जले पर नमक छिड़कने जैसा है। भारत एक ऐसा देश है जहां श्रमिक बहुतायत में हैं। पूंजी थोड़ी है और जमीन का हिस्सा छोटा है। भारत एक ऐसा देश है जहां ग्रामीण श्रमिक अपनी जीविकोपार्जन खेतों को जोतकर बुनाई करके कटाई और गहाई से करते हैं। हमने ट्रैक्टर बुवाई मशीनों गाहन और काटने वाली संयुक्त मशीनें दी हैं। और इनके लिए प्रोत्साहित किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मानव श्रम की क्या आवश्यकता है ? इस प्रकार कृषि से संबंधित मशीनों के बढ़ने से ग्रामीण रोजगार के अवसर में कमी आई है और इससे ग्रामीण निर्धनता बड़ी है ग्रामीण श्रम के हित में मैं कृषि में मशीनीकरण को कम करने के लिए कहता हूं। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि मशीनीकरण से मितव्ययिता आती है। कृषि का मशीनीकरण ग्रामीण श्रमिक के रोजगार के अवसरों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिये श्रमिक पर फसलों को प्रोत्साहित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए जाए। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी०पी०) के क्रियान्वयन में अन्त्योदय दृष्टिकोण का कठोरता पूर्वक पालन करना होगा। और जे० आर० वाई० भूमि विकास को दृढ़ता से लागू करना होगा। भूमि परिसीमन में दी गई रियायतों को वापस ले लिया जाए। बेनामी जमीदारी को समाप्त किया जाए।

सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाया जाए। ग्रामीण श्रमिकों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए जलाशयों की सफाई जल्द से जल्द शुरू की जानी चाहिये। प्रायद्वीपीय नदी विकास योजना के अन्तर्गत नदियों को जोड़ने का कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान बेकार हो गए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 50,000

आदिवासी वन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और उन्हें न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम प्राप्त हो रहा है। बीड़ी पत्ता चुनने वाले श्रमिकों को भी न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम मिलता है । समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक के सिद्धान्त का पालन नहीं किया जा रहा है । समान पारिश्रमिक अधिनियम मात्र कागजी बात है । महिला श्रमिकों को पांच रुपये प्रति दिन की दर से मिलता है । यह स्थिति तमिलनाडु में है । समान पारिश्रमिक अधिनियम को लागू करने के लिए अविलम्ब कदम उठाना अति आवश्यक है । विभिन्न राज्यों में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी न तो न्याय संगत है और न जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त है । ग्रामीण श्रमिक 45 रुपये प्रतिदिन के दर से न्यूनतम पारिश्रमिक चाहते हैं । गरीब से बिना पारिश्रमिक दिये श्रम कराना बंधुआ मजदूरी है जो संविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत निषिध है । यह हमारे उच्चतम न्यायालय का विचार है । कुछ हद तक ग्रामीण श्रमिक मूक हैं । फिर भी यदि वे अपनी आवाज यदाकदा उठाते हैं तो उनकी आवाज को बेरहमी से हमारी पुलिस दबा देती है । अतः मेरा यह कहना है कि राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश दिये जाएं कि वे ग्रामीण सर्वहारा वर्ग की पुलिस अत्याचार से रक्षा करें और इस प्रकार दोष को दूर किया जाए।

महोदय हथकरघा बुनकरों की स्थिति दयनीय है। 17 मिलियन लोग हथकरघा पर निर्भर हैं । कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण वे बेरोजगार हो गए हैं । वे भूख से पीड़ित हैं । विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के चक्कर में हम उन बुनकरों को बेरोजगार न बनाएं भूखों न मरने दें ।

ग्रामीण श्रमिक बेघर होते हैं । उन्हें घर बनाने के लिए स्थान और आवास उपलब्ध कराया जाए । जहां वे रह रहे हैं उस आवास स्थान का उन्हें स्वामित्व दिलाया जाए । आवास प्राप्त करने का अधिकार मूल माननीय अधिकार है और इसलिए सभी श्रमिकों के लिये चाहे वे निजी क्षेत्र के ही अथवा सरकारी क्षेत्र के उन्हें युद्धस्तर पर आवास उपलब्ध कराने का कार्य करना होगा ।

मुझे ग्रामीण श्रमिक पर गठित राष्ट्रीय आयोग जिसका गठन हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने किया था की रिपोर्ट को पढ़ने का अवसर मिला था । इस समिति की सिफारिश प्रशंसनीय है। यह रिपोर्ट वास्तव में ग्रामीण श्रमिकों के लिये एक क्रान्तिकारी चार्टर के समान है। मेरा यह निवेदन है कि इस रिपोर्ट का अध्ययन जल्दी से किया जाए और इसकी सिफारिशों को बेहिचक लागू किया जाए । हमारा संविधान स्वयं ही सामाजिक आर्थिक चार्टर है। हमारे संविधान को फिर से लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है । संविधान में किए गए वायदों को पूरा करने के लिए राजनैतिक दृढ़ता की आवश्यकता है।

अंत में डा० अम्बेडकर के शब्दों में यह प्रश्न पूछता हूं : "कब तक हम सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में समता को नकारते रहेंगे" आगे में नम्रता पूर्वक डा० अम्बेडकर के शब्दों में ही यह चेतावनी देता हूं 'यदि हम इसी तरह नकारते रहे तो हम ऐसा अपने राजनैतिक लोकतंत्र को खतरे में रख कर करेंगे ।'

आगे मैं श्री इंदिरा गांधी की उक्ति को उद्धृत करते हुए समाप्त करता हूं : 'जब शांतिपूर्ण परिवर्तन को व्यर्थ कर दिया जाता है तो हिंसक उथल-पुथल होती है। यह पृथ्वी हम सब की है ।

शांति और सब्बे भाई-चारे के साथ जो मानव की गरिमा और समता पर आधारित हो उसके साथ ही इसकी कामना करें।'

श्री अजय मुखोपाध्याय (कृष्ण नगर) : महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

महोदय, आज देश के श्रमिक वर्ग पर घोर प्रहार हो रहा है जो आजादी के बाद के भारत में अभूतपूर्व है। वास्तव में पूरे श्रमिक वर्ग के विरुद्ध वर्तमान सरकार द्वारा संपूर्ण युद्ध की घोषणा कर दी गई है।

5.00 म० प०

उन्होंने अत्यन्त घृणित अभियान चला रखा है मैं उसे 'आपरेशन फंड बैक' कहता हूं। इस अभियान का मूल उद्देश्य शोषक वर्ग के हितों को राष्ट्र की आर्थिक प्रभुसत्ता के साथ समझौता करके भी साधना है। वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों में अभियान का मुख्य भार है। स्वाभाविक ही है कि श्रम मंत्रालय अस्तित्व हीन हो गया है। श्रम मंत्रालय इतना ही महत्वहीन हो गया है कि प्रधान मंत्री को इसके लिये एक स्वतन्त्र मंत्री नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं दिखती है। यह उनके दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है।

महोदय, स्वतंत्रता के बाद और विशेषकर जब भारत का संविधान अस्तित्व में आया तभी से श्रमिकों के लिए एक न्यायपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण अपनाने के लिये संघर्ष चल रहा है लेकिन जिन्होंने अनथक परिश्रम और अपार त्याग कर देश के उत्पादन और धन में वृद्धि की है जिसकी प्रशंसा में हमारे शासक लम्बी चौड़ी हांकते रहते हैं, उनके बिना यह संभव नहीं होता। लेकिन इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है ? जो इनाम के तौर पर उन्हें मिलता है वह निष्ठुर शोषण भारी अवहेलना। दूसरी ओर मुठ्ठी भर लोगों को उतना कुछ मिल जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह नीतियों की अपरिहार्य परिणति जिसका पालन विगत चार दशकों से किया जा रहा है। उस नीति में शुरू से श्रमिक विरोधी तथा एकाधिकार वादी विचार निहित हैं। महोदय, यह उल्लेखनीय बात है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू और कुछ हद तक श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी यह नीति कम से कम पूंजीवाद समर्थक नहीं था।

5.04 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लेकिन अब कांग्रेस सरकार का दृष्टिकोण अपना वास्तविक रूप दिखा रहा है। यह अपने वास्तविक रूप में आ गई है जिसमें केवल श्रमिक विरोधी और जन विरोधी दृष्टिकोण ही नहीं है बल्कि राष्ट्रविरोधी तत्व सामने आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र का पूरी तरह पतन और विनाश हो रहा है, अत्यधिक और बिना सोचे समझे निजीकरण किया जा रहा है और विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी का पूंजीवादी एजेंसियों के इशारे पर अबाध रूप से आयात हो रहा है।

महोदय, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के आधार को पूरी तरह कमजोर किया जा रहा है और उसका नाश हो रहा है । इससे निश्चित रूप से विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा नव उपनिवेशवादियों का हित होगा । हां, थोड़े समय के लिए वर्तमान में भारतीय एकाधिकारवादियों का भी हित होगा । शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के सम्पन्न वर्ग को भी लाभ मिलेगा ।

लेकिन श्रमिक वर्ग का क्या होगा ? श्रमिक वर्ग को जो लुभावना अवसर आपने दिया है वह है छंटनी नीति । विदेशी प्रभावशाली लोग, महाजन, आदि उत्सुकता से छंटनी नीति के शांतिपूर्ण ढंग से लागू होने का इंतजार कर रहे हैं । इस प्रकार 'नेशनल रिन्यूअल फंड' स्थापित करने का प्रस्ताव है । यह 'नेशनल रिन्यूअल फंड' क्या है और उसका तात्पर्य क्या है? 'नेशनल रिन्यूअल फंड' संबंधी प्रस्ताव पत्र का परिचालन किया जा चुका है। यदि आप उसे पढ़े तो वास्तविक इरादे को आप जान जाएंगे । इसमें कहा गया है :

"एक औद्योगिक उपक्रम को अपनी इकाईयों के संचालन में पुनर्गठन करने का प्राधिकार प्राप्त हो ।"

"ऐसे मामले में भी, जहां श्रमिकों और नियोक्ता में कोई समझौता नहीं हुआ हो, नियोक्ता को एक उचित पुनर्गठन योजना लागू करने की अनुमति दी जाती है ।"

"कम से कम प्रारंभिक चरण में इस कोष को ऐसा माध्यम माना जाए जो उद्योग की छंटनी की समस्या से निबटने के लिये उपलब्ध होगा ।"
इसमें आगे कहा गया है "यह कोष बंद किये जाने वाले उद्यमों को सहायता के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएगा ।

क्या इस बात के स्पष्ट होने में कोई संदेह है कि यह राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि छंटनी नीति का एक अभिन्न अंग है और छंटनी नीति ही अपने आप में इस तथाकथित सरंचनात्मक समायोजन का एक अटूट अंग है । ये सारे शब्दजाल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हैं जिसे हमारी सरकार अपनी भाषा में प्रयोग कर रही है । डा० मनमोहन सिंह, श्री चिदम्बरम और प्रधानमंत्री श्री नरसिंहराव स्वयं ही बिना किसी हिचकिचाहट और शर्म के सार्वजनिक क्षेत्रों, निजी क्षेत्र तथा सरकारी विभागों के कामगारों और कर्मचारियों को छंटनी का रास्ता दिखला रहे हैं । उनका कहना है कि उन कामगारों को इस तथा कथित संरचनात्मक समायोजन का पूर्ण भार नहीं बल्कि मुख्य भार ही सहना पड़ेगा और इस तरह से इन्हें कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा । गरीबों के लिये क्या प्रेम और देशभक्ति है ।

सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के 98 उपक्रमों को रुग्ण घोषित कर दिया है जिनमें से 58 तो उनके विचार में स्थायी रूप से रुग्ण हैं और उसने अपनी यह राय संसद के अन्दर और बाहर दोनों ही जगह उठाये गये गंभीर आपत्तियों के बावजूद बी० आई० एफ० आर० को भेज दी है । इन मामलों बी० आई० एफ० आर० के पास भेजने के स्पष्ट कारण हैं । निश्चित रूप से ऐसा उन उपक्रमों को पुनः चालू करने के लिए नहीं किया गया है बल्कि उनके अंतिम संस्कार हेतु उस निकाय की स्वीकृति

प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया है। इस प्रकार से, इनकी नयी औद्योगिक नीति का पहला शिकार इन इकाइयों में कार्यरत चार लाख से भी अधिक कर्मचारी बनेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री अजय मुखोपाध्याय : कृपया मुझे कुछ और समय दीजिए। आपने उद्योग पर बहस स्थगित करवा दिया है।

उसके बाद शेष 40 रुग्ण उद्योगों पर कहर बरपेगा जिससे करीब दूसरे चार लाख कर्मचारी और कामगार इसका शिकार होंगे। इस मामले का अंत यहीं नहीं हो जायेगा। उन इकाइयों में सीधे कार्यरत कर्मचारियों के साथ-साथ दैनिक और ठेका मजदूर भी बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन इकाइयों के बन्द हो जाने से 20 लाख के लगभग कामगार बेकार हो जायेंगे। इस औद्योगिक रुग्णता की जिम्मेदारी निश्चित रूप से इन कामगारों और कर्मचारियों तथा ट्रेड यूनियनों पर नहीं डाली जा सकती है। इसका कारण तो केन्द्रीय सरकार की गलत और गैर जिम्मेदाराना नीति, अकुशल संचालन तथा नौकरशाहों का हस्तक्षेप है। इस सम्बन्ध में गहन अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जायेगा कि इस रुग्णता का कारण सभी मामलों में एक समान नहीं है बल्कि विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के विभिन्न कारण हैं। सभी श्रेणियों के उद्योगों के रुग्णता के कारणों को एक ही पैमानों से नहीं मापा जा सकता है जैसाकि सार्वजनिक उपक्रम विभाग के द्वारा किया गया है।बल्कि इनमें से कई इकाइयों को तो किसी विशेष अभिप्राय से रुग्ण घोषित किया गया है। अतः प्रबंधनों और सरकार के वक्तव्य को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण इकाइयों को ही नहीं बल्कि लाभ में चल रही इकाईयों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। इन इकाइयों के साथ सौतेला व्यवहार और दूसरे प्रकार के बर्ताव करने के अलावा 'इक्विटी' के अनिवेश और इन इकाइयों के बोर्डों में निजी क्षेत्र के प्रसिद्ध उद्यमियों को प्रवेश देने के माध्यम से इन्होंने निजीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी है। इस प्रक्रिया से अन्ततः लाभ में चलने वाले कई उद्योग रुग्ण हो जायेंगे। जिससे और भी अधिक मुश्किलें पैदा हो जायेंगी। क्या मैं जान सकता हूं कि ये लोग निजीकरण को ही सारी समस्याओं का निदान क्यों मानते हैं?. कृपया यह बतलाने का कष्ट करें। क्या यह एक तथ्य नहीं है कि इनके द्वारा रुग्ण घोषित किये गये 58 उद्योगों में से 46 ऐसे उद्योग हैं जो पहले निजी क्षेत्र में ही थे और जिन्हें रुग्णावस्था में ही सरकार के द्वारा अधिगृहीत किया गया था ? क्या ये इस बात से भी इन्कार करेंगे कि निजी क्षेत्र में रुग्ण इकाइयों की संख्या सैकडों या हजारों में नहीं बल्कि 1988 के अन्त तक इनकी वृहत संख्या 2,91,814 हो चुकी थी। राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन के अनुमान के अनुसार अब यह संख्या बढ़कर करीब चार लाख तक हो चुकी है। इनमें जो कार्यशक्ति लगी है, उसकी कल्पना सहज ही की जा सकती है। इतना ही नहीं, बन्द हुई इन चार लाख इकाइयों में दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण के अलावा 7000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण फंसा हुआ है। विभिन्न सरकारी करों और कामगारों की भविष्य निधि और ई० एस० आई जैसी निधियों सहित अन्य कानूनी देयताओं के रूप में इन इकाइयों के पास

करोड़ों रुपयों का वैधानिक देय बकाया है लेकिन तो भी, उनके विरुद्ध कड़े कदम उठाने के बजाय, इन्होंने उनके हाथों में हमारे कामकाजी वर्गों के भविष्य को सौंपने को प्राथमिकता दी है।

जब लाखों नौकरियों पर कुठाराघात हो रहा है, लाखों सृजित पदों को खत्म करने से सम्बन्धित सूची केन्द्र सरकार और उसके उपक्रमों के कार्यालयों में तैयार की जा रही हो, विभिन्न अर्द्ध सरकारी संस्थानों में सेवारत कर्मचारियों को समय पूर्व अवकाश ग्रहण करवाने की चेष्टा की जा रही हो और कुछ कांग्रेस और भाजपा शासित राज्यों में अनेकों सरकारी उपक्रमों की बिक्री के विज्ञापन अखबारों में आ रहे हों तो भी ये हमारे देश के आम लोगों विशेषकर कामकाजी वर्ग को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनमें से किसी को भी बाहर नहीं निकाला जाएगा । क्या ऐसा करना उच्च स्तर का ढोंग नहीं है ?

कोयला मंत्री, श्री संगमा कहां हैं ? वे अभी तक वापस नहीं आये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्वाधान में दिसम्बर के अन्त में दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का उल्लेख करना चाहूंगा । उसमें यह आकलन किया गया है जिसे मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं।

"संरचनात्मक सुधारों से 1992–93 में 4–8 मिलियन लोग बेरोजगार हो जायेंगे और वर्ष 1993–94 में 4–10 मिलियन लोग और भी बेरोजगार हो जायेंगे यह अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का आकलन है।

कांग्रेस (आई) के घोषणापत्र में महंगाई को सौ दिनों के भीतर पुरानी दर पर लाने का ही वायदा नहीं किया गया था जो कि मजाक ही सिद्ध हुआ है बल्कि यह भी वायदा किया गया था कि प्रति वर्ष 100 मिलियन नौकरी के अवसर पैदा किए जायेंगे।

महोदय, चूंकि माननीय कोयला मंत्री भी आ चुके हैं, इसलिए क्या मुझे फिर से अपनी बात शुरू करने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे दुबारा से कहने का कष्ट क्यों करते हैं ? इतना उदार न बनें।

श्री अजय मुखोपाध्याय : ठीक है, महोदय । दस महीने बीत चुके हैं। क्या मैं इनसे पूछ सकता हूं कि रोजगार के कितने अवसर पैदा किये गये हैं और देश में कितने नये रोजगार के अवसर पैदा किये गये हैं। वास्तव में स्थिति नितान्त विपरीत है । रोजगार कार्यालयों के अद्यतन रजिस्टरों में पिछले साल दर्ज नौकरी तलाशने वालों की संख्या 3.62 करोड़ पार कर चुकी है। अब तो वह और भी ज्यादा हो गयी होगी। जहां तक ग्रामीण बेरोजगारी का सम्बन्ध है, आजादी के चार दशकों के बाद भी उसका आकलन करने के लिए कोई तंत्र नहीं है। इस सम्बन्ध में सरसरी तौर पर आकलन भी किया जाए तो पता चल जायेगा कि ग्रामीण बेरोजगारी आठ करोड़ से भी ऊपर की विकराल संख्या तक पहुंच चुकी है जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या अधिक है । और अब, नई आर्थिक और औद्योगिक

नीतियों ने बेरोजगारी की समस्या को एक खतरनाक दिशा दे दी है। महोदय, बढ़ती बेरोजगारी ने तो हमारे देश की सम्पूर्ण युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधेरे के गर्त में धकेल ही दिया है। उनमें व्याप्त निराशा का उपयोग दुष्ट ताकतों के द्वारा गलत प्रयोजन के लिये किया जा रहा है। अगर हम देश में वेतन ढांचे को देखें तो पायेंगे कि उसमें एकरूपता नहीं है। सभी जगह भेद भाव है। आजादी मिले 44 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन कोई राष्ट्रीय वेतन नीति अभी तक निर्धारित नहीं की जा सकी है। जहां तक असंगठित क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के वेतन का सम्बन्ध है, उसकी दुर्दशा अवर्णनीय है। उसमें वेतन के प्रश्न पर ही नहीं बल्कि महंगाई भत्ते के प्रश्न पर भी बहुत ही अराजकता व्याप्त है। मंहगाई भत्ते की कई श्रेणियां हैं, जैसे केन्द्रीय मंहगाई भत्ता, औद्योगिक मंहगाई भत्ता सूत्र आदि। लेकिन सबसे जो विकट स्थिति है वह यह है कि इस देश के सम्पूर्ण कामकाजी वर्ग के लिये कोई एक सूत्र बनाने की कोशिश इनके द्वारा नहीं हो रही है। यह भी एक कटु सत्य है कि निरन्तर बढ़ती हुए मंहगाई के परिप्रेक्ष्य में भी संगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों को मंहगाई भत्ते से वंचित कर दिया जाता है। 15 करोड़ से ज्यादा ऐसे कामगारों की दुखद स्थिति की कल्पना सहज ही की जा सकती है। प्रवासी और बंधुआ मजदूरों की दशा सबसे दयनीय है।

बोनस और अन्य सामाजिक लाभों के सम्बन्ध में भी वही अराजक स्थिति है। कहीं भी कोई नीति नहीं है, एकरूपता नहीं है। कुछ दिन पहले, एक पूरक प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने बताया था कि उन्होंने मंहगाई भत्ता पर एक समिति गठित कर दी है। क्यों? जब केन्द्रीय वेतन समिति द्वारा अनुशसित महंगाई भत्ता सूत्र मौजूद है जिसे केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही अपना रहे हैं तो फिर वह समिति क्यों गठित की गई है? मुझे डर है कि कहीं ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के हुक्म पर मंहगाई भत्ता जब्त ही न कर डालें और धीरे-धीरे उस पर रोक ही लगा दें। तब यह प्रक्रिया आरम्भ कर ही चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में किये गये विभिन्न समझौते की अवधि कई मामलों में पिछले दिसम्बर में ही समाप्त हो चुकी है, लेकिन सरकार की ओर से प्राधिकारियों को किसी भी नये समझौतों को स्वीकार नहीं करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

राज्य सरकारों को भी इनकी नीति का शिकार होना पड़ रहा है। मंहगाई बढ़ती ही जा रही है, महगाई भत्ता दिया जाना है लेकिन ये उन्हें धनराशि आदि मुहैया करवा के सहायता नहीं कर रहे हैं। जिससे राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक और दूसरों को पीड़ित होना पड़ रहा है।

महोदय, मजदूरों की प्रबंधन में भागीदारी का क्या हुआ? राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार द्वारा राज्य सभा में इस आशय का एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। लेकिन उस पर ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं जबकि ये कहते हैं कि ये गरीबों के प्रति बेहद चिंतित हैं।

[अनुवाद] :

मानवीय भावनाएं हमेशा आपके सामने होती हैं। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। चर्चाएं भी हुई थीं कि संविधान में काम करने के अधिकार को मूल भूत अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाये। आप उस विषय पर भी खामोश है। श्रम कानून भी लगभग असंगत से हो गये हैं। श्रम कानून, श्रम मंत्रालय की मेज पर व्यर्थ

पड़े हुए हैं। कार्मिक-वर्ग आन्दोलन पुलिस द्वारा निर्दिष्ठ एवं नियंत्रित किया जा रहा है। आप एस० एम० ए० तथा एन० ए० एस० ए० को पारित करने के लिये बहुत उत्सुक हैं। विभिन्न राज्य सरकारें, हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ इ० एस० एम० ए० का प्रयोग कर रही है। वैध संघर्ष के खिलाफ इ० एस० एम० ए० का प्रयोग किया गया है। हाल ही में, राजस्थान में अभियन्ताओं ने हड़ताल की थी। तब राजस्थान सरकार ने ई० एस० एम० ए० लागू किया था। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था। केन्द्र सरकार भी इस तरह के कानून पारित करने के लिए उत्सुक है। आपने विधेयक तैयार किया था। विभिन्न राजनैतिक दलों एवं मजदूर संघों की आपत्ति के कारण आपने कुछ समय इस विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया गया था। लेकिन आपने उस विधेयक को प्रस्तुत करने का विचार नहीं त्यागा।

मैं यह कहता हूं कि आप, कर्मचारियों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। छटनी नीति एवं 'गोल्डेन हैण्ड-शेक' आदि के समर्थन में व्यापक प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। खनिज तथा धातु निगम में (एम० ए० एम० सी०) जिन कर्मचारियों को 'गोल्डेन हैण्ड-शेक' दिया था, उनको अभी तक सेवानिवृत्ति और अन्य लाभ नहीं दिये गये हैं।

अन्त में, मैं आपको यह याद दिलाना चाहूंगा कि आप जो उपाय कर रहे हैं उन्हें, इस देश का श्रमिक वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। पिछले वर्ष 29 नवम्बर को, सम्पूर्ण देश में औद्योगिक हड़ताल हुई थी। लेकिन सरकार ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया। (व्यवधान) कांग्रेस और भाजपा के नेतृत्व के मजदूर संघ, इस हड़ताल के खिलाफ थे लेकिन उनके अनुचरों ने इस हड़ताल में भाग लिया। इस समय सारे देश में कर्मचारी हड़ताल करने के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं। वे लोग आगे ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि, यदि देश की आर्थिक प्रभु-सत्ता के साथ का समझौता होगा तो राजनैतिक आधिपत्य खतरे में पड़ जाएगा। यह उचित समय है कि आपने जिस तथाकथित औद्योगिक नीति को पहले से ही अपनाया है तथा जिस तरह से छंटनी नीति, राष्ट्रीय नवीकरण निधि, संरचनात्मक समायोजन आदि-आदि रूप में उनका अनुसरण करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे आपको छोड़ना होगा। आप इन सभी का अनुसरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए कृपया सच्चाई को जानने की कोशिश कीजिए। देश के श्रमिक वर्ग एवं श्रमिक लोगों के हितों के खिलाफ मत जाइए, वे लोग मूक-दर्शक नहीं हैं। भविष्य में, आपकी जनता विरोधी और कुछ हद तक राष्ट्रीय विरोधी नीति का विरोध करने के लिए, वे लोग और बड़े पैमाने पर सड़कों पर निकल पड़ेंगे। मैं फिर एक बार श्रम मंत्रालय से सम्बद्ध अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं। मैं नहीं जानता कि श्री संगमा जी श्रम राज्य मंत्री हैं अथवा और कुछ हैं।

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं जो कुछ भी हूं सो हूं।

[व्यवधान]

श्री अजय मुखोपाध्याय : आपको कुछ और करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको राज्य मंत्री अथवा उसी तरह के मन्त्री पद को ही सम्भालना नहीं है। मैं समझता हूं कि आप परिस्थिति को समझने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय कृषि मंत्री जी, दिल्ली दुग्ध योगना के सम्बन्ध में एक बयान देंगे।

5.31 म० प०

मंत्री जी द्वारा वक्तव्य

दिल्ली दुग्ध योजना

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : कुछ माननीय सदस्यों ने 24 अप्रैल, 1992 को प्रश्न काल के दौरान दिल्ली दुग्ध योजना (डी० एम० एस०) के महाप्रबन्धक की गिरफ्तारी का मुद्दा तथा इससे संबंद्ध अन्य मुद्दों को उठाया था। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने अपना जो उद्वेग और चिन्ता व्यक्त की, मैं उनका समर्थन करता हूं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी०बी० आई०) ने भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम, 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत, 13 अप्रैल 1992 को 2 लाख रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में, दिल्ली दुग्ध योजना (डी० एम० एस०) के महाप्रबन्धक श्री रामसिंह के विरुद्ध, एक लिखित शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया था। इस शिकायत के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री राम सिंह के घर पर छापा मारा और उन्हें 2 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार करने के आरोप में 13 अप्रैल, 1992 को गिरफ्तार किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने श्री राम सिंह से पूछताछ के बाद तथा आवश्यक जानिन प्राप्त करने के बाद, उन्हें 14 अप्रैल, 1992 को जमानत पर रिहा कर दिया। श्री रामसिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई०ए० एस०) के मध्य प्रदेश संवर्ग के 1972 के बैच के हैं जो कि भारत सरकार की सेवा में, 19 अक्टूबर, 1987 से प्रतिनियुक्ति पर हैं। माननीय सदस्य ने यह रहस्योद्घाटन किया था कि तिरूपति से दूरभाष सन्देश आने के बाद उन्हें छोड़ा गया। कम से कम मुझे इस तरह के सन्देश की जानकारी नहीं है। यह बहुत ही जरूरी है कि माननीय सदस्य को व्यक्तियों के पहचान की पुष्टि करनी चाहिए। जहां तक सम्बद्ध अधिकारियों के निलम्बन की बात है, आल इन्डिया सर्विस के अधिकारियों के निलम्बन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके लिए मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति समिति (ए० सी० सी०) से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ता है जो कि सक्षम प्राधिकरण है। ए० सी० सी० का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही निलम्बन लागू होता है। मैंने 19 अप्रैल, 1992 को तिरुपति से वापस आने पर, सम्बद्ध फाइल प्राप्त की और मैंने उसे 20 अप्रैल, 1992 को, ए० सी० सी० को भेज दिया।

माननीय सदस्य ने कहा था कि निम्नतम टेन्डर भरने वालो को दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की आपूर्ति करने का ठेका नहीं दिया गया। जो विभिन्न आक्षेप लगाए गए हैं, मैं उनका खण्डन करता हूं और उस पर अपना आक्रोश प्रकट करता हूं। दिल्ली दुग्ध योजना के हित में ठेके दिए। ऐसे मामलों की लेखा परीक्षा व पर्यवेक्षण के लिए संस्थापित प्रक्रियाएं है। यह रिकार्ड की बात है और कोई भी इसका पर्यवेक्षण कर सकता है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना ने, आपूर्तिकर्ताओं की बचन बद्धता से अधिक दूध प्राप्त किया गया। उदाहरण के लिए गैर सरकारी ठेकेदारों ने दिल्ली दुग्ध योजना को, जितनी मात्रा देने का वादा किया था, उससे

अधिक मात्रा में निम्नलिखित रूप में दूध दिया :

ठेकेदार का नाम	अनुबंधित मात्रा प्रति दिन हजार कि० ग्राम	आपूर्ति की गई मात्रा प्रतिदिन हजार कि० ग्राम			
			अप्रैल		
		मार्च 1992	प्रथम सप्ताह	द्वितीय सप्ताह	तृतीय सप्ताह
1	2	3	4	5	6
मैसर्स प्रकाश डेयरी मुराद नगर	15	54.0	41.2	42.7	20.2
मेसर्स नानक फूड इन्डस्ट्रीज नई दिल्ली	15	81.4	116.8	69.9	64.1
मेसर्स सुखबीर सिंह दिल्ली पालबाल	15	38.6	41.2	33.0	14.1

इसी तरह से सहकारी संस्थाओं ने भी दिल्ली दुग्ध योजना को अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा में दुध दिया ।

अवधि	अनुबंधित मात्रा प्रतिदिन हजार कि० ग्राम	वास्तव में की गई आपूर्ति की मात्रा प्रति दिन हजार कि० ग्राम
1	2	3
मार्च 1992	38.1	65.4
अप्रैल 1992 का प्रथम सप्ताह	38.1	78.6
अप्रैल 1992 का द्वितीय सप्ताह	38.1	79.2
अप्रैल 1992 का तृतीय सप्ताह	38.1	75.4

मैं दृढ़ता से और फिर से यह कहना चाहूँगा कि हमारी मंत्रालय सहकारी संस्थाओं के विकास के लिए पूरी तरह से वचन–बद्ध है । सहकारी संस्थाओं के प्रति मेरी जीवन पर्यन्त वचन बद्धता को माननीय सदस्य पहले से ही जानते हैं । यहां तक कि इस मामले में भी सहकारी संस्थाओं और उनके संघों को सुचारू रूप से प्रोत्साहन एवं सहयोग दिया गया है । मैंने विशेष रूप से यह निर्देश दिया है कि हमें वास्तविक सहकारी संस्थाओं को पर्याप्त सुरक्षा

एवं प्रोत्साहन का आश्वासन देना चाहिए । यदि केवल वास्तविकता के इसी मापदण्ड पर सहकारी संस्था, दिल्ली दुग्ध योजना, की सभी आवश्यकताओं को अथवा आवश्यकता के किसी भी प्रतिशत को पूरा कर सकती है तो उनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए मैं सभी क्षेत्रों में, जिनमें दुग्ध क्षेत्र भी सम्मिलित है, सहकारी संस्थाओं के विकास हेतु तथा उनको सहायता देने के लिए, अपनी वचन बद्धता को दोहराता हूं, बशर्ते कि वह वास्तविक हों।

ऐसा बताया गया है कि एक ऐसा टैंकर था, जिसका दूध, निर्धारित स्तर का नहीं था और उसे अस्वीकार कर दिया गया लेकिन जब उसी टैंकर को नम्बर प्लेट बदल कर लाया गया तो उसे स्वीकार कर लिया गया। यह सही बात नहीं है। प्रथा के अनुसार टैंकर के दूध को कुछ नमूनों (सैम्पल) की जांच की गई। टैंकर का दूध, अच्छी गुणवत्ता वाला पाया गया। उन परिरक्षित नमूनों (सैम्पलों) को सुनिश्चित करने के लिए, जिन्हें टैंक से निकालकर रखा गया था, उनकी फिर से जांच की गई और फिर उनका स्तर स्वीकृत गुणवत्ता वाला पाया गया।

दूध दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किए गए कदाचार के कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। मैं ये कहना चाहुंगा कि दूध की गुणवत्ता की जांच करने के लिए समान प्रक्रियाएं और परीक्षणों का अनुसरण किया गया जिसका प्रचलन उस समय से था जबकि श्री नीतीश कुमार जी राज्य मंत्री तथा दिल्ली दुग्ध योजना के प्रभारी थे। मैं माननीय सदस्यों को ये भी आश्वासन देना चाहुंगा कि उपभोक्ताओं को दूध वितरण करने से पहले ठीक-ठीक गुणवत्ता की जांच की जाती है। दिल्ली दुग्ध योजना, आपूर्तिकर्त्ताओं से दूध लेते समय तथा उपभोक्ताओं को दूध वितरित करते समय दूध की जांच करती है। ऐसे दूध को दिल्ली दुग्ध योजना स्वीकार नहीं करती है जो निश्चित मापदण्ड के अनुसार नहीं होता है। दिल्ली के हजारों दुग्ध केन्द्रों में दिल्ली दुग्ध योजना का दूध उपलब्ध है। कोई भी दूध का सैम्पल ले सकता है और दूध की गुणवत्ता के लिए जांच करवा सकता है।

अन्त में मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहुंगा कि किसी भी अधिकारी अथवा किसी भी दूध के आपूर्तिकर्ता के प्रति कोई पक्षपात नहीं दिखाया गया और सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं ताकि दिल्ली दुग्ध योजना जनता को केवल पौष्टिक दूध ही बेच सके ।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : (बाढ़) मेरा प्वांट आफ आर्डर है । यह नार्मल प्रेक्टिस नहीं है, हम भी जानते हैं कि मिनिस्टर के स्टेटमेंट के बाद कोई क्लेरिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय मंत्री ने अभी जो बयान दिया है, वह बिल्कुल सत्य से परे है और हमारा नाम उसमें मैंशंड है । इस मामले में क्वालिटी टैस्ट उस जमाने में भी होता था जो आज होता है । इसलिए हम इस प्वांट को लेकर खड़े हुए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि इसमें सच्चाई नाम की कोई चीज बयान में नहीं है और एक एक बात जो इनके बयान में कही गई है, एक-एक बात गलत साबित करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं । किस प्रकार से टैंकर अन्दर गया, उसको रिजैक्ट किया गया, फिर नम्बर प्लेट बदलकर आया, अखबारों में प्रकाशित किया गया। पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया, जांच हुई और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वहां के प्रबंधक ने जांच की थी। ये सब चीजें प्रमाण में हैं।

दूसरी बात यह है कि को-आपरेटिव सोसाइटी से मिल्क लिया जा रहा है, यह बिल्कुल असत्य है। उन्होंने अभी दिखाया है अपने आंकड़ों में कि ज्यादा लिया गया है। मार्च महीने में जनवरी और फ़रवरी वाला भी बकाया सप्लाई किया जा रहा है इसलिए मार्च में आपूर्ति ज्यादा दिखाई गयी है। दरअसल मार्च–अप्रैल का ट्रांजिटरी पीरियड में 60 प्रतिशत की सप्लाई ली जाती है जबकि वे ज्यादा देने के लिए तैयार है। वे देने को तैयार हैं और उन्होंने लिख दिया है। कामधेनु को-आपरेटिव सोसाइटी ने लिखा, ओम को-आपरेटिव सोसाइटी ने लिखा, जया को-आपरेटिव सोसाइटी ने भी लिखा कि जिस दर पर लोएस्ट टैण्डर दिया है, उस दर पर हम सप्लाई करने को तैयार हैं। वह नहीं लिया जा रहा है, केवल एक पार्टीकूलरली एक फ़र्म का हाई रेट पर लिया जा रहा है।

मिल्क की क्वालिटी के बारे में बतलाया गया है कि किस प्रकार से जो नीचे के अधिकारी थे, वे कहते हैं कि सब-स्टैण्डर्ड है। सारा का सारा यह इस पर मौजूद हैं। लिखा है सब-स्टैण्डर्ड, उस पर दर्ज किया है कि यह मनेजमेंट प्रोक्योरमेंट या फ़लां अधिकारी के आदेश से इसको हम ले रहे हैं। दो इट इज सब-स्टैण्डर्ड चाहे फ़ैट कंटेंट हो या एस० एन० एफ० कंटेंट हो, इन्होंने अभी क्वालिटी की बात कही है, इसलिए इस बात को सदन के पटल पर रिकार्ड के तौर पर रखना बहुत जरूरी है। एक होता है एम० एस० आर० टी० टैस्ट। हम मंत्री जी की सुविधा के लिए बता रहे हैं। या तो इनको गुमराह किया जा रहा है या ये सच्चाई को लाना नहीं चाह रहे हैं या सच्चाई को सुनना पसंद नहीं करते हैं। यह टैस्ट 15 मिनट होना चाहिए। 0.05 मिनट आया है और इसको एक्सेप्ट किया गया है। नीचे के अधिकारियों ने कहा कि इसको रिजेक्ट किया जाए, इसको एक्सेप्ट किया गया। ये सारे दस्तावेज मौजूद हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे आग्रह करेंगे कि जिन बातों को इन्होंने कहा है, एक-एक बात बिल्कुल असत्य है, तथ्य से परे है और इन तमाम चीजों के बारे में ये बातें कई अवसरों पर प्रकाशित हो चुकी हैं और हमने भी जिम्मेदारी के साथ कुछ बातों का रखा है। हम एक ही बात कहना चाहते हैं कि किस प्रकार से नीति में परिवर्तन इस सरकार ने किया है। जो को-आपरेटिव सोसाइटीज और को-आपरेटिव फ़ैडरेशन को दूध देने का अधिकार था, उसको बदलकर, इस नीति में परिवर्तन करके प्राइवेट पार्टीज को इनमें इंट्रोडयूस किया और प्राइवेट पार्टीज को लाने में ही सारा घोटाला हुआ है। हम आपके माध्यम से यह आग्रह करना चाहेंगे कि सदन के पटल पर जो प्राइवेट पार्टीज को कांट्रैक्ट अवार्ड किया गया, उसके संबंध में और कुछ नहीं, जो इनकी सरकार में इनके राज्य मंत्री हैं और इनके बीच में जो फ़ाइल पर लिखा पढ़ी हुई है, या पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है, उसको सदन के पटल पर रख दिया जाए तो सारी चीज आपके सामने आ जाएगी और हर चीज स्पष्ट हो जाएगी कि किस प्रकार से 13 पार्टियों को बुलाया जाता है, उसमें से रिडयूस किया जाता है, उसमें से दो को डिसमिस किया जाता है, 8 को रखा जाता है पांच बार नेगोशिएशन होता है। मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के मिनट में दर्ज है कि मंत्री महोदय के आदेश से पांचवीं बार नेगोशिएशन हो रहा है।

अल्टीमेटली किसी पर्टीकूलर कम्पनी को फ़ेवर करने के लिए सारे प्रमाण इसके मौजूद हैं और जो कुछ हुआ है, जो ए० सी० सी० का हवाला दिया, मैं एक ही बात कहूंगा कि यह जो कुछ भी है सरकार के अन्दर है। कबिनेट की अपाइण्टमेंट कमेटी में आफिसर की सस्पेंशन का मामला हो तो वह हम भी जानते हैं। यह घटना 13 तारीख की है। आज इतने दिन बीत गए। 18 तारीख से वह छुटटी पर जाते हैं सारे दस्तावेजों को 13 से 18 तारीख तक मिटाने के लिए उनके पास पर्याप्त समय था। हम जानते हैं कि मंत्री महोदय का जो बयान तैयार हो रहा है, बहुत चीजें याददाश्त के आधार पर तैयार की गई हैं, डाक्यूमेंट नहीं मिले हैं। खुद भी वे देखते तो दंग रह जाते। सारी चीजों को मिटाया जा रहा है। आज कितनी तारीख हो रही है, बताने की जरूरत नहीं है। 27 तारीख बीत गई। एक आफ़ीसर दो लाख रुपया घूस लेते पकड़ा गया। मुझे मालूम है आप इजाजत नहीं देंगे लेकिन यह टेप है, इसमें सब बातें बंद हैं। मैं जानता हूं रूल परमिट नहीं करते। मैं तो अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में भी सुना सकता हूं कि किस प्रकार से मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ने और डी० एम० एस० के जनरल मैनेजर ने लेन–देन की बात की है। यह सब कैसेट में बंद है और हमको लोगों ने लाकर दी है। मैं रूल्स के तहत इसको सुना नहीं सकता लेकिन इसमें सब बातें बन्द हैं। मैं मंत्री जी को एक बात बता रहा हूं कि किसी भी ट्रैप में फ़ंसने की बात नहीं है। जो गलत आदमी है उसको दंड मिलना चाहिए नीति में गलती हुई है उसको स्वीकार करके उसको सुधार करना चाहिए नहीं तो दोषी को बचाने के क्रम में बोफ़ोर्स की तरह सुई कहीं और न घूम जाए। यह ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी का बहुत बड़ा शुभ चिंतक हूं। और अनर्गल आरोप लगाने में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि स्थिति सुधरे। मैं चाहता हूं कि लोगों को सही दूध मिले। मैं जानना चाहता हूं कि यूरिया मिलाया गया है, यूरिया मिला हुआ दूध सप्लाई किया गया और आज उसका प्रमाण नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि आज लोक सभा में यह बात आ गई। आज किसकी हिम्मत है कि यूरिया मिलाए, आज किसकी हिम्मत है मशीन कटिंग आयल मिलाने की? यह स्थिति है। हमने इस सवाल को उठाया है। किसी को जलील करने के लिए नहीं उठाया। मैंने सवाल उठाया है न्याय के लिए और दिल्ली के नागरिकों को सही दूध मिले और जो दोषी हैं उसको सजा मिले। अब तक वह सस्पेंड नहीं हुआ है तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और अगर कैबिनेट कमेटी ने इसको रूल के मुताबिक करना है तो सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की है? एक आफ़िसर की मदद करने के लिए जो दो लाख रुपया घूस लेते हुए रंगे हाथ पड़ा गया है, इस स्थिति में हम मांग करेंगे कि इन दोनों को सस्पेंड किया जाए और दोनों के बीच में टेण्डर देने के बारे में कांट्रैक्ट के मामले में और 5 बार जो नेगोसिएशन हुआ, उसके मिनट रखे जायें। 19–12–91 की जो मीटिंग है। अगर मुझे डेट गलत नहीं मालूम तो 28–2–92 को जो टैंकर बदलकर जाली काम हुआ है उसमें जो पुलिस केस हुआ है और उसमें भार्गव मनेजर के द्वारा जांच कराई गई।

यदि आप कहें तो मैं ये सारे डाक्यूमेंटस, रिपोर्ट नम्बर वगैरह आपको दे सकता हूं, यहां रख सकता हूं। यह सब कुछ दैनिक जागरण में छपा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आपके पास जो भी दस्तावेज है, कृपया आप उन्हें संबद्ध मंत्री को दे दीजिए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कितना गम्भीर मामला है और किस प्रकार डी० एम० एस० में काम हुआ है, कितना गलत काम हो रहा है।

(व्यवधान)

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य सदन में गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अन्य काफी सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। इसलिए ज्यादा अच्छा हो कि आप विस्तृत व विशेष चर्चा इस पर सदन में करायें।

(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : मंत्री जी से यहां असत्य कहलवाया जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप असत्य बोल रहे हैं बल्कि जिसने आपको दिया है, आपसे असत्य बुलवाया जा रहा है और मैं साफ तौर पर तथ्य आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : ये गंभीर आरोप हैं। मंत्री जी को इन आरोपों पर ध्यान देना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : उपाध्यक्ष जी, इसमें रिश्वत का मामला है और यूरिया की मिलावट का मामला है ; अन्य गम्भीर अनियमितताएं हुई बताती हैं। इसमें चर्चा होनी चाहिए, और भी माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य पर आप विशेष चर्चा की अनुमति दें ताकि अन्य माननीय सदस्य भी अपने विचार सदन के सामने रख सकें, तथ्य सामने आ सकें। इस मामले को सामान्य नहीं माना जाना चाहिए।

श्री नीतीश कुमार : दोनों मंत्रियों के बीच में, श्री के० सी० जेंका और श्री बलराम जाखड़ साहब के बीच में जो फाईल चली है, मैं चाहता हूं कि उसे यहां सदन के पटल पर रखा जाये क्योंकि 17-12-91 के मिनिटस में जो कुछ उन्होंने दर्ज किया है वहां पर, जो उस समय इन्चार्ज थे—ज्वाइंट सेक्रेटरी—उन लोगों ने मिनिटस दर्ज किए हैं कि मंत्री जी के आदेश पर ऐसा हो रहा है, पांचवीं बार नगोसिएशन। जो मिनिटस उस समय दर्ज किए गए हैं, मैं चाहता हूं कि उन्हें यहां सभा पटल पर रखा जाये। इस मामले में और जो भी दस्तावेज हैं, जो भी उपलब्ध हैं, अखबार में जो खबर प्रकाशित हुई है, उसे देखकर पूरी की पूरी कार्यवाही यहां आये। अंत में, मैं प्रार्थना करूंगा क्योंकि मंत्री जी का वक्तव्य पूर्णतः असंतोषजनक है, इसलिए उस पर विशेष वाद-विवाद की अनुमति आप दें, नियम 193 के तहत चर्चा की, ताकि ज्यादा से ज्यादा

तथ्य जितने अन्य माननीय सदस्यों के पास हैं,, वे सामने आ सकें। यदि सरकार की ओर से सब कुछ खुद हो जाये, सरकार खुद करना चाहे तो ठीक है, अगर सरकार नहीं करना चाहती तो निश्चित रूप से कसूर बनता है, उसे इस मामले में दुनिया के सामने एक्सपोजर होना चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ऐसा वक्तव्य दिया है। जबकि इस बयान में नीतीश कुमार जी का नाम आया है, अतः उनको स्पष्टीकरण मांगने और कतिपय दस्तावेज रखने का अवसर दिया गया। नहीं तो उन्हें इसमें शामिल होने अथवा कोई स्पष्टीकरण मांगने का अवसर नहीं दिया जाता। इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उस दिन नीतीश कुमार जी के साथ अन्य माननीय सदस्य भी बोले थे, उनको भी मौका मिलना चाहिए।

श्री बलराम जाखड़ : श्री नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा, उन्होंने किसी का लिखा हुआ यहां पढ़ दिया, जो कुछ किसी ने दिया, उस पर ऐतबार कर लिया। लेकिन जो कुछ भी काम होगा, वह लोगों के हित में करने का वायदा हमने किया हुआ है। आपने तो यहां तक भी ऐतबार कर लिया कि टेलीफोन तिरुपति से आया उसे छोड़ने के लिए। **(व्यवधान)** ... किसने किया वह टेलीफोन, चलिए। मैं यही आपसे जानना चाहता हूं कि किसने टेलीफोन किया। अगर आपने दो टके के एक कागज पर विश्वास कर लिया, अपने भाई पर आप विश्वास नहीं करते। क्यों आपने ऐसा किया? **(व्यवधान)** किसी को पता नहीं है। मैं यह बात बोल रहा हूं एक कागज की बात हीं कर रहा हूं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही कह रहा हूं कि एक लिखे हुए कागज पर आपने विश्वास कर लिया, मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। **(व्यवधान)** सुनिए तो सही, अखबार में लिख देने से ही सारी बातें सच नहीं हो जातीं। मैं 18 तारीख तक तिरुपति में था और मुझे इस बात का तब तक पता हीं नहीं लगा, मैं नहीं जानता कि मुझे क्यों इस बारे में इन्फार्म तक नहीं किया गया। **(व्यवधान)** मैंने पता किया जब 19 तारीख को मैं यहां आता हूं 19 तारीख की रात को फाईल मेरे पास आती है और 20 तारीख की सुबह को मैंने सस्पैंशन की रिकमेंडेशन करके उसे वापस लेंका जी को भेज दी। वहां से उन्होंने उसी दिन आगे भिजवा दी। अरलियेस्ट मैं यही कर सकता था। यही नहीं मैंने सी०बी०आई० के चीफ श्री विजय करन को भी इसमें प्राम्प्ट एक्शन के लिए कमेंड किया। मैं कैसे किसी आदमी की सिफारिश कर सकता था। इससे ज्यादा गिरावट मुझमें कैसे आ सकती थी, यदि मैं यह काम करता कि उसे छुड़वाने की बात करता। इससे तो बेहतर है कि, मैं कहीं नाक पानी में डूबोकर मर जाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता था बल्कि मैंने तो फौरन कहा, पूछो आप उनसे कि क्या कोई टेलीफोन आया, उनकी तरफ से, कि कोई टेलीफोन आया। मैं आपसे चाहूंगा कि आप उस आदमी का पता करवायें जिसने आपको यह सब लिखकर दिया, टेली-

फोन करने की बात कही और कहा कि मैंने छुड़वाने का काम किया। मैं उस आदमी का पता कराना चाहता हूं। इसमें मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने हराम की कमाई खायी है, ऐसा नहीं है और न मैंने इस तरह की बातें कही।

दूसरे आपने कहा, फाईल की बात आपने रखी। फाईल मुझे 19 तारीख को आयी और 20 तारीख की सुबह वहां से वापस चली गयी। उसे 20 तारीख को ही मैंने भिजवा दी। यही नहीं, मैंने कैबिनेट सैक्रेटरी और प्रिंसिपल सैक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर से भी कहा कि इस आदमी को फौरन सस्पेंड किया जाये, आप पूछ लीजिए उनसे। पूछ लिया जाए और यही नहीं,

श्री सैयद शाहाबुद्दीन (किशन गंज) : ए० सी० सी० का एक प्रासीजर है जिसमें चन्द घंटों में हो जाता है।

श्री बल राम जाखड़ : यह नहीं होता न, अगर ऐसा होता, तो मैं फौरन करवा देता।

[अनुवाद]

मैं उन्हें फटाफट निकाल देना चाहता था। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ सकती थी, अनथिंकेबल है। गलत और गलीज बात करना गलत है।

[हिन्दी]

दूसरी बात आपने कहीं कि फाईल गई नहीं। जब फाइल आई नहीं, तो जाएगी कहां से। मेरे पास आएगी, तभी तो जाएगी। जब मेरे पास रात में आई, तो मुझे पता लगा, अब रात को 10 बजे तो मैं भेजता नहीं। दूसरे दिन सुबह गई। आपने कहा कि किस तरीके से किया? नहीं मेरी मरजी किसी को टेंडर देने की नहीं थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मुझे न तो "ए" चाहिए और न "बी" चाहिए। जो डी० एम० एस० का नुकसान हो रहा था, वह रोकना था। मैं तो कोआपरेटिव सोसायटीज को देना चाहता था। अगर आप मेरा नोट देखें, तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। मुझे कुछ छिपाना नहीं है। इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जिस दिन मैं कोई गलत काम करूंगा, उस दिन मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा कि काम करना है, किस तरीके से करना है, कोआपरेटिव सोसायटी ने मिल्क देना बन्द कर दिया। उनको पैसा ज्यादा चाहिए था। हमारे पास दूध नहीं था। हम बटर और पाउडर मिलाकर दूध बना रहे थे। लाखों रुपए का रोज नुकसान हो रहा था। मैंने यह कहा कि जो सारा दे सकती है, पहले उनसे लो, नहीं फिर दूसरों से लो।

ये मेरे आदेश हैं। मैं आपको बता दूंगा। आप फिक्र मत करिए। सारा रिकार्ड मेरे पास है। एक आदमी ने नहीं किया दस आदमियों ने किया है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आप गलत बता रहे हैं। प्रति दिन दो लाख का घाटा हो रहा है (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कई पत्रों का जिक्र कर रहे हैं। क्या वह उन पत्रों को सभा पटल पर रखेंगे? यह मेरी मांग है (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : यह तो कोई ..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, तब वे इस पर सहमत नहीं हुए ···· **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : यह आदेशों में से है। कृपया अब मुझे बात करने दीजिए।

[हिन्दी]

नीतीश साहब बात इतनी है कि करना किस तरीके से है और एक कमेटी होती है, उस कमेटी ने फैसला किया है कि किस तरीके से करना है। जब मैंने देखा कि नुकसान हो रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, तो हमने सोचा बिल्कुल क्लियर कहा है। ये जो मैंने आब्जरवेशन्स लिखी है, मैंने आपको बताया, आप उनमें देखें, आपको पता लगेगा कि जो सोसायटीज हैं, जो सारा दे सकती हैं, उनसे पहले लें।

उस समय सिर्फ एक बात थी कि जैन्यूइन कितनी हैं। मैं किसी की गलत बातों को मानने वाला नहीं हूं। इसके लिए मैंने सी०बी०आई० से पहले कहा, आप विजयकरण जी से पूछ लीजिए कि मैंने उनसे कहा कि आप मुझे यह पता कर के दो कि जैन्यूइन सोसायटीज कितनी हैं, आप उनसे इस बात को कनफर्म कर लीजिए। इस बात का मैंने खुद भी पता करवाया है कि जैन्यूइन कितनी है कितना दूध दे सकती हैं। अगर जैन्यूइन नहीं हैं, 5 आदमियों ने 15 भैंसे रखी हुई है, और उन्होंने 15 हजार लीटर दूध सप्लाई किया है, तो वह दूध कहां से आया, वे कैसे दे सकती हैं ? मैंने इस बात का पता करवाया है। मैंने तो आपसे कहा—मैं तो उनसे करवाने लगा हूं, जिन्होंने वह पैसा खाया है। मुझे न "ए" चाहिए और न मुझे "बी" चाहिए, जो मैंने देखा है वह मैंने किया है। मैं किसी की गलत बात को नहीं मान सकता हूं। मेरे पास जो सप्लाई की गई है, जो मुझे बताई गई है, जो आंकड़े दिए गए हैं, जो मैंने डी०एम०एस० से कलैक्ट किए हैं, वे आपके सामने रख रहा हूं। इसके बावजूद अगर कोई कमी है, किसी ने गलती की है तो उसे एक मिनट बचाने की कोशिश नहीं करूंगा, सीधा कर के रख दूंगा। मुझे बच्चों के लिए आदमियों के लिए, दोस्तों के लिए, दिल्ली की जनता को बुरा दूध सप्लाई करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूं। आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं। लेकिन यह नहीं हो सकता कि मैं किसी को गलत काम करने के लिए शह दूं। यह नहीं हो सकता है। यह बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जब भी आएंगे, मैं आपको दिखाउंगा। जो आप कहते हैं कि फ्लां सेक्रैटरी ने यह लिखा है, यह सब गलत बताया है, रिकार्ड आपके पास होगा। आप मेरे पास आइए। आप रिकार्ड देखिए, फिर आपको पता लगेगा कि हम क्या करते हैं। मुझे किसी से कुछ लेना-देना नहीं है।

[अनुवाद]

सीधी बात यह है कि मैं दिल्ली दुग्ध योजना तथा साधारण तौर से जनता के हितों को सुरक्षा करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : वह कोर्ट में केस बाजाता है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं आपको फाइल दिखा दूंगा। यह कोई टैंकर वाली बात होगी तो मैं दुबारा दिखवा लूंगा। मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मेरे पास तो वही आ सकता है, जो मुझे भेजा जाएगा। मेरा किसी को बचाने का कोई इरादा नहीं है ···· **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : थौरो इन्क्वारी करवा लीजिए। मैं नहीं चाहता आप पर प्रीविलेज मोशन लाऊं लेकिन सारे फ़ेक्ट्स अदरवाइज हैं।

[अनुवाद]

श्री बलराम जाखड़ : मैं माननीय सदस्य, श्री नीतीश कुमार जी को यह विश्वास दिला सकता हूं कि, वे मुझे जो भी देंगे मैं उसकी पूरी तरह से जांच कराऊंगा।

[हिन्दी]

मैं थौरो इन्क्वारी करूंगा और उसके बाद बताऊंगा। आपने देखा नहीं है, आपको किसी ने बताया है। आपको जो बताया नहीं है वह मैं आपको बताऊंगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० राम कापसे और श्री नीतीश कुमार दस्तावेज देखना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हैं।

श्री बलराम जाखड़ : श्री नीतीश कुमार के पास जो कुछ है, वे मुझे दे सकते हैं। मैं उन्हें दिखा सकता हूं। वे लोग किसी भी समय मेरे पास आ सकते हैं।

5–58 म० प०

अनुदानों की माँगें (सामान्य) 1992-93
(श्रम मंत्रालय)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रम मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा फ़िर से शुरू करेगी। श्री नितीश कुमार जी।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्रालय की अनुदान मांगों के विरोध में बोलना चाहता हूं। इस सरकार ने अपनी नीतियों से और अब तक के अपने कार्यों से साबित कर दिया है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी प्रसिद्ध करने के लिए, बल्कि सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार मजदूर-विरोधी है। चाहे इनकी आर्थिक नीतियां हों, औद्योगिक नीतियां हों, सबका उद्देश्य है कि कैसे हम अधिक-से-अधिक लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा करें एक-से-एक उदाहरण हैं, चाहे इनकी कई प्रकार की पालिसी हो, ये मल्टी-नेशनल्स को ला रहे हैं। उनकी एग्जिट पालिसी होगी, एक नाम दिया है इन्होंने, गोल्डन हेंडशेक पालिसी जो इन्ट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, नाम खूबसूरत है।

अभी एच० ई० सी० में मुझे रांची में कुछ दिन पहले जाने का मौका मिला था। वहां के बहुत सारे मजदूरों ने इनके प्रचार से प्रभावित होकर, देखा कि एच० ई० सी० में उत्पादन नहीं हो रहा है, इसलिए उत्पादन नहीं हो रहा है क्योंकि किसी को आर्डर नहीं मिलता है । ये कैपिटल गुड्स का इम्पोर्ट करते जा रहे हैं, एच० ई० सी० कैपिटल गुडस प्रोड्यूस करने के लिए बनी थी, उनके पास कोई काम नहीं है । धीरे-धीरे एच० ई० सी० बैठती जा रही है, वहां के मजदूरों ने प्रचार के प्रभाव में आकर सोचा कि रिटायरमेंट ले लें। अपनी जगह छोड़ दी, क्वार्टर छोड़ दिया, सड़क पर आ गए और जो रिटायरमेंट बेनीफिट देना था, वह दिया नहीं गया है। हजारों की संख्या में वहां लोग थे, हमसे कई लोग मिलने के लिए आए और बताया कि इनकी यह स्थिति है ।

इनकी पालिसी है, जो वादा करते हैं उसे भी पूरा नहीं करते हैं। जो कुछ भी ये नीति लागू करने जा रहे हैं उससे बड़े पैमाने पर मजदूर बेकार होने जा रहे हैं । इन्होंने अपने घोषणा पत्र में चुनाव के समय दावा किया था दाम घटाने के साथ-साथ बड़े पमाने पर रोजगार देने के लिए । अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने इनके इलैक्शन मेनीफ़ैस्टो को खुद नहीं पढ़ा है लेकिन अखबारों में उसका जो जिक्र आया है, मैं उसको पवित्र डाकूमेंट नहीं समझता, मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव के अवसर पर ऐसी ही बातें करते हैं जिसको इन्हें लागू नहीं करना होता और ये इसमें अभ्यस्त हैं। मंडल कमीशन के बारे में कहते रहे, आजकल इन्होंने कहना शुरू किया कि हम दाम घटायेंगे, जानी हुई बात थी कि दाम नहीं घटेंगे। उसके बाद कहा कि एक करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे । एक करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात तो दूर रही · · · (व्यवधान) वे अपनी इंडस्ट्रियल पालिसी और इकोनोमिक्स पालिसी से बड़े पमाने पर पब्लिक सैक्टर यूनिट्स से लोगों को भगा-भगाकर उसे बन्द करके लोगों के बीच बेरोजगारी पैदा कर रहे हैं । रोजगार के अवसर समाप्त करते जा रहे हैं, यह इनकी स्थिति है । हमारे जमाने में हमने शुरू किया था कि लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट होगा। हम लोगों ने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया, बिल तैयार किया राज्य सभा में उसको रखा । इतने दिन हो गये हैं लेकिन उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी इनकी तरफ़ से नहीं हुआ। लेबर पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट बिल 1990 उसी प्रकार से राज्य सभा में पेंडिंग है । इनकी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नीतीश कुमार जी आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । सभा कल 28 अप्रैल 1992 को 11 बजे म० पू० को पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई ।

6.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार 28 अप्रैल, 1992/8 वैशाख 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रभासमुफ-96 एल एस एस/93-3-8-93-250

2003

© 2003 By Lok Sabha Secretariat

nder Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha
Tenth Edition) and Printed by The Indian Press, G.T. Karnal Road, Delhi-110033.